Wednesday, 06 April, 1983

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

(खंड 36 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 27, बुधवार, 6 अप्रैल, 1983/16 चैत्र, 1905 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 514 से 516 और 518 से 521	...	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 522 से 527 और 529 से 534	...	23—32
अतारांकित प्रश्न संख्या 5839 से 5849, 5851 से 5869, 5871 से 5885, 5888 से 5972, 5974 से 5976, 5978 से 6016, 6018 से 6033 और 6035 से 6071	...	32—240
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	241—245
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
56वां प्रतिवेदन	...	—246
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
57वां प्रतिवेदन	...	—246
याचिका समिति		
12वां प्रतिवेदन	...	—246
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		
शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रावेशिक शुल्क (कैपिटेशन फी) को समाप्त करने की आवश्यकता	...	248—250
श्री हरिकेश बहादुर	...	—248
श्री पी० के० थुंगन	...	249—251

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
अनुदानों की मांगें, 1983-84		
ऊर्जा मंत्रालय	...	251—356
श्री रघुनाथ सिंह वर्मा	...	251—257
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	257—261
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	262—274
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	281—286
श्रीमती किशोरी सिन्हा	...	286—292
श्री के० मायातेवर	...	292—296
श्री के० टी० कोसलराम	...	297—298
श्री मोतीलाल सिंह	...	298—299
श्री सूर्यनारायण सिंह	...	299—301
श्री एम० सत्यनारायण राव	...	301—305
श्री के० लकप्पा	...	305—311
श्री टी० एस० नेगी	...	311—314
श्री डी० पी० यादव	...	314—318
श्री प्रताप भानु शर्मा	...	318—321
श्री ए० के० राय	...	321—328
श्री सी० चिन्नास्वामी	...	328—333
श्री पी० शिवशंकर	...	333—356
नियम 377 के अधीन मामले	...	274—280
(एक) उत्तर बिहार में विद्युत उत्पादन की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता		
श्रीमती माधुरी सिंह	...	274—275

विषय		पृष्ठ
(दो) जोधपुर आदि में कपड़ों की रंगाई तथा छपाई एककों से उनके द्वारा खुली नालियों में छोड़े जाने वाले प्रदूषित जल को साफ करने के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए कहे जाने की आवश्यकता		
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	...	—275
(तीन) तालचेर और संबलपुर के बीच एक रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता		
डा० कृपासिन्धु भोई	...	275—276
(चार) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा बनारस जिलों में पेय जल की समस्या		
श्री उमाकांत मिश्र	...	—276
(पांच) पटना में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए वित्तीय सहायता		
श्री रामावतार शास्त्री	...	276—277
(छः) कोचीन पत्तन में नारियल के तेल का अवैध आयात		
श्री इ० के० इम्बीचीबाबा	...	—277
(सात) ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने के कारण हरियाणा के किसानों को क्षतिपूर्ति		
श्री मनीराम बागड़ी	...	—278
(आठ) यमुना नदी के किनारों पर स्थित बस्तियों में पेय जल की अत्यन्त कमी		
श्री भीम सिंह	...	—279
(नौ) जवाहर सागर हिंस्त्र जीव अभयारण्य, कोटा (राजस्थान) के बीमार घड़ियालों को बचाने की आवश्यकता		
डा० वसन्त कुमार पंडित	...	279—280
(दस) तमिलनाडु में पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए वीराणम पेय जल योजना को शीघ्र कार्यान्वित करना		
श्री के० मायातेवर	...	—280

लोक सभा

बुधवार, 6 अप्रैल 1983/16 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

टैक्नोलाजी फोरकास्टिंग डिवीजन के लिए विशेषज्ञों का चयन

*514. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने हाल में गठित हुए टैक्नोलाजी फोरकास्टिंग डिवीजन के लिए छः उच्च विशेषज्ञों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये हैं ;

(ख) उक्त डिवीजन को सौंपे गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त डिवीजन अभी किन उद्योग के लिए मुख्य रूप से कार्य करेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में तकनीकी अधिकारियों की अंत: विषयी क्षमताओं का मिश्रित उपयोग करने तथा उत्पन्न हो रही प्रौद्योगिकी का अनुमान लगाने एवं भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता का पता लगाने हेतु अग्रिम कार्रवाई करने के लिए विद्यमान संगठनात्मक संसाधनों में से तकनीकी विकास के महानिदेशालय में एक प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान (फोरकास्टिंग) प्रभाग का सृजन किया गया है। इस प्रभाग में 5 अधिकारी रखे गये हैं जिनमें से तीन को इंजीनियरी विषयों का तथा दो को रसायन विषयों का पर्याप्त अनुभव है। यह प्रभाग एक उप-महानिदेशक के सम्पूर्ण प्रभार में है, जिनकी सहायता करने के लिये एक औद्योगिक सलाहकार हैं जो इस प्रभाग के कार्य का समन्वय करने और निर्देश देने में उनका हाथ बटाते हैं।

(ग) प्रारंभ में, यह प्रभाग औद्योगिक क्रियाकलाप वाले उन चुनींदा क्षेत्रों की स्थिति के बारे में कागज तैयार करेगा जिनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इस बात से सहमत हूं कि एक पूर्वानुमान प्रभाग की आवश्यकता है। इस बात पर कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि आपने इसे भारतीय उद्योगों की प्रतियोगितात्मक शक्ति में वृद्धि करने के लिये बनाया है जिससे कि वे विदेशी

कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें और नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें। परन्तु प्रश्न यह है कि आपका औद्योगिकी से इस प्रकार हस्तान्तरण का कैसे प्रस्ताव करते है ? बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहायक कम्पनियां के माध्यम से या सहयोग से यह तीन तरीके से हो सकता हैं अर्थात अल्पसंख्यक सहयोग और फिर शुद्ध तकनीकी सहयोग से अथवा यह सीधे ही क्रय द्वारा हो सकता है। जहां तक प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण का प्रश्न है, अब आप कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं। और मैं आपसे यह नोट करने का भी निवेदन करूंगा कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने तीन अव्ययन किये हैं और इसका प्रतिवेदन 1978 में आया था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है, "वास्तव में, सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण, कोई हस्तान्तरण नहीं है।" यहां तक कि सबीमल दत्त समिति ने भी कहा है कि औद्योगिकी का वास्तविक हस्तान्तरण हुआ ही नहीं है और जो कुछ भी हस्तान्तरण हुआ है वह प्राथमिकता के क्षेत्र में नहीं हुआ है, बल्कि गैर-आवश्यक उपभोक्ता उत्पादों के मामले में हुआ है। अत: यदि ऐसी ही बात है तो अपनी प्रतियोगिता की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप औद्योगिकी के इस हस्तान्तरण के कैसे पक्ष में हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : वर्तमान संदर्भ में माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। हमने अपने सभी संगत विचारों को उस नवीनतम प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य में समाहित किया है जो कि प्रधान मन्त्री ने जनवरी, 1983 में त्रिरुपति में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन में दिया था।

जहां तक माननीय सदस्य के विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं केवल उस मुख्य नीति को पढ़कर सुनाता हूं जो कि हमारे औद्योगिकी आयात प्रस्तावों अथवा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण नीति के समस्त विदेशी सहयोगों से लागू हो रही है। यह यथेष्टरूप में हमारे नीति सम्बन्धी वक्तव्य में दी हुई है। यह सभी प्रस्तावों पर लागू होती है, चाहे वे बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के हों और चाहे अन्य गैर-बहु-राष्ट्रीक कम्पनियां के हों और उन सभी अन्य प्रस्तावों पर भी जो कि प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध समान प्रकृति के है, लागू होता हैं मैं उद्धृत करता हूं :

> "जहां कहीं भी प्रौद्योगिकी के आयात करने का विचार है तो जिस स्तर तक देश में प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है या इस समय प्रयोग में लाई जा रही है, उसका सर्वप्रथम मूल्यांकन किया जायेगा। उन प्रौद्योगिकीयों की जिनका पर्याप्तिरूप में उस सीमा तक विकास किया जा चुका है और जिनका आयात अनावश्यकरूप है सूची तैयार की जायेगी और उसे समय-समय पर अद्यतन बनाया जायेगा ऐसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के किसी प्रकार के आयात की सामान्यतया अनुमति नहीं दी जायेगी और उसका दायित्व विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाले पर पड़ेगा, फिर चाहे वह कोई उद्योग हो या उपयोग कर्त्ता मन्त्रालय, जो स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकरण की सन्तुष्टि करेगा कि इस प्रौद्योगिकी का आयात आवश्यक है।

प्रौद्योगिकी निर्धारण प्रणालियों का पुनरीक्षण किया जायेगा। इस विषय में सक्षम ग्रुपों को मिलाकर एक प्रौद्योगिकी निर्धारण तन्त्र बनाया जायेगा। यों उच्च आधुनिक प्रौद्योगिकी, भारी निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बद्ध, प्रौद्योगिकी आयात के सभी मामलों में सलाह प्रदान करेगा। प्रौद्योगिकी की प्राप्ति पर लागू होने वाले मुख्य नियम इस प्रकार होंगे :—

(क) इस सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी का आयात और विदेशी निवेश केवल ऐसे चुनिन्दा आधार पर ही स्वीकृत किया जाता रहेगा और जहां आयात की आवश्यकता की पुष्टि हो गई हो, ऐसी प्रौद्योगिकी देश में ही उपलब्ध न हो और देश में ही इस प्रौद्योगिकी को तैयार करने लगने वाले समय के कारण विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में विलम्ब होता हो।

(ख) सरकार समय-समय पर उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले ऐसे क्षेत्रों को पता लगाये और अधिसूचित करे जिनके बारे में आवश्यक औद्योगिकी की सामयिक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को और भी सरल बनाना होगा।"

और (ग) संगत है क्योंकि यह प्रश्न प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण से सम्बद्ध है।

"अनुसंधान और विकास में पर्याप्त निवेश के माध्यम से जिसमें प्रौद्योगिकी के आयातकों से अंशदान करने की अपेक्षा की जायेगी, आयतित जानकारी को आत्मसात करने और अपनाने तथा बाद में विकसित करने की दृढ़ वचनबद्धता होगी।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : साहासिक घोषणा। परन्तु आप जो कुछ घोषित करते हैं, उसको कार्यरूप नहीं देते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते है। आपने हिन्दुस्तान लीवर को साबुन, की प्रसाधन सामग्री कपड़े धोने के साबुन और वनस्पति बनाने की जो अनुमति दे रखी है, उसका आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि यह नवीन प्रौद्योगिकी है? आप एक बेटरी कम्पनी को अपनी गतिविधियां, समुद्री उत्पादों तम्बाकू आदि का उत्पादन करने तक बढ़ाने की देन है जिनके सम्बन्ध में दर स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है? अत: आप इस नीति का आनुसरण कैसे कर रहे हैं? और मुझे मन्त्री महोदय को स्पष्ट करना है कि उनकी साहसिक घोषणा के बावजूद भी इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है (व्यवधान)।

सच बात तो यह है कि गैर-आवश्यक उपभोक्ता उत्पादों पर छा जाने के लिए आप आधुनिक प्रौद्योगिकी के नाम पर बहु-राष्ट्रीय निगमों को शक्ति प्रदान करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन क्षेत्रों का पता लगायेगी जिनमें विदेशी सहयोग का प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का काम पूरा हो चुका है और प्रबन्ध एवं नियन्त्रण दोनों दृष्टि से ऐसे उद्योगों को पूर्णतया भारतीय बना दिया गया है? और पिछले अनुभव के आधार पर भी क्या सरकार विदेशी सहयोग की इस नीति की समीक्षा करने जा रही है? जनता

सरकार के समय में, उन्होंने प्रौद्योगिकी के एक दम क्रय की घोषणा की थी और कोका कोला तथा आई०बी०एम० को इस देश से बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। प्रश्न यह है कि जहां प्रौद्योगिकी का हतान्तरण पूरा हो गया है वहां क्या आप प्रबन्ध और नियन्त्रण के सन्दर्भ में इसका भारतीयकरण करने जा रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आप जानता सरकार का अनुसरण करना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : उनके द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न से यह बात नहीं निकलती है मैं उनसे पूर्णतया असहमत हूं। हमने जो भी नीतियां घोषित की हैं उनका दृढ़ता से पालन किया है। जहां तक विदेशी सहयोग का सम्बन्ध है, एक बार फिर प्रौद्योगिकी नीति सम्बन्धी वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी प्राप्ति को विभिन्न स्तरों में विश्लेषणात्मक कच्चा-माल प्रदान करने के लिए विदेशी सहयोग पर राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जाएगा। प्रौद्योगिकी की प्राप्ति में, प्रौद्योगिकी के चयन और स्रोतों पर, इसको प्राप्त करने के वैकल्पिक साधनों पर, मुख्यतया इसकी प्रमुख आवश्यकता को पूरा करने में इसकी भूमिका पर, उत्पादों के चयन और उपयुक्तता पर, लागतों तथा सम्बद्ध शर्तों पर विचार किया जाएगा। मूल मदों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के निरन्तर आयात की आवश्यकता नहीं है जिसे पहले ही बार बार आयात किया जा चुका है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने उनसे पूछा है कि जहां प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण पूरा हुआ है, क्या आप वहां प्रबन्ध और नियन्त्रण के मामले में उन फर्मों का भारतीयकरण करने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह प्रौद्योगिकी के हस्तानांतरण से सम्बद्ध प्रश्न नहीं है।

देश में नए कागज मिलों की स्थापना

*515. **श्री रामविलास पासवान** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में अखबारी कागज और अन्य कागज की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार देश में नए कागज मिलों की स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि इस प्रयोजन के लिए धन आवंटित किया गया है तो वह कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) अखबारी कागज की मांग देशी उत्पादन के साथ-साथ आयातों द्वारा पूरी की जाती है । विशिष्ट (स्पेशलिटी) कागज की कुछ किस्मों को छोड़कर अन्य किस्मों के कागज की मांग देशी उत्पादन से ही पूरी की जाती है ।

(ख) से (घ) हाल ही में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए केरल राज्य में प्रतिवर्ष 80,000 मी०टन क्षमता वाले एक एकक तथा नागालैंड राज्य में लिखाई और छपाई कागज का उत्पादन करने के लिए 33,000 मी० टन क्षमता का एकक स्थापित है । निगम असम राज्य के नौगांव व कछार जिलों में प्रत्येक परियोजना के लिए लगभग 230 करोड़ रु० के पूंजीगत निवेश प्रत्येक में प्रतिवर्ष 1 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता वाली दो एकीकृत लुग्दी और कागज परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि अखबारी कागज की मांग देशीय उत्पादन के साथ-साथ आयातों द्वारा पूरी की जाती है । आज से काफी समय पहले 1981 में इसी सदन में 18-3-1981 को सरकार ने अपने जवाब में बताया था कि इस समय पेपर की शार्टेज नहीं है । 1980 में भी यही कहा गया कि शार्टेज नहीं है । आज इन्होंने बताया है कि हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं । 1981 में दूसरे सदन में जानकारी दी गई थी कि 1977 में इंस्टाल्ड कैपेसिटी पेपर की 11.37 लाख टन थी और प्रोडक्शन 9.38 लाख टन हुआ । 1978 में 12.65 लाख टन के अगेंस्ट 10 6 लाख टन प्रोडक्शन हुआ । 1979 में 13.18 लाख टन इंस्टाल्ड कैपेसिटी थी और 10.40 लाख टन उत्पादन हुआ । 1980 में 15.38 लाख टन के अगेंस्ट 11.12 लाख टन का उत्पादन हुआ ।

इसका मतलब है कि उत्पादन घटता जा रहा है । यह स्थिति उस समय है जबकि देश में केवल 25 प्रतिशत लोग साक्षर हैं 75 प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाने के लिए आपको पेपर उत्पादन भी द्रुतगति से बढ़ाना होगा ।

एक बहुत बड़ी दिक्कत और है जिसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मैं यह रजिस्टर रखना चाहूंगा । इस रजिस्टर में जो कागज लगाया गया है यह एक्सरसाइज बुक्स के लिए दिया गया है । कागज जो बच्चों की कापियों और किताबों के लिए दिया जाता है उसका मिसयूज होता है । बच्चों की एक्ससाइज बुक्स का उपयोग रजिस्टर बनाने के लिए किया गया है । मैं आपके माध्यम से इस रजिस्टर को सभा के पटल पर रख दूंगा । इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है । मैं सरकार से कह रहा था कि आपकी यह स्केयरसिटी है, जो आप

इम्पोर्ट कर रहे हैं, यह आपकी बनावटी चीज है। आपका ही क्रिएशन है। वर्तमान समय में तो बिल्कुल आप का ही क्रिएशन है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने 15 करोड़ पोस्टर्स छपने के लिए आर्डर दिया है और मिड-टर्म पोल की तैयारी हो रही है।...(व्यवधान)...।

श्री राम प्यारे पनिका : हौवा है।

श्री रामविलास पासवान : हौवा हमारे लिये क्या होगा। मिड-टर्म पोल से आप लोग साफ होंगे, हम लोग साफ नहीं होंगे।...(व्यवधान)...मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपके पास जो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है और कमी है, उस को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि आपने पेपर का शार्टेज क्रिएट किया हुआ है, तो आपने किस-किस पेपर मिल से कितना-कितना कागज पोस्टर छापने के लिए लिया है?

श्री वीरभद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कागज दो प्रकार का होता है—एक न्यूज प्रिन्ट और दूसरा आर्डिनरी प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर व कार्ड-बोर्ड। जहां तक न्यूजप्रिंट का प्रश्न है, हमारे देश में न्यूज प्रिंट की कमी है। कुछ अर्से पहले तक देश में सिर्फ एक ही न्यूज प्रिंट का कारखाना नेपा-पेपर-मिल्स था। उसके बाद 1982-83 के अन्दर दो और कारखाने मैसूर पेपर मिल और केरल न्यूज प्रिन्ट प्रोजेक्ट तैयार हुए। ये दोनों कारखाने उत्पादन में आये और हमारा न्यूज प्रिन्ट का उत्पादन बढ़ा है। देश की आवश्यकता को देखते हुए इस वक्त भी काफी मात्रा में हमें बाहर से न्यूज प्रिन्ट इम्पोर्ट करना पड़ता है।

श्री रामविलास पासवान : कितना?

श्री वीरभद्र सिंह : मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपका सवाल इतना लम्बा था, इसलिए मेरा उत्तर भी थोड़ा लम्बा होगा। जहाँ तक हमारी न्यूजप्रिंट की आवश्यकता है, वह 1981-82 में 3.60 लाख टन थी, 1982-83 में भी 3.60 लाख टन थी, 1983-84 में हमारा अनुमान है कि 3.50 लाख टन होगी। इसके मुकाबले में हमारे देश के अंदर जो उत्पादन हुआ है, वह 1981-82 में 64 हजार 306 टन था, 1982-83 में एक लाख 16 हजार टन और 1983-84 में एक लाख 78 हजार टन की संभावना है। इसलिए हमें जो इम्पोर्ट करना पड़ा है, वह 1980-81 में 3.6 हजार टन, 1981-82 में 3.16 हजार और बफर स्टाक को ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि 2 लाख 6 हजार टन न्यूज प्रिन्ट इम्पोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह मुख्यतः कनाडा, फिनलेंड, नार्वे, स्वीडन, यू.एस.ए., रोमानिया, यूगोस्लाविया, बंगलादेश, न्यूजीलेंड और यू.एस.एस.आर. से मंगाया जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन्फीरियर क्वालिटि का होगा।

श्री वीरभद्र सिंह : जहां तक पेपर और पेपर-बोर्ड के बारे में सवाल है, उसकी देश में

कोई कमी नहीं है । हमारा जो उत्पादन हुआ है वह देश की आवश्यकता के अनुसार है ।

श्री बी० डी० सिंह : पिछले दो तीन सालों से पेपर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ?

श्री रामविलास पासवान : मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या 15 करोड़ पोस्टर्स छापने के लिये दिया गया है । यदि हां, तो किन-किन को दिया गया है? सीधी सी बात है ।

श्री रामविलास पासवान : यदि हां, तो किसकी मर्जी से दिया गया है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सवाल यह है कि 15 करोड़ पोस्टर छप रहे हैं जिसकी वजह से शार्टेज हुई है । अगर ये पोस्टर न छपते तो सवाल भी नहीं होता ।

श्री रामविलास पासवान : 15 करोड़ पोस्टर छपने के लिए दिये हैं ...(**व्यवधान**) ।

श्री बीरभद्र सिंह : मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो विरोधी दल के सदस्य हैं, वे मिड-टर्म पोल के फोबिया से ग्रसित हैं । ये जो 15 करोड़ पोस्टर छपने की बात कह रहे हैं, यह बिल्कुल निर्मूल और आधारहीन है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रधान मंत्री जी शायद कुछ कहना चाहती हैं ।

(प्रधान मंत्री) **श्रीमती इंदिरा गांधी** : अगर आपको मालूम है कि कितने छपे हैं तो शायद आपने छपवाये होंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, इसका मतलब है कि सरकार जो कुछ करती है, हमें मालूम नहीं होता ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : वाजपेयी जी क्या आपका यह कहना है कि आप पोस्टर छपवाते ही नहीं हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मिड-टर्म पोल के लिए हम कोई पोस्टर नहीं छपवा रहे हैं । अगर आप छपवा रहे हैं तो बता दीजिए ।....(**व्यवधान**) ।

श्री विलास मुत्तेमवार : वाजपेयी जी चन्दा वसूल कर रहे हैं और बगैर थैली के कहीं नहीं जाते हैं । (**व्यवधान**) ।

श्री राम विलास पासवान : पेपर शार्टेज के संबंध में माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी से मिला था । अशोक पेपर मिल की प्रतिवर्ष उत्पादन कैपेसिटी 13,500 टन है जबकि 1982 में 1,438 टन उत्पादन हुआ । अशोक पेपर मिल का यूनिट जोगी घोपा आसाम में है,

वह बिल्कुल बंद पड़ा है। आपने एश्योरेंस दी थी कि पेपर मिल को खुलवाया जायेगा और बिहार का विकास भी पेपर मिल के माध्यम से हो जायेगा। आपके यहाँ 1100 टन अखबारी कागज प्रति वर्ष बेकार हो जाता है। क्या सरकार ने उसके लिए कोई व्यवस्था की है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि अशोक पेपर मिल-दरभंगा और अशोक पेपर मिल जोगी-घोपा को खुलवाने के संबंध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? छोटे न्यूज-पेपर के उत्पादन के लिए सरकार कौन-सा काम कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानीय सदस्य की बड़ी कृपा है कि वे कभी-कभी दर्शन दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये दर्शन के साथ वाद्य-वृन्द भी सुनाते रहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आइ.डी.बी.आइ., बिहार सरकार और आसाम सरकार से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों मिल दुबारा चलने लग जाएं। इस संबंध में दूसरी संस्थाओं से भी बातचीत हो रही है कि किस प्रकार, इन मिलों को चलाया जाए।

श्री रामविलास पासवान : चलेगी या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अगर माननीय सदस्य और उनके सहयोगियों का सहयोग मिलेगा तो अवश्य चालू हो जायेंगी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए यहां पर काफी मात्रा में खोई तथा बांस मौजूद हैं। क्या इनको उपयोग में लाकर कारखानों की शत-प्रतिशत क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता है ? अब वे केवल 75 प्रतिशत क्षमता तक कार्य कर रहे हैं। मंत्री महोदय इस सम्बंध में क्या करने जा रहे हैं ? इसके अतिरिक्त साक्षरता में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। अतः कागज की ओर मांग बढ़ेगी। इस सम्बन्ध में वह क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं ताकि हमें आयात करने पर निर्भर न रहना पड़े ? कागज के बारे में किस समय तक हमारा देश आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

श्री वीरभद्र सिंह : प्रश्न अखबारी कागज के बारे में है···(व्यवधान)।

अखबारी कागज के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम यह आशा करते हैं कि वर्ष 1983-84 तक 1,78000 टन अखबारी कागज का उत्पादन होगा और इसके बावजूद भी हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगीं। इसकी अधिक क्षमता बढ़ाने के लिए हम पहले ही लाइसेंस देने के लिए कदम उठा चुके हैं। दो औद्योगिक लाइसेंस पहले ही जारी किए जा चुके हैं और कुछ अन्य इकाइयों के लिए मामला विचाराधीन है। और हम यह आशा करते हैं कि

कि जब इन दोनों नई इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा तो जिस कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है वह कम होगी तथा अखबारी कागज की स्थिति में काफी सुधार होगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्षमता के उपयोग के बारे में क्या स्थिति है ? महोदय, उन्होंने प्रश्न के इस महत्वपूर्ण भाग का उत्तर नहीं दिया है कि कारखानों की पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए वह क्या करने जा रहे हैं ? **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : श्री दौलत राम सारण।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष जी, जब देश में कागज की कमी है और बाहर से कागज मंगाने पर दुलर्भ मुद्रा खर्च की जा रही है तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार के ध्यान में है कि सरकार का प्रत्येक विभाग और पब्लिक सैक्टर की प्रत्येक कम्पनी अपने यहां कागज का दुरुपयोग पब्लिसिटी में, डायरी या कलैन्डर तथा दूसरे और छोटे छोटे पेपर्स निकालने में खर्च कर रही हैं, इसको रोक कर कुछ समय के लिए कागज की बचत करवाई जाय, जो व्यर्थ का खर्चा किया जा रहा है इसको बन्द किया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है ?

श्री वीरभद्र सिंह : माननीय सदस्य की जो भावनायें हैं मैं उससे सहमत हूं क्योंकि कागज दिन प्रतिदिन स्केयर्स कमोडिटी होता जा रहा है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज् हैं जिसके ऊपर कागज का बनना आधारित है उसकी कमी हो रही है और हमारे यहां ही नहीं संसार भर में यह प्रश्न पैदा हो रहा है। और मैं समझता हूं कि कागज की जितनी बचत होनी चाहिये, चाहे सरकारी विभाग, निजी क्षेत्र में या निजी जीवन में, वह बचत अवश्य की जानी चाहिये।

श्री अजय विश्वास : महोदय, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन असम तथा नागालैंड में तीन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। **(व्यवधान)** त्रिपुरा भी उसी क्षेत्र में आता है तथा छः वर्ष पूर्व सरकार ने त्रिपुरा को एक आशय पत्र दिया था। अतः पिछले छः वर्षों से त्रिपुरा सरकार केन्द्रीय सरकार से धन की व्यवस्था करने के लिए निवेदन कर रही है। मेरा प्रश्न यह है कि त्रिपुरा परियोजना को इस समय क्यों छोड़ दिया गया है, क्या यह बात सच है कि चूंकि त्रिपुरा में वामपंथी सरकार सत्ता में है इसलिए केन्द्रीय सरकार परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराने की इच्छुक नहीं है ? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है...।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न नहीं। केवल एक प्रश्न।

श्री अजय विश्वास : मैं यह कहना चाहता हूं कि भाग (ख) में यह पूछा गया है कि जब सरकार द्वारा अगले वित्तीयवर्ष के लिए धन उपलब्ध कराया जायेगा, क्या उसमें परियोजना को सम्मिलित किया जायेगा अथवा नहीं।

श्री वीरभद्र सिंह : माननीय सदस्य ने यह ठीक ही कहा है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने हाल ही में नागालैंड में एक कागज का कारखाना खोला है जिसकी प्रतिवर्ष क्षमता 30,000 टन है तथा असम के नौगोंग तथा कछार में दो कागज के कारखाने कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

जहां तक त्रिपुरा में कागज के कारखाने का संबंध है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, मैं इसके बारे में पता करूंगा तथा माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा। लेकिन मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि त्रिपुरा सरकार अथवा किसी अन्य पक्ष से त्रिपुरा में पेपर मिल की स्थापना के लिए जब भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो हम उस पर नियमों के अनुसार विचार करेंगे।

उज्जैन स्थित "इस्को स्टेन्टल पाइप एंड फाऊन्ड्री कम्पनी लि० का विस्तार कार्यक्रम

*516. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित इस्को स्टेन्टल पाइप एंड फाऊंड्री कम्पनी लि० का विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान उपरोक्त कम्पनी द्वारा किये गए (एक) कुल उत्पादन और (दो) अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) इस समय कोई विस्तार कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

(ख) 49529 टन। आशा है इस कम्पनी को लाभ होगा, परन्तु वर्ष 1982-83 के हिसाब-किताब के बन्द करने के पश्चात् ही आंकड़ों के बारे में अन्तिम रूप से पता चल सकेगा।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस प्रश्न को नकार दिया गया है यह साल्वे साहब की ही खूबी हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं क्या फैक्टरी का विस्तार करने की कोई योजना है ? यदि नहीं है तो भी मुझे कोई शिकवा-शिकायत नहीं है लेकिन किसी भी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनानी आवश्यकता होती है।

दूसरे माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि फैक्ट्री में 49,529 टन का उत्पादन हुआ है। मैं जानना चाहूंगा यह किस आधार पर उन्होंने बताया है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे यह कितना अधिक हुआ है ?

तीसरे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लाभ होगा। मैं जानना चाहूंगा किस आधार पर माननीय मंत्री जी ने यह सम्भावना प्रकट की है ?

श्री पी. के. एन. साल्वे : पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि विस्तार की कोई योजना नहीं है दूसरा उत्तर यह है कि मैंने जो आंकड़े दिये हैं 49,529 टन वह जो टन उत्पादन हुआ है, उसके आधार पर बताया है ।

जहां तक मुनाफे की बात है, 1978 में 51 लाख का मुनाफा हुआ, 1979 में 27 लाख का मुनाफा हुआ, 1980 में 14 लाख का मुनाफा हुआ, 1981 में 2 करोड़ 80 लाख का मुनाफा हुआ और अब 1983 में भी मुनाफा होगा, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि यह कारखाना मुनाफे पर चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या वे मजदूरों को उत्पादकता के आधार पर 20 परसेन्ट बोनस देने की बात को स्वीकार करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कहाँ पैदा होता है ?

ट्राली-बसों के निर्माण के लिए भारत-चैकोस्लोवाकिया सहयोग

*518. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ट्राली-बसों के निर्माण सम्बन्धी सहयोग हेतु चेकोस्लोवाकिया का एक प्रतिनिधिमंडल हाल में भारत आया था ;

(ख) यदि हां तो भारत आए प्रतिनिधिमंडल के नेता तथा अन्य सदस्यों के नाम और ओहदे क्या हैं और भारतीय-पक्ष के साथ हुई उनकी बातचीत के क्या परिणाम रहे ;

(ग) क्या इस सम्बध में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल चैकोस्लोवाकिया गया था, यदि हां तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यू० के०, अमेरिका, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी आदि से किसी प्रौद्योगिकी के लिए अनुरोध किया गया है यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) श्री स्टानेक निदेशक तकनीकी, ओस्ट्रोव वर्क्स, के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया के स्कोडा से एक चार सदस्यीय शिष्ट-मण्डल ने भारत में ट्राली बसों के निर्माण के लिए कम्पनी द्वारा बी० एच० ई० एल० के साथ किए गए सहयोग के प्रस्ताव पर तकनीकी-आर्थिक विचार-विमर्श के लिए अगस्त, 1982 में भारत की

यात्रा की थी। शिष्टमंडल के ब्यौरे विवरण में दिए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) चेकोस्लोवाकिया के स्कोडा के अलावा, बी० एच० ई० एल० द्वारा जारी की गई निविदाओं पर हंगरी, इटली, फ्रांस, स्विटजरलैण्ड और सोवियत रूस की पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

विवरण

(1) श्री मीरोस्लाव स्टानेक, निदेशक (तकनीकी प्रभाग) ओस्ट्रोव वर्क्स (स्कोडा), चेकोस्लोवाकिया।

(2) श्री जोसेफ माजेक, वाणिज्यिक इंजीनियर, स्कोडा एक्सपोर्ट (विदेश व्यापार निगम) प्राहा, चेकोस्लोवाकिया।

(3) श्री फ्रैन्टीसेक ग्राज़ (ग्राज), चीफ डिजाइनर (ट्राली बसों का इलैक्ट्रिकल आउट-फिट), ओस्ट्रोव वर्कस (स्कोडा) चेकोस्लोवाकिया।

(4) श्री पावेल स्वेराक, इंजीनियर, पालिटेक्ना, प्राहा, चेकोस्लोवाकिया (तकनीकी सहयोग के लिए)।

श्री एन० के० शेजवल्कर : उत्तर को देखकर मैंने यह महसूस किया है कि मंत्री महोदय हमको अन्धेरे में रख रहे हैं। इस प्रकार के मामलों में अपनायी गई प्रक्रिया के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया है। क्या निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक समान नीति अपनायी जा रही है अथवा नहीं? हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि इस प्रकार के मामलों में हमेशा कुछ त्रुटि रहती है। क्या कोई विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित की गई थी?

यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि यह शिष्टमण्डल क्यों आया था? (ख) के उत्तर में आपने यह बताया है कि पांच अन्य देशों से भी निविदाए आई थीं। तो यह फिर कैसे हुआ कि शिष्टमण्डल केवल "स्कोडा" से ही आया और किसी अन्य देश से नहीं आया? क्या इसके मूल्यांकन पर अभी भी विचार किया जा रहा है? पता नहीं आप इस समय यह बता सकते हैं कि क्या इसका मूल्यांकन अभी भी किया जा रहा है यद्यपि शिष्टमण्डल को आये लगभग आठ महीने हो चुके हैं। क्या शिष्टमण्डल, स्कोडा के द्वारा दी गई निविदा से पूर्व आया था अथवा उसके पश्चात्? कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिए क्योंकि आजकल बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : बी.एच.ई.एल. द्वारा ट्राली बसों के निर्माण के लिए विभिन्न निर्माताओं से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्रौद्योगिकी

के अन्तरण के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे । अन्ततः यह प्रणाली देश में ही विकसित की जानी चाहिए । निविदाएं आमंत्रित की गई थीं..............।

श्री एम० के० शेजवलकर : कब ?

श्री नारायण दत्त तिवारी: पांच सप्लायरों ने प्रस्ताव भेजे हैं:—

1. मैसर्स स्कोडा, चैकोस्लावाकिया

2. मैसर्स मोगुर्ट, हंगरी

3. मैसर्स अनसाल्डो, इटली

4. मैसर्स, रेनाल्ट, फ्रांस

5. मैसर्स ट्रेक्शन 'सेम' ओरलिकन

6. मैसर्स इनरगोमेच एक्सपोर्ट, यू.एस. एस. आर.

(मैसर्स मोनिका एन्टरप्राइजज के माध्यम से प्राप्त हुई)

यह विशेष प्रस्ताव बाद में प्राप्त हुआ ।

ये छः प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, तथा विभिन्न प्रस्तावों के तकनीकी तथा वाणिज्यिक मूल्यांकन के पश्चात् तीन निविदाओं की एक छोटी सूची तैयार की गई थी। वे इस प्रकार हैं-मैसर्स स्कोडा चेकोस्लावाकिया, मैसर्स मोगुर्ट, हंगरी तथा मैसर्स अनसाल्डो, इटली । उसके पश्चात् तीन निर्माताओं के साथ अगस्त-सितम्बर, 1982 में प्रस्तावों के मूल्यांकन के संदर्भ में तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से व्यापक विचार-विमर्श किया गया था तथा विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण भी माँगा गया था । इस विचार-विमर्श की प्रक्रिया के दौरान मैसर्स स्कोडा, चैकोस्लावाकिया के चार सदस्यीय शिष्टमण्डल द्वारा भारत का दौरा किया गया था । यहां पर केवल एक देश की चर्चा नहीं की जा रही है। चैकोस्लावाकिया द्वारा भी अधिक दिलचस्पी दिखाई गई और उन्होंने एक शिष्टमण्डल भी भेजा । यह बात ठीक नहीं है कि हम अन्य देशों के साथ विचार-विमर्श करना नहीं चाहते हैं । प्रस्ताव वहां पर पहले से ही आये हुए हैं । तीन देशों को सूची में रखा गया है । अब हमारे देश से इन देशों को दौरा करने के लिए एक शिष्टमण्डल भेजा जायेगा जो प्रस्ताव पर निर्णय लेगा और यह देखेगा कि हमारी परिस्थितियों के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अधिक बेहतर रहेगी ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी :—उस शिष्टमण्डल में कितने संसद सदस्य होंगे ?

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या आप विभिन्न कम्पनियों से प्राप्त भावों की एक प्रति सभा पटल पर रख सकते हैं भाव क्या क्या हैं ?

दूसरे, क्या आपने अपनी प्रौद्योगिकी जापान, सोवियत संघ अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जर्मनी जैसे उन्नत देशों की प्रौद्योगिकी से तुलना की है ? इन देशों की प्रौद्योगिकी तथा अन्य पहलुओं की तुलना में आपको विभिन्न कम्पनियों द्वारा किस प्रकार की निविदाएं भेजी गई हैं ? तुलनात्मक रूप में वे किस प्रकार की हैं ? क्या आपने इसका कोई अध्ययन किया है ? क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह नहीं किया जाता है तब तक कोई उचित निर्णय करना संभव नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, आमतौर पर निविदाओं के विस्तृत ब्यौरे सभा पटल पर रखे जाने की बात को सभा में प्रोत्साहित नहीं किया जाता है । जहां तक दूसरे देशों यू. एस. ए. तथा जापान का सम्बन्ध है उन्होंने कोई निविदा प्रस्ताव नहीं भेजा है । अत: उनकी दरों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : स्कोडा एक अच्छी कम्पनी है ।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए केन्द्रीय सहायता

*519. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि उनसे वह अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करें ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों की ओर से यह अनुरोध किया गया है ; और

(ग) उन राज्यों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) —उड़ीसा सरकार ने जनजातीय क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आवासीय स्कूल की स्थापना के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था ।

(ग) राज्य सरकारों के बीच वितरण के लिए मंत्रालय के पास विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्धता सीमित है । अत: उड़ीसा सरकार को विभिन्न स्त्रोतों से धन की व्यवस्था करने और योजना प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण करके योजना को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई थी ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : श्रीमन्, उड़ीसा की 40% जनसंख्या, जनजातीय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। और उड़ीसा में निरक्षरता की दर सबसे अधिक है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में 80% से भी अधिक छात्र प्राइमरी स्तर तक ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं? क्या यह भी सत्य है कि प्राइमरी स्तर तक आवासीय सुविधाएं ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं और इनकी वजह से स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है?

श्री निहार रंजन लस्कर : जहाँ तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ज्यादा धन देने की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे पास और राशि नहीं है। लेकिन यहां मैं अपने माननीय सदस्य को एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देती है और हम मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ये जनजातिय लोग आगे बढ़ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह केवल कागजों में ही है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या क्या किया है। 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए हमने केवल उड़ीसा के लिए एस सी ए. योजना के अधीन अनुसूचित जनजातिय लोगों के लिए 56-51 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। मैट्रिक के बाद की छात्रवृतियों के लिए हमारे यहाँ 100% सहायता योजना है। 1980-83 के पहले तीन वर्षों में हमने उड़ीसा राज्य सरकार को इसके अन्तर्गत 137.25 लाख रु० दिए हैं। इसके अलावा, एक अन्य केन्द्रीय सहायता योजना है जिसके अन्तर्गत हम विभिन्न राज्य सरकारों को कन्या-होस्टलों (छात्रावासों) के लिए सहायता देते हैं। इनके लिए भी केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को सहायता दी है और पिछले तीन वर्षों में कुल 235 लाख रुपये दिये गये हैं। जहाँ तक स्कूल बीच में ही छोड़ देना के मामलों का प्रश्न है, यह सही है कि उड़ीसा में यह बहुत ज्यादा है और ऐसे 85% नहीं बल्कि 90% मामले हैं। हमने कई एक प्रोत्सान दिए हैं और एक तरीका यह है कि ज्यादा सहायता दी जाये। हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जनजातिय उप-योजना क्षेत्र में, 100 स्थानों वाले कम खर्च के क्षात्रावास बनाने का फैसला किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यही एक मात्र तरीका है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है बीच में ही स्कूल छोड़ने के मामलों को कम किया जा सके और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि राज्य सरकार के लिए सारा व्यय अपने ही स्रोतों द्वारा खुद ही वहन करना मुश्किल है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस योजना पर फिर से विचार करें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि यह बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं और जहाँ कहीं भी इन्हें बनाया गया है। वहीं पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के मामलों में कमी आई है। इसको

मार्गदर्शी योजना के रूप में लिया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इस योजना पर फिर से विचार करें और केन्द्रीय सहायता से ज्यादा राशि राज्य सरकार को आवंटित करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वह राज्य सरकार की ओर से बोल रही हैं ?

श्री निहार रंजन लस्कर : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उड़ीसा राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में करीब 1200, छात्रावासों के निर्माण की योजना बनाई है इसी प्रकार की उनकी योजना है। वार्षिक जनजातिय उप-योजना दस्तावेज में यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के जनजातिय उप-योजना क्षेत्रों में करीब 1200 छात्रावासों का निर्माण किया जाये। उन्हें आशा है कि 1982-83 में 311 छात्रावास तैयार हो जायेंगे और 1983-84 में भी यह कार्यक्रम चालू रहेगा और इस अवधि में 50 लाख रु० से करीब 180 और छात्रावास तैयार हो जायेंगे। करीब 50 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो जायेगी।

श्री के० मायातेवर : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तमिल नाडु में, हरिजन लोगों को बचाने के लिए मेरे सुझावों पर ध्यान दें। 1976 तक तमिलनाडु में कांग्रेस और डी.एम.के. के शासन काल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों लिए केन्द्र द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा काफी सहायता दी जाती थी। कांग्रेस और डी एम. के. शासन काल के दौरान उन्हें कालोनी मकान, मुफ्त मकान और मुफ्त शिक्षा मिलती थी।

जहां कहीं भी हम चाहते थे। वहां अनु० जाति और अनु० जनजाति के लोगों के के लिए छात्रावासों का भी निर्माण किया गया। लेकिन 1977 से आज के दिन तक तमिल नाडु में यह एक सही सत्य है मैं सदन के सामने कोई गलत वक्तव्य नहीं दे रहा हूं बल्कि यह सही और सत्य बात है कि ए. आई. डी. के. शासन के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए कालोनी आवास योजना बिल्कुल खत्म कर दी गई है······(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह संगत बातें हैं ?

श्री के० मायातेवर : यहाँ तक कि अनु० जाति और अनु० जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के मामले में भी उन्होंने सीमा रख दी है। उदाहरण के तौर पर। तमिलनाडु में जिन अनु० जाति और अनु० जनजाति के लोगों की वार्षिक आमदनी 5,000 रु० है उनके बच्चों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जायेगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि तामिलनाडु में केन्द्र द्वारा अनु० जाति और अनु० जनजाति के लोगों के लिए दी जा रही सारी सहायता, दूसरी योजनाओं पर खर्च की जा रही है। केन्द्रीय सरकार तामिलनाडु की डी एम के राज्य सरकार के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ? अनु० जाति और अनु० जनजाति के लोगों के लिए दी जा रही सारी केन्द्रीय सहायता को दूसरे कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में

भी एक भी कालोनी आवास योजना नहीं है। इसकी पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। अनु० जाति और अनु० जनजाति लोगों की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही है। मैं तामिलनाडु के लोगों को बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री का संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न करने की अनुमति दी थी आपने संग्राम पैदा करने की कोशिश की है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : हम मामले को राज्य सरकार से उठायेंगे।

श्री के. मायातेवर : इसकी जांच कर इसे सही करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम असम में यह चाहते थे कि ...।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसकी अटार्नी आपको नहीं दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उनका प्रश्न यह था कि......।

अध्यक्ष महोदय : आपको उनका प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री निहार रंजन लस्कर : हमने अपने देश में जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द जन॰ जातिय लोगों के जीवन स्तर को उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। पहले भी मैंने सदन में बताया था कि इस क्षेत्र के लिये हम छठी योजना में 4 हजार से 5 हजार करोड़ रु० तक खर्च कर रहे हैं और इस राशि को पहले ही इस क्षेत्र के लिये आंतरित किया जा चुका है। जरूरत इस बात की है कि इसे सही ढंग से कार्यान्वित किया जाये।

राज्यों को अपराधों की रोकथाम के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाने के निर्देश

*520. †**श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपर्याप्त पुलिस बल होने के कारण देश में दिन-प्रतिदिन अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्यों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करें ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) इस निष्कर्ष के सरकार के पास कोई विशेष सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अपर्याप्त पुलिस बल के कारण देश में दिन प्रतिदिन अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। "पुलिस" और 'लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। इसलिये राज्यों में पुलिस बल की संख्या के बारे में राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट निदेश दिये जाने की जरूरत नहीं है। परन्तु विधि व व्यवस्था की स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और जहां आवश्यक होता है, उपयुक्त कार्यवाई की जाती है।

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : आंकड़ों के हिसाब से, प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे एक पुलिसमैन है। माननीय मंत्री ऐसा महसूस करते हैं कि देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये यह संख्या काफी है और उन्होंने यह भी कहा है कि देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार देश की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति मे खुश है ?

सामान्य धारणा यह है कि पुलिस बल का वर्तमान संघटन पुराना पड़ चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इससे सहमत हैं और अगर हां, तो देश में पुलिस बल को प्रभावशाली, सक्रिय और चौकस बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : खासकर अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह जरूरी नहीं कि कानून और व्यवस्था, पुलिस बल की संख्या पर ही निर्भर हो, लेकिन यह पुलिस बल की क्षमता पर निर्भर होती है, इसलिए, सारी कोशिशें इस बात के लिए की जा रही हैं कि पुलिस बल की क्षमता में वृद्धि की जाये।

जहां तक पुलिस-बल के संघटन का संबंध है, हमने पहले ही यह निदेश जारी कर दिये हैं कि जहां तक सशस्त्र पुलिस दल का प्रश्न है इसमें समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाये।

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : अगर मुझे सही-सही याद है तो 1978-79 में भारत सरकार ने पुलिस को अपना संघ बनाने की अनुमति दी थी।

मैं सरकार के इस बारे में अनुभव जानना चाहता हूं कि जबसे पुलिस में संघों के बनाने की अनुमति दी गई है, तब से क्या उनकी क्षमता और अनुशासन में वृद्धि हुई है ? अगर नहीं तो क्या सरकार उनको संघ बनाने के लिए दी गई अनुमति को वापस लेगी, और क्या किसी राज्य सरकार ने भारत सरकार से पुलिस बल को दी गई संघ बनाने की अनुमति वापस लेने के लिये प्रार्थना की है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। पुलिस संघ बने हुए हैं। हालांकि इनसे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ, बातचीत के जरिये पुलिसमैनों की कुछ समस्याएं भी हल हुई हैं।

उनको विघटित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं एक मूल प्रश्न पूछना चाहूंगा। समूची समस्या उसी पर समाप्त हो जाएगी।

हमारे देश में कानून का शासन है। प्रजातन्त्र कानून के शासन पर टिका हुआ है, और यदि हम चाहते हैं कि पुलिसबल आदर्श पुलिस बल हो तो कानून को अपने तरीके से लागू होने देना चाहिये। परन्तु हमारे देश में लगातार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि उच्च पदों पर आसीन लोगों का हस्तक्षेप होता है। इसमें प्रधान मन्त्री के नाम का भी उपयोग किया जा रहा है और मंत्रियों का भी। ऐसी शिकायतें हैं कि वे सभी लोग जो उच्च सोपानको से सम्बन्धित है उनको कुछ लोगों द्वारा शरण दी जा रही है और इसी कारण से पूरी पुलिस का अनैतिकरण हो रहा है, कानून अपने स्वाभाविक तरीके से लागू नहीं हो रहा है और इसी कारण से पुलिस की पूरी कार्यकुशलता जिसकी आप बात कर रहे थे भयंकर रूप से प्रभावित होती है। क्या सरकार इस बात की गारन्टी देगी कि पुलिस को बिना किसी भय तथा निष्पक्षता के साथ कार्य करने दिया जायेगा और पुलिस के दिन प्रतिदिन के कार्यों में ऊपर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। और देश में कानून का राज्य लागू रहेगा। इस प्रकार की गारन्टी दी जानी चाहिए। (व्यवधान)।

श्री पी०सी० सेठी : जहां तक माननीय सदस्य के इस विवाद का संबंध है कि हम प्रधान मंत्री से लेकर गृह मन्त्री के स्तर तक, शरण देने का प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ लोगों को संरक्षण देते हैं, शायद उनको बहुत ही गलत सूचना मिली है।

यह आरोप निराधार है। हम पुलिस या पुलिस अधिकारियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते और वे जांच कार्य कराने तथा अपने कार्य को निर्भय तथा निष्पक्ष रूप से करने के लिए निश्चित रूप से स्वतन्त्र हैं।

श्री राजेश पाइलट : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि आज भी कुछ राज्यों में सरकारी मापदण्ड के अनुसार पुलिस थाने नहीं हैं। इतनी जनसंख्या के लिए और इतने क्षेत्र के लिए एक पुलिस थाना होना चाहिए। इसके लिए नियम या विनियम है। क्या यह सत्य है कि कुछ राज्य अभी भी सरकारी मानदन्ड के अनुसार पुलिस थानों की स्थापना नहीं कर पाये हैं ?

मेरे प्रश्न का खण्ड (ख) यह है कि गृह मंत्रालय में अपराधों पर नजर रखने की क्या प्रक्रिया है ? क्या आप केवल राज्य सरकारों से आने वाली विवरणियों पर ही निर्भर करते हैं क्या पुलिस विभाग ही गृह मन्त्रालय के पास एक ऐसा मानदण्ड है जिससे अपराधों को नापा जाता है या गृह मंत्रालय में देश भर के अपराधों पर नजर रखने के लिए क्रास चैकिंग की अन्य सुविधा भी है ? खण्ड (ग) यह है कि क्या यह सत्य है या आपके पास ऐसे आंकड़े पर सूचना है कि विपक्षी राजनैतिक दल भी राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए देश में अपराध बढ़ाने के लिए अंशत: जिम्मेदार हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनको विपक्षी दलों के नाम बतलाने चाहिए और किन राज्यों में ? तमिलनाडु के बारे में क्या है ? क्या वह भी इसमें सम्मिलित है ? वे कौन से राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं ?

श्री के० मायातेवर : निश्चित रूप से तमिलनाडु नहीं । वे बहुत ही अच्छे लोग हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत से नए पुलिस स्टेशन खोले गए हैं बहुत से थाने खोले गए हैं । जहां कहीं भी आवश्यकता होती है और मांग होती है । जहां उनकी आवश्यकता होती है । राज्य सरकारें अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुरूप नये पुलिस स्टेशन खोलती है । जहां तक अपराधों के आंकड़ों को रखने का सम्बन्ध है जैसाकि मैंने शुरू में ही बतलाया था यह राज्य का विषय है । प्रत्येक राज्य एकत्र करता है और एक वर्ष बाद ये आंकड़े यहां भेज दिए जाते हैं और हम उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर संकलित करते हैं। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के तीसरे भाग के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

टायर और ट्यूब संयंत्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस

*521. **श्री नारायण चौबे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए टायर और ट्यूब यूनिटों में संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश पर उत्पादन शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट के सरकार के निर्णय के बाद अनेक बड़े औद्योगिक गृहों ने नए आटोमोबाइल टायर और ट्यूब निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने हेतु आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में टायरों की वर्तमान उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में नए यूनिटों को प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) टायरों के उत्पादन शुल्क में राहत देने के बारे में दिनांक 13.11.82 की संशोधित अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् आन्ध्र प्रदेश/उड़ीसा में मोटरगाड़ियों के 10 लाख टायरों और ट्यूबों के विनिर्माण के लिए एक नये एकक की स्थापना हेतु केवल मैसर्स केसोराम इन्डस्ट्रीज एण्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड का एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) देश में टायरों के विनिर्माण की वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता टायरों की विद्यमान मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नई क्षमता स्थापित करने के लिए किसी निश्चित अवधि की मांग संबंधी अनुमानों तथा क्षमताओं के वाणिज्यिक उत्पादन में फलीभूत होने में लगने वाले आवश्यक समय पर विचार करना जरूरी होगा।

श्री नारायण चौबे : सरकार ने इस बात को माना है कि हमारे देश के पास पर्याप्त मात्रा में टायर और ट्यूबें हैं। टायर और ट्यूब के क्षेत्र को बड़े औद्योगिक गृहों के लिए खोलने के लिए सरकार द्वारा दिए गये कारण वास्तव में ही अस्पष्ट हैं...।

श्री मनीराम बागड़ी : मोदी बहुत ही लूट कर रहे हैं ...(व्यवधान)।

श्री नारायण चौबे : यह तो कुछ चार मुखों वाले ब्रह्मा के समान हैं...।

एक माननीय सदस्य : भगवान मुर्गा क्यों नहीं।

श्री नारायण चौबे : मुर्गे का भी कोई आकार होता है और मुर्गी का भी कोई आकार होता है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य भगवान में विश्वास नहीं करते।

श्री नारायण चौबे : दिये गये कारण बहुत ही अस्पष्ट हैं। वे विशिष्ट नहीं हैं।

श्री विलास मुत्तेवार : चौबे जी भगवान से आपका क्या सम्बन्ध है ?

श्री नारायण चौबे : जैसा आपका दाढ़ी से है।

श्री नारायण चौबे : उत्तर में कहा गया है :

"नई क्षमता स्थापित करने के लिए किसी निश्चित अवधि की माँग संबंधी अनुमानों तथा क्षमताओं के वाणिज्यिक उत्पादन में फलीभूत होने में लगने वाले आवश्यक समय पर विचार करना जरूरी होगा। उत्तर वास्तव में अस्पष्ट है। जो उत्पादन आजकल बड़े उद्योग गृहों से अलग क्षेत्र में किया जा रहा है वह वाणिज्यिक नहीं है आपका वाणिज्यिक उत्पादन से क्या तात्पर्य है ? आप किसी केशोराम उद्योग को लाईसेंस दे रहे हैं मैं उस

पर बाद में आऊंगा''''''10 लाख टायरों और ट्यूबों के उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा में 13-11-82 के पश्चात् केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ। यह एक आवेदन तो आपको अब प्राप्त हुआ परन्तु आपको और आवेदन पत्र भी मिल सकते हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बड़े औद्योगिक गृहों के दरवाजे खोलने के क्या कारण थे जो कि अब तक इनके द्वारा नियत्रित नहीं था ? उनको खुश करने के क्या कारण हैं यह बिलकुल भी विशिष्ट नहीं है क्या निर्यात का प्रस्ताव है ? यदि हां तो कितनी राशि का, कौन से देशों को और किस मूल्य पर ?

एक माननीय सदस्य : एक बहुत ही बड़ा प्रश्न।

श्री वीरभद्र सिंह : जहाँ तक देश में टायर उत्पादन का सम्बन्ध है, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात 1984-85 में देश में 12.8 मिलियन टायर ट्यूबों की मांग का अनुमान लगाया गया है। यह प्रक्षेप 1979 में उस समय अनुमान लगायें वाहन उद्योग के विकास के आधार पर बनाया गया था। 1984-85 के अन्त में मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक स्थापित क्षमता, क्षमता के 80 प्रतिशत उपयोग के आधार पर 16 मिलियन हैं। देश में उपलब्ध कुल क्षमता 15.70 मिलियन है। यह मांग प्रक्षेप छठी योजना अवधि के आधार पर है और 1984-85 के अन्त तक के एक मिलियन का अन्तर होने की सम्भावना है अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी क्षमतायें देश की आवश्यकता से अधिक है।

माननीय सदस्य ने बड़े औद्योगिक गृहों से/को टायरों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने की बात कही है।

मैं कह सकता हूं कि सरकार प्रत्येक विनियोग पर तकनीकी-आर्थिक गुणावगुणों के आधार पर विचार करती है। जहां तक टायर उद्योग का संबंध है यह परिशिष्ट I में सम्मिलित भारी निवेश क्षेत्र और यह बड़े उद्योग गृहों एम० आर० टी० पी०, एफ० ए० आर० ए० कंपनियों आदि को लाईसेंस देने के लिए खुला है।

श्री नारायण चौबे : मुझे अफसोस है कि मन्त्री ने घपले बाजी भी कर दी है। आदेश हाल ही का है—इसकी तारीख 13-11-83 है और वास्तव में एक नये आदेश के द्वारा ही बड़े उद्योग गृहों के लिए बाढ़ द्वार खोले गए हैं।

महोदय मेरा प्रश्न है कि क्या वे कृपया उस गृह का नाम बतलायेंगे जो केशोराम काटन मिल्स को नियन्त्रित करता है। उस गृह का क्या नाम है।

श्री वीरभद्र सिंह : यह बिरला है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं माननीय, मंत्री से जानना चाहूंगा कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां टायर ट्यूब उद्योग पर नियन्त्रण करती हैं। वे बनावटी कमी पैदा कर देते हैं और फिर

मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं। अतः इनकी पकड़ को कम करने के लिए क्या 'इन्चैक' कंपनी तथा नेशनल रबर लिमिटेड का राष्ट्रीकरण किया जायेगा ? मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को बहुत से पत्र लिखे हैं ।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : हम "इन्चैक' तथा 'नेशनल' रबर लिमिटेड' के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय परिवहन आयोग की स्थापना

*522. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निवेश आयोजन तथा संचालन स्तरों पर अत्यधिक समन्वय और अन्तः रूपात्मक एकीकरण तथा केन्द्र में राष्ट्रीय परिवहन आयोग जैसी एजेंसियों को काम सौंपने की आवश्यकता के बारे में कोई प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों पर हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। तथापि इस संदर्भ में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने एक राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की इस सिफारिशको सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जेल सुधार समिति

*523. **श्री अनन्त रामूलु मल्लू** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैदियों के कल्याण के संबंध में सरकार का मार्ग निर्देश करने हेतु सरकार ने एक जेल सुधार समिति का गठन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो कब, और इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्, कैदियों के कल्याण सहित जेल प्रशासन में सर्वमुखी सुधार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 25 जुलाई, 1980 को जेल सुधार समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्य इस प्रकार हैं : –

1.	न्यायमूर्ति – श्री ए.एन. मुल्ला (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष .
2.	श्री योगेन्द्र शर्मा, सांसद	सदस्य
3.	श्रीमती सरोज खापर्डे सांसद	सदस्य
4.	डा. (श्रीमती) एम. शारदा मैनन मानसिक अस्पताल मद्रास के भूतपूर्व निदेशक	सदस्य
5.	श्री सी. एस, मल्लैया, महानिरीक्षक (जेल) कर्नाटक	सदस्य
6.	श्री के.एस. रस्तौगी, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव	सदस्य
*7.	श्री प्रकाश महरोत्रा, सांसद	सदस्य सचिव
8.	प्रो. रसीउद्दीन खान, सांसद	सहयोजित सदस्य —तदैव—
9.	श्री डे. जे. जाधव, सेवानिवृत्त सदस्य, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और भूतपूर्व महानिरीक्षक, खेल और निदेशक, समाज कल्याण, महाराष्ट्र	सहयोजित सदस्य
x10.	श्री एच.सी. सक्सेना, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक जेल, उत्तर प्रदेश	सहयोजित सदस्य
11.	डा. हीरा सिंह, निदेशक, समाज सुरक्षा का राष्ट्रीय संस्थान और पदेन जेल सलाहकार गृह मंत्रालय	सहयोजित सदस्य
12.	श्री के.एल.एन. रेड्डी, निदेशक, सुधारात्मक प्रशासन का क्षेत्रीय संस्थान, बेल्लौर	सहयोजित सदस्य
13.	डा. (श्रीमती) ज्योत्सना एच· शाह, सेवानिवृत्त निदेशक, समाज सुरक्षा, गुजरात सरकार	सहयोजित सदस्य
14	बी.बी. अमतुस सलाम, अध्यक्ष, कस्तूरबा मंदिर न्यास, नई दिल्ली	स्थाई आमंत्रित

2. समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

* असम और मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने पर 30 जुलाई 1981 को समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया ।

x 4 जनवरी, 1983 को निधन हो गया ।

असम में आंदोलन का उद्योग पर प्रभाव

*524. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में चल रहे आंदोलन से राष्ट्र को बहुत नुकसान हुआ है और इससे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कारण से उद्योग को कितना नुकसान हुआ है ; और

(ग) उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) आसाम आन्दोलन से राज्य की आर्थिक और वित्तीय सम्पन्नता प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केवल इसी कारण उद्योगों में कितनी हानि हुई इसकी ठीक-ठीक मात्रा बता सकना कठिन है। फिर भी, पेट्रोलियम तथा उर्वरकों आदि के मामले में 1272 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त रेल यातायात अवरूद्ध हो जाने के कारण रेलों को 32 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई है। अनेक परियोजनाओं में विलम्ब हो गया है जिसके कारण मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो गई है।

राज्य सरकार केन्द्र सरकार के संपूर्ण समर्थन और सहयोग से राज्य में पुनः शान्ति और सामान्य अवस्था लाने के लिए प्रत्येक संभव उपाय कर रही है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की ओर बहुत से उपक्रमों की बकाया राशियां

*525. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित सामान की गहरे समुद्र में बिक्री करने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की ओर राज्यों के निगमों सहित बहुत से उपक्रमों की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) इसे गत अप्रेल से स्थिर करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० से इन बकाया राशियों की वसूली के लिये न्यायालयों में मामले दायर किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) जिन पार्टियों को खुले समुद्र में बिक्री की गई थी, उनसे "सेल" को वर्ष 1982-83 के दौरान 8.24 करोड़ रुपये की राशि की वापसी के दावे प्राप्त हुए थे। अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1983 की अवधि में इन दावों पर लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) भुगतान करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी ।

(ग) भाग "क" में उल्लिखित दावों के लिए न्यायालयों में "सेल" के विरुद्ध कोई मामला दायर नहीं किया गया है, लेकिन आयातित जस्ती-सादी चादरों की बिक्री के संबंध में कुछ पार्टियों ने "आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक" की अध्यक्षता में "मूल्यन समिति" के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में मामले-दायर किए हैं । यह मामला न्यायाधीन है ।

मैसर्स रेमिंगटन रैंड द्वारा विद्युत टाइपराइटर का निर्माण

*526. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात का क्या कारण है कि रेमिंगटन रैंड कंपनी ने अब विद्युत-चालित टाइपराइटर बनाने की पुरानी योजना त्याग दी है और उसने इस प्रकार के टाइपराइटरों के निर्माण हेतु फरीदाबाद के लिये लाइसेंस की मांग की है ;

(ख) देश में विद्युत-चालित टाइपराइटरों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या सरकार इस फर्म द्वारा पहले बनाये गये टाइपराइटर की किस्म तथा उसके बारे में आई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रेमिंगटन रैंड कम्पनी की बजाय किसी अन्य कम्पनी को विद्युत-चालित टाइपराइटर बनाने के लिए लाइसेंस देने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा विवरण क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बेला गेला औद्योगिक बस्ती, जिला मैसूर कर्नाटक में विद्युत टाइपराइटरों का उत्पादन करने के लिए मै० रेमिंगटन रैंड को एक आशयपत्र जारी किया गया था । फर्म ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि उनका इरादा इस योजना को छोड़ने का है ।

(ख) से (घ) सरकार ने विद्युत टाइपराइटरों का उत्पादन करने के लिए मै० हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, मद्रास को एक औद्योगिक लाइसेंस तथा मे० पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक आशयपत्र भी स्वीकृत किया है । इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य उत्पादकों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

अधिक क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र

*527. श्री भीम सिंह :
श्री बी. बी. देसाई : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इकोनॉमिक एन्ड साइन्टिफिक रिसर्च फाउंडेशन" के अध्ययन दल की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें अधिक उत्पादन क्षमता के सीमेंट संयंत्रों की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की योजना बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) 14 मार्च, 1983 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "अध्ययन बड़े सीमेंट संयंत्रों के पक्ष में" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । इसी प्रकार की रिपोर्ट कुछ और अखबारों में भी छपी हैं । जांच करने पर पता चला है कि इन अखबारों में छपी रिपोर्ट का आधार "इकोनोमीज आफ स्केल इन सीमेंट इण्डस्ट्रीज" नामक प्रकाशन है जो इकोनोमिक एण्ड साइंटिफिक रिसर्च फाउण्डेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था । यह फाउण्डेशन फिक्की से सम्बद्ध है । जैसा कि प्रेस रिपोर्ट से स्पष्ट है, यह प्रकाशन दस लाख और उससे अधिक की क्षमता वाले बड़े आकार के सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के पक्ष में है । चूंकि यह रिपोर्ट एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दी गई है अतः उसमें की गई सिफारिशों पर क्रियान्वयन योजना तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यद्यपि सरकार को इस प्रकाशन का अध्ययन करने का अभी अवसर नहीं मिलता है तथापि जहां कहीं भी चूना पत्थर के पर्याप्त भण्डार और अन्य अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां पहले से ही सरकार लगभग पिछले तीन वर्षों से बड़े सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है । साथ ही सरकार उन सुदूर क्षेत्रों में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को भी बढ़ावा दे रही है जहाँ सीमेंट की कमी है और चूना पत्थर के भण्डार छितरे हुए हैं तथा बड़े संयंत्रों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते ।

20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाना

*529. श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राज्यों को कहा है कि वे 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लायें क्योंकि अधिकांश मदों के संबंध में कार्य निष्पादन प्रत्याशित स्तर तक नहीं हो पाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताया है जिनमें क्रियान्वयन निराशाजनक रहा है और राज्यों से क्रियान्वयन के प्रयास बढ़ाने के लिये कहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन उपायों में सुझाव भी सम्मिलित हैं जो योजना आयोग ने कठिनाइयों का पता लगाने और उनको शीघ्र दूर करने, सभी स्तरों पर क्रियान्वयन तंत्र में सुधार करने तथा कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने के लिए दिए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही है और किन किन राज्यों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के लिये संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) यद्यपि 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति समान्य रूप से संतोषजनक है और अनेक सूत्रों के संबंध में कुल मिलाकर लक्ष्यों के प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है फिर भी विभिन्न स्कीमों के बारे में प्रगति सभी राज्यों में एक सी और एक समान नहीं है। यह बात सही नहीं है कि अधिकांश मदों के संबंध में निष्पादन अपेक्षित स्तर का नहीं रहा है। केन्द्रीय सरकार कार्यक्रमों के कार्यान्वियन की गति तेज करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करती रहती है।

(ख) और (ग) जी, हां। योजना आयोग द्वारा जारी की गई मासिक रिपोर्टों में कार्यक्रम के कार्यान्वियन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और कार्यक्रम के निष्पादन तथा पर्यवेक्षण दोनों में सुधार करने के बारे में सुझाव दिए जाते हैं।

(घ) राज्य सरकारों ने योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार किया है और राज्यों ने कार्यक्रम के कार्यान्वियन तथा प्रबोधन दोनों ही में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं। वर्ष 1982-83 में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटनों के उपयोग के बारे में धन संबंधी (राजकोषीय) सूचना केवल कुछ समय बाद ही उपलब्ध होगी।

अंटार्कटिक संधि

*530. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हता प्राप्त करली है, यदि हाँ, तो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या निर्णय लिया गया ;

(ख) क्या महाद्वीप के संसाधनों के उपयोग के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय मतैक्य हो गया है ; और

(ग) विभिन्न देशों द्वारा अंटार्कटिक के संसाधनों का उपयोग करने के बारे में उठाये गये मामले सुलझाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) अंटार्कटिक संधि 1959 के अन्तर्गत, संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य-देश संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। तथापि, सलाहकार समिति का सदस्य बनने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक कार्य आवश्यक है। भारत ने अंटार्कटिक पर दो वैज्ञानिक अभियान-दल भेजकर, महाद्वीप से सम्बन्धित वैज्ञानिक कार्य में काफी योगदान दिया है। तदनुसार, यदि हमारा देश संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय करे तो उसे सदस्यता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

(ख) और (ग) विभिन्न देशों द्वारा अंटार्कटिक के संसाधनों के उपयोग के बारे में अथवा ऐसे उपयोग से संबंधित कारंवाई के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय मतैक्य नहीं हुआ है। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के विकास-कार्य की जानकारी सरकार बराबर रखे हुए है।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था

*531. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था शुरू की गई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जुर्म लगाने वाला प्राधिकारी ही जुर्म का निर्णय करने वाला प्राधिकारी होता है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार को यह कमी दूर करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था 1 जुलाई, 1978 से शुरू की गई है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत आपराधिक अपराधों के बारे में अभिनियोजन प्राधिकारी ही निर्णय करने वाला प्राधिकारी है। सभी आपराधिक मुकदमों पर न्यायिक अदालतों द्वारा विचारण किया जाता है और इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को कोई शक्तियां नहीं दी गई हैं। परन्तु शांति बनाये रखने के लिए किसी व्यक्ति से मुचलका करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन शक्तियां और दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 46, 47 और 48 के अधीन बदमाशों के निष्कासन की शक्ति सहायक पुलिस आयुक्त और

उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को दी गई है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं।

(ग) संसद सदस्य श्री भीखू राम जैन ने पुलिस आयुक्त व्यवस्था का मूल्यांकन करने के बारे में लिखा था।

(घ) मामला विचाराधीन है।

असम से पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का आगमन

*532. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह असम छोड़कर आने वाले लोगों के आगमन की दैनिक विस्तृत रिपोर्ट भेजें क्योंकि उत्तरी बंगाल में भारी संख्या में लोगों का आना बेरोकटोक जारी हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बताया है कि असम से लगभग 20,000 शरणार्थी अब तक पश्चिम बंगाल आ चुके हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय को उन शरणार्थियों का ब्यौरा प्राप्त हो गया है, जो वर्ष 1971 से 1981 के बीच असम से उत्तरी बंगाल आ गए थे ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने उन शरणार्थियों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त ऋण देने का अनुरोध किया है ; और

(ङ०) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि प्रदान की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ङ०) हाल के दंगों के परिणामस्वरूप असम से शरणार्थियों के आगमन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से सांवाधिक रिपोर्ट भेजने के लिये अनुरोध किया गया था। उन्होंने सूचित किया है कि असम से 24,963 व्यक्ति 28-3-83 तक जलपाईगुडी जिले में अलीपुर द्वारा रेलवे जंकशन पर पहुंच चुके थे और 2000 अन्य व्यक्ति कूच बिहार, जलपाईगुडी दार्जिलिंग और पश्चिमी दीनाजपुर जिलों में अन्य स्थानों पर आये।

2. उपलब्ध सूचना के अनुसार 1979-80 में दंगों के परिणाम स्वरूप 31 जुलाई, 1980 तक 12,487 शरणार्थी असम से पश्चिम बंगाल में आये। 1979-80 से पहले की अवधि के लिये सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

3. केन्द्रीय सरकार ने 1979-80 के दौरान पश्चिमी बंगाल में गए शरणार्थियों के संबंध में आर्थिक सहायता के रूप में पश्चिमी बंगाल सरकार के लिये 50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अब तक 1.52 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। और आगे सहायता के लिये उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

4. हाल ही में पश्चिमी बंगाल में गए शरणार्थियों के संबंध में चलाए जा रहे राहत शिविरों के लिये आरंभ में एक महीने की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के संबंध में केंद्रीय सरकार आर्थिक सहायता देने के लिये सहमत हो गई है। इस अवधि को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फार स्पेस साइंसेस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स

*533. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या एक भारतीय वैज्ञानिक ने विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिक सहयोग बढ़ाने हेतु एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार स्पेश साइंसेस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स स्थापित करने का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या 'न्यूनेस्को' ने प्रस्ताव की सराहना की थी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अधिक प्रशंसा हुई थी ; और

(ग) इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट कार स्पेस साइंसेस एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के विचार को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जी हां, इस संस्थान को प्रस्तावित विशाल भू-मध्य रेडियो (ज्वायंट इक्वेटोरियल रेडियो टेलिस्कोप) से संबंधित क्रियाकलापों के लिए समन्वय तंत्र के रूप में संकल्पना की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भाग लेने और इसके प्ररिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों द्वारा विचार करने के लिए बिस्तृत प्रस्तावों की तैयारी को समर्थन प्रदान किया है। भारतीय वैज्ञानिक भी संभाव्यता अध्ययन में भाग ले रहे हैं जिसको सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन प्रदान किया गया है।

दिल्ली में निर्गुट सम्मेलन के दौरान विस्फोट

*534. श्री के० मालन्ना :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हुए निर्गुट देशों के सम्मेलन के दौरान पालिका बाजार, कश्मीरी गेट और नई दिल्ली के गोल डाकखाने में विस्फोट हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्, ।

(ख) और (ग) अभी तक कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है ।

खानों के विकास के लिए सोवियत सहायता

5839. श्री नवीन रावणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ भारत में खानों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देने हेतु राजी हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) सोवियत संघ द्वारा योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

"टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन" को घाटा

5840. श्री चिंतामणि जेना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेनरी एंड फुट वीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का गठन कब किया गया था तथा उसके अधीन चल रहे एककों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यह निगम घाटे में चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस कारपोरेशज को 1979-80, 1980-81, 1981-82 में कितना घाटा हुआ है और चालू वर्ष में कितना घाटा होने की संभावना है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस समस्या के समाधान और कार्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, या उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ङ) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० का गठन ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड की कूपर एलन और नार्थ वैस्ट टैनरियों का अधिग्रहण करने और उन्हें चलाने के लिए वर्ष 1969 में किया गया था ।

वर्ष 1979-80 से 1982-83 के दौरान निगम को हुई हानि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(लाख रु० में)
1979-80	360.03
1980-81	360.33
1981-82	440.43
1982-83 (अनुमानित)	548.60

निगम में हो रही लगातार हानि के कारण निम्नलिखित हैं :—

1) अपेक्षित स्तर तक उत्पादन न देने वाली पुरानी और घिसी पिटी मशीनें ।

2) उत्तर प्रदेश में विद्युत की भारी कमी ।

3) कामगारों में कार्य करने की इच्छा का अभाव ।

4) यूनियन के अन्दर मतभेद ।

5) प्रशासनिक और ऊपरी व्यय प्रभार (सरकारी ऋणों पर ब्याज सहित) जो उत्पादन के विद्यमान स्तर में खपाए नहीं जा सकते हैं ।

निगम अपनी विद्यमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए एक मिली-जुली योजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि हानि में कमी और उत्पादन में सुधार किया जा सके । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निगम के प्रबन्धकों पर निम्नलिखित के लिए जोर डाल रही है कि :—

(क) आधुनिकीकरण योजना त्वरित गति से कार्यान्वित की जाये ।

(ख) उपयुक्त-प्रोत्साहन अभ्युपायों द्वारा उत्पादकता के विद्यमान स्तरों में सुधार किया जाये ।

(ग) बिजली की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयले की प्राप्ति तथा उसको लाने के मामले में निगम को सहायता दी जा रही है ।

(घ) दुर्लभ कच्चे माल की निर्वाध (अविरत) आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगमने व्यवस्था में सुधार किया है ।

(ङ) कामगरों के साथ सामिप्राय संपर्क स्थापित करके औद्योगिक संबंध के लिए बेहतर माहौल बनाया गया है ।

(च) समयोपरि भत्तों को पूर्णतः बन्द करके तथा ऊपरी व्यय में कमी लाने के लिए वित्तीय नियंत्रण तथा लागू करके मितवायिता बरती जाये ।

(छ) तेजी से बिकने वाले उत्पादों और अधिक मूल्य देने वाली वस्तुओं जैसे प्रतिरक्षा तथा संस्थागत जूतों, लेदरबोर्डों आदि के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

5841. श्री जैनुल बशर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय सुझाने हेतु गठित पटेल समिति की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कौन-कौन से बड़े और छोटे उद्योग लगाने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार इन उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिलों की विकास संबंधी कठिनाइयों पर संयुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को 1964-65 में केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाकर 4 करोड़ रु० कर दी गई थी ।

गाजीपुर में, बड़े क्षेत्र के अन्तर्गत नन्द गंज में एक चीनी मिल स्थापित की गई हैं। संयुक्त क्षेत्र में गाजीपुर में यू०पी० प्लांट प्रोटेक्शन एप्लाइंसेज एकक की स्थापना की गई है। स्थापित किए गए लघु उद्योगों में फल परीक्षण, तथा डिब्बा बंदी, चप्पल बनाना,

प्लास्टिक का सामान, खाद्य तेल, दाल मिलें, खाँडसारी चीनी, विद्युत करघा, साबुन, कृषि उपस्कर. अल्युमिनियम के बर्तन छपाई खाना तथा कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं।

गोआ, दमन और दीव का उद्योगीकरण

5842 श्रीमती संयोगिता राणे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के द्वीप में भारी बेरोजगारी तथा आर्थिक और औद्योगिक पिछड़ेपन की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) गोवा, दमन और दीव के समस्त क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ माना गया हैं। इस क्षेत्र में नये उद्योग स्थापना करने वाले सभी रियायती वित्त, केन्द्रीय निवेश राजसहायता (संघ शासित क्षेत्र की राजधानी के नगरपालिका सीमा क्षेत्र को छोड़कर, करों में रियायत, लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता और कच्ची सामग्री का आयात करने हेतु विशेष सुविधाएं जैसी रियायतें और प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

कुल 30,421 की आबादी तथा 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले दीव जिले में 29 औद्योगिक एकक हैं जिनमें लगभग 187 व्यक्ति नियोजित हैं। कलेंडर वर्ष 1982 के दौरान रोजगार केन्द्र के माध्यम से 31 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था तथा 31-12-1982 को सक्रिय रजिस्टर में 420 उम्मीदवारों के नाम थे। 131 सीटों के लिए 6 विभिन्न व्यवसायों सहित एक आई०टी०आई० व्यवसाय सितम्बर, 1981 में आरंभ किया गया है। एक औद्योगिक बस्ती का प्रस्ताव किया गया है जिसमें करीब 25 औद्योगिक एककों को आकर्षित करने तथा उनमें लगभग 450 व्यक्तियों को रोजगार उत्पन्न होने की आशा है। दीव में 14 एककों को 5.10 लाख रु० की केन्द्रीय निवेश राजसहायता वितरित की गई है।

महाराष्ट्र में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन

5843. प्रो० मधु दंडवते : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजना के लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक विकास में, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आवंटन किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए क्रमश: कितना आवंटन किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण जैसे अविकसित क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए विकास के विशिष्ट कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं और समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उन पर कार्यान्वयन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 1981-82 तथा 1982-83 के लिए निम्नलिखित व्यय और 1983-84 के लिए बजट प्रावधान सूचित किया है :

(लाख रु०)

क्षेत्र	1981-82 प्रत्याशित व्यय	1982-83 प्रत्याशित व्यय	1983-84 बजट प्रावधान
विदर्भ	4901.13	6777.26	8538.17
मराठवाड़ा	5253.35X	10122.03	7075.31
कोंकण	347.00	689.79	672,17
जोड़ :	10501.48	17589.08	16285.65

X पारली एकक 4 पर 3600 लाख रु० की मुख्य मद शामिल है ।

राजभाषा नियम 1976 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय/विभाग संबंधी अधिसूचना

5844. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा नियम, 1976 की धारा 10(4) के अन्तर्गत उनके मंत्रालय/विभाग को अधिसूचित किया गया है ;

(ख) उनके मंत्रालय/विभाग के कौन-कौन से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को अब तक उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है ;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में सन्दर्भित कार्यालयों में से उक्त नियमों की धारा 8(4) के अन्तर्गत अब तक कितने कार्यालयों को विनिर्दिष्ट किया गया है ; और

(घ) यदि अभी तक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो उनके क्या कारण हैं तथा इन कार्यालयों को विनिर्दिष्ट करने के बारे में कब तक कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां ।

(ख) गृह मंत्रालय के अधीन 147 संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के विवरण की सूची संलग्न है ; [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 6903/83] ।

(ग) और (घ) इन कार्यालयों में कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जिसमें प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हों । अतः इनमें से किसी कार्यालय को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना अभी व्यावहारिक नहीं है । जब तक सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा आवश्यक स्तर की प्रवीणता प्राप्त न हो इन कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट करना व्यावहारिक न होगा ।

कृत्रिम और प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता

5845. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वदेशी टायर निर्माता एककों को वर्ष में कितने एस.बी. आर. (कृत्रिम रबड़) और प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता होती है ;

(ख) देश में एस० बी० आर० और प्राकृतिक रबड़ का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रबड़ का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान इसकी कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(घ) आयातकर्ता एजेंसी का ब्यौरा क्या है और इसे उपभोक्ताओं के बीच कैसे वितरित किया जा रहा है ; और

(ङ) कृत्रिम रबड़ का भारत में ही उत्पादन बढ़ाने और इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान टायर बनाने वाले एककों में एस०बी०आर० (स्टिरीन बुटाडीन रबर) तथा प्राकृतिक रबर की खपत निम्न प्रकार थी :—

(मी० टनों में)

वर्ष	एस०बी०आर०	प्राकृतिक
1980-81	12,488	95,476
1981-82	13,908	104,593
1982-83 (अप्रैल 82 से जनवरी 83 तक)	10,414	88,496

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान एस. बी. आर. और प्राकृतिक रबर का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :-

(मी० टनों में)

वर्ष	एस०बी०आर	प्राकृतिक रबर
1980-81	18,642	1,53.100
1981-82	16,561	1,52,870
1982-83 (अप्रैल 82 से जनवरी, 83 तक)	11,910	1,52,405

(ग) जी, हां। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान एस. बी. आर. सहित सभी प्रकार की आयात की गई सिन्थेटिक रबर की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

1980-81	15,806 मी. टन
1981-82	23,358 मी. टन

(घ) वर्ष 1982-83 की आयात नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को स्वतः लाइसेंसों पर एस. बी. आर. और पी. बी. आर. के आयात की अनुमति दे दी गई है। अन्य प्रकार की सिन्थेटिक रबर का आयात सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है।

(ङ) सरकार की नीति देश में सिन्थेटिक रबर का उत्पादन बढ़ाने और इसका आयात न्यूनतम करने की है। इस समय एस. बी. आर. सहित सभी प्रकार की सिन्थेटिक रबर की खपत लगभग 45,000 मी. टन प्रतिवर्ष है, जबकि औसत उत्पादन लगभग 25,000 मी. टन वार्षिक है। देश में हो रहे कम उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सिन्थेटिक रबर के आयात पर फिलहाल प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में क्षेत्रीयता का बढ़ना

5846. श्री के. मालन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि देश में क्षेत्रीयता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार करेगी तथा देश में ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिया उपाय करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) सरकार देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सजग है और इस मूल सिद्धान्त की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद द्वारा विकसित कोयले पर आधारित उर्वरक

5847. श्री ए.के. राय :
प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निम्न कोटि कोयले के आंशिक आक्सीकरण और अमोनियाकरण द्वारा केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा विकसित कोयले पर आधारित नये उर्वरक की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में क्षेत्रों में प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि यह उर्वरक यूरिया जैसे परम्परागत रासायनिक उर्वरकों तक से बेहतर है ;

(ग) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का विचार संयंत्र सत्र पर उत्पादन करने का है ; और

(घ) यदि हां तो ब्यौरे वार तथ्य क्या हैं, और इस नये उत्पादन को शीघ्र बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां। कोयले से बहुउद्देशीय नाईट्रोजनित कार्बनिक उर्वरक के विकास पर अनुसंधान योजना सी एफ आई आर, धनवाद में प्रगति पर है। अनुसंधान और विकास कार्य दो चरणों में हैं। प्रथम चरण में उत्पादों की गुणकारिता को सिद्ध और प्रमाणित करना है और दूसरे चरण में वृहद स्तर पर अनुप्रयोग को सिद्धहस्त बनाने के लिए परियोजना और प्रदर्शन संयंत्रों की स्थापना करना है।

(ख) पात्रों में पौधों पर किए गए परीक्षणों से और प्रारंभिक सीमित स्तरों पर किए गए क्षेत्रीय परीक्षणों से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। और भी परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) जी हाँ, परीक्षणों और आर्थिक परीक्षणों के आधार पर सी. एफ. आर. आइ आरंभिक संयंत्र संबंधी अध्ययन प्रारंभ कर सकता है।

(घ) निम्नलिखित चरण प्रस्तावित हैं :

वर्धन के लिए पदार्थ संतुलन सिद्ध करना और आंकड़ों का जनन: विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग जलवायु की अवस्थाओं में और क्षेत्रीय परीक्षण तथा आरंभिक संयंत्र संचालन; आरंभिक संयंत्र तथा क्षेत्रीय परीक्षणों के अध्ययनों पर समेकित प्रतिवेदन तैयार करना।

रेमिंग्टन रैंड द्वारा निर्मित टाइपराइटर

5848. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेमिंग्टन रैंड आफ इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, 3, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कितने टाइपराइटरों का निर्माण किया गया और इन टाइपराइटरों का मॉडल क्या है तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां टाइपराइटर निर्माण फर्में स्थित हैं ;

(ख) एक टाइपराइटर की वास्तविक लागत कितनी है और उसे कितनी कीमत पर बेचा जाता है ; और

(ग) इस फर्म के शुरू किए जाने के समय उनमें कितनी पूंजी निवेश की गई थी तथा उस समय इसके कितने भागीदार थे और इस समय कितने भागीदार हैं तथा इसमें कितनी पूंजी निवेश की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) मैं० रेमिंगटन रैंड आफ इंडिया लि० के दो एकक हैं जिनमें से एक मानक टाइपराइटरों का निर्माण करने के लिए हावड़ा में स्थित है तथा दूसरा पोर्टेबल टाइपराइटरों का निर्माण करने वाला एकक फरीदाबाद में स्थित है। पिछले तीन वर्षों में इनका उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

एकक	1980	1981	1982
हावड़ा	22868	5839	24810
फरीदाबाद	6282	11220	8616

(ख) कम्पनी के अनुसार टाइपराइटरों का औसत विक्रय मूल्य और लागत नीचे दी गई है : -

(1)	औसत विक्रय मूल्य	3,455 रु.
	(मानक टाइपराइटर)	2590 रु.
	बिक्री लागत	
(2)	औसत विक्रय मूल्य	
	(पोर्टेबल टाइपराइटर)	1,400 रु.
	बिक्री लागत	1,150 रु.

(ग) कम्पनी के अनुसार मार्च, 1962 और मार्च, 1982 में निगम में लगाई गई पूंजी और अंशधारिता का नमूना निम्न प्रकार था :—

(1)	लगाई गई पूंजी	1952(रु.)	1982(रु)
	दर	1.10 करोड़	4.40 करोड़

(2) अंशधारिता

वर्ष 1952 में मै० रेमिंगटन रेंड मे० स्पेरी रेंड कारपोरेशन, अमरीका की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी थी। इस समय इक्विटी अंशधारिता का नमूना निम्न प्रकार है :—

1.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	7.2 प्रतिशत
2.	वित्तीय संस्थान आदि	37.5 प्रतिशत
3-	अन्य 12,000 अंशधारी	55.3 प्रतिशत

उड़ीसा में टिटानियम प्रोसेसिंग संयंत्र की स्थापना

5849. श्री अर्जुन सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में टिटानियम प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जाएगा और इस संयंत्र की स्थापना के लिए किस कंपनी को अनुमति दी गई है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क)तथा (ख) मैसर्स इंडियन रेअर अर्थर्स लिमिटेड जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के नियमाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है इल्मेनाइट से सिंथेटिक रूटाइल (92%टाइटेनियम डाइ आक्साइड) का उत्पादन करने के लिए उड़ीसा में एक टाइटेनियम प्रौसेसिंग प्लांट लगा रहा है। यह प्लांट गंजम जिले के छतरपुर नामक स्थान पर लगाया जा रहा है।

उड़ीसा के तालचेर में चार्ज-क्रोम फैक्ट्री की स्थापना

5851. श्री के. प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के तालचेर में चार्ज-क्रोम प्रोडक्शन फैक्ट्री की स्थापना के लिए "इंडियन मेटल एण्ड फेरो अलायज कम्पनी" को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस एकक की स्थापना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस एकक की उत्पादन-क्षमता क्या होगी तथा इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा; और

(घ) इसका वाणिज्यक उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की आशा है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (घ) वर्ष 1981 में मेसर्स इंडियन मेटल्स एण्ड फेरो अलॉयस लि० को उड़ीसा में तालचेर (जिला धेनकनाल) में शत प्रतिशत निर्यात के लिये प्रतिवर्ष 50,000 टन चार्ज क्रोम का उत्पादन करने के लिए एक आशय-पत्र दिया गया था। बाद में कंपनी के आवेदन पर शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाईयों के लिए बनाई गई योजना के अन्तर्गत एक संशोधित आशय-पत्र जारी किया गया है। कम्पनी ने सूचित किया है कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए "इंडियन चार्ज-क्रोम लि०, के नाम से एक नई कम्पनी गठित की गई है। यह कंपनी अब इस परियोजना के लिए वित्तीय संस्थानों से धन-राशि जुटाने के लिए कदम उठा रही है। कंपनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह परियोजना लगभग तीन वर्ष में पूरी तरह तैयार हो जायेगी तथा इससे प्रयत्क्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

भारत-सोवियत योजना दल की बैठक

5852. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सोवियत योजना दल की बैठक 23 मार्च, 1983 को हुई थी।

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर बातचीत की गई उनकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ग) परस्पर विकासात्मक कार्यवाही बढ़ाने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित की गई ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) जी हां। भारत.सोवियत योजना दल की बैठक दि० 23-30 मार्च, 1983 के दौरान हुई थी। उक्त बैठक में ईंधन-ऊर्जा क्षेत्रक योजना रेल परिवहन का विकास और सुचारू उपयोग और सिंचाई व जल संसाधनों का इष्टम उपयोग तथा क्षेत्रीय योजना विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देशों के योजना निकायों में सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए दल की नियमित बैठकों के अतिरिक्त आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना की विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों की बैठकें हों।

भारत सोवियत योजना दल की सातवीं बैठक के विचार-विमर्शों के पश्चात दि. 30-3-1983 को हस्ताक्षरित सहमत कार्यवृत्त की 5 प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

सरकारी आवास के आवंटन के लिए फौज की सेवा जोड़ा जाना

5853. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल सेवाओं में काम कर रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में लागू की जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ अन्य कार्यालयों में सरकारी आवास के आवंटन के लिए फौज की सेवा जोड़ी जाती है जबकि कुछ कार्यालयों में उनकी सेवा नहीं जोड़ी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में सरकारी आवास के आवंटन के लिए फौज की सेवा जोड़ी जाती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) जहां तक सामान्य आवास पूल का संबंध है सामान्य पूल से आवास के आवंटन के लिए अग्रता तारीखें निश्चित करने के प्रयोजन के लिये पिछली सेवा के लाभों की अनुमति दी जाती है यदि उनको स्थाईकरण, अर्द्ध स्थाईकरण अथवा पेंशन के किसी प्रयोजन के लिए पिछली सेवा का कोई लाभ दिया गया हो। किन्तु यदि उनकी पिछली सेवा के लिए छुट्टी के अतिरिक्त कोई सेवानिवृत्ति

लाभ (जैसे सिविल/फौज की पेंशन/ग्रेच्युटी) दिया गया है तो उनको पिछली सेवा की गणना करने की अनुमति नहीं होगी। जहां तक अन्य प्रकार के सरकारी आवास की स्थिति का संबंध हैं सूचना की जा रही है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित "प्रथमा परीक्षा" को केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिए मान्यता प्रदान करना

5854. श्री डी. पी. यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्ति और पदोन्नति के मामले में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा आयोजित "प्रथमा परीक्षा" को मैट्रिक के समकक्ष किस अवधि के दौरान मान्यता प्रदान की गई थी ;

(ख) क्या उपरोक्त परीक्षा की, मैट्रिक के समकक्ष मान्यता के लिए एक विषय के रूप में अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना जरूरी है ;

(ग) क्या उन राज्यों में एक विषय के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करना असंगत नहीं लगता, जहां अंग्रेजी विषय लिए बिना मैट्रिक के प्रमाणपत्र दिए जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए केवल सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) जिन मामलों में किसी पद के लिए केवल स्कूल लीविंग सार्टिफीकेट के समकक्ष हिन्दी का स्तर निर्धारित है, उन मामलों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा ली जाने वाली प्रथमा परीक्षा को ऐसे स्तर के बराबर मान्यता दी गई है। इस प्रमाण-पत्र को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण-पत्र के समकक्ष मान्यता नहीं दी गई है।

सीमेंट का उत्पादन और आवश्यकता

5855. श्री ब्रज मोहन महन्ती : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट उत्पादन की कुल क्षमता क्या है तथा 1982-83 में क्षमता का कितना उपयोग किया गया और उत्पादन आवश्यकता के बीच क्या अन्तर रहा तथा इस प्रकार की मांग की पूर्ति के लिए नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में है और यदि हां, तो कुल क्षमता क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ बाढ़ और तूफान ग्रस्त राज्यों ने सीमेंट के अधिक कोटे की मांग की है और उसे पूरा नहीं किया जा रहा है ?

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) वर्ष 1982-83 के आरम्भ में सीमेंट की अधिष्ठापित/क्षमता 292.50 लाख मी. टन थी। वर्ष के अलग अलग महीनों में अधिकाधिक अधिष्ठापित क्षमता स्थापित की गई। वर्ष 1982-83 के अंत में सीमेंट की कुल अधिष्ठापित क्षमता 357.90 लाख मी.टन थी जिसमें से 26.40 लाख मी. टन क्षमता का उत्पादन परीक्षण के तौर पर किया गया था। वर्ष 1982-83 के दौरान कुल 230 लाख मी. टन उत्पादन होने की आशा है। वर्ष 1982-83 में सीमेंट की पूर्वानुमानित मांग और आपूर्ति के बीच करीब 80 लाख मी. टन का अन्तर होने का अनुमान था। विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके, अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति देकर तथा कुछ हद तक आयात की अनुमति देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1982-83 के अंत में सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय/राज्य) के एककों की कुल अधिष्ठापित क्षमता लगभग 60 लाख मी.टन थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1982 की अवधि में बाढ़ और (साइक्लोन) समुद्री तूफान से संबंधित राहत कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा गुजरात राज्य सरकारों ने सीमेंट का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन करने के लिए अनुरोध किया था। समग्र उपलब्धता संबंधी कठिनाई के बावजूद इन अनुरोधों पर आवंटित सीमेंट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

राज्य	अतिरिक्त तदर्थ आवंटन	(मी. टनों में)
	अनुरोध	आवंटन
उत्तर प्रदेश	60,000	20,000
उड़ीसा	1,50,000	50,000
गुजरात	1,70,000	60,000

अखबारी कागज के निर्माण हेतु खोई का प्रयोग

5856. **श्री जी. नरसिंहा रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय बड़ी मात्रा में खोई को जलाया जाता है जिसका अखबारी कागज के निर्माण में बेहतर उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार ने अखबारी कागज के निर्माण के लिए खोई उपयोग हेतु कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और आम उपयोग के लिए यह प्रक्रिया (प्रोसेस) कब उपलब्ध होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) चीनी मिलों द्वारा बगासे (खोई) को मुख्यत: ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । यदि चीनी मिलों को वैकल्पिक ईंधन के लिए कोई ठोस और विश्वसनीय आश्वासन दे दिया जाय तो कागज और अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खोई उपलब्ध कराई जा सकती है ।

(ख) और (ग) कागज/अखबारी कागज बनाने के लिए बगासे (खोई) के उपयोग हेतु विदित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है तथा राज्य सरकार का एक उपक्रम मे॰ तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि. द्वारा खोई से अखबारी कागज/कागज़ का उत्पादन करने हेतु एक परियोजना स्थापित की जा रही है ।

बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधाएं

5857. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लोगों को लघु, कुटीर और अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए क्या विशिष्ट अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं ;

(ख) बिहार में दरभंगा और मधुबनी में ऐसे कितने यूनिटों ने जिला औद्योगिक केन्द्र (डी. आई. सी.) से ऐसी सहायता प्राप्त की है, ब्लाक-वार ब्यौरा क्या है और बिहार के शेष भाग में जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन दो जिलों में कितने पंजीकृत यूनिटें अभी तक अपना उद्यम आरम्भ करने में असमर्थ रहे हैं और उन यूनिटों को आरम्भ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान जिला औद्योगिक केन्द्र (डी. आई. सी) की सहायता से जिला-वार कितने उत्पादन करने वाले यूनिट आरम्भ किए गए हैं और दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में इसका ब्लाक-वार ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) पिछड़े क्षेत्रों में छोटे, कुटीर तथा अन्य लघु उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाएं निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं-वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त, स्थिर पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत केन्द्रीय राजसहायता (चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के लिए और 20 प्रतिशत पूर्वोत्तर अंचल के लिए), आयकर में कटौती, पिछड़े हुए

दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परिवहन राजसहायता, उदार शर्तों पर किराया खरीद के आधार पर मशीनों की आपूर्ति, और परामर्श शुल्क के लिए अधिमानपूर्ण शर्तें। कमजोर वर्गों के लिए ब्याज की नीची दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध हैं और जिला उद्योग केन्द्र के बीज/सीमांत धन के वितरण के मामले में प्राथमिकता दी जाती है तथा अन्य सवंर्धनात्मक उपाय किए जाते हैं जैसे कि प्रशिक्षण, औजारों की खरीद, संयंत्र तथा उपकरणों और काम करने के लिए शेडों का निर्माण करने के लिए राजसहायता मंजूर करना।

(ख) से (घ) ये सुविधाएं/प्रोत्साहन दरभंगा और मधुबनी सहित उन क्षेत्रों में बिहार के जिलों के पात्र एककों के लिये भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र तथा कामगार क्षेत्र के उन पंजीकृत तथा अपंजीकृत एककों की संख्या संग्लन विवरण में दी गई हैं जो 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान मधुबनी तथा दरभंगा सहित बिहार के जिला उद्योग केन्द्रों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करते आए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा ब्लाक-वार जानकारी नहीं इकट्ठी की जाती।

विवरण

1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान बिहार राज्य में स्थापित किए गये लघु उद्योगों और कामगारों पर आधारित पंजीकृत तथा अपंजीकृत नए एककों की जिला उद्योग केन्द्रवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	जिला उद्योग केन्द्र	1979-80	1980-81	1981-82
	बिहार			
1.	औरंगाबाद	539	567	बताया नहीं गया
2.	भागलपुर	1748	527	554
3.	भोजपुर	213	952	756
4.	चम्पारन (मोती हारी पूर्व)	446	481	483
5.	पश्चिम चम्पारन	937	1208	408
6,	दरभंगा	588	2126	174
7.	गया	2582	1399	1297
8.	कटिहार	901	989	722
9.	मधुबानी	4582	6875	1588

10. मुजफ्फरपुर	2135	847	1549
11. नालन्दा	82	20	29
12. नवधीह	143	316	440
13. पालमो	631	635	570
14. पटना	1188	556	बताया नहीं गया
15. पुनिया	224	538	बताया नहीं गया
16, रांची	1013	454	501
17. समस्तीपुर	1129	897	815
18. सन्थान परगना	258	332	374
19. रोहतास	378	340	157
20. सारन	382	566	823
21. सिवाल	166	524	570
22. गोपालगंज	1327	243	बताया नहीं गया
23. वैशाली	1119	1675	1655
24. सीतामढ़ी	1655	2164	88
25. मुंगेर	614	962	780
26. बेनु सराय	608	441	510
27. सहरसा	712	689	1001
28. हजारी बाग	986	600	605
29. गिरीध	729	569	170
30. धनबाद	1917	945	194
31. सिंहभुम	2168	1234	1134
32. माधोपुरा	उपलब्ध नहीं		
33. खागेरिया			

खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली और कलकत्ता में असमानता

5858. श्री रामसिंह शाक्य : क्या उद्योग मन्त्री खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली और कलकत्ता में असमानता के बारे में 19 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या: 10076 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों को चार उप संवर्गों में और खादी ग्रामोद्योग कलकत्ता के कर्मचारियों को तीन उप संवर्गों में रखकर श्रेणी-वार वरीयता सूची में की गई असमानता को कब तक दूर किए जाने की संभावना है ; और

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग का विचार अपने सभी भवनों के कर्मचारियों के लिए एक समान नियम और उपनियम बनाकर असमानता दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग भवन, कलकत्ता की तुलना में अधिक कर्मचारी हैं, अत: खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में लेखा तथा स्थापना के लिए अलग उप संवर्गों सहित 4 उपसंवर्ग हैं। किन्तु खादी ग्रामोद्योग कलकत्ता में पदोन्नति की संभावनाओं को देखते हुए लेखा और स्थापना को एक उपसंवर्ग में मिला दिया गया है। ये भवन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के व्यापार केन्द्र हैं तथा विद्यमान व्यवस्था कार्य की परिस्थितियों, कार्य का दबाव एवं आय पर आधारित हैं।

गेडे आयरन एंड कम्पनी को पुन: खोलना

5859. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में हजारी बाग जैसे पिछड़े जिले में हीरोडीह कोडरमा में गेडे आयरन एण्ड कम्पनी, जो राज्य में एक मात्र स्पन पाइप फैक्टरी है को खोलने के लिए इस समय क्या प्रबंध किए गए हैं ;

(क) क्या इस फैक्टरी को नीलामी से बचा लिया गया है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी फैक्टरी है और जनता तथा सरकार के हित में इसकी बड़ी आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस फैक्टरी को कब खोला जाएगा और यह किसके तथा किस प्रकार के सहयोग से चलाई जाएगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एकक की पुन: आरंभ करने की विभिन्न संभावनाओं का पता लगा रहा है।

(ख) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय में परिसमापन कार्यवाही के अन्तर्गत 1,10,00,000 रु० का भुगतान करने की शर्त के साथ कारखाने को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंप दिया गया था।

(ग) यह उन शर्तों पर निर्भर करेगा जिन्हें बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम उन एककों के साथ, जिनसे समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी हो जाने के बाद प्रस्ताव प्राप्त होने की आशा है, अन्तिम रूप से तय कर सकेगा।

कम्प्यूटर मैनटेनेन्स कार्पोरेशन द्वारा यू०एन०डी०पी० के लिए शुरू किया गया काम

5860. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) कम्प्यूटर मेनटेनेन्स कार्पोरेशन द्वारा यू. एन. डी. पी. के लिए कितने मूल्य का और किस किस्म का काम शुरू किया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य के मूल्य का मदवार विवरण क्या है ;

(ख) क्या उक्त निगम भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटराइज्ड टेक्सट प्रोसेसिंग कम्पोजिशन और मुद्रण का विकास करने में सफल रही है ; और

(ग) क्या किसी उपकरण का विकास किया गया है तथा इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (सी० एम० सी०) द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है :—

1. परियोजना "इंटरऐक्ट"-कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण तथा अनुसंधान। इस परियोजना का उद्देश्य लघु कम्प्यूटर पर आधारित प्रणाणियों के प्रणाली-एकीकरण तथा उनकी इंजीनियरी-कार्य से संबंधित तकनीकी जानकारी विकसित करके उसे (सहभागी विकासशील देशों को) अन्तरित करना है। ये प्रणालियां विशिष्ट किस्म के ऐसे अनुप्रयोगों के लिए आशयित हैं जो विद्युत प्रणालियां प्रबंध, रेलवे वैगन आवागमन प्रबंध, मौसम-विज्ञान आदि जैसा उच्च प्राथमिकता वाली विकासोन्मुख गतिविधियों का निर्माण करने तथा उन्हें समर्थन देने के लिए आशयित हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम कार्यकारी, अभिकरण की हैसियत से कार्य कर रहा है।

यह परियोजना कुल 27.5 लाख अमरीकी डालर मूल्य की है तथा इसका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

अ.	प्रोद्योगिकी विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (टी. डी. टी. पी.) के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की संयुक्त राष्ट्र वित्तीय प्रणाली (यू. एन.एफ.एस. एस.टी.) द्वारा अंशदान	लाख अमरीकी डालरों में
	(क) परियोजना कार्मिक	3.60
	(ख) प्रशिक्षण	1.85
	(ग) उपस्कर	9.25
	(घ) विविध	1.20
	उप-जोड़	15.90 लाख अमरीकी डालर
ब.	विकासशील देशों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टी. सी. डी. सी.) के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) आई. पी. एफ. में से भारत सरकार द्वारा अंशदान	
	(क) परियोजना-कार्मिक	2.13
	(ख) प्रशिक्षण	3.80
	(ग) विविध	0.07
	उप जोड़	6.00 लाख अमरीकी डालर
स.	भारत सरकार का वस्तुओं के रूप में भारतीय रुपयों में दिया गया अंशदान अमरीकी डालर के समतुल्य	5.60 लाख अमरीकी डालर
	कुल योग	27.50 लाख अमरीकी डालर

2. कम्प्यूटर प्रणाली तथा अन्य आंकडा प्रविष्टि उपस्करों के प्रतिष्ठापन के लिए नेशनल कम्प्यूटर सेन्टर, काठमांडु, नेपाल में स्थल तैयार करने हेतु आद्योपान्त परियोजना/ इस परियोजना का कुल मूल्य 404,695 अमरीकी डालर है जिसमें 20,000 अमरीकी डालर राशि का आकस्मिक प्रावधान भी शामिल है ।

(ख) तथा (ग) जी, हाँ । मूल-पाठ-संसाधन के क्षेत्र में काम पूरा हो गया है । इसका आदिप्ररुप (प्रोटोटाइप) विकसित कर लिया गया है तथा उसका प्रदर्शन भी किया गया है ।

कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम ने देवनागरी तथा तेलगु लिपियों के लिए केथोड किरण टयूब (सी. आर. टी) प्रदर्श तथा मैट्रिक्स मुद्रक हेतु ध्वनि पर आधारित कुंजीपटल सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है । परम्परागत वर्णमाला के रूपों में किसी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर देवनागरी तथा तेलगु अक्षरों का उच्च कोटि के प्रदर्श तथा मुद्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है । शब्द-संसाधन विषयक अनुप्रयोगों के लिए कम्प्यूटर की सहायता से देवनागरी तथा तेलगु में मूल पाठ-संसाधन करने की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया है ।

कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम ने अनेकानेक अनुप्रयोगों के लिए, जैसे ध्वनि पर आधारित संकेतन (कोडिंग) तथा कुंजीपटल योजना के लिए एक समन्वित रवैया अपनाया है जिसका ब्राह्मी लिपि परिवार की भारतीय लिपियों में प्रत्यक्ष रूप से अनुप्रयोग किया जा सकता है । इसी आधार पर देवनागरी तथा तेलगु दोनों लिपियों के बीच सीधे लिप्यंतरण करने की विधि प्रदर्शित की गई है । कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा संचार मंत्रालय द्वारा गठित समितियों द्वारा प्रस्तावित मानकों को उपयोग में ला रहा है ।

अरुणाचल प्रदेश में विदेशी आदिवासी

5861. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि विदेशी आदिवासी जैसे बर्मा के लीसस और चीन के योबनिस बड़ी संख्या में विजयनगर (अरुणा चल प्रदेश) में आ गए हैं और वहां बहुत धनी बन गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इन आदिवासियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सेना के भूतपूर्व जवान, जो बर्मा और चीन से इस घुसपैठ को कारगर ढ़ंग से रोकने के लिए सेवा निवृत्ति के पश्चात् इस कठिन सीमावर्ती क्षेत्र में बसाए थे, इन आदिवासियों की बढ़ती हुई संख्या और उनके धनी होने से अपने को असुरक्षित एवं अप्रसन्न अनुभव कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) लिसस (उर्फ योबिन्स) नामक एक आदवासी जाति 25 से अधिक वर्षों से पहले अरुणाचल प्रदेश के तिराफ जिले में आ गई थी वे अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए हैं। उनकी जनसंख्या में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। 1971 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या 929 थी। सभी लिससों को पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं और किसी भी नए प्रवेश को रोका जा सकता है।

(ग) और (घ) भूतपूर्व असम राइफल्स कार्मिक 9 पृथक गांवों में बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में बसे भूतपूर्व असम राइफल्स कार्मिकों के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वे लिसस के कारण अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आवश्यक निगरानी रखी जा रही है।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का अवैध प्रवेश

5862. **श्री विरदाराम फूलवारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी राष्ट्रिक अवैध रूप से भारत आ रहे हैं और भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के भारत में अवैध रूप से आने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सीमा पर प्राधिकारी उचित सतर्कता बरतते हैं। समाहर्ता, को जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (क) के तहत पंजीकरण प्राधिकारी है, आवेदन पत्रों की सावधानी पूर्वक संवीक्षा करनी होती है और किसी भी आवेदक को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करने से पूर्व प्रवेश/निवास आदि के विवरणों की अपनी संतुष्टी के अनुसार जांच करनी होती है।

विभिन्न स्थानों में वेश्यावृत्ति कराने वाला गिरोह

5863. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न राज्यों में वेश्यावृत्ति कराने वाले गिरोहों के होने की ओर दिलाया गया है जहाँ भोली भाली लड़कियों को लाकर चकलों के मालिकों को बेचा जाता है ; और

(ख) इस बुराई को रोकने और इन भोली भाली लड़कियों को वेश्यावृत्ति के अड्डों से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन 1978 में यथा संशोधित महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के उपबंधों के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है। इस अधिनियम में अवैध व्यापारियों को दण्डित करके वेश्याओं की गतिविधियों को नियंत्रित करके और जो वेश्यावृत्ति के शिकंजे से छुड़ाई गई हैं, उनका पुनर्वास करके महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन की पहले से व्यवस्था है। जैसे ही ऐसे अपराधी की सूचना मिलती है, कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसे अपराधों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

औसत परिवार के लिये न्यूनतम आय

5864. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम आय निर्धारित करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है कि एक औसत परिवार जीवन की न्यूनतम आवश्यकता तथा खाद्य कपड़ा समान आदि पूरी कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनको उक्त न्यूनतम आय के अंतर्गत नहीं लाया गया है; और

(घ) गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तथा जिनकी उक्त न्यूनतम आय नहीं है उन लोगों के बीच क्या अंतर है?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) अपनी भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक औसत परिवार के लिए आवश्यक न्यूनतम आय का अनुमान लगाने के बारे में भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

लेकिन योजना आयोग द्वारा स्थापित न्यूनतम आवश्कताओं तथा प्रभावी उपयोग मांग के अनुमानों से संबंधित कृतिक बल द्वारा दैनिक ऊर्जा (शक्ति) ग्रहण कैलोरी के रूप में मापा गया) के रूप में भोजन की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता के संबंध में मानक तैयार किए गए हैं। इस प्रकार ये मानक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी है।

न्यूनतम कुल व्यय के उस स्तर को जिस पर कैलोरी उपभोग के मानक स्तर प्राप्त किए जाते हैं, गरीबी का स्तर माना जाता है। इसका अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा विभिन्न राउंडों में किए गए उपभोक्ता व्यय से प्राप्त होने वाले आंकड़ों की सहायता से लगाया

जाता हैं । क्योंकि गरीबी का स्तर "कुल" व्यय का समानरूपी हैं इसलिए इसके लिए भोजन के अलावा उपयोग की अन्य वस्तुओं (जैसे कपड़ा, मकान, आदि) को भी ध्यान में रखा जाता है । मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय के रूप में गरीबी के जो स्तर प्राप्त किए गए हैं वे 1977-78 की कीमतों पर 65 रु० (ग्रामीण) और 75 रु० (शहरी) हैं ।

गरीबी के राज्यवार अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा उपभोक्ता व्यय के संबंध में किए गए आवधिक सर्वेक्षणों पर आधारित हैं । अद्यतन सर्वेक्षणवर्ष 1977-78 के लिए उपलब्ध है वर्ष 1977-78 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 3046 लाख (ग्रामीण क्षेत्रों में 2528 लाख और शहरी क्षेत्रों में 518 लाख) होने का अनुमान लगाया गया है । अगला सर्वेक्षण वर्ष 1983 में होना है ।

टैल्को द्वारा ट्रक इंजनों की सप्लाई

5865. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टाटा कम्पनी जमशेदपुर की टैल्को द्वारा उपभोक्ताओं को ट्रक सप्लाई करने में असाधारण विलम्ब किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो टैल्को द्वारा इस मामले में किए गए असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा टेल्को से कम समय में ट्रक इंजनों की सप्लाई के लिए कहे जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मे० टेल्को द्वारा टेल्को ट्रक चेसिसों के लिए स्पेयर इंजनों का निर्माण किया जा रहा है और ये उनके विक्रेताओं के माध्यम से बदले जाने के लिए उपलब्ध हैं । कम्पनी ने बताया है कि बदलने के प्रयोजन हेतु उपभोक्ताओं को इन इंजनों की सप्लाई करने में कोई विलम्ब नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा सीमेंट की बचत करने वाली कंक्रीट का विकास

5866. श्री कृष्ण प्रताप सिंह :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :
श्री गुफरान आजम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने कई वर्षों के अनुसंधान के बाद एक ऐसी कंक्रीट का विकास किया है जिसके निर्माण कार्य प्रयोग करने से मकानों, उद्योगों और

सड़कों आदि की निर्माण संबंधी कठिनाइयां दूर हो सकेंगी तथा मकानों के निर्माण में इसका 20 प्रतिशत सीमेंट तथा अन्य सामग्री के साथ प्रयोग हो सकेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कंक्रीट के प्रयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने एक उपयुक्त तैयार कंकरीट प्रौद्योगिकी का विकास किया है जिसके द्वारा कंकरीट को सामान्य वाहनों में ले जाया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी में "आधी सूखी कंकरीट" को केन्द्रीय बैंचिग तथा मिश्रण संयंत्र से सामान्य गाड़ियों में ले जाकर निर्माण स्थल पर उसमें फिर से पानी मिला देने की परिकल्पना की गई है। गहन प्रयोगशाला परीक्षणों और क्षेत्रीय प्रयोगों से पता चला है कि इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से सीमेंट की किस्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना उस समय के मौसम में 1½ से 2 घन्टे के बीच में ले जाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप 15 प्रतिशत या उससे अधिक सीमेंट की बचत होगी।

सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारतीय सीमेंट निगम, एसोसिएट सीमेंट कम्पनी तथा हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी के साथ मिलकर हाल ही में इस विषय पर चर्चा की थी और उन सबकी इस प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने तथा इसे शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए सहमति थी। तदनुसार, सीमेंट अनुसंधान संस्थान इस प्रौद्योगिकी को इसमें रुचि रखने वाली पार्टियों को हस्तांतरित करने के लिए योजना बना रही है।

देश में केबिलों का उत्पादन

5867. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली के केबिलों की भारी कमी को पूरा करने की व्यवस्था कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो देश में केबिलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने आयातित केबिलों की तुलना में राज्य के स्वामित्व वाले कारखानों द्वारा निर्मित केबिलों के प्रयोग को पसन्द किया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) देश में विद्युत केबलों की कोई कमी नहीं है। विद्यमान एककों में 50 प्रतिशत से कम क्षमता का उपयोग हो रहा है।

राज्य के स्वामित्व वाला केवल एक ही एकक है जिसे विद्युत केवलों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है यह एकक अधिकतर दूरसंचार केबलों का ही उत्पादन कर रहा है तथा इसका विद्युत केवलों का उत्पादन शून्य है।

पश्चिम बंगाल मजदूर, श्रमिक गोदाम कर्मचारी तथा अन्य मजदूर (नियमन नियुक्ति तथा कल्याण) अधिनियम 1981 की स्वीकृति

5868. श्रीमति गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 का पश्चिम बंगाल मजदूर श्रमिक, गोदाम कर्मचारी तथा अन्य मजदूर (नियमन, नियुक्ति तथा कल्याण) अधिनियम, को अभी भी राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे कब राष्ट्रपति की स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से विधेयक के कुछ उपबंधों पर स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

दामोदर घाटी निगम से बिजली की कम सप्लाई के कारण इस्पात उत्पादन में हुई हानि

5869. श्री नीरेन घोष : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1982 में बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर को दामोदर घाटी निगम से कम बिजली की सप्लाई के कारण इस्पात का उत्पादन कम हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना कम उत्पादन हुआ है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां। फरवरी, 1982 में दामोदर घाटी निगम से बिजली की पर्याप्त सप्लाई न मिलने के कारण बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में हुई कमी नीचे दिखाई गई है :—

कारखाना	बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण फरवरी, 82 में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कमी
	मीटरिक टन
बोकारो	8935
"इस्को" (बर्नपुर)	390
दुर्गापुर	4360
कुल :	13685

रंगीन टी०वी० का मूल्य

5871. श्री राम लाल राही : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों का वर्तमान मूल्य सुनिश्चित किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या टेलीविजन विक्रेता इन सेटों के विभिन्न उपकरणों सहित आयातित टेलीविजन सेटों पर भारी लाभ कमा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस अत्यधिक लाभ कमाने को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है और उसका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमन्त्री (डा० श्री एस० संजीवी राव) : जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) दूरदर्शन के जिन विनिर्माताओं को एशियाड के लिए तदर्थ तथा सामयिक योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा आयातित रंगीन दूरदर्शन किटें आवंटित की गई थीं, उन्होंने यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार संयोजित रंगीन दूरदर्शन सेटों को विक्रेतागण दिल्ली में नीचे दर्शायी गई कीमतों (जिसमें सभी कर शामिल हैं) पर बेचेंगे :—

(I) ट्रेट ट्यूनर (समस्वरित्र) वाले रंगीन दूरदर्शन सेट : 7500/- रुपये ।

(II) इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर (समस्वरित्र) वाले रंगीन दूरदर्शन सेट : 8000/- रुपये दूसरे शहरों में बिक्री कर, चुंगी आदि जैसे स्थानीय करों की मात्रा के आधार पर इन कीमतों में घट-बढ़ हो सकती है ।

यद्यपि, इन कीमतों में बिक्रेता के लाभ की व्यवस्था की गई है तथापि, इसे भारी लाभ कदापि नहीं कहा जा सकता । यदि किसी विशिष्ट मामले में यह पाया गया कि इस करार का उल्लंघन किया गया है तो सरकार उचित कार्रवाई करेगी ।

आदिवासी और हरिजनों के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

5872. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कितनी है जो आदिवासियों और हरिजनों के विकास के लिए कार्य कर रही हैं और सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हैं ;

(ख) उन संगठनों के नाम क्या हैं, उनके मुख्यालय किन किन स्थानों पर हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि आल इंडिया आदिवासी डेवलपमेंट कांउसिल (अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद) को, जिसका मुख्यालय 15, केनिंग लेन, नई दिल्ली में है, वर्ष 1982-83 के अनुदान की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन संस्थानों को जिनको अनुदान के भुगतान में विलम्ब हो गया है, अनुदान देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जिन स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान की योजना के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय से आदिवासी और हरिजनों के विकास के लिए 1982-83 के दौरान अनुदान स्वीकृत किए गए थे उनका एक विवरण संलग्न है। इन संगठनों के मुख्यालय उनके नामों के सामने दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान, (अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्, नई दिल्ली को अपना अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए 40,000/-रु० की राशि स्वीकृत की गई थी। फरवरी, 1983 में संगठन से कुछ अन्य प्रस्ताव हुए थे किन्तु चूंकि वे अपूर्ण थे अतः इन प्रस्तावों के संबंध में संगठन का कोई अनुदान नहीं दिया जा सका। अतः अनुदान देने में सरकार की तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

विवरण

1. हरिजन सेवक संघ, किंग्जवे, दिल्ली।
2. इंडियन रेड क्रास सोसायटी, 1, रेड क्रास रोड, नई दिल्ली।
3. सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी, पूना।
4. हिन्द स्वीपर सेवक समाज, एच-1980 कालीबारी मार्ग, नई दिल्ली।
5. भारतीय डिप्रेसड क्लासेस लीग, 6, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली।
6. रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची।
7. रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी।
8. श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, पो.ओ. कलाडी, इरनाकुलम, जिला, केरल।
9. रामकृष्णन मिशन सेवाश्रम, कछार, सिलचर, असम।
10. ठक्कर बापा आश्रम, पो. ओ. नीमाखण्डी, जिला गंजाम, उड़ीसा।

11. रामकृष्ण मिशन आश्रम, पो. ओ. नरेन्द्र पुर, 24-परगना, पश्चिम बंगाल ।

12. अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, महर्षि दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली ।

13. रामकृष्णन मिशन विद्यापीठ, पो. ओ. विवेकानन्द नगर, जिला .पुरुलिया, पं. बंगाल ।

14. सोसल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, तिलोनिया, मदनगंज, अजमेर, राजस्थान ।

15. श्री रामकृष्ण आश्रम, पो.ओ. निमपीठ आश्रम, 24-परगना, सुन्दरबन, प. बंगाल ।

16. भारतीय हरिजन गिरिजन समाज उन्नति मंडल, भिवन्डी, जिला थाने, महाराष्ट्र।

17. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, 136, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

18. रामकृष्णन मिशन आश्रम, शिलांग, मेघालय ।

19. रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय ।

20. भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, अम्बेडकर रोड, नई दिल्ली ।

21. नागालैंड गांधी आश्रम, काकोकचुंम, नागालैंड ।

22. नीलगिरि आदिवासी वेलफेयर एसोसिएशन, क्लीनिक नीलगिरि, तमिलनाडु ।

23. चारमोरा मोडल सतना हिल्स एंड पैन्स कल्चर इन्स्टीच्यूसन, नार्थ लखीमपुर, असम ।

24. निखिल-भारत बानावासी पंचायत, हैड आफिस झरगराय, जिला मिदनापुर, पं. बंगाल

25. रामकृष्ण मिशन स्कूल अलांग, संग जिला, अरुणाचल प्रदेश ।

26. प्रांतीय समाज कल्याण आश्रम, नार्थ लखीमपुर आश्रम पो.ओ. किमिन, अरुणाचल प्रदेश ।

27. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नई दिल्ली ।

28. आर.के. मिशन आश्रम, गोहाटी, असम ।

29. डी.ए.वी. कालेज ट्रस्ट एंड मैनेजिंग सोसायटी, नई दिल्ली ।

30. बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली, राजस्थान ।

31. आर. के. मिशन नरोत्तम नगर, अरुणाचल प्रदेश ।

32. हरिजन सेवक संघ. बंगाल हावड़ा ।

सुनवाई के लिए रुके हुए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के मामले

5873. **श्री एम०एम० लारेन्स** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सुनवाई के लिए रुके हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामलों की संख्या क्या है, और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1974-75 से भी मामले रुके हुए हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 202 मामले । ये मामले विभिन्न कारणों से रुके पड़े हैं, जैसे अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विलम्बकारी युक्तियों का अपनाया जाना, स्थगन आदेश लिए जाने, अन्वेषक अभिकरण तथा न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की वैधता को चुनौती दिया जाना और स्थानान्तरण के लिए न्यायालयों में समावेदन किया जाना ; मामलों की पेचीदी और जटिल प्रकृति आदि जिसके कारण बड़ी संख्या में साक्षियों और बड़ी मात्रा में अभिलेखों आदि की जाँच करनी होती है ।

(ख) जी, हां । 38 मामले ।

(ग) सरकार स्वभावत: इन मामलों के निपटान में होने वाले विलम्ब के बारे में चिन्तित है और इनके शीघ्र निपटान के उपाय खोजने के लिए आवधिक पुनरीक्षा की जाती है ।

वीडियो कैसेट टेप रिकार्डरों के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करना

5874. **श्री वी.एस. विजय राघवन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान वीडियो कैसेट टेप रिकार्डरों के निर्माण हेतु आशयपत्र/लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक ही पार्टी ने विभिन्न कम्पनियों के नाम से एकाधिक अथवा उन्हीं कम्पनियों के नाम से विभिन्न स्थानों पर कार्यकरण दिखा कर लाइसेंस हथिया लिये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि विभाग में पिछले दस वर्षों से लाइसेंस जारी करने का काम एक ही अधिकारी कर रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तथ्य क्या हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात वर्ष 1981 तथा वर्ष 1982 में वीडियो कैसेट टेप रिकार्डरों के विनिर्माण के लिए जिन पार्टियों को संगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्र में आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनके नाम क्रमश: विवरण एक तथा दो में दिए गए हैं।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-एक

संगठित क्षेत्र में वीडियो कैसेट रिकार्डरों के विनिर्माण के लिए अनुमोदित पार्टियां

क्रम सं०	पार्टी का नाम
1.	श्री एम.एस. बलसारा, बम्बई।
2.	मेसर्स बुश इण्डिया लिमिटेड, बम्बई।
3.	मेसर्स ब्रिटिस फिजीकल लेबोरेटरी इण्डिया लिमिटेड, बंगलौर।
4.	मेसर्स महाराष्ट्र इलैक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, बम्बई।
5.	मेसर्स मरफी इण्डिया लिमिटेड, थाणे।
6.	मेसर्स अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ।
7.	मेसर्स कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड।
8.	पी.एस.इ.डी. एण्ड पी.सी. लिमिटेड, चण्डीगढ़।
9.	मेसर्स ऊषा वीडियो सिस्टमस (प्रा.) लिमिटेड, फरीदाबाद।
10.	श्री ओम प्रकाश श्यामसुन्दर अग्रवाल, अहमदबाद।
11.	मेसर्स कोनार्क टेलीविजन, भुवनेश्वर।

विवरण -दो

लघु उद्योग क्षेत्र में वीडियो कैसेट रिकार्डर तथा वीडियो टेप रिकार्डर के विनिर्माण के लिए अनुमोदित पार्टियां

क्रम सं०	पार्टी का नाम
1.	मेसर्स शांति इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलवासा।
2.	मेसर्स कॉस्मिक रेडियो, बम्बई।
3.	मेसर्स जूपिटर रेडियोज, नई दिल्ली (स्थापना-स्थल : पंजाब)।
4.	मेसर्स वीडियो कंपनी ऑफ इंडिया, दिल्ली।
5.	मेसर्स सोनोडाइन टेलीविजन कंपनी, कलकत्ता।
6.	मेसर्स पंजस्टार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रूपनगर।
7.	मेसर्स पोलस्टार इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली (स्थापना-स्थल) महाराष्ट्र।
8.	मेसर्स सुद्रर्न इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, बंगलौर।
9.	मेसर्स कॉस्मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वडोदरा।
10.	मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली (स्थापना-स्थल जम्मू-तथा कश्मीर राज्य)
11.	मेसर्स एसोशियेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज बंगलौर।
12.	मेसर्स यू. एम. एस. रेडियो फैक्ट्री लिमिटेड कोयमबटूर।
13.	मेसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
14.	मेसर्स एम. पी. इलेक्ट्रॉनिक्स, फरीदाबाद, (स्थापना-स्थल : एम.पी.)।
15.	मेसर्स टेलीरमा इंडिया, कलकत्ता।
16.	मेसर्स कौसर इलेक्ट्रॉनिक्स, बम्बई।
17.	मेसर्स आर. के. गुप्ता, बम्बई।
18.	मेसर्स आर. के. इलेक्ट्रॉनिक्स, अहमदाबाद।
19.	मेसर्स अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स, अमृतसर।

क्र०सं०	पार्टी का नाम
20.	मेसर्स जूपिटर रेडियोज, नई दिल्ली।
21.	कमला इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली (एम.पी.)।
22.	मेसर्स क्रुसन, नई दिल्ली (उ०प्र०)।
23.	मेसर्स माइक्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली।
24.	मेसर्स काई जयट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, मद्रास।
25.	मेसर्स वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली। (स्थापन-स्थल उ.प्र.)।
26.	मेसर्स डयनामिक इलेक्टॉनिक्स (आई) (प्रा०) लिमिटेड, बंगलौर।
27.	मेसर्स महेन्द्रा रेडियो टेलीविजन (प्रा०), मेरठ।
28.	मेसर्स नोएडा वीडियोट्रोनिक्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली (उत्तर-प्रदेश)
29.	अनन्दिगी इन्स्ट्रूमेन्ट्स (प्रा०) लिमिटेड, हैदराबाद।
30.	मेसर्स ओहमीट्रांन इंडिया लिमिटेड, मद्रास।
31.	मेसर्स स्कन्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
32.	मेसर्स गडोदिया इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, सहाइबाबाद (उ०प्र०)।
33.	मेसर्स ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
34.	मेसर्स हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली (स्थापन-स्थल : हरियाणा)।
35.	मेसर्स अमित इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली (स्थापन-स्थल : पंजाब)।
36.	मेसर्स जेय कुमार इंजीनियरिंग (प्रा०) लिमिटेड, पालघाट (स्थापन-स्थल केरल।
37.	मेसर्स विजय गुप्ता, दिल्ली (स्थापन-स्थल : एच. पी.)।

क्रम सं०	पार्टी का नाम
38.	मेसर्स डिजिको इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, पालघाट (स्थापन-स्थल : केरल) ।
39.	मेसर्स भारत लीविजन टेलिमिटेड, हैदराबाद ।
40.	मेसर्स वीडियो तकनीकी (प्रा०) लिमिटेड, शिमला (स्थापन-स्थल : एच.पी) ।

परिवर्तित/अर्द्ध/वेतन छुट्टी के बदले नकद राशि

5875. श्री मनोहर लाल सैनी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हाल ही के पिछले दिनों से परिवर्तित/अर्द्ध वेतन छुट्टी के बदले नकद राशि देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) परिवर्तित छुट्टी के बदले नकद धनराशि देने की कोई मांग विचाराधीन नहीं है । तथापि, अर्द्ध वेतन छुट्टी के बदले नकद धनराशि दिए जाने की मांग उठायी गई है ।

(ख) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

वर्ष 1982-83 के लिए वार्षिक योजना के दौरान आयात/ निर्यात में वृद्धि

5876. डा० ए०यू० आजमी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के लिए वार्षिक योजना में पैट्रोलियम, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और आयात की वृद्धि उचित सीमा तक करने और निर्यात में वृद्धि करने पर विशेष जोर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिस बात पर जोर दिया गया है उसमें कितनी सफलता मिली है और क्या यह पिछली योजना के आंकड़ों की तुलना में बेहतर नहीं हैं ; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-82 व 1982-83 में आयात सहित पैट्रोलियम, उर्वरक सीमेंट व खाद्य तेलों के देशी उत्पादन (अनंतिम अनुमान) से संबंद्ध विवरण संलग्न है । चूंकि आयात संबंधी आंकड़े पूरे वर्ष 1982-83 के लिए उपलब्ध नहीं है इसलिए 1982-83 व 1981-82 के लिए तुलनात्मक आंकड़े दिये गए हैं इस सारणी से पता चलेगा कि वर्ष 1982-83 में इन सभी वस्तुओं के देशी उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि होने की आशा है । पैट्रोलियम (कच्चा तेल) तथा सीमेंट के मामले में यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । 1982-83 के पूर्वार्ध में पिछले वर्ष की तुलना में उर्वरकों तथा खाद्य तेलों के आयात में निश्चित रूप से गिरावट दिखाई दी है । इस्पात के आयात में मामूली वृद्धि हुई हैं । इसके अतिरिक्त बंबई हाई के कच्चे तेल के बदले आयात कच्चे पैट्रोलियम पदार्थों के लेने से विदेशी विनिमय में बचत हुई है । उल्लेखनीय है कि यदि 1982-83 में देशी उत्पादन में वृद्धि न होतीं तो वर्ष के दौरान बढ़ी हुई मांग के कारण अधिक आयात की आवश्यकता पड़ती ।

विवरण

सारणी

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	उद्योग	एकक	उत्पादन		अनन्तिम आयात		1981 अप्रैल-सितम्बर		1982 अप्रैल-सितम्बर	
			1981-82	1982-83 अनंतिम अनुमान	1981-82	1982-83	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	पैट्रोलियम (कच्चा तेल)	मिलियन टन	16.18	21.40	20.20 (1 और 2)	5189.26 (1 और 2)	9.80 (1 और 2)	2472.11 (1 और 2)	10.90 (1 और 2)	2729.05 (1 और 2)
2.	रिफाइनरी (क्रूड थ्रूपुट)	तथैव	30.14	32.82						
3.	उर्वरक (खाद्य एन. एण्ड पी.205)	तथैव	4.09	4.40	1.97	388.78	1.32	251.34	0.46	76.53
4.	सीमेंट	तथैव	21.07	23.00	1 60	100.83		उ.न.	उ.न.	
5.	बिक्री योग्य इस्पात	तथैव	8.66	9.15	3 00	1136.38	1 24	463.39	1.32	531.01
6.	खाद्य तेल	1000 टन	865*	875*	722.06	378 32	307 40	159.83	247	117.63

* उत्पादन आंकड़े केवल वनस्पति से संबंधित हैं।

(i) मद 1 और 2 से संबंधित आयात आंकड़ों में पैट्रोलियम, पैट्रोलियम उत्पाद और संबद्ध सामग्री सम्मिलित हैं।

(ii) आयात से संबंधित आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें संशोधन हो सकता है।

परमाणु उर्जा, कार्यक्रम हेतु भावी योजना

5877. श्री हरिकेश बहादुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्राँस को छोड़ अधिकांश सभी देशों में परमाणु ऊर्जा कार्य-क्रम रुक गया है और यदि हां, तो नए दृष्टिकोण और पुर्नविचार को देखते हुए इस क्षेत्र में भारत की भावी योजनायें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करेगी अथवा निर-उद्देश्य रूप से अपने कार्यों को जारी रखेगी ; और

(ग) क्या यह सच है कि समाज कल्याण हेतु 2 करोड़ रुपया और ग्रामीण पुननिर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये और 100 विश्वविद्यालयों के लिए 142 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में परमाणु ऊर्जा हेतु क्या वर्ष 1982-83 का बजट 530 करोड़ रुपये से अधिक है और क्या सरकार इसके आवंटनों को पुनरीक्षा करेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रांनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) भारत के परमाणु ऊर्जा संबंधी कार्य-क्रम को भारत की आवश्यकताओं और उपक्रम साधनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कुछ अन्य देशों में इस प्रकार के कार्यक्रम की गति को धीमा करने वाले कारण हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है । सरकार की नीति यही रही है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग अधिक-तम संभव सीमा तक बिजली पैदा करने के लिए किया जाए तथा इस परिणाम की प्राप्ति के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाये ।

प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास

5878. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी और छोटे तथा मध्यम आधार के उद्योगों के लिये प्रौद्योगिकी के देशी अनुसंधान और विकास के लिये सरकार की दीर्घावधि और अल्पावधि नीतियां और योजनायें क्या हैं ?

(ख) गत पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों से सम्बन्धित नीतियों तथा योजना की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास को सदैव महत्वपूर्ण माना है जो तीव्र प्रौद्योगिकी विकास का एक प्रमुख

तत्व है। औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में जुलाई, 1980 में दिए गए वक्तव्य में यह बात विशिष्ट रूप से कही थी कि "भारतीय उद्योग को अनुसंधान तथा विकास के लिए विपुल स्रोत अनिवार्य रूप से आरक्षित करने चाहिए जिससे प्रौद्योगिकी को निरंतर अद्यतन बनाया जाता रहे और दुर्लभ स्रोतों का अधिकतम उपयोग हो सके, ग्राहकों की बेहतर सेवा करने के साथ अधिक निर्यात हो सके और नवीनतम अनुसंधान और विकास का लाभ मझौले तथा छोटे एककों तक पहुंचे" 1 जनवरी, 1983 में दिए नवीनतम प्रौद्योगिकीय नीति संबंधी वक्तव्य में इस बात को दोहराया गया है कि प्रौद्योगिकी आत्म निर्भरता प्राप्त करने और विदेशी निर्विष्टियों पर निर्भरता को कम करने के लिए देशी प्रौद्योगिकी के विकाश में पूरी पूरी सहायता दी जाएगी। इसमें आविष्कारों को बढ़ावा देने, देशी रूप से विकसित की प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने, उद्योग में आंतरित अनुसंधान और विकास की वृद्धि करने तथा आयातित प्रौद्योगिकी को खपाने और उसे अपनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों के प्रावधानों की ओर संकेत किया गया है।

2. सरकार की नीति के अनुसार देशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पहले ही बहुत से उपाय किए जा चुके हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) स्वीकृत संस्थानों में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करने के लिए करों में 133 प्रतिशत की काफी छूट देना।

(ख) आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास एककों में स्वीकृत अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए करों में 125 प्रतिशत की काफी छूट देना।

(ग) उद्योग में अनुसंधान तथा विकास पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु व्यय के वर्ष में 100 प्रतिशत की छूट दे कर प्रोत्साहन देना।

(घ) यदि सम्बन्धित प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में ही विकसित की गई हो तो फेरा एम आर.टी.पी. से भिन्न औद्योगिक एककों को लाइसेंस के प्रतिबन्ध से मुक्त करना।

(ङ) देश में विकसित की गई प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने वाले संयंत्रों और मशीनों पर किए गए खर्चे पर बढ़ा हुआ निवेश भत्ता देना।

(च) अनुसंधान तथा विकास के मान्यता प्राप्त आन्तरिक एककों को अपनी अनुसंधान तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई सीमा निश्चित किये बिना खुले लाइसेंस की सुविधाएं देना।

रुग्ण एककों पर नये सिरे से विचार

5879. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के स्पष्ट विचारों (टाइम्स आफ इंडिया, दिनांक 9 मार्च, 1983) की ओर दिलाया गया है कि जिसमें यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिये, कि "रुग्ण" औद्योगिक एककों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण पर नये सिरे से विचार किये जाय, कि इससे सरकारी क्षेत्र के एकक के संकट में न पड़े और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा एककों को जानबूझ कर "रुग्ण" न बनाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार के दृष्टिकोण, कार्यवाहियां क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 7 मार्च, 1983 को श्री टी० कृष्णमाचारी स्मारक भाषण देते समय कुछ सुझाव दिए थे जिनमें निम्नलिखित सम्मलित हैं: –

"रुग्ण एककों के मामले में हमें अपने दृष्टिकोण पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यदि सभी रुग्ण एकक अंततः सरकारी क्षेत्र में ही मिल जाने हैं तो यह किसी उपक्रम को बिना कोई वित्तीय जोखिम उठाए उसमें कुप्रबन्ध बनाए रखने के लिए बेईमान उद्यमियों के वास्ते एक खुला निमंत्रण है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि घाटे में चलने वाले एककों को राज सहायता देने से काम पर लगे हुए व्यक्तियों को रोजगार की हानि न हो, किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि नए व्यक्तियों को उनके गुजारे के लिए कृषि क्षेत्र में काम दिया जाए। बेहतर तो यही होगा कि अलाभदायी रुग्ण एककों को सरकारी क्षेत्र में लाने के बजाए इस प्रकार के एककों को अन्य उद्यमियों द्वारा अभिग्रहीत किए जाने की अनुमति मुक्त रूप से दी जाएं।

(ख) सरकार की नीति सभी रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण करने की नहीं है। अक्तुबर, 1981 में सरकार द्वारा घोषित नीतिपरक मार्गदर्शी सिन्द्धातों में रुग्ण एककों को राष्ट्रीयकरण करने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। मुख्य रूप से इसी बात पर बल दिया गया है कि रुग्णता को रोका जाए, वैधानिक अध्ययन के आधार पर उपचारात्मक कार्यवाही की जाए अथवा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने ऋणों की वसूली के लिए सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाए यदि वे ऐसा समझे कि उनके द्वारा किए गए प्रयासों से रुग्ण एककों के जीव्य होने की संभावना नहीं है।

यदि कोई स्वस्थ एकक रुग्ण एकक का प्रबन्ध करने और उसकी जीव्यता पुनःस्थापित करने में समर्थ है तो सरकार रुग्ण एककों के स्वस्थ एककों में विलय को भी प्रोत्साहित करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 क के अधीन करों में रियायत दी जा रही है।

इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण

5880. श्री चित्त महाटा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) और लघु इस्पात कारखाने आते हैं। कार्य-निष्पादन, प्रबन्ध में कुशलता अथवा श्रमिकों के हितों के लिहाज से "टिस्को" का राष्ट्रीयकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। लघु इस्पात कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं है क्योंकि इनके कार्यकरण के क्षेत्र को देखते हुए ये इकाइयां गैर-सरकारी क्षेत्र में बेहतर ढंग से चलाई जा सकती हैं।

अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के कल्याण हेतु आबंटित धन को अन्य शीर्ष में डालना

5881. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिये आवंटित कितने धन को वर्ष 1982-83 में अन्य शीर्ष में डाल दिया गया ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतु कितना धन आबंटित किया गया था ; और

(ग) कितना धन व्यय न किया जा सका और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) 1982-83 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये आबंटित किसी भी धन को अन्य शीर्षों में नहीं डाला गया।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऋण देने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। किन्तु अनुसूचित जाति विकास निगमों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मैं निगमों की

शेयर पूंजी में निवेश के लिये 49:51 के अनुपात में सहायता अनुदान दिया जाता है। निगम अनुसूचित जाति के ऋण प्राप्त कर्ताओं को संस्थागत वित्तके लिये बैंकों के सम्पर्क में लाने, ऋण आवेदन एकत्र करने और अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की योजनाओं के लिये सीमान्त धन प्रदान करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत भी अनुसूचित जनजातियों के लिये इसी प्रकार के निगम स्थापित किए गए हैं।

कर्नाटक में लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त नियुक्त करने के बारे में अध्यादेश

5882. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने मुख्य मंत्री सहित जन सेवकों के विरुद्ध जन आरोपों की जांच करने के लिये एक लोक आयुक्त और एक उपलोक आयुक्त नियुक्त करने हेतु एक अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से इस बीच अध्यादेश की मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान अध्यादेश 4 मार्च, 1983 को प्राप्त हुआ था और विचाराधीन है।

मैसर्स आई.टी.सी. द्वारा रंगीन टेलीविजन ट्यूबों का निर्माण

5883. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टोबेको कम्पनी वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी के माध्यम से रंगीन टेलीविजन ट्यूबों का निर्माण करने जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इंडियन टोबेको कम्पनी ने वित्तीय संस्थाओं की सहायता से कार्ड बोर्ड पेपर का निर्माण करने वाले यूनिट, इंडिया सीमेंट्स को अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसे कार्यों को अनुमति न दी जाए ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कम्पनी से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थानों ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (आई. सी. एल.) और अशोक पेपर मिल्स (ए.पी.एम.) में अपने कुछ शेयर इंडियन टोबेको कम्पनी (आई.टी.सी.) समूह की कम्पनियों को बेचे हैं । आई.टी.सी. को शेयर इस संबंध में विचार-विमर्श कर लेने के बाद और संस्थानों द्वारा शेयर बेचने की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, आई.सी.एल. और ए.पी. एम. के दीर्घकालीन समग्र हितों को ध्यान में रखकर तथा इन दोनों कम्पनियों में संस्थानों की बकाया राशि आदि ध्यान कर लेने के बाद बेचे गए हैं ।

रूस के विशिष्ट मंडल द्वारा भारत का दौरा

5884. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 23 जनवरी, 1982 के 'नेशनल हेरल्ड' में "मोर सांइ-टिफिक एंड फ्राम यू. एस. एस. आर." शीर्षक समाचार पढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो जिस रूसी विशिष्ट मंडल ने भारत का दौरा किया उसके सदस्यों के नाम तथा दर्जा क्या है, भारतीय प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) रूस द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा यह सहायता किस रूप में दी जायेगी ;

(घ) क्या रूस ने हाल ही में भारत में एक प्रदर्शनी आयोजित की थी, यदि हां, तो किस स्थान पर और भारत के विशेष संदर्भ में उस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अन्य लोगों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) ऐसी प्रदर्शनियों से भारत को क्या लाभ होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) सोवियत प्रतिनिधिमंडल जो भारत आया, के नेता और सदस्यों के नामों और पदों का विवरण संलग्न है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चलने वाले सहयोग के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्रों से संबंधित चर्चा की गई थी ।

(घ) जी हाँ । प्रदर्शनी का स्थल हाउस ऑफ सोवियत साइंस, कल्चर एण्ड आर्ट, 24, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली था । प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अन्य सोवियत जन थे :

(1) डॉ. एफ. ए. कुजेनेत्सोव (अकार्बनिक रसायन)

(2) डॉ. एन. टी. कुजेनेत्सोव (भौतिक रसायन)

(3) डॉ. ओ. एम. नैकियोदोव (कार्बनिक रसायनज्ञ)

(4) डॉ. जे. ए. रोजानोव (गणितज्ञ)

(5) डॉ. वी. आई. सेरगीव

(6) डॉ. टी. जी. त्रिफोनोव (अंतरिक्ष भूवैज्ञानिक)

(7) डॉ. एन. पी नेपालकोव (स्वास्थ्य रक्षा)

(8) डॉ. पी. आइ. कोवालनको (कृषि और पर्यावरण परिरक्षण)

(9) डॉ. एम. एस. ताशपुलातोव

(10) डॉ. ए. जे. गेगरिन्स्की (ऊर्जा विशेषज्ञ)

(11) डॉ. वी. ए. वित्यूरिन (ऊर्जा विशेषज्ञ)

(12) डॉ. एन. वी. नौमोवित्व (चूर्ण धातुकर्म विज्ञानी)

(13) डॉ. एन. तितोव (मानक इंजीनियर)

(14) अकादमीशियन वी. एस. व्लादीमीरोव (गणितज्ञ)

(ङ) प्रदर्शनी में यू. एस. एस. आर. की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति को देख-कर और प्रदर्शनी स्थल तथा संबंधित संस्थानों में आयोजित किए गए व्याख्यानों में भाग लेकर बहुत से भारतीय वैज्ञानिक और वैज्ञानिक विभाग अतिलाभान्वित हुए।

विवरण

नाम	पद
मारचुक क्युरी इवानोविच	यू. एस. एस. आर. मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यू. एस एस. आर. की राज्य समिति के अध्यक्ष।
कुद्रियावत्सेव गेनाडी जॉर्जिएविच	यू. एस. एस. आर. के प्रथम उपमंत्री।
बबैव अगाजनी गेल डिएविच	तुर्कमान एस. एस. आर. विज्ञान अकादमी के डेजर्ट इंस्टीटयूट के निदेशक, तुर्कमैन एस. एस. आर. विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष।

बोरेस्कोव गार्गी कान्सटैनटिनीविच	यू. एस. एस. आर. की विज्ञान अकादमी सदस्य नोवर्सी-ब्रिस्क में यू. एस. एस. आर. की विज्ञान अकादमी की साइबेरिया शाखा के उत्प्रेरण (केटालाइसिज) संस्थान के निदेशक।
पात्सकेविच वसीली मिखायलोविच	यू. एस. एस. आर. मंत्रिपरिषद में कार्यकारी अधिकारी।
'फिलिपचेंको अनातोली वासीलिएविच	यू. एस. एस. आर. के पायलट कास्मोनॉट।
ओबीलेनत्सेव पियोत्र इव ग्राफोविच	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यू. एस. एस. आर. राज्य समिति में अध्यक्ष के कार्यालय के कार्यकारी प्रबन्धक।
वोरिलोव निकलाई निकिलाएविच	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये यू. एस. एस. आर. राज्य समिति में विदेशों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विभाग के प्रधान।
इनाश्वीली डेविड डेविडोविच.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये यू. एस. एस. आर. राज्य समितिके विदेशों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विभाग में वरिष्ठ विशेषज्ञ।
ट्रेवकिन व्लादीमीर निकालाएविच	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य समिति के विदेशों के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विभाग के विशेषज्ञ

सरकार की परमाणु नीति के आलोचनात्मक मूल्यांकन पर रोक लगाया जाना

5885. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के उच्च वैज्ञानिकों ने अनुरोध किया है कि सरकार की परमाणु नीति के किसी भी आलोचनात्मक मूल्यांकन पर पूर्ण रोक लगाई जाये और यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या नीति है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पोखरन परमाणु विस्फोट के बाद भारत का परमाणु कार्य-क्रम रुक गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सरकार को परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी भी वैज्ञानिक से ऐसा कोई भी सुझाव नहीं मिला है कि सरकार की परमाणु ऊर्जा संबंधी नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन न किया जाए।

(ख) जी, नहीं।

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति

5888. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिये स्वतन्त्रता सेनानियों/आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों के ऐसे कोई मामले हैं जो पांच वर्ष 3 वर्ष, 2 वर्ष और एक वर्ष से अधिक से लम्बि पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी का अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा क्या है और अभी तक पेंशन स्वीकृति न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी मामलों को 1983-84 वित्तीय वर्ष में स्वीकृति दे देने के लिये कोई विशेष अभियान चलाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस संभावित तारीख तक ऐसा कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) से (घ) 28 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों के संबंध में लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का अलग-अलग राज्यवार ब्यौरों का विवरण संलग्न है। लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का कोई वर्ष-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता। परन्तु लम्बित पड़े मामलों में अधिकांश मामले उदार बनाई गई पेंशन योजना के अधीन 1-8-80 के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे में है।

ये मामले राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्टें और अथवा आवेदकों से अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण लम्बित पड़े हैं। चूंकि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के पास उपलब्ध रिकार्डों के संदर्भ में आवेदकों के यातना के दावे के सत्यापन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों पर निर्भर करना पड़ता है, इसलिये आवेदन पत्रों को निपटाने के लिये कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आवेदन पत्रों की शीघ्र समीक्षा करने के लिये कदम उठायें। उनमें से अधिकांश राज्यों ने आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में विशेष कक्ष खोले हैं। उन्होंने शीघ्र सत्यापन के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु जिला/राज्य स्तरों पर समितियां भी गठित की हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	28-2-83 को स्वतंत्रता सेनानियों के लंबित पड़े मामले (भूतपूर्व आजाद हिंद फौज के मामलों को छोड़कर)	28-2-83 को लंबित पड़े (भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के मामले)	लम्बित पड़े कुल मामले (3+4का जोड़)
	1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	2	12	14
2.	आन्ध्र प्रदेश	6120	52	6172
3.	अरूणाचल प्रदेश	4	—	4
4.	असम	11489	15	11504
5.	बिहार	39700	84	39784
6.	चंडीगढ़	20	12	32
7.	दिल्ली	148	99	247
8.	गोवा	790	2	792
9.	गुजरात	217	28	245
10.	हरियाणा	489	138	627

1	2	3	4
11. हिमाचल प्रदेश	147	120	267
12. जम्मू और कश्मीर	1091	92	1183
13. केरल	17980	482	18462
14. कर्नाटक	6559	34	6593
15. मध्य प्रदेश	332	29	361
16. महाराष्ट्र	12760	37	12797
17. मणिपुर	46	388	434
18. मेघालय	39	5	44
19. मिजोरम	---	5	5
20. नागालैंड	13	4	17
21. उड़ीसा	6942	160	7102
22. पाँडिचेरी	484	32	516
23. पंजाब	1938	1957	3895
24. राजस्थान	227	141	368
25. तमिलनाडु	1431	826	2257
26. त्रिपुरा	873	7	880
27. उत्तर प्रदेश	5954	792	6746
28. पश्चिम बंगाल	49926	35	49961
कुल जोड़	165741	5588	171329

परमाणु कार्यक्रम

5889. श्री ए० नीलालोहिशादसन नाडार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत का परमाणु कार्यक्रम आत्मनिर्भर बन गया है ;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक नरोरा (एन. ए. पी. पी.) जैसी परमाणु भट्टियां चालू हो जायेंगी ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की भविष्य की योजनाएं (सातवीं और आठवीं) क्या है ; और

(घ) क्या सरकार डी० ई० ए० ए०ई०सी० के निराशाजनक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखकर इनकी एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी बनायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) भारत का परमाणु ऊर्जा सम्बंधी कार्यक्रम अधिकांशत: स्वावलम्बी है ।

(ख) उत्तर प्रदेश में नरोरा में लगाये जा रहे रिऐक्टर दाबित भारी पानी किस्म के हैं । ऐसे रिऐक्टर हमारे देश में पहले ही काम कर रहे हैं ।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तावित एक दीर्घकालीन योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर लगाए जायें, जिनमें 235/500 मेगावाट क्षमता वाले दाबित भारी पानी किस्म के बहुत से रिऐक्टर शामिल होंगे ।

(घ) यह कहना सही नहीं है कि न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम के बारे में कार्य-निष्पादन निराशाजनक रहा है । एक कार्यक्रम संनिरीक्षणकक्ष निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखता है और परमाणु ऊर्जा आयोग को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करता रहता है ।

नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए नये लाइसेंस जारी किया जाना

5890. **डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नये सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिये नये लाइसेंस जारी न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यावरण पर तिवारी समिति की रिपोर्ट

5891. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1981 में पर्यावरण की स्थिति के बारे में तिवारी समिति से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली है और उसमें उल्लिखित सिफारिशों और सुझावों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने किन क्षेत्रों को चिन्ताजनक पर्यावरण स्थिति वाला पाया है और उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार से संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्यों व संघ क्षेत्रों द्वारा इस बारे में उन सुझावों को अपनाने और लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या पर्यावरण आयोजना पर राष्ट्रीय समिति ने तिवारी समिति की सिफारिशों और सुझावों का गहराई से अध्ययन किया है और पर्यावरण कार्यक्रम के लिए कोई दृष्टि-कोण अपनाया है ; और

(घ) यदि हां, कार्यक्रम को लागू करने के लिए किए गए उपाय और तत्संबंधी योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां । सरकार ने रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिश पर विचार किया है जो सितम्बर, 1980 में प्राप्त हुई थी ।

(ख) समिति ने तीन मुख्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया । ये हैं : भूमि और जल संसाधन, प्राकृतिक रूप से विद्यमान संसाधन और पर्यावरणीय प्रदूषण विभिन्न चिन्ताजनक पर्यावरणीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक कार्यवाही आश्वस्त करने के लिए केन्द्र में सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों और राज्यों तथा संघ क्षेत्र राज्यों के सहयोजन में कदम उठाए गए हैं । इनमें विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील परियोजनाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का प्रतिपादन, वनों के पारिस्थितिकीय रूप से मजबूत प्रबन्ध के लिए नीति माप, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रोत्साहन, एक राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण और विकास आयोग की स्थापना, और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यावरण विभागों का सर्जन सम्मिलित हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) तिवारी समिति और राष्ट्रीय पर्यावरणीय आयोजन समिति के सुझावों के सामजस्य में, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पहले से चली आ रही और योजनाबद्ध स्कीमों, विकासशील परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और वनों के संरक्षण के लिए कानूनों को लागू करना, और पर्यावरणीय जागृति को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

दादरी सीमेंट फैक्ट्री को भारी उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया जाना

5892. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दादरी सीमेंट फैक्टरी, हरियाणा को नियंत्रण में लिए जाने के बाद उसे पुनः चलाना सुनिश्चित करने के लिए उसके श्रमिकों ने पूरी निष्ठा और वफादारी से काम किया है और कारखाने में शत प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन हुआ है और सीमेंट निगम के दस एककों में इसे सर्वोत्तम करार दिया गया और उसे शील्ड तथा पुरस्कार दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) कामगारों के सहयोग से चरखी दादरी एकक ने सीमेंट उत्पादन में 94 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया है तथा 1982-83 के प्रथम और द्वितीय तिमाही में इसने निगम के कुरकुन्ता एकक के साथ भारतीय सीमेंट निगम की अन्तः एकक प्रतियोगिता चल वैजन्ती (रोलिंग शील्ड) तथा नकद पुरस्कार जीता है ।

राजपत्रित पदों पर तदर्थ नियुक्तियां

5893. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के अधीन उन राजपत्रित पदों की श्रेणी वार संख्या क्या है जिनके स्थान पर तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं और जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग ऐसी नियुक्तियों की अवधि बढ़ाने की सहमति दे रहा है ;

(ख) क्या सम्बन्धित विभाग, मंत्रालय, कार्यालय राजपत्रित पदों पर तदर्थ नियुक्तियां करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं करते हैं ;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग सम्बन्धित कार्यालयों से समय समय पर अनुरोध मिलने पर तदर्थ नियुक्तियों की अवधि बढ़ाने के मामलों में अपनी सहमति देता है ; और

(घ) यदि हां, तो राजपत्रित नियुक्तियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग का क्या सकारात्मक सहयोग है ; और

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तदर्थ नियुक्तियों को प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन

राजपत्रित पदों पर की गई जिन तदर्थ नियुक्तियों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सहमति दी है, उनके श्रेणीवार आंकड़े न तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रखे जाते हैं और न ही इस विभाग में केन्द्रीकृत रूप में रखे जाते हैं।

(ख) मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक है कि लोकहित में की जाने वाली अल्प अवधि की जिन नियुक्तियों के एक वर्ष से अधिक समय तक रहने की संभावना नहीं है और जिनके बारे में आयोग को संदर्भ भेजने में अनावश्यक विलम्ब होगा, उन मामलों को छोड़कर शेष सभी तदर्थ नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करें।

(ग) तथा (घ) तदर्थ नियुक्तियों के प्रत्येक प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। जबकि निर्दिष्ट अवधि के लिए उपयुक्त मामलों में आयोग सहमति दे देता है तो भी कुछ मामलों में आयोग ऐसी नियुक्तियों के लिए सहमत नहीं होता जिनका उल्लेख आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में किया जाता है।

(ङ) आयोग तदर्थ नियुक्तियों को प्रोत्साहन नहीं देता। जिन तदर्थ नियुक्तियों के लिए आयोग सहमत नहीं होता अथवा जिनके बारे में आयोग को समय पर संदर्भ नहीं भेजा जाता उनका उल्लेख आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में किया जाता है। उसके परिणामस्वरूप, जहां आयोग को वर्ष 1976-77 में तदर्थ नियुक्तियों के 2449 प्रस्ताव भेजे गए थे वहां वर्ष 1981-82 में इनकी संख्या घट कर 1979 रह गई।

भिलाई संयंत्र का दूषित पानी

5894. **श्री केयूर भूषण**: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भिलाई संयंत्र का दूषित पानी समोदा नाला बिना इलाज किये ही प्रवाहित किया जाता है जिसके कारण शिवनाथ नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने संयंत्र हैं जिनका प्रदुषित पानी नदियों अथवा नालों में प्रवाहित किया जाता है और जो जल प्रदूषण की सामान्य समस्या बना हुआ तथा सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) भिलाई इस्पात संयंत्र का अपशिष्ट बहिः स्राव कोखा नाला में आवश्यक उपचार के पश्चात् ही प्रवाहित किया जाता है, जो अन्ततः शिवनाथ नदी में जाकर मिलता है।

(ख) देश में लगभग 1700 बड़े और मध्यम जल प्रदूषण सम्बन्धी उद्योग हैं जिनमें से

700 यूनिटों से अधिक ने उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं अथवा ऐसे संयंत्रों का आयोजन और संरचना प्रक्रिया में है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय और राज्य बोर्ड शेष यूनिटों के विषाक्त बहिः स्रावों के उत्सर्जन के विनियमन के लिए उद्योगों को उपचार संयंत्र स्थापित करने के निर्देश देकर प्रगामी उपाय कर रहे हैं।

राज्य संवर्गों में नियुक्ति

5895. **डा० ए०यू० आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिकारियों की भर्ती की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने और अखिल भारतीय सेवाओं, सामान्य विकास संवर्गों अथवा केन्द्र तथा राज्यों के बीच अन्य सहकारिता प्रबन्ध द्वारा व्यवस्था करके राज्य संवर्गों में अनुपूरक भर्ती के बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के विचारार्थ कतिपय सुझाव भेजे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यालयों में अधिकारियों की कमी का ब्यौरा क्या है और योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने पर उसका क्या अनुवर्ती प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार किए जाने पर बल दिया गया है, जिससे कि केन्द्र और राज्यों में विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित प्रशिक्षित कार्मिक प्राप्त किये जा सकें। इस दस्तावेज में जनशक्ति योजना के क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल देने के साथ-साथ राज्यों में जनशक्ति योजना सम्बन्धी व्यवस्था किए जाने की सिफारिश भी की गई थी जिससे कि उनकी विभागीय आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

एक सामान्य नियम के रूप में राज्य सरकारों को समय-2 पर यह सलाह दी जाती है कि वे योजना कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जनशक्ति की आवश्यकताओं का पता लगाएं और जनशक्ति की कमी/अधिकता की स्थिति से निपटने के लिए समुचित उपाय करें। राज्य स्तर पर जनशक्ति योजना सम्बन्धी कार्य को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों को रोजगार तथा जनशक्ति योजना तंत्र गठन करने/उसे सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में कार्मिकों की कमी को योजना में नियत लक्ष्यों के पूरा न हो पाने के साथ विशेष रूप से जोड़ना सम्भव नहीं है।

कागज का निर्यात

5896. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार ने कागज का निर्यात करने का फैसला किया है ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इसके निर्यात करने से देश में कागज की कमी हो जायेगी जिसके कारण पाठ्यपुस्तकों और स्टेशनरी आदि के बारे में छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या से निबटने के लिए क्या उपाय किए हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कागज का निर्यात करने से पहले कागज का कोई सुरक्षित भंडार रखा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितना कागज सुरक्षित रखा है और यदि नहीं, तो कागज का निर्यात करने का फैसला लेने के क्या कारण हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में केवल हाथ से बने कागज के अतिरिक्त 34 जी. एस. एम. से कम के एयरमेल टिशू कागज सहित सभी प्रकार के लिखाई और छपाई कागज का एक निर्धारित सीमा तक निर्यात करने की अनुमति दी है । ऐसा देश में इस समय कागज की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया गया है तथा इसके फलस्वरूप देश में कागज की कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है । कागज के निर्यात से सम्भावित विदेशी मुद्रा अर्जन के बारे में आकलन अभी समयपूर्ण होगा ।

हरोटी क्षेत्र, राजस्थान में सड़कों का निर्माण और पेय जल की सप्लाई

5897. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छठी पंच वर्षीय योजना में राजस्थान के हरोटी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो हरोटी क्षेत्र के लिए उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें इस योजना में शामिल किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उपरोक्त क्षेत्र के गांवों में सड़कों के निर्माण और पेयजल सप्लाई करने की जरूरत है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित स्कीमों के नामों का विवरण संलग्न हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार और राज्य योजना के भीतर उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण सड़कों और ग्रामीण जल पूर्ति स्कीमों के निर्माण का कार्य आरंभ किया है ।

विवरण

हरोटी क्षेत्र के लिए राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/स्कीमों के नाम

1. कृषि विस्तार और अनुसंधान परियोजना
2. तिलहन विकास स्कीम
3. दालों के विकास की स्कीम
4. नियंत्रण क्षेत्र विकास—चम्बल परियोजना
5. डेरी और मछली पालन सहित पशु पालन
6. भू संरक्षण सहित वन उद्योग
7. विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम :—

   (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

   (2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
8. सहकारी संस्थानों में सहकारिता—शेयर पूंजी अंशदान, गोदामों का निर्माण
9. सिंचाई :—

   (1) चम्बल परिसर :—

(1) कोटा बराज को बढ़ाना

2. राणा प्रताप सागर

3. जवाहर सागर

(2) मझौली :—

1. सावन-भादों

2. चम्पी

3. विलास

4. भीम सागर

5. हरीश चन्द सागर

10. विद्युत :—

(1) कोटा तापीय परियोजना—चरण-1 और 2

(2) 220 कि.वा. ट्रांसमिशन लाइन-कोटा-भीलवाड़ा स्ट्रींगइग आफ 2 सी.के.टी.

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण

11. उद्योग :—

(1) सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करना

(2) निवेश राज सहायता

(3) जैनरेटिंग सैटों आदि की खरीद पर राजसहायता

(4) हथकरघा का विकास

(5) खादी और ग्राम उद्योगों का विकास

12. खनिज विकास :

(1) गवेषण और पूर्वेक्षण

(2) खानों तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण

13. सड़कें

14. सामान्य शिक्षा :—

(1) प्राथमिक विद्यालय खोलना और प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्नयन

(2) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना

(3) नए विषय आरंभ करना

(4) प्रौढ़ शिक्षा

(5) कोटा में इंजीनियरी कालेज की स्थापना

15. चिकित्सा और स्वास्थ्य :—

(1) वर्तमान अस्पतालों को संघटित करना/कमियों को दूर करना

(2) संचारी रोगों का नियंत्रण

(3) प्रसूति शिशु कल्याण सहित परिवार कल्याण

(4) विशेष परियोजना—यू०एन०एफ०पी०ए० (कोटा जिला)

(5) ग्रामीण स्वास्थ्य—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

16 पीने के जल की पूर्ति :—

(1) शहरी जल पूर्ति—अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अंतर्गत कोटा शहर की जल निकासी स्कीम परियोजना

(2) ग्रामीण जलपूर्ति—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

17. आवास और शहरी विकास :—

(1) निम्न आय वर्ग आवास

(2) मध्यम आय वर्ग आवास

(3) गांवों में मकानों के लिए स्थल

(4) शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार (कोटा शहर)

(5) राजस्थान आवास बोर्ड की आवास परियोजना

18. पिछड़े वर्गों का कल्याण और समाज कल्याण :—

(1) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

(2) अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

(3) व्यापार कार्यों में लगने में सहायता

(4) पिछड़े वर्गों के कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

19. शाहबाद क्षेत्र में सहारिया जनजतियों का विकास

आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण बेरोजगारी का तेजी से बढ़ना

5898. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण गत तीन वर्षों के दौरान अप्रत्याशि रूप से बेरोजगारी बढ़ी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त अवधि के दौरान आर्थिक विकास की गति धीमी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसका उत्पादन में अव्यवस्था, क्षमता का कम उपयोग होना, तालाबंदी उद्योग बंद कर देने आदि से कोई संबंध है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस रोग को दूर करने के विचार से कोई गंभीर कदम उठाने वाली हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों की वृद्धि दर 1978 में 16.1 प्रतिशत से कम होकर 1979 में 13.1 प्रतिशत 1980 में 13.0 प्रतिशत और 1981 में 10.1 प्रतिशत हो गई है। 1982 में दर 10.7 प्रतिशत थी जो कि 1981 की दर से मामूली-सी अधिक है।

(ख) 1982-83 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छठी योजना के पहले 3 वर्षों में औसत वास्तविक वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत आंकी गई है जो कि छठी योजना के निर्धारित लक्ष्य के काफी निकट है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी उपयोजना हेतु प्रति व्यक्ति आवंटन

5899. **श्री अजय विश्वास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासियों की कुल संख्या कितनी हैं ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी उपयोजना में कुल कितना आवंटन किया गया है ; और

(ग) छठी योजना के दौरान आदिवासी उपयोजना में प्रति व्यक्ति कितना आवंटन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार देश में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 411.48 लाख थी। इसका 1981 में 528.24 लाख तक बढ़ने का अनुमान है ।

(ख) आदिवासी उप योजना के लिए छठी योजना अवधि (1980-85) में केन्द्रीय परिव्यय लगभग 650 करोड़ रुपया है।

(ग) छठी योजना अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आवंटन लगभग 150 रु. है । यदि राज्य योजना आवंटनों को भी शामिल किया जाए तो यह लगभग 956 रु. तक बढ़ जाएगा ।

दिल्ली के पुलिस थानों में महिला एस एच. ओ. की तैनाती

5900. **श्री भीखा भाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की यह नीति है कि दिल्ली के पुलिस थानों में महिलाओं को एस. एच. ओ. के रूप में तैनात न किया जाए ; और

(ख) यदि नहीं, तो दिल्ली में उन पुलिस थानों की संख्या कितनी है जिनमें एस.एच.ओ. हैं महिला एस. एच. ओ. की कुल कितनी संख्या हैं; और दिल्ली में तैनात

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एस.एच.ओ. की कुल कितनी संख्या है और उनमें कितनी महिलाएं हैं तथा कितने पुरुष हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कार्यकारी के संवर्ग में निरीक्षकों के स्तर के अधिकारियों को एस एच.ओ. के रूप में तैनात किया जाता हैं । बाल अधिनियम, के अधीन मामलों को निपटाने, महिला पीड़ितों, खोज के लिये पूछताछ महिला नजरबंदियों की सुरक्षा और हिरासत, दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण केन्द्रों आदि के लिये महिलाओं के लिए विशिष्ट रूप से स्वीकृत किए गए निरीक्षकों के चार पद हैं ।

(ख) दिल्ली में 66 पुलिस थाने हैं । दो एस एच.ओ. अनुसूचित जाति के हैं और इन में से कोई महिला नहीं है ।

बड़ौदा भारी पानी संयंत्र से परिमाणु ग्रेड भारी पानी का उत्पादन

5901. श्री सुभाष यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बड़ौदा भारी पानी संयंत्र से परिमाणु ग्रेड भारी पानी का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) भारी पानी संयंत्र, बड़ौधा की वार्षिक क्षमता न्यूक्लियर ग्रेड के शुद्धता वाले 67.2 मीटरिक टन भारी पानी का उत्पादन करने की है ।

मृत्यु दंड के स्थान पर क्षमा याचिका के लिये शपथपत्र प्रस्तुत करना

5902. श्री के लकप्पा :
श्री गुलशेर अहमद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 1983 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में डैथ पेनल्टी ऐल्युअल्ड ऐट मर्सी प्ली इनएम्सन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने अथवा आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में देरी होने के क्या कारण और औचित्य था ;

(ग) इस चूक के लिये कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) ऐसे कौन से उपाय किये गये हैं जिनमें भविष्य में ऐसी देरी न होने पाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या): (क) जी हां, श्रीमान्, । के.पी. मोहम्मद की दया याचिका गृह मंत्रालय में 6-1-1979 को प्राप्त हुई थी । जब मामले पर विचार किया जा रहा था, उच्चतम न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा पर मई, 1979 से मई 1980 तक और पुन: नवम्बर, 1981 से जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान 2-1/2 महीने के लिए, दो बार सामान्य स्थगन आदेश दिया था ।

(ख) और (ग) इसकी जांच की जा रही है ।

(घ) लम्बित पड़े मामलों और नए मामलों की प्रक्रिया समय सारणी के अनुसार पूरी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ।

प्रौद्योगिकी का आयात

5903. **डा० रूपचन्द पाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी उद्योगों के लिये बड़ी संख्या में प्रोद्योगिकीयों का आयात करने का सरकार का निर्णय, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा किए गए किसी खास अध्ययन पर आधारित है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में किस स्तर पर निर्णय लिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में उपरोक्त निर्णय को बदलने का विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जहां कहीं प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता निश्चित हो जाती है, वहां सरकार की नीति विश्व के शेष भागों में हो रहे प्रौद्योगिकीय विकासों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करने की व्यवस्था करने की है जो अन्कटाड द्वारा किए गए किसी अध्ययन पर निर्भर न रह कर राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है । यह नीति जनवरी, 1983 के प्रौद्योगिकीय नीति विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है ।

राउरकेला में सीमेंट ग्रांइडिंग और पैंकिंग संयंत्र

5904. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति और अंतःमंत्रालयी स्तर बातचीत के बाद राउरकेला में सीमेंट ग्राइंडिंग और पैंकिंग संयंत्र की स्थापना के लिए वर्ष 1983-84 के लिए योजनागत व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है ;

(ख) पूर्वी क्षेत्र की मांग पूरी करने के लिए सीमेंट परियोजना चालू करने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (ग) सरकार ने राउरकेला और चिलहाटी में सीमेंट की पिसाई और पैकिंग का एक-एक कारखाने लगाने के बारे में सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया है। "सेल" के विस्तृत प्रस्तावों पर पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए विचार किया जा रहा है। प्रारम्भिक कार्य के लिए वर्ष 1983-84 के योजना बजट में 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

सीमेंट का उत्पादन

5905. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट के उत्पादन में चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में कितनी कमी आयी है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : वर्ष 1982-83 के दौरान देश में सीमेंट का उत्पादन 230 लाख मी. टन होने की आशा है जो पिछले वर्ष के 210.6 लाख मी. टन सीमेंट के उत्पादन स्तर से अधिक होगा।

वरिष्ठ निजी-सहायकों और निजी सहायकों के ग्रेडों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध कर्मचारी

5906. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में दिनांक 1 जनवरी, 1982 तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग से संबंधित वरिष्ठ निजी सहायकों और निजी सहायकों के सभी ग्रेडों में कुल कितने पद थे तथा उनके रोस्टर की स्थिति क्या है ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में संदर्भित पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त पदों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के चारों ग्रेडों में आशुलिपिकों की कुछ संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आशुलिपिकों की संख्या इस प्रकार है :—

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या
ग्रेड "क"	34	3
ग्रेड "ख"	26	3
ग्रेड "ग"	258	7
ग्रेड "घ"	310	7

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का कोटा क्रमश: 15 प्रतिशत और 7-1/2 प्रतिशत है। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षाओं, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा की जाती है। नियमों के अंतर्गत निर्धारित कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए भर्ती के प्रत्येक तरीके के लिए पृथक रोस्टर रखे जाते हैं। फिर भी यदि आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया जाता है। और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लागू आदेशों के अनुसार उनको बाद में भर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाया जाता है।

रुग्ण एकक

5907. **श्री सैफद्दीन चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष (1982-83) में और अधिक संख्या में बड़े मध्यम, श्रेणी के तथा लघु एकक रुग्ण हुये हैं ? और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) रुग्ण औद्योगिक एककों के संबंध में वर्ष 1982-83 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कोष का गठन

5908. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के विभिन्न भागों में कुछ विख्यात संस्थाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी फार्मों की स्थापना के लिए पर्याप्त कोष रखा है जैसा कि 13 और 14 फरवरी, 1983 को हैदराबाद में हुए वर्कशाप में सिफारिश की गई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बी० आई० टी० मेसरा रांची, बिहार में 1976 में बिहार सरकार की मदद से ऐसा ही कार्यक्रम आरंभ किया गया था जिसके काफी अच्छे परिणाम निकले,

(ग) क्या यह सच है कि बी० आई० टी० ने सरकार से अनुरोध किया है कि उसे वित्तीय सहायता दी जाये ताकि उसे सामान्य रूप से बिहार में तथा विशेष रूप से रांची के आस-पास औद्योगिक गतिविधि के अनुरूप बदला जा सके और उस स्तर तक लाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी उद्यानों की स्थापना के लिए 13-14 फरवरी, 1983 को हैदराबाद में हुई कार्यशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किसी प्रकार के कोष की स्थापना की विशिष्ट रूप से सिफारिश नहीं की गई।

(ख) सरकार को बी० आई० टी० मेसरा, रांची के कार्यक्रम की जानकारी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस मामले की जांच की जा रही है।

शराब पीने से हुई मौतों/बेहोशी के मामले

5909. **श्री जयपाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में शराब पीने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने लोग बेहोश हुए, सरकार के पास ऐसे कितने मामले दर्ज किये गए, कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं तथा कितने मामलों में लोग बरी कर दिए गये हैं ; और

(ख) ऐसे कितने मामले घटित हुए जिनमें लगभग 100 या इससे अधिक लोगों की या तो मौत हो गई अथवा वे बेहोश हो गए तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) ऐसे मामलों के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि अपराध राज्य का विषय है। शराब संबंधी अपराध भारतीय दण्ड संहिता, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के आबकारी तथा नशाबन्दी कानूनों के अनुसार नियमित किए जाते हैं। नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, उसका रखना, परिवहन, खरीद व बिक्री राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने कानून के अनुसार जहरीली शराब, के उत्पादन, उसकी बिक्री आदि को रोकने के लिए उपाय किए हैं।

रुग्ण एककों की सहायता के लिए ''मार्जिन मनीस्कीम''

5910. **श्री अनादि चरण दास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रुग्ण लघु एककों को पुन चालू करने के लिए, ''मार्जिन मनीस्कीम'' नामक योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों में स्थापित इन रुग्ण लघु एककों को केन्द्र द्वारा किस आधार पर यह "मार्जिन मनी" दी जायेगी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने की सीमान्त धन योजना 1. 1. 1982 से लागू है। योजना को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार 50:50 की समानता के आधार पर राज्य सरकार को ऋण देती है। राज्य सरकारें रुग्ण एककों की राज्य स्तरीय समन्वय समितियों की सिफारिशों पर पिछले 7 वर्षों के दौरान पंजीकृत लघु एककों को कम से कम 1,000 रुपये और अधिक से अधिक 20,000 रुपये का ऋण प्रति एकक मंजूर करती है। सीमान्त धन सहायता की राशि उन्हीं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है जो उनको पुनर्ज्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के लिए ऋण प्रदान किये होती हैं। राज्य/संघ प्रशासित प्रदेश उद्यमियों को ऋण के रूप में दी जाने वाली सीमान्त धन सहायता की शर्तों का सुनिश्चय अपनी स्वेच्छा से करते हैं। फिर भी राज्य सरकारों को उद्यमियों से कम से कम 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लेने की सलाह दी जाती है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन

5911. **श्री रशीद मसूद :**
श्री छोटे सिंह यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1981-82 में विभिन्न सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु चुने गए और सिफारिश किये गये उम्मीदवार बड़ी संख्या में अभी भी अपनी नियुक्तियों के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा साथ ही 1981-82 में सरकारी नौकरियों के लिये चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाने पर विचार किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिनाँक 2. 3. 1983 को सदन के पटल पर रखी गई संघ लोक सेवा आयोग की 32 वीं रिपोर्ट के परिशिष्ट XIV पर उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के सत्यापन के कारण उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव जारी किये जाने में हुये कुछ विलम्ब का उल्लेख है। अब सरकार ने नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने सें सम्बन्धित क्रियाविधि को सुचारु बना दिया है, जिससे कि चयन किये गए उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव भेजने में विलम्ब को कम से कम किया जा सके।

राजधानी में हैरोइन का पनपता बाजार

5912. **श्री छोटे सिंह यादव**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मार्च 1983 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें राजधानी में हीरोइन के पनपते बाजार का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो हीरोइन के अवैध व्यापार को समाप्त करने और इस व्यापार में लगे गिरोहों का सफाया करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षकों की भर्ती

5913. **श्री केशवराव पारधी,** : क्या गृह मंत्री गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षकों की भर्ती के बारे में 17 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3742 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 24 और 25 फरवरी, 1983 को गृह कल्याण केन्द्र ने "कटर" और टेलर मास्टर के पद के लिए कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार लिया ;

(ख) चुने गए/अस्वीकार किए गए उम्मीदवारों का पृथक पृथक शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता, अनुभव और आर्थिक आवश्यकताओं सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए कोई पद आरक्षित थे ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस केन्द्र में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उसमें श्रेणीवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अनुपात क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) कटर/टेलर मास्टरों के पदों पर कार्य करने के लिए जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार 24 और 25 फरवरी 1983 को लिया गया था और उनमें से जिन्हें चुना गया/अस्वीकार किया गया उनकी संख्या और पूरे ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी. 6310/83] ।

(ग) और (घ) गृह कल्याण केन्द्र, कर्मचारी कल्याण-संगठन की योजना का ध्येय सरकार के अन्य वेतनभोगी कर्मचारियों के आश्रितों की सहायता करने के लिए उन्हें कुछ प्रशिक्षण तथा कार्य-अनुभव प्रदान करना है ताकि उन्हें अन्यत्र नियमित रोजगार के अवसर मिल सकें। गृह कल्याण केन्द्र में जो कार्य होता है वह नियमित रोजगार नहीं होता, बल्कि जरूरत मंद कर्मचारियों के परिवारों को दी जाने वाली किंचित सहायता के रूप में होता है, इसलिए गृह कल्याण केन्द्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह सूचना नहीं रखी जा रही है ।

औषधियों के लिए समुद्री खनिजों का विकास

5914. श्री आर० एन० राकेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा औषधियों के रूप में प्रयोग करने के प्रयोजन से समुद्री पोधों की कौन-कौन सी जातियों का तथा अन्य खनिजों का पता लग गया है ;

(ख) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा गर्भ-निरोधी औषधि के रूप में प्रयोग करने हेतु समुद्री पौधों की कौन सी जाति का पता लग गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उपरोक्त गर्भ-निरोधी समुद्री औषधि जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में सहायक होगी ; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक तथा यह औषधि किस रूप में प्रयोग की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान। भारत में समुद्री पौधों और खनिजों को कच्चे माल के रूप में, प्रभावकारी दवाओं और औषधियों के लिए इस्तेमाल किये जाने की उत्पति अभी हाल ही में हुई है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन. आई. ओ.) गोआ द्वारा जिन 100 या उससे अधिक अवयवों की जांच की गई है उनमें से 42 के परिणाम सकारात्मक आये हैं।

(ख) एक समुद्री-शैवाल (सी-वीड) "ग्रेसिलेरिया एस. पी" का पता चला है जिसमें गर्भ-निरोधी सक्रियाता के विशिष्ट गुण दिखाई दिये हैं। यह सक्रियाता पौधों में प्रोस्टेगलैंडिन्सकी मौजूदगी के कारण है। यह रसायन पशुओं में जीव-विज्ञान सम्बन्धी उत्पत्ति को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है।

(ग) समुद्री-शैवाल (सी-वीड) की गर्भ-निरोधी औषधि का मनुष्यों पर अभी परिक्षण नहीं किया गया है।

(घ) वैज्ञानिक अभी यह नहीं जानते हैं कि किस रूप में इस औषधि का प्रयोग किया जाएगा।

भ्रष्टाचार मिटाने के लिये प्रशासन में सुधार करना

5915. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रशासन में सुधार करने तथा जनता से सीधे सम्पर्क वाले विभिन्न मंत्रालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने हेतु कुछ निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को राजधानी में रह रही विभिन्न औद्योगिक गृहों के सम्पर्क अधिकारियों को विशेषकर उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन, वाणिज्य, वित्त आदि के संबंध में अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इन सम्पर्क अधिकारियों की इन अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधान मंत्री ने मंत्रालयों को तत्परता, विनम्रता, समय की पाबन्दी तथा सफाई सुनिश्चित करके अपने कार्य-निष्पादन को कारगर बनाने के संबंध में लिखा है । प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा अनावश्यक एवं फजूल खर्च से बचने की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी लिखा है । सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में, प्रधान मंत्री ने बढ़ायी गई कार्यावधि पर कार्य कर रहे अधिकारियों को उनके मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तित करने, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त अधिकारियों की सेवा-वृद्धि/पुनर्नियोजन के मामलों की पुनरीक्षा करने, सीमित केन्द्रीय कार्यावधि वाले अधिकारियों की विदेशों में भारत सरकार के पदों पर तैनाती से बचने तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मूल राज्यों में अन्तः संवर्ग स्थानान्तरणों/प्रतिनियुक्तियों के सम्बन्ध में कड़ाई बरतने के बारे में निदेश जारी किए हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सम्पर्क अधिकारियों की अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रखने और संबंधित अधिकारियों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों में लगे हुए संदिग्ध व्यक्तियों के साथ व्यवहार में सावधान रहने के लिए स्थायी अनुदेश विद्यमान हैं । जिन बेईमान बिचोलियों पर मंत्रालयों/विभागों के साथ अपने लेनदेन में भ्रष्ट अथवा अनियमित कार्यों का सहारा लेने का सन्देह होता है, उनकी शिनाख्त करने के प्रयत्न भी किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, आगन्तुकों को सुरक्षा क्षेत्र में भवनों के परिसर के भीतर अवर सचिव से निचले स्तर के अधिकारी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

मेटल स्क्रेप के आवंटन में अनियमितताएं

5916. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात व्यापारियों और मैकेनिकल प्रोसेसर्स ने मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन पर मेटल स्क्रेप के आवंटन में गंभीर अनियमिताओं का आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्क्रेप के उचित आवंटन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में कागज-मिल की स्थापना

5917. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पंजाब में कागज मिलों विशेष रूप से छोटी कागज मिलों की स्थापना की भारी सम्भावनाएं हैं क्योंकि वहां आपेक्षित कच्चा माल तथा अन्य आदान भारी मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि पंजाब में छोटी कागज मिलों के उत्थान को हाल में आई. डी. बी. आई. द्वारा कागज परियोजनाओं को पुन: वित्त पोषित करना बन्द कर देने के कारण भारी धक्का लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वे इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक आई. डी. बी. आई. तथा अन्य केन्द्रीय वित्त संस्थाओं से बात चीत करेंगे तथा उनसे यह अनुरोध करेंगे कि वे पहले से स्वीकृति एककों को तथा भविष्य में प्रयोजित होने वाले एककों को आवश्यक ऋण सहायता प्रदान करें ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1.1.1983 तक पंजाब में 31,000 मी. टन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमतावाली 8 कागज मिलें कागज और गत्ते का उत्पादन कर रही थीं। औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र देकर 1.37 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति दी गई है और 1,99 लाख मी. टन की क्षमता तकनीकी विकास के महानिदेशालय में भी पंजीकृत की जा चुकी है।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से, जिसके साथ नई कागज मिलों को वित्तीय सहायता देने सबंधी प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था, बताया है कि कृषि-अवशेषों पर आधारित अनेक छोटी (मिनी) कागज परियोजनाओं को काफी वित्तीय सहायता की गई है। इसके अलावा, संस्थानों ने इन परियोजनाओं का हाल ही में एक अध्ययन किया था जिससे पता चला है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को उच्च पूंजीगत लागत, कार्य संचालन संबंधी समस्याओं, रिकवरी प्रणाली के अभाव, उत्पाद की घटिया किस्म आदि और साथ ही इस समय बाजार में विद्यमान मंदी की स्थिति के कारण विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों ने यह निर्णय लिया है कि कोई नई परियोजना हाथ में लेने से पूर्व कागज की विद्यमान छोटी परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन पर कुछ और अधिक समय तक निगरानी रखी जाये।

औद्योगिक गैसों पर सेमीनार

5918. श्री एस० ए० वोराई सेबिस्तयन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 में औद्योगिक गैसों के उत्पादन के संबंध में हुए राष्ट्रीय सेमीनार के प्रमुख सुझाव क्या हैं ; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) आल इण्डिया इन्डस्ट्रियल गैसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से गोष्ठी के बारे में सरकार को कोई भी औपचारिक रिपोर्ट नहीं मिली है । फिर भी गोष्ठी में दिए गए कुछ सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) औद्योगिक गैस उद्योग का भावी विकास इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए जिससे पूर्ति और मांग की स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम किया जा सके ।

(2) उर्वरक एककों, वनस्पति एककों, आदि से उपोत्पाद/बेकार आक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बनडाई-आक्साइड प्राप्त करने के लिए सुविधाएं स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों के पक्ष में विचार किया जाना चाहिए ।

(3) कैप्टिव खपत सम्बन्धी प्रस्तावों के पक्ष में विचार किया जाना चाहिए ।

(4) उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक गैस सम्बन्धी नामिका (पैनल) की संवीक्षा की जानी चाहिए ।

एसोशिएशन द्वारा दिए गए सुझाव सरकार को जब भी मिलेंगे तो उन पर विचार किया जायेगा ।

जनगणना विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियमित बनाना

5919. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना विभाग द्वारा राज्य सरकारों के जनगणना विभागों में बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित किया गया है ;

(ख) क्या सारे देश में कर्मचारियों के लिए समान निश्चित सेवा शर्तें, वेतनमान और दैनिक भत्ता तथा आवास किराया भत्ता की व्यवस्था है ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने अपनी सेवा स्थितियों और वेतन को अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की ही तरह नियमित करने के लिए अभ्यावेदन किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1981 की जनगणना के संबंध में विशेष समयबद्ध कार्यों के लिए बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी भर्ती किए गए थे किन्तु वे जनगणना कार्य निदेशालयों द्वारा नियुक्त किए गए थे जो भारत सरकार के कार्यालय हैं और राज्य सरकारों के नहीं हैं।

(ख) ये अस्थायी जनगणना कर्मचारी निश्चित सेवा शर्तों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। किन्तु उनको समेकित वेतन पर भर्ती किया गया है और नियमित वेतनमान पर नहीं। उनको दैनिक भत्ता और आवास किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

(ग) जी हां, श्रीमान। फिर भी चूंकि उनको सौंपा गया कार्य विशेष प्रकार और थोड़े समय का है ऐसे कर्मचारियों को नियमित वेतनमानों की अपेक्षा समेकित वेतन पर रखने की प्रथा रही है।

लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों में मन्दी

5920. श्री दीन बन्धु वर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और मध्यम क्षेत्र के 35,000 औद्योगिक एकक मन्दी के कारण रुग्ण हैं ; और

(ख) यदि हां, तो लघु एककों की समस्याओं को सुलझाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार दिसम्बर, 1981 के अन्त तक 26,336 अनन्तिम मझौले और लघु एकक थे। सामान्यत: आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक मिले-जुले कारण प्राय: औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा लघु क्षेत्र में रुग्णता को फैलने से रोकने के लिए अनेक अभ्युपाय किए गए हैं। जानकारी प्रदान करने के लिए एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करने और सरकार बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य अभिकरणों के बीच एक समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है रुग्ण एककों की पुन: स्थापना करने बैंकों में संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने रुग्ण एककों की मॉनीटरिंग करने और उन्हें परामर्श संबंधी सहायता देने पर बल देने तथा रियायती शर्तों पर

आवश्यकता के अनुसार ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की स्वीकृति देने के बारे में विचार करने के लिए, बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत और अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी रुग्ण एककों के सम्बन्ध में बैंकों से मिलने वाले हवालों पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

सरकार ने रुग्ण एककों को एक समन्वित ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समितियों/अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया है। लघु उद्योगों के विकास को सुगम बनाने और प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने, आवश्यक प्रोत्साहन समर्थन प्रदान करने के लिए संस्थागत ढांचे का विस्तार करने, कार्यशाला सुविधाओं की स्थापना करने और उनमें सुधार करने प्रक्रिया और उत्पादन विकास केन्द्रों और क्षेत्रीय (फील्ड) परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करने, विपणन के लिए अधिकाधिक सहायता का प्रावधान करने, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों के साथ समन्वय और संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। सरकार ने 1.1.1982 से लघु एककों के लिए रुग्ण एककों को पुनः स्थापित करने हेतु एक सीमांत धनराशि योजना भी चलायी है।

भारी पानी के उत्पादन में बाधा

5921. **श्री आर. प्रभु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संयंत्रों में भारी पानी के उत्पादन में बाधा आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) परमाणु बिजलीघरों को अपेक्षित भारी पानी की निर्बाध रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) भारी पानी संयंत्रों में अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास उन संयन्त्रों के चालू रहने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में सुधार करके और संयंत्रों का प्रचालन तथा रख-रखाव दक्षतापूर्वक करके किया जा रहा है।

तमिलनाडु में आई० पी० एस० संवर्ग के अधिकारियों द्वारा सेवा निवृत्त के लिए विकल्प

5922. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कार्य कर रहे आई० पी० एस० संवर्ग के बहुत से अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार वास्तव में जो अधिकारी सेवा-निवृत्त हो गए हैं उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जो अधिकारी सेवा निवृत्त होने वाले हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1980, 1981 और 1982 के वर्षों के दौरान तामिलनाडु संवर्ग के किसी आई० पी० एस० अधिकारी ने सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प नहीं किया गया है ।

आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों का पता लगाना

5923. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाकों को योजना से कोई लाभ नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इलाकों का पता लगाया है, उनकी विकास सम्भावनाओं की जांच की है और उनमें तेजी से विकास के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं ;

(ग) देश में राज्य-वार जिला-वार पिछड़े इलाकों के नाम क्या है ;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में इस विशिष्ट योजना के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं । यह सही नहीं है ।

(ख) सरकार ने कुछ ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया है जो विशेष कारणों से पिछड़े हुए हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र । इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए, उनकी विकास क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी त्वरित संवृद्धि के लिए विशिष्ट विकास योजनाएं तैयार की गई हैं ।

(ग) निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों के राज्यवार और जिलेवार ब्यौरे संलग्न हैं । [ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या ए० टी० 6311/83] ।

(घ) और (ङ) पिछड़े निर्धारित किए गए क्षेत्रों के विकास के लिए छठी योजना में उपलब्ध कराई गई विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित हैं :-

मद	(करोड़ रु०)
1. पहाड़ी क्षेत्र (पश्चिमी घाट के विकास सहित जिसके लिए एक करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है)	560
2 जनजातीय क्षेत्र	470
3. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र	175
4. रेगिस्तानी क्षेत्र	50
5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	340
6. औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र	100

इलेक्ट्रानिक सामान पर शुल्कों में कटौती

5521. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं का समर्थन देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो आवश्यक उद्योग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने करों और शुल्कों में कटौती करने का कोई निर्णय किया है ताकि इस उद्योग में जनता के लिए प्रतियोगी दरों पर टी० वी० सेट विशेषकर रंगीन, बनाए जा सकें ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के सभी क्षेत्रों को, जिनमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र भी शामिल हैं, उनके संतुलित तथा सुनियोजित विकास के लिए कुल मिलाकर सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। उपभोक्ता इलेक्टॉनिकी वस्तुओं के उत्पादन के कारोबार की तुलना में उसमें जो कम मात्रा में पूंजीनिवेश करना होता है, उससे विकास के अच्छे अवसर मिलते हैं। उत्पादन के व्यापक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकारें अब केन्द्र के समक्ष मामलों को प्रस्तुत किए बगैर अनेक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे रेडियो-रिसीवरों, टेप रिकार्डरों, के विनिर्माण के लिए अनुमोदन जारी कर रही हैं। सरकार पूंजीगत वस्तुओं तथा संघटन-पुर्जों की उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए इनमें से कुछ मदों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखकर तथा अन्य वस्तुओं, जैसे श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटरों के लिए सेमीकण्डक्टर परिपथों, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के लिए माडयूलों आदि का केन्द्रीय सरकार की

कम्पनियों के माध्यम से सरणीबद्ध रूप में आयात कराकर उन्हें बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। ये सुविधाएं और आगे भी बढ़ायी जा सकती हैं। इसके फलस्वरूप अनेक इकाइयों ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है। इस तरह से इस क्षेत्र के स्वाभाविक विकास में तेजी लाने में मदद मिली है। सरकार द्वारा 25 फरवरी, 1983 को घोषित रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों से सम्बन्धित औद्योगिक नीति में ऐसे तत्व हैं। जिनसे बढ़िया किस्म के रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के उत्पादन तथा उनकी बिक्री में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए। उदाहरणार्थ इस नीति में स्थापित उत्पादन क्षमता या किए जाने वाले उत्पादन पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है; केवल विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) वाली कम्पनियों को छोड़कर उद्योग के सभी क्षेत्रों के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन करने का प्रावधान किया गया है। उत्पादन के दौरान महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों के मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण पर काफी बल दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे लिपिकों/आशुलिपिकों को नियमित किया जाना

5925. **श्री कुंवर राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तीन वर्षों से भी अधिक समय से कितने लिपिक/आशुलिपिक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) क्या तीन वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे उन लिपिकों/आशुलिपिकों की सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा विकेन्द्रीयकृत है। इसलिए यह सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ख) तदर्थ अवर श्रेणी लिपिकों की सेवाएं विनियमित किए जाने के लिए दिसम्बर, 1982 में एक विशेष परीक्षा आयोजित की गई थी। तदर्थ अवर श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल करने के उद्देश्य से उनकी सेवाएं विनियमित किए जाने के लिए ऐसी ही एक दूसरी परीक्षा इस वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। किन्तु तदर्थ आशुलिपिकों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'डी' में शामिल करने के उद्देश्य से उनके विनियमन के लिए कोई परीक्षा आयोजित किए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस्पात के आयात को कम करने तथा स्वदेशी क्षमता के उपयोग की योजना

5926. श्री डी. पी० जदेजा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस्पात के अनावश्यक आयात को कम करने के लिए आरम्भ किए जाने की संभावना है ताकि स्वदेशी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सके ;

(ख) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान आयात किए गये इस्पात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि निर्माताओं के पास भारती इस्पात इकट्ठा हो गया है, यदि हाँ, तो कितना और तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी० साल्वे) : (क) इस्पात की मदों के अनावश्यक आयत पर रोक लगाने और देशीय क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) एक नयी योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत "सेल" पंजीकृत निर्यातक आयात नीति सम्बन्धी लाइसेंसधारियों और अन्य आयात-लाइसेंसधारियों को इस्पात की कुछेक श्रेणियां, गर्मबेलित क्वायल/स्केल्प, ठंडे बेलित क्वायल/चादरें और बेदाग इस्पात की चादरें/क्वायल स्पर्धी मूल्यों पर सप्लाई करेगी ।

(2) जिन मदों की मांग अधिक है, उनका उत्पादन अधिक करने के लिए "सेल" के कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम में समायोजन किया गया है ।

(3) वर्ष 1982-83 की आयात नीति में और प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। इस्पात की जिन मदों का इस समय आयात किया जा रहा है, उन मदों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुनर्बेलन उद्योग की देशीय क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान इस्पात के कुल आयात के प्रकाशित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन वर्ष 1981-82 में "सेल" ने माध्यम अभिकरण के रूप में 10.4 लाख टन इस्पात और अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1983 की अवधि में 12.4 लाख टन इस्पात का आयात किया है ।

(ग) 1. 3. 1983 को "सेल" के कारखानों और घरेलू बिक्री के स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात का कुल स्टाक 14.69 लाख टन था (आंकड़े अस्थाई हैं) । स्टाक में वृद्धि मुख्यतः इस लिए हुई है कि बिक्री, उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है ।

गुजरात में हजीरा में शिपयार्ड की स्थापना

5927. श्री नरसिंह मकवाना : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि पुनर्विलोकन के दौरान गुजरात में हजीरा में एक शिपयार्ड की स्थापना के बारे में लिए गये निर्णय के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस शिपयार्ड के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस शिपयार्ड में कितने और कितनी क्षमता के जहाज बनाने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में हजीरा में शिपयार्ड की स्थापना संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अन्तर्गत वर्तमान दो शिपयार्डों अर्थात हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० और कोचीन शिपयार्ड लि० को आधुनिक बनाने और उनके विस्तार करने के लिए सघन प्रयत्न किये जाने चाहिए ताकि वहां अनुभव की जा रही समस्याओं और कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादन में वृद्धि

5928. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिसम्बर 1981 में 1981-82 के सम्भावित उत्पादन पर 1982-83 में उनके उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने के उद्देश्य से निर्देश दिए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो भारी उद्योग में दिसम्बर 1982 तक इस मार्गदर्शी सिद्धांतों का कहां तक अनुपालन किया गया था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1982 में सम्बन्धित उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन से 20 प्रतिशत अधिक था।

पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल

5929. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत के महत्वकांक्षी "पोलर सेटेलाइट लाँच व्हीकल" के 1986-87 में छोड़े जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी तैयारी के बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री बी०शिवराज पाटिल) : (क) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट की प्रथम उड़ान के 1987/88 में होने की सम्भावना है। विकास कार्य के क्रान्तिक डिजाइन पुनरीक्षण चरण तक पहुंच जाने के बाद इसके प्रमोचन की अधिक सही तारीख उपलब्ध होगी।

(ख) सरकार ने जून, 1982 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। तकनीकी अवयवों के विविध आधार रेखा पुनरीक्षण किए गये हैं तथा परियोजना प्रारम्भिक डिजाइन पुनरीक्षण चरणों तक पहुंच रही है। कई सुविधाओं को स्थापना का कार्य शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीयजिलों के विकास के लिये आवंटित धनराशि

5930. श्री हरीश रावत : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीयजिलों के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) क्या इन जिलों के लिए मंजूर योजना मसौदा जम्मू व कश्मीर के लिए मंजूर योजना में अपनाये गये मानदंड के अनुरूप है ?

योजना मंत्री श्री (एस. बी. चव्हाण) : (क) 1983-84 के लिए उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 85 करोड़ रु० की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त 55 करोड़ रु० राज्य योजना निधियों से उपलब्ध होंगे जिससे 1983-84 के लिए उत्तर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों की उप-योजना का आकार 140 करोड़ रु० हो जायेगा।

(ख) जम्मू और कश्मीर की राज्य योजना पर लागू होने वाले मानदंड उत्तर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों की उप-योजना पर लागू नहीं होते।

हिमाचल प्रदेश को छठी पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त धनराशि का आवंटन

5931. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) सरकार से प्राथमिकता पाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी. चव्हाण) : (क) हिमाचल प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से 560 करोड़ रु० रखा गया था—और इनको अपनी छठा पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट" पर एक दल

5932. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने "डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस एण्ड मैनेजमेंट" पर एक दल का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं और विभिन्न राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी० चव्हाण) : (क) जी हां, । योजना आयोग द्वारा "डिसाइस्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमैंट" पर एक दल का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट अगस्त, 1981 में आयोग को प्रस्तुत की गई थी ।

(ख) दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों से सम्बन्धित विवरण दि० 7 अप्रैल, 1982 को दिए गये तारांकित प्रश्न संख्या 632 के भाग (क) के उत्तर में लोक सभा पटल पर रखा गया था । कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से विचार/टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी हैं । जिन राज्यों ने अब तक उत्तर दिए हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं कुल मिला कर अनुकूल हैं ।

इंडों-ई०ई०सी० पैनल फार जोइंट वेन्चर

5933. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी 1983 के अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेरल्ड में "इन्डों ई० ई० सी० पैनल जोइन्ट वेन्चर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में कितने विदेशी सहयोग किए गए ;

(ग) उनमें से कितने योरोपीय आर्थिक समुदाय देशों के साथ थे ;

(घ) योरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को पुन: पर्याप्त खरीदने की व्यवस्था सहित शत प्रतिशत निर्यात प्रधान उद्योगों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या भारत योरोपीय आर्थिक संयुक्त आयोग में एक स्थाई समिति शीघ्र नियुक्त की जायेगी जो भारत और योरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों के बीच सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की सिफारिश करेगी ; और

(च) पारस्परिक प्राथमिकता के लिये चुने गए औद्योगिक क्षेत्रों में मध्यम और छोटे उद्यमों के लिये पता लगाए गए क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1982 के दौरान भारत सरकार द्वारा 590 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी इनमें से 305 प्रस्ताव यूरोपीय बाजार देशों के उद्यमों के साथ हुए थे।

(घ) से (च) विदेशी सहयोग जिनमें विदेशी निवेश सम्मिलित है, के बारे में सरकार की नीति विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रचारित की जा चुकी है और यूरोपीय साझा बाजार की विभिन्न गोष्टियों में इसकी व्याख्या की जा चुकी है। भावी सहयोगों में विभिन्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित किए जा सकेंगे किन्तु उत्पाद विशेष का पता लगाना आवेदक पार्टी का काम है। शत प्रतिशत निर्यात वाले उद्यमों को बदले में उनकी वस्तुएं खरीदने की व्यवस्था करके प्राथमिकता दी जाती है ;

भारत -यूरोपीय साझा बाजार के संयुक्त ढाचे के अंतर्गत औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी एक स्थायी समिति स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर इसकी अगली बैठक में विचार किए जाने की संभावना है।

सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों के लिए औद्योगिक उद्यमी पाठयक्रम

5934. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सेवानिवृत हुए और सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों हेतु औद्योगिक उद्यमियों का पाठ्यक्रम लघु उद्योग सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न औद्योगिक अद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं।

दिल्ली तथा अन्य राज्यों में पुलिस बल का कल्याण

5935. **श्री रामजी भाई मावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली तथा अन्य राज्यों के पुलिस बल के कल्याण के लिए विभिन्न सुविधाएं देने तथा योजनाएं बनाने को इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने 1 फरवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1983 के दौरान दिल्ली प्रशासन तथा अन्य राज्यों को इस बारे में कोई पत्र भेजा है ; और

(घ) दिल्ली तथा अन्य राज्यों में 1983 के दौरान पुलिस बल के कल्याण के लिये क्या अतिरिक्त कदम उठाये जाने हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) पुलिस राज्य का विषय होने के कारण अपने अपने राज्यों में पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिए सुविधाओं और योजनाओं की वृद्धि करने के बारे में उपाय करना विभिन्न राज्य सरकारों का कार्य है किन्तु पुलिस के मनोबल को ऊंचा उठाने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता देते हुए 6 जून, 1979 को हुई पुलिस सुधार संबंधी मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में निम्नलिखित के सम्बन्ध में विभिन्न मामलों पर विचार किया गया:—

(1) पुलिस एसोसिएशन।

(2) हस्तक्षेप के विरुद्ध आक्रोश।

(3) पुलिस का वेतन तथा स्तर।

(4) पुलिस की कार्य शर्तें।

(5) अर्दलियों का दुरुपयोग।

(6) अपर्याप्त आवास।

उनके निष्कर्ष शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिये 12 जून, 1979 को राज्य सरकारों को भेज दिए गए थे। राज्य सरकारों ने विभिन्न कल्याण उपाय करने के लिये कदम उठाये हैं। दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिये किये गये विभिन्न उपायों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6312/83)

उप सचिवों की 1982 की चयन सूची का पुनरीक्षण

5936. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "इण्डिया टूडे" के दिनांक 15 फरवरी, 1983 में "सिविल वार इन सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की जानकारी है ;

(ख) क्या 9 दिसम्बर, 1982 को जारी की गई उप सचिवों की 1982 की चयन सूची अक्तूबर, 1982 में तैयार थी परन्तु बाद में कार्मिक विभाग के कनिष्ठ अधिकारियों को उसमें स्थान देने के लिये उसका पुनरीक्षण किया गया था ; यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पिछले वर्ष उपयुक्त न पाये गये अधिकारी को इस वर्ष सूची में "अभूतपूर्व" वर्ग में सम्मिलित किया गया है ; यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ऐसी सूचियों में "अभूतपूर्व" वर्ग में केवल 10 प्रतिशत अधिकारियों को सम्मिलित किया जाना होता है परन्तु कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने कनिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित करने के लिये इस सीमा का अतिक्रमण किया है, यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या असंगतियों को दूर करने के लिए भूतकाल में अनुपूरक सूचियां जारी की गई है ; यदि हां, तो 1982 के लिये अनुपूरक सूची जारी न करने के क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार अन्याय को दूर करने के लिए अब अनुपूरक सूची जारी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की वर्ष 1982 की प्रवर सूची, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के संगत उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई थी और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 9.12.82 को जारी की गई थी।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमों/विनियमों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की प्रवर सूची अपेक्षित संख्या तक नामों को मिलाकर, तैयार की जाती है जिसमें सबसे पहले "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किए गए फिर "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किए गए तथा इसके बाद "अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किए अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। अधिकारियों के लिए उनके कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों की तुलना में किसी विशेष वर्ष में बेहतर ग्रेडिंग प्राप्त करना कोई असामान्य बात नहीं है।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमों/विनियमों में इस आशय का कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है कि विचार के क्षेत्र में आने वाले केवल 10 प्रतिशत अधिकारियों को ही "उत्कृष्ट वर्ग" में शामिल किया जाता है।

(ङ) तथा (च) हालांकि पिछले वर्षों में कभी कभी अनुपूरक प्रवर सूचियाँ जारी की जाती रही हैं किन्तु ऐसा किया जाना कोई नियमित पद्धति नहीं है। इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा चयन ग्रेड की प्रवर सूची, 1982 में आगे वृद्धियाँ करने के लिए कोई "अनुपूरक सूची" जारी की जाए।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वस्तुपरक (आब्जेक्टिव टाईप) प्रश्न

5937. **श्री डी० एस०ए० शिवप्रकाशम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग सभी परीक्षाएं वस्तुपरक (आब्जेक्टिव टाईप) प्रश्नों के माध्यम से लेती रही है ; और

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपने दृष्टिकोण और परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से वस्तुपरक प्रश्नों के गुण और दोषों का मूल्यांकन किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं वस्तुपरक नहीं होती। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं (I) पूर्णतः वस्तुपरक, (II) पूर्णतः परम्परागत तथा (III) अंशतः वस्तुपरक और अंशतः परम्परागत प्रकृति की हैं, उनका एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) वस्तुपरक प्रकृति की परीक्षाएं डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में गठित भर्ती, नीति तथा चयन प्रक्रिया संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर सामान्यतः सिविल सेवा परीक्षा, 1979 में लागू की गई थी। समिति ने यह सिफारिश करने से पूर्व आयोग तथा उम्मीदवार दोनों की दृष्टियों से वस्तुपरक प्रकृति की परीक्षाओं के गुण-दोषों पर विधिवत विचार

कर लिया था । आगे कोई पुनरीक्षा अभी तक नहीं की गई है फिर भी आयोग इन परीक्षाओं की गुणवत्ता तथा वैधता में सुधार लाने की दृष्टि से निरन्तर इनका मूल्यांकन करता रहा है ।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के नमूने को दर्शाने वाला विवरण

उन परीक्षाओं का नाम जो पूर्णतः वस्तुपरक हैं	उन परीक्षाओं का नाम जो पूर्णतः परम्परागत हैं	उन परीक्षाओं का नाम जो अंशतः वस्तुपरक हैं और अंशतः परम्परागत है ।
1	2	3
1. सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा	1. अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ग्रेड-I (अवर सचिव) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा	1. आशुलिपिक परीक्षा 2. सहायक ग्रेड परीक्षा 3. भारतीय वन सेवा परीक्षा
2. सम्मिलिय चिकित्सा सेवा परीक्षा 3. भूविज्ञानी परीक्षा	2. सहायक इंजीनियर (के०लो०नि०वि० (समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा	4. भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा
4. सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा	3. सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा*	5. इंजीनियरी सेवा परीक्षा

1	2	3
5. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा		6 अनुभाग अधिकारी आशुलिपिक
6. विशेष श्रेणी रेल अप्रेन्टिस परीक्षा		(ग्रेड "ख"/ ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगता परीक्षा

*सिविल सेवा परीक्षा के दो भाग हैं अर्थात सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा जो पूर्णतः वस्तुपरक प्रकृति की है तथा सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा जो पूर्णतः परम्परागत प्रकृति की है। जो उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा के परीणामों के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है।

प्रमुख उद्योगों के लिए नीति

5938. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में हाल ही में उनकी मूलभूत सुविधाओं की अपूर्णता, क्षमता के उपयोग पर विचार करते हुए अपनी नीति की पुनरीक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) हालाँकि प्रमुख उद्योगों अर्थात् दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण के परिशिष्ट-1 में शामिल उद्योगों से सम्बन्धित नीति जिसकी दिनाँक 21 अप्रैल 1982 के प्रेस टिप्पण में पुनः परिभाषा की गई है, की कोई औपचारिक संवीक्षा नहीं की गई है, फिर भी इन उद्योगों के कार्य निष्पादन की विभिन्न स्तरों पर निरन्तर संवीक्षा की जाती है। सभी कठिनाइयों को दूर करने तथा इन उद्योगों द्वारा क्षमता का इष्टतम उपयोग करवाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं।

दिल्ली में तिब्बतियों द्वारा गिरफ्तारी दिया जाना

5939. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1983 को दिल्ली में अनेक तिब्बतियों ने गिरफ्तारी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने तिब्बती गिरफ्तार किए गए थे ; और

(ग) उनकी मांगों का ब्योरा क्या है जिनके कारण उन तिब्बतियों ने गिरफ्तारी दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) और (ख) 9-3-1983 को कुछ तिब्बती शरणार्थियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके लिंक हाऊस के निकट बहादुर शाह जफर मार्ग पर प्रदर्शन किया था। उनमें से 94 को उसी तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था।

(ग) बताया जाता है कि यह प्रदर्शन राजधानी में हो रहे निर्गुट देशों के सदस्यों का ध्यान तिब्बतियों की ओर आकर्षित करने और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्त किया गया था।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कागज और लुगदी परियोजनाओं की स्थापना

5940. **श्री नवीन रावणी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कागज की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एच. पी. सी.) ने, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लुगदी और कागज परियोजनाओं की स्थापना और नेपाल में एक कागज मिल व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में एक तकनीकी—आर्थिक अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ; और

(ग) देश में कागज की मांग को पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने अरुणाचल प्रदेश के टीरप मियाओं क्षेत्र में लुगदी तथा कागज की 100 मी० टन प्रति दिन वाली एक परियोजना की स्थापना करने के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है। परियोजना के संबंध में की जाने वाली कुछ प्रारम्भिक कार्रवाई निश्चित कर ली गई है और राज्य सरकार, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन मिलकर उसका ब्योरा तैयार कर रहे हैं। निगम ने पश्चिमी नेपाल में लुगदी तथा कागज बनाने का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक तकनीकी-संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार कर ली है।

यह रिपोर्ट नेपाल सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) कागज उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता और कार्यान्वित की जा रही अतिरिक्त क्षमता आगामी कुछ वर्षों के दौरान देश में कागज की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है ।

भारी इंजीनियरी निगम को हुई हानि

5941. श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भारी इंजीनियरी निगम को लगातार हानि होती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी हानि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां ।

(ख) गत तीन वर्षों में एच० ई० सी० को हुई हानि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	हानि (करोड़ रुपये में)
1979-80	(—) 34.78
1980-81	(—) 51.13
1981-82	(—) 22.82

अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम

5942. श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कौन सी कागज परियोजनाएं चल रहीं हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक में वार्षिक उत्पादन कितना रहा ;

(ख) क्या कोई कागज परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहाँ स्थित हैं और उनकी उत्पादन की वार्षिक क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि अखबारी कागज और अन्य कागज की अभी भी कमी है और मांग को पूरा करने के लिए अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए देश में अखबारी कागज और अन्य उत्पादों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कागज और अखबारी कागज के उत्पादन में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ के नाम और उनका वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	उत्पादन की वस्तु	उत्पादन (मी. टनों में)		
		1980-81	1981-82	1982-83 (अनुमानित)
1. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स	अखबारी कागज	51,283	55,021	57,000
2. केरल न्यूर्जप्रिंट प्रोजेक्ट	—वही—	—	—	24,000
3. माण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स	लिखाई और छपाई कागज	6,089	11,946	9,900

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन असम राज्य के नौगांव एवं कछार जिलों में प्रत्येक में प्रतिवर्ष 1 लाख मी. टन की अधिष्ठापित क्षमता वाली दो एकीकृत लुगदी और कागज परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

(ग) अखबारी कागज की माँग देशी उत्पादन के साथ-साथ आयातों द्वारा पूरी की जाती है। विशिष्ट (स्पेशलिटी) कागज की कुछ किस्मों को छोड़कर अन्य किस्मों के कागज की माँग देशी उत्पादन से ही पूरी की जाती है।

(घ) अखबारी कागज का उत्पादन कर रहे विद्यमान एककों के क्षमता उपयोग में सुधार करके अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए प्रतिवर्ष 1.74 लाख मी. टन तक अतिरिक्त क्षमता हेतु लाइसेंस स्वीकृति दे दी गयी है। जहां तक कागज और गत्ते का सम्बन्ध है, देश की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता तथा कार्यान्वित की जा रही अतिरिक्त क्षमता देश की माँग को अगले कुछ वर्षों में पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत मंत्रालय/विभाग द्वारा राज्यों को सम्बोधित हिन्दी/अंग्रेजी पत्र

5943. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में उनके मन्त्रालय/विभाग द्वारा "क" और "ख" राज्यों में से प्रत्येक राज्य को कितने मूल पत्र भेजे गए थे, तथा उनमें से कितने कितने पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में मूल रूप से लिखे गए थे ;

(ख) इन राज्यों को नियमों के अनुसार सभी मूल पत्र हिन्दी में न भेजने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इन राज्यों को सभी मूल पत्र केवल हिन्दी में भेजे जाएंगे ; और

(घ) क्या मन्त्रालयों/विभागों में हिन्दी में काम करने के लिए पर्याप्त स्टाफ जैसा कि नियमों में उल्लिखित है की व्यवस्था है और यदि नहीं तो इस सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) "क" और "ख" क्षेत्रों के राज्यों को भेजे गए पत्रों के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे जा सकते हैं। "क" क्षेत्र को जनता सहित "क" और "ख" क्षेत्रों के राज्य सरकारों को भेजे गए हिन्दी के मूल पत्रों का विवरण इस प्रकार हैं :

मन्त्रालय/विभाग	कुल पत्रों की संख्या	हिन्दी में जारी पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में जारी पत्रों की संख्या
गृह मंत्रालय (मुख्य)	12,795	11,401	1,394
कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	37,895	3,942	33,225 *

* इसमें क और ख क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे गए पत्र भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) इन राज्य सरकारों को सभी पत्र हिंदी में भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जांच बिन्दु को सुदृढ़ किया जा रहा है। मानक मसौदों, पत्रों आदि के हिन्दी

रूपान्तर उपलब्ध किए गए हैं। कर्मचारियों को मूल रूप से हिन्दी में नोटिंग ड्राफ्टिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार हिन्दी टाइपिस्ट तथा हिन्दी टाइपराइटर भी उपलब्ध किए गए हैं। राजभाषा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठकों में मन्त्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रभावी प्रयोग की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है और मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में भी मन्त्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) जी हाँ, श्रीमान्।

परमाणु बिजलीघर की स्थापना

5944 **श्री मोहन लाल पटेल : क्या प्रधान मन्त्री यह** बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश के किसी अविकसित क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) इस बारे में निर्णय अभी लिया जाना है कि भविष्य में परमाणु बिजलीघर कहां लगाए जायें।

केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में प्रारम्भ की गई अनुसंधान परियोजनायें

5945. **श्री ए. के. राय : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1-1-1983 तक केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान में प्रारम्भ की गई महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) अब कितने "पेटेंट" बनाए गए हैं और उनका वाणिज्यक उपयोग किया गया तथा उनसे वर्ष 1982 में कितनी आय हुई ;

(ग) क्या कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाओं को केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान से अन्तरित किया जा रहा है जिससे वहां के वैज्ञानिक वर्ग में अत्यधिक निराशा उत्पन्न हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) फाइल किए गए पेटेंटों की कुल संख्या 135 है। अब तक लाइसेंस किए गए पेटेंटों की कुल संख्या 26 है जिसमें से 11 पेटेंटों का वाणिज्यिकरण किया जा चुका है। वर्ष 1982 में प्राप्त की जाने वाली राशि को मिलाकर कुल आय रु० 2,82,055 है।

(ग) जी नहीं फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बड़े कार्यक्रमों के समन्वय और एकीकरण के लिए सी. एस. आई. आर. की प्रयोगशालाओं और अन्य राष्ट्रीय एजेन्सियों में उपलब्ध विशेषता को सम्पन्न बनाने व वृद्धि करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि संपूर्ण प्रयास अधिक अर्थपूर्ण हो सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाएं-केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद (1982-85)

परियोजनाओं के शीर्षक

1 सीधे हाइड्रोजनीकरण द्वारा कोयले को तेल और रसायनों में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रम के विकास और कार्यान्वियन के लिए प्रयोगशाला स्तर पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त प्रकृति के आकड़ों का संग्रह।

2. कोयले का हाइड्रोजनीकरण-बेंच स्तर के अध्ययन।

3. फॉर्म्ड कोक प्रौद्योगिकी पर विकास अध्ययन।

4. तेल समुच्चयीकरण द्वारा कोयले का विखंडीकरण सहित कोकन कोयला वाशरियों से प्राप्त टुकड़ों का सुधार।

5. कोयला उर्वरक प्रक्रय का बेंच स्तर विकास।

6. 75 किग्रा/तरल बेड्कम्बस्टर-व-वायु हीटर पर विकास अध्ययन।

7. 2 टन/तरल बेड्कम्ब्सन ब्वॉयलर का अनुकूल अकोकन कोयलों पर अध्ययन।

8. एक उपयोगिता गैस प्रोड्यूस संयंत्र का विकास।

9. निम्न कोटि के कोयले से ईधन गैस के उत्पादन के लिए दो चरण वाले प्रयोगशाला तरल बेड् गैसी फायर का विकास ।

10. जल-निष्कर्षण द्वारा भारतीय कोयलों तथा लिग्नाइटों के विलायक परिष्करण के लिए प्रक्रम का विकास ।

प्राथमिकता वाली परियोजनाएं

1. रसायन, कार्बनीकरण तथा निर्माण अभिलक्षणों के सम्बन्ध में कोयले का पेट्रोग्राफीय विश्लेषण ।

2. ओलियो-प्लवन पर विकास अध्ययन ।

3. कोयला-पंक के प्लवन के लिए प्रयोगशाला कंडीशनरों का अभिकल्पन तथा विकास।

4. गुटिका फ्लॉक्यूलेशन द्वारा कोयला-पंक/सांद्रों/पछोड़ों का बिजलीकरण ।

5. बैच अवसादन आंकड़ा तथा सतत् स्थूल में कोयला चूर्ण के बीच सहसंबंध ।

6. जनसाधारण के ईधन, कोयले का धूमरहित दहन ।

7. कोयला के संक्षारण अभिलक्षणों के मापन के लिए जांच युनिट का मानकीकरण ।

8. वास्तविक वाणिज्यिक पल्वराइजरों के साथ अन्य भौतिक-रसायन गुणधर्मों के भी साथ कोयलों के अपघर्षण सुचकांकों का सहसंबंध ।

9. कोयला, लकड़ी तथा अन्य कृषि व्यर्थों से सक्रिय कार्बन का उत्पादन ।

10. टार एसिडों का अल्कलीकरण ।

11. उत्प्रेरण के अतिरिक्त मॉलेकुलर सीवों के रूप में संश्लेषित जियोलाइटों पर अध्ययन (समीप क्वथनांक वाले कार्बनिक यौगिकों के पृथ्थकरण के लिए) ।

"एन्टार्क्टिका" में अनुसंधान के लिए गए भारतीय दल द्वारा की गई प्रगति

5946. श्री एन०ई० होरो : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार एन्टार्क्टिका में अनुसंधान के लिए गए भारतीय दल द्वारा की गई प्रगति का कोई विवरण देने की स्थिति में हैं ;

(ख) अभियान पर हुए अनुमानित व्यय के संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि सरकार ने एन्टार्क्टिका के संबंध में कोई विशिष्ट नीति बनाई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) प्रथम भारतीय एन्टार्क्टिक अभियान के दौरान किये गए वैज्ञानिक कार्य की विस्तृत रिपोर्टें शीघ्र ही मिलने की संभावना है। दूसरे भारतीय एन्टार्क्टिक अभियान के दौरान किए गए वैज्ञानिक कार्य की इसी प्रकार की रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।

(ख) 1981-82 में जो प्रथम अभियान दल गया था उस पर 1.90 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 1982-83 में जो दूसरा अभियान दल गया उस पर लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ग) हम एन्टार्क्टिक संधि के विभिन्न ब्यौरों की जांच कर रहे हैं लेकिन संधि पर हस्ताक्षर करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कम्प्यूटरों का आयात

5947. **श्री एन०ई० होरो :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय किन-किन देशों से कम्प्यूटरों का आयात किया जा रहा है ;

(ख) उनकी संख्या तथा उनकी लागत और सप्लाई की अवधि का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विदेशों में अपने तकनीशियनों को शिक्षित करने और विदेशी मुद्रा बचाने का है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) पिछले दो वर्षों में अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, सोवियत रूस, ब्रिटेन, जर्मन जनवादी गणतंत्र (जी०डी०आर०) तथा पश्चिम जर्मनी से कम्प्यूटरों के आयात के लिए (जिनकी लागत-बीमा-भाड़ा लागत 5 लाख तथा उससे अधिक है) अनुमति प्रदान की गई है। विवरण आगे दिए अनुसार है :—

वर्ष	देश का नाम	कम्प्यूटरों की संख्या	विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपयों में) लागत-बीमा भाड़ा मूल्य
1981	संयुक्त राज्य अमरीका	19	24.9
	फ्रांस	3	2.9
1982	संयुक्त राज्य अमरीका	43	22.6
	पश्चिम जर्मनी	2	2.8
	ग्रेट-ब्रिटेन	2	1.4
	रूस	2	0.46
	जर्मन जनवादी गणतन्त्र	2	0.35

कम्प्यूटरों की किस्म के आधार पर, इन कम्प्यूटरों की आपूर्ति प्रयोगकर्त्ता द्वारा आर्डर दिए जाने की तारीख से औसतन लगभग 9 महीने के अन्दर किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, हां। जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां तकनीशनों को विदेशों में कम्प्यूटरों/कम्प्यूटर उप-प्रणालियों के विनिर्माण प्रचालन तथा अनुरक्षण विषयक पहलुओं पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, ताकि विदेशी-मुद्रा पर होने वाले व्यय तथा हमारी विदेशी कम्पनियों पर निर्भरता कम की जा सके।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा हिंदी में यातायात संकेत/मार्गदर्शन बोर्डों को लगाया जाना

5948. श्री एन०ई० होरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में यातायात पुलिस में विभिन्न स्थानों पर 'गिव वे टु द ट्रैफिक आन युवर राइट' सेफ्टी फर्स्ट स्पीड आफ्टर वड्र्स 'ए' सिविल केयर मेन्स एक्सीडेंट रेफ़र आदि की सलाह वाले साइन बोर्ड लगाए हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि गाड़ियों में अधिकांश चालक हिंदी भाषी हैं और गैर-अंग्रेजी भाषा चालकों के लिए इससे समस्या पैदा हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मार्ग दर्शक बोर्डों को हिन्दी में लिखाने का भी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिए जा रहे हैं कि वे अंग्रेजी व हिंदी दोनों में संकेत/मार्गदर्शक बोर्ड लगायें ।

चीनी मिट्टी उद्योग का आधुनिकीकरण

5949. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ चीनी मिट्टी उद्योगों के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों की चीनी मिट्टी उद्योग के उन यूनिटों के नामों संबंधी ब्यौरा क्या है जिसके आधुनिकीकरण के लिए विचार किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) चीनी मिट्टी (सैरेमिक) उद्योग का आधुनिकीकरण के लिए इस प्रकार की कोई भी विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है किन्तु, जब कभी आधुनिकीकरण के लिए मशीनों, ड्राइंगों और डिजाइनों या तकनीकी-जानकारी के आयात के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो उस पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है । लघु क्षेत्र में कुछ एककों ने संयंत्र के अध्ययनों आदि के लिए अपना पंजीकरण लघु उद्योग विकास संगठन में भी करा लिया है ।

इंडोनेशिया में एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना

5950. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया में मन्त्रालय के सहयोग से एक सीमेंट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की लागत कितनी है और इस संयंत्र की स्थापना में भारत द्वारा कितना अंशदान किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम -- प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आद्योपांत आधार पर इंडोनेशिया में एक सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना कर रहा है। परियोजना के ठेके का कुल मूल्य 55.71 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना के प्रमुख इंजीनियरी कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा स्थापना स्थल पर सिविल निर्माण कार्य चल रहा है। मशीनों का विनिर्माण हो रहा है और भारत से पहली खेप जहाज से शीघ्र ही भेजी जाने वाली है।

राज्यों में भूमि के स्वामित्व पर सीमा संबंधी विवाद

5951 **श्री बी०बी० देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार उत्तर प्रदेश सीमा के पास के गांवों के किसानों के बीच लगभग 12,000 बीघा भूमि के स्वामित्व पर विवाद के कारण इस क्षेत्र में तनाव है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के सीमा विवाद न केवल बिहार में है वरन अन्य राज्यों में भी हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे राज्य कौन-से हैं जिनके इस प्रकार की सीमा विवाद पिछले पांच सालों या कई वर्षों से लंबित पड़े हैं और स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) सरकार वा सम्बद्ध राज्यों को इन विवादों को सुलझाने में कब तक सहायता करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) इस तथ्य के बावजूद कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच भूतपूर्व अस्थिर सीमाओं के स्थान पर बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा अदला बदली) अधिनियम, 1958 के अनुसार सीमाए निर्धारित की गई है, फिरभी एक राज्य से दूसरे राज्य को कानून के अधीन हस्तांतरित किये गए क्षत्रों में भूमि के मालिकाना तथा खेती करने के अधिकारों के बारे में विरोधी दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच यदा-कदा विवाद हुए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच अस्थिर नदी सीमा के इसी प्रकार के एक मामले में ऐसे अधिकारों के बारे में इन राज्यों के किसानों के दावों के

संबंध में कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए हैं और संबंधित पक्ष मामले को न्यायालय में ले गए हैं ।

(ग) और (घ) चूंकि भूमि के संबंध में व्यक्तिगत मालिकाना और खेती करने के अधिकार राज्य सरकारो के राजस्व कानूनों द्वारा नियमित होते है, इसलिए किसी ऐसे कानून द्वारा, जिससे सीमाओं की अदलाबदली की व्यवस्था हो, प्रभावित भूमि के मामले में भी ऐसे अधिकारों के बारे में बिरोधी दावों से संबंधित कोई विवाद सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और अन्ततः न्यायालयों द्वारा तय किया जाता है। परन्तु यदि इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त होगा, तो भारत सरकार को उन्हें सहायता प्रदान करने में प्रसन्नता होगी ।

विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लाभ और हानि के बारे में अध्ययन

5952. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लाभ/हानि के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो 1981-82 में प्रत्येक इस्पात संयंत्र को हुए लाभ या हानि का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 के दौरान मुख्य इस्पात कारखानों को हुआ लाभ/हानि इस प्रकार हैं :—

कारखाना	लाभ (+)/हानि (—) (करोड़ रुपये)
भिलाई इस्पात कारखाना	(+) 66.09
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(+) 0.70
राउरकेला इस्पात कारखाना	(—) 21.71
बोकारो इस्पात कारखाना	(+) 6.54
मिश्र इस्पात कारखाना	(—) 6.64
सेलम इस्पात कारखान	(—) 0.13
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	(—) 37.11
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	(+) 47.65

उड़ीसा में कुटीर उद्योगों का बन्द किया जाना

5953. **श्री के. प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गांवों में चल रहे कुटीर उद्योग प्राय बन्द होने वाले हैं ;

(ख) भारत में कुल गांवों का प्रतिशत कितना है जिनमें परम्परागत कुटीर उद्योग हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए क्या प्रोत्साहन दिये हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा में वर्ष 1981 के अंत तक 849 रुग्ण लघु एकक थे। जिला उद्योग केन्द्र देश भर में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को सभी सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं। उड़ीसा के सभी 13 जिलों को जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधिन शामिल कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा में 60369 एकक स्थापित किए गए हैं जिनसे 113365 व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

गुजरात में हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट

5954. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भारतीय अनुसंधान सोसायटी द्वारा अहमदाबाद में 102 दिनों तक हरिजनों पर हुए अत्याचार के बारे में तैयार की गई अनुसंधान परियोजनायें रिपोर्ट देखी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रिपोर्ट में फोटो सहित इस बात का सबूत दिया गया है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में बदार्खा गांव में हरिजनों की नई कालोनी में बने मकानों में से वहां के निवासियों को निकाल कर इन मकानों को शौचालय में बदल दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो हरिजनों के प्रति कालोनी में पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट से पता लगे विभिन्न अत्याचारों को ध्यान में रखकर हरिजनों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) राज्य सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट नहीं देखी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बुदार्खा गाँव की कुछ घर विहीन अनुसूचित जातियों को 1980 में रिहायसी मकान दिये गए थे। 1981 के आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान अनुसूचित जातियों को अपने मकान छोड़ने पड़े जब उन पर आक्रमण किया गया और उनके मकान जला दिए गए। वे मकान ऐसी स्थिति में है कि उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। राज्य सरकार ने गांव के अनुसूचित जातियों के प्रभावित सदस्यों को 23,025/—रुपये की आर्थिक सहायता दी है।

खादी आयोग के चेयरमैन द्वारा विदेश में इलाज कराना

5955. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग के वर्तमान चैयरमैन ने अपना और अपनी पत्नी का इलाज विदेश में कराया और उनके इलाज का व्यय खादी आयोग को वहन करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में व्यय की गई राशि कामदवार पूर्ण ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के व्यय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष की इंगलैंड में हृदय की "ट्रिपल वाई-पास" शल्य-क्रिया हुई। उनकी पत्नी का भी विदेश में इलाज हुआ है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इस मद पर कुछ भी खर्च नहीं किया है। अध्यक्ष ने अपने इलाज पर हुए निम्नलिखित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की स्वीकृति मांगी है :—

			रुपयों में
(1) रायल विक्टोरिया हास्पिटल के प्रभार (वार्ड 16.11.81 से 29.11.81)	पौंड	1199.42	19,886.38 रु०
(2) वृत्तिक (प्रोफेशनल) प्रभार—डा० कारसन	पौंड	1000.00	16,580.00 रु०
(3) वृत्तिक (प्रोफेशनल) प्रभार—डा० कारसन	पौंड	250.00	4,145.00 रु०

			रुपयों में
(4) दवाइयों की लागत	पौंड	702.30	11,644.14 रु०
	पौंड	3151.72	52,255.52 रु०
(5) हवाई यात्रा पर व्यय			10,246.00 रु०
		कुल :	62,501.52 रु०

मामला विचाराधीन है ।

एच० ई० सी० तथा एम० ए० एम०सी० द्वारा खानों के लिये मशीनों का उत्पादन

5956. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खानों तथा अन्य स्थानों के लिए आवश्यक नई डिजाइन वाली नवीनतम मशीनों के उत्पादन पर बल दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारी इंजीनियरी निगम, रांची तथा खनन तथा तत्संबंधी मशीनरी निगम, दुर्गापुर, द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान किन नवीनतम डिजाइन वाली भारी मशीनों का उत्पान किया गया है ; और

(ग) 1983-84 में किन विभिन्न नई भारी मशीनों का उत्पादन किया जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) हेवी इंजी० कारपोरेशन और माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन द्वारा पिछले दो वर्षों में नवीनतम डिजाइन वाली मशीनों का उत्पादन और निकट भविष्य में उत्पादन के लिए प्रस्तावित मशीनों के बारे में जानकारी क्रमशः विवरण I और II में दी जाती है ।

विवरण-एक

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर
1. वाकिंग ड्रैगलाइन्स	1 पावर्ड सपोर्ट्स
2. ओवर बर्डन ड्रिल व्यास 250 मि०मी०	2. शियरर
	3. हेवी ड्यूटी आर्मर्ड कन्वेयर्स
3. भारतीय रेलों के लिए ह्वील लेथ	4. ब्रिज स्टेज लोडर्स
4. डोप होल बोरिंग मशीन ।	5. एक्सटेन्सिवल ग्रेट बेल्ट कन्वेयर्स
	6. क्रालर माउन्टेड कोल कटर
	7. ट्राली वायर लोकोमोटिव
	8. सिंकिंग विंचेज
	9. स्टेकर्स
	10. रिक्लेमर
	11. स्टेकर-रिक्लेमर
	12. वैगन टिपलर्स
	13. एप्रन फीडर
	14. वैगन लोडर
	15. कोयला परिशोधन संयंत्रों के लिए उपकरण ।

विवरण-2

हेवी इंजिनिरिंग कारपोरेशन, रांची	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर
1. 10 एम 3 एक्सकवेटर्स	1. रोड हैडर्स
2. विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए 3200 एम 3 धमन भट्ठी हेतु उपकरण।	
3. विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए इस्पात पिघलने की कार्यशाला हेतु 130 मी० टन के आक्सीजन कन्वर्टरों के लिए उपकरण।	
4. विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए ब्लूम कन्टीन्युस कास्टिंग मशीनें हेतु उपकरण।	
5. भिलाई और विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए 7 मी० ऊंची कोक भट्टियों के लिए कोक भट्टी उपस्कर और मशीनें।	
6. ट्रैवलिंग कालम टाइप की सिंगल कालम वी. टी. बी. मिल	
7. ट्रामों के लिए व्हील लेथ	
8. ओपन साइज प्लेनो-मिलिंग मशीनें।	

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामोद्योगों का विकास

5957. श्री एन० ई० होरो : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास पर भारी धन राशि खर्च कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार इसमें से कितनी धनराशि हरिजनों, आदिवासियों के कल्याणार्थ खर्च की गई हैं ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये हैं तथा उनकी प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सरकार ने व्यय के योजना-शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 की अवधि में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को निम्नलिखित धनराशि जारी की है :—

(करोड़ रु० में)

	1979-80	1980-81	1981-82
1. खादी	45.50	39.00	41.80
2. ग्रामोद्योग	24.50	26.55	31.20
3. सरकारी ऋणों पर ब्याज के स्थान पर राज सहायता (खाता समायोजन)	15.00	19.45	21.00
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	0.88	0.88	1.00
	85,88	85,88	95.00

(ख) से (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वितरित की गई धन राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रु०)

	खादी		ग्रामोद्योग	
वर्ष	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1979-80	11.79	28.68	6.11	19.33
1980-81	13.41	21.43	7.52	23.08
1981-82	23.09	21.01	6.94	29.51

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की जाती। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा धनराशि का आवंटन उद्योग-वार कार्य-क्रमों के आधार पर किया जाता है किन्तु इन आवंटन को करते समय उनउद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाता है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से भाग लिया जाता है आयोग ने पहाड़ी सीमा के आदिवासी तथा कमजोर वर्गों के क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता देने के उदारीकृत ढांचे का भी विकास किया है। वर्ष 1979-80, 1980-81 1981-82 और 1982-83 के दौरान खादी तथा ग्राम उद्योग क्षेत्र में उत्पन्न किए गए रोजगार के कुल अवसरों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का भाग क्रमशः 25 प्रतिशत 26 प्रतिशत, तथा 27 प्रतिशत था। इन कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जा रहा है कि छठी योजनावधि के अन्त तक यह भाग (अंश) बढ़कर 36 प्रतिशत तक हो जाए।

समुद्री कछुओं पर अनुसंधान

5958. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के समुद्र के पानी में बड़ी संख्या में उपलब्ध शांतचित्र समुद्री कछुओं की प्राकृतिक आदतों तथा व्यवहार पर अनुसंधान करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चालू वित्त वर्ष में क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) इसके लिये कितने तथा कहां कहाँ अनुसंधान केन्द्र खोलने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अभी तक कोई विशेष अनुसंधान परियोजना तैयार नहीं की गई है तथापि, भितारनिका अभयारण्य में समुद्री कछुओं की प्रजनन जैविकी पर अध्ययन किए जा रहे हैं।

वर्ष 1982-83 में निर्धन ग्रामीणों हेतु आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए प्रदत्त धनराशि

5959. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निर्धन ग्रामीणों हेतु आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए वर्ष 1982-83 में विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ख) उक्त वित्तीय वर्ष में उन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के कितने निर्धन परिवारों का आर्थिक रूप से पुनर्वास किया गया ;

(ग) इस वर्ष उड़ीसा में विभिन्न जिलों के कितने निर्धन परिवारों को पुनर्वास किया गया ; और

(घ) निर्धन ग्रामीणों हेतु आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम को क्रियान्विति के लिए वर्ष 1983-84 में विभिन्न राज्यों हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) निर्धन ग्रामीणों हेतु आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम नहीं है। परंतु, केवल उड़ीसा सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को एक राज्य योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान सूचना के अनुसार 1982-83 के दौरान उड़ीसा में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 71,732 परिवारों को सहायता दी गई।

(घ) वार्षिक योजना 1983-84 के विचार विमर्श में योजना आयोग द्वारा इस कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को राज्य योजना 1983-84 में 5 करोड़ रुपए का अनंतिम परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

5960. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों का, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी आय में वृद्धि करने हेतु पता लगाने के लिए सर्वेक्षण पूरा किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो राज्य में ऐसे ग्रामीण परिवारों को चुनने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है ; और

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे के कितने ग्रामीण परिवारों को चुना गया है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु क्या समयबद्ध कार्यक्रम है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे ग्रामीण परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 3500 रु० से कम है, निर्धारित किए जाने के पात्र हैं।

(ग) छठी योजना में अभी तक 3,38,981 परिवारों को निर्धारित किया गया और सहायता दी गई है। इसके अलावा परिवारों के निर्धारण का कार्य भी चल रहा है। समयबद्ध अनुसूची प्रत्येक खंड में प्रति वर्ष 600 निर्धारित परिवारों को सहायता देने के आधार पर नियत की जाती है।

रंगीन टेलीविजन किटों का आयात

5961. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों और निर्माताओं से 1982-83 के दौरान आयातित किए गए रंगीन टेलीबिजन 'किटों' (उपकरणों) की विभिन्न दरें क्या थीं ;

(ख) स्वदेशी 'ब्लेक एण्ड व्हाइट' और रंगीन टेलीविजन सेटों के खुले बाजार में विभिन्न दरें क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न निर्माताओं द्वारा 1982-83 के दौरान आयातित किटों से बनाए गए रंगीन टेलीविजन सेटों की बिक्री का ब्यौरा क्या है ; और उनमें से कितने अभी बिकने शेष हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन किटों का आयात, जिसकी अनुमति एशियाड, 82 के लिए केवल एक सामयिक तदर्थ नीति के अन्तर्गत दी गई थी, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनी, मेसर्स इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड (ई० टी० टी० डी० सी०) के माध्यम से सुदूर पूर्वी स्रोतों से (टरेट समस्वरित्र (ट्यूनर) पर आधारित) दो मॉडलों के लिए 123/128 अमरीकी डोलर मूल्य पर पोत पर्यन्त नि:शुल्क भाड़ा आधार पर, तथा युरोपीय स्रोतों से (इलेक्ट्रॉनिक (ट्यूनर) समस्वरित्र पर आधारित) 128 अमरीकी डालर (लगभग) मूल्य पर किया गया था। टरेट ट्यूनर पर आधारित किटों के विनिर्माता कोरिया के मेसर्स समसुंग तथा गोल्ड स्टार और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर पर आधारित किटों के विनिर्माता पश्चिम जर्मनी के मेसर्स आई० टी० टी० थे।

(ख) चूंकि देश में श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के 100 से अधिक विनिर्माता हैं तथा उनमें से अनेक ऐसे सेटों का विभिन्न किश्मों/मॉडलों में विनिर्माण कर रहे हैं। अत: स्वदेश में विनिर्मित श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के फुटकर मूल्यों के विवरण एकत्रित कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा इनके फुटकर मूल्य अलग-अलग राज्य में भिन्न.

भिन्न होते हैं। तथापि, यदि किसी विशेष किस्म/मॉडल या स्थान के बारे में जानकारी की जरूरत हो तो वह एकत्रित करके उपलब्ध कराई जा सकती है। जहाँ तक एशियाड के लिए एक सामयिक तदर्थ नीति के अन्तर्गत आयातित किटों से संयोजित रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों का संबंध है, दिल्ली में लगने वाले सभी करों सहित सरकार द्वारा ग्राहकों के लिए नीचे दिए अनुसार फुटकर-मूल्य निर्धारित किए गए थे :—

I) ट्रेट ट्यूनर (समस्वरित्र) सहित रंगीन दूरदर्शन सेट	7,500/-रुपए
II) इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर (समस्वरित्र) सहित रंगीन दूरदर्शन सेट	8,000/-रुपए

अन्य नगरों में वहां लगने वाले स्थानीय करों जैसे बिक्री कर, चुंगी-कर आदि की मात्रा के अनुसार मूल्यों में घट-बढ़ हो सकती है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

हिन्दुस्तान जिंक लि० का रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार

5962. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लि० ने उनके मंत्रालय को सूचित किया है कि उसका रक्षित विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिन्दुस्तान जिंक लि० को उसका प्रस्ताव क्रियान्वित करने देने के लिए आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक स्वीकृति कब तक दिए जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के पी. साल्वे) : (क) से (ग) जी हां। हिन्दुस्तान जिंक लि० ने राजस्थान में रामपुरा-अगुचा तथा बरोई जस्ता और सीसा खानों के विकास तथा मौजूदा और प्रस्तावित यूनिटों को बिजली की पूर्ति हेतु देवारी (राजस्थान) में एक ग्रहीत तापीय विद्युत संयंत्र (3X30 मेगावाट क्षमता) और एक गैस टरबाइन सैट (1X15) मेगावाट क्षमता) सहित राजस्थान के चितौड़गढ़ जिले में चन्दारिया के समीप प्रतिवर्ष 70,000 टन जस्ता धातु तथा 35,000 टन सीसा धातु उत्पादन क्षमता वाला जस्ता व सीसा प्रद्रावक कम्पलैक्स की स्थापना के लिए एक एकीकृत प्रस्ताव 28-1-1983 को प्रस्तुत किया है। कम्पनी का प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर जल्दी ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

बी० एच० ई० एल० का ऋण की शर्तों के कारण बाहरी देशों के पीछे रहना

5963 श्री **सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम बी. एच. ई. एल. जिसे उपकरणों की गुणवत्ता और बिक्री के बाद की सेवाओं के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण की शर्तों के कारण बाहरी देशों के उपक्रमों में पीछे रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र में अपने उपक्रम की सहायता के लिए किस तरह योजना बना रही है ; उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जी, हां । यह सच है कि बी. एच. ई. एल. द्वारा सप्लाई किए गए उपकरणों की गुणवत्ता विश्व में सर्वोत्तम उपकरणों से तुलनीय है । किन्तु विदेशों के कुछ निर्माताओं द्वारा कभी-कभी अधिक आकर्षक ऋण शर्तों की पेशकश अवश्य की जाती है । बी. एच. ई. एल. सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सुविधाओं और स्वयं अपनी वित्तीय स्थिति के प्राचलों के अन्दर काम करता है । विदेशी सम्भरकों द्वारा पेशकश की गई शर्तों के समान शर्तों की पेशकश करना बी. एच ई एल. के लिए हमेशा सम्भव नहीं हो सकता है । किन्तु अपने उपक्रमों के हितों की रक्षा करने के लिए विद्युत उपकरणों के आयात की आमतौर पर अनुमति नहीं दी जाती है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसर पैदा करने का क्या लक्ष्य है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दिन रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में रोजगार के इच्छुक लोगों की संख्या कितनी थी ;

(ग) तब से कितने रोजगार के अवसर पैदा करके रोजगार के इच्छुक लोगों को दिए गए तथा उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सम्बन्धित अवधि के दौरान पैदा किए गए रोजगार और उसकी अवधि के दौरान वास्तव में आफर किए गए तथा रोजगार के इच्छुक लोगों द्वारा स्वीकृत रोजगार के बीच कोई अन्तर है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वर्षवार ऐसे अन्तर का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): (क) छठी योजना में इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन छठी योजना की अवधि में संभावित रोजगार सृजन 342.80 लाख मानक श्रम वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 31 मार्च, 1980 को 146-90 लाख।

(ग) से (ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

सम्पूर्ण अर्थवस्था में रोजगार सृजन से सम्बन्धित विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तयों की संख्या और रोजगार कार्यालयों द्वारा दिलवाई गई नियुक्तियों/नौकरियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :—

(लाख)

	अवधि	रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	रोजगार कार्यालयों द्वारा दिलवाई गई नियुक्तियों/नौकरियों की संख्या
1.	1.4.1980 से 31.12.1980 तक	6.30	3.47
2.	1981	8.97	5.04
3.	1982	8.20	4;73
4.	1.1.1983 से 31.1.1983	0.55	0.34

रोजगार कार्यालयों की अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रक में सृजित रोजगार अवसरों की कुल संख्या का भी पता नहीं चलता है। इसी प्रकार रोजगार कार्यालयों के जरिए दिलाई गई नियुक्तियों/नौकरियों की संख्या से नौकरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का इसलिए पता नहीं चलता है; क्योंकि

(1) अर्थव्यवस्था में सृजित रोजगार के अवसरों के लिए केवल रोजगार कार्यालय ही एक मात्र माध्यम नहीं है।

(2) निजी क्षेत्र में नियोक्ता, उनके द्वारा रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तियों को केवल रोजगार कार्यालयों के जरिए भरने के लिए बाध्य नहीं है।

(3) रोजगार कार्यालय नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों का इसलिए हमेशा समर्थन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके रजिस्टरों में दर्ज इस प्रकार की योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं।

श्रीनगर, दिल्ली में एक चार वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और उसकी हत्या

5965. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर दिल्ली में श्रीनगर की स्थानीय पुलिस ने 2 मार्च, 1983 को बलात्कार का असफल प्रयास करने के बाद एक चार वर्षीय बालिका की हत्या के मामले को किन कारणों से रजिस्टर नहीं किया, लेकिन उस समय रजिस्टर किया जब इस मामले पर स्थानीय जनता ने आंदोलन किया ;

(ख) क्या शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति के आंकड़े कम रखने की दृष्टि से इस प्रकार के मामलों को रजिस्टर न करने की सरकार की नीति है ;

(ग) यदि नहीं, तो दण्डात्मक कार्यवाही के भय से निर्भय हुए बिना पुलिस ने इस प्रकार के मामलों को रजिस्टर करने से किस प्रकार इन्कार कर दिया ; और

(घ) सरकार इन पुलिस अधिकारियों को किस तरह दंडित करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) मृतक की एक चाची का बयान दर्ज करने के तुरन्त बाद थाना लारेंस रोड में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/354 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76 दिनांक 3.3.83 दर्ज की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इसकी जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि इस मामले की कार्रवाई करने में कोई विलम्ब हुआ है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) यदि मामला दर्ज करने में कोई विलम्ब हुआ है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

उद्योगों के देशीयकरण के संबंध में सर्वेक्षण

5966. **श्री ए०के० राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक, इस्पात और विद्युत संयंत्रों जैसे मुख्य उद्योगों में तीस वर्षों की योजना के द्वारा देशीयकरण की प्राप्ति की सीमा के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) आयात के विकास में क्या प्रगति हुई है और पिछले पांच वर्ष के तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा उपकरण और मुख्य संयंत्रों में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के.पी. साल्वे) : (क) से (घ) यद्यपि इस्पात उद्योग के देशीयकरण के सम्बन्ध में विशेष रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि सरकार की आम नीति को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत माल तथा अतिरिक्त पुर्जों का कम से कम मात्रा में आयात किया जाता है। जैसाकि नीचे दी गई तालिका से पता चलेगा विस्तार/आधुनिकीकरण के उत्तरोत्तर कार्यक्रमों से अधिकाधिक देशीयकरण करने का रुख अपनाया गया है :—

इस्पात कारखाने		पूरा होने का वर्ष	इस्तेमाल किए गए देशीय उपस्करों का प्रतिशत*
1		2	3
भिलाई	10 लाख टन चरण	1960	13
	25 लाख टन चरण	1966	23
	40 लाख टन चरण	कार्यान्वित किया जा रहा है।	80
बोकारो	17 लाख टन चरण	1977	64
	40 लाख टन चरण	कार्यान्वित किया जा रहा है।	86
राउरकेला	10 लाख टन चरण	1960	2
	18 लाख टन चरण	1966	25

1	2		3
दुर्गापुर	10 लाख टन चरण	1962	6
	16 लाख टन चरण	1969	30

*प्रतिशत मात्रा उपस्करों के भार के बारे में है।

पिछले पांच वर्षों में "सेल" के इस्पात कारखानों में आयातित माल, अतिरिक्त पुर्जों तथा उपकरणों की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आयातित माल, अतिरिक्त पुर्जों तथा उपकरणों का प्रतिशत
1977-78	14.38
1978-79	14.73
1979-80	14.82
1980-81	10.52
1981-82	12.80

अनुमान है कि अतिरिक्त पुर्जों तथा माल के संबंध में आयात प्रतिस्थापन के रूप में पिछले तीन वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

"सेल" के इस्पात कारखानों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) सभी कारखानों तथा बड़े-बड़े नगरों में आयात प्रतिस्थापन दल गठित किए गए हैं जिससे अतिरिक्त पुर्जों तथा माल का उत्पादन करने हेतु देशीय क्षमताओं का पता लगाया जा सके और उनका उपयोग किया जा सके।

(ii) रूपांकन तथा परियोजना दल भी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में देशीय उपस्करों के इस्तेमाल की सम्भावना का पता लगा रहे हैं।

(iii) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के उत्पादन कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया जा रहा है जिससे उन मदों का अधिक उत्पादन किया जा सके जिनका अब तक आयात किया जाता था।

परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का सोवियत संघ का दौरा

5967. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री सुभाष यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष ने दिसम्बर, 1982 में सोवियत संघ का दौरा कया था ;

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) उसके क्या परिणाम रहे ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

शहरों में कर्फ्यू

5968. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के दौरान देश के किन-किन स्थानों में राज्य वार कर्फ्यू लागू किया गया और प्रत्येक स्थान में कितनी अवधि के लिए तथा किस-किस तारीख को कर्फ्यू लागू किया गया और उन स्थानों में जान व माल की कितनी हानि हुई ; और

(ख) कर्फ्यू लागू करने से पूर्व तथा कर्फ्यू की अवधि के दौरान प्रभावित लोगों को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा यदि कोई सहायता दी गई तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विद्युत परियोजनाओं के पुनरीक्षित अनुमान की स्वीकृति

5969. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस समय निर्माणाधीन कुछ विद्युत परियोजनाओं के पुनरीक्षित अनुमान को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे किन राज्यों में स्थित हैं ;

(ग) क्या निर्माण किए जाने वाले कुछ विद्युत परियोजनाओं के पुनरीक्षित अनुमानों को भी योजना आयोग ने स्वीकृति दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां । विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित उन परियोजनाओं का विवरण संलग्न है जिनके सम्बन्ध में परिशोधित अनुमान वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान स्वीकृत किए गए थे ।

(ग) अब तक ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ आयोग को निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में परिशोधित अनुमानों के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया हो ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सूची, जिनके परिशोधित अनुमान योजना आयोग द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में अनुमोदित किए गए थे ।

वर्ष	क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य
1980-81	1	चक्र दिक् परिवर्तन स्कीम	कर्नाटक
1981-82	1	बैरा सियोल पन परियोजना (3X60 मे०वा०)	केन्द्रीय क्षेत्रक
	2	देहर विस्तार (2X165 मे०वा०) पन परियोजना	पंजाब/हरियाणा/राजस्थान की संयुक्त परियोजना
	3	पोंग विस्तार (2X60 मे०वा०) पन परियोजना	—वही—
	4	कोरवा सुपर तापीय केन्द्र चरण I (3X2000 + 1%500 मे०वा०)	केन्द्रीय क्षेत्रक

1982-83	परिशोधित अनुमानों से सम्बन्धित कोई परियोजना योजना आयोग द्वारा वर्ष 1982-83 के दौरान अनुमोदित नहीं की गई ।

आन्ध्र प्रदेश में मध्यम आकार के उद्योगों की स्थापना

5970. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने और कौन-कौन से तथा कहां कहां मध्यम आकार के उद्योग स्थापित किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मझौले औद्योगिक एककों का, जिनकी अचय परिसम्पतियां अर्थात् भूमि, भवन और मशीनों में 3 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश निहित है और जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने से मुक्त हैं, तकनीकी प्राधिकरणों में पंजीकरण अपेक्षित है। वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत आन्ध्र प्रदेश राज्य के ऐसे औद्योगिक एककों की संख्या निम्नलिखित है :---

वर्ष	पंजीकृत योजनाओं की संख्या
1980	60
1981	125
1982	140

तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत सभी एककों का ब्यौरा जिसमें एकक का नाम और पता, उत्पादन की वस्तु, क्षमता तथा स्थापना स्थल आदि होते हैं, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किया जाता है । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । एकक कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

देश में विदेशी लोगों की संख्या

5971. **श्री जी वाई. कृष्णन् : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हमारे देश में कितने विदेशी लोग हैं तथा वे किन किन देशों से सम्बन्धित हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-बार कितने विदेशी लोगों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन लोगों ने नागरिकता प्राप्त की है, उनका पुरुषों और महिलाओं की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहाररंजन लास्कर) : (क) विदेशियों का आगमन और प्रस्थान एक सतत प्रक्रिया है और इस समय भारत में रह रहे विदेशियों की सही संख्या बताना संभव नहीं है । तथापि 1 जनवरी, 1982 को, विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम 1939 और उनके तहत बने नियमों के अन्तर्गत भारत में विभिन्न देशों के 65181 नागरिक पंजीकृत थे ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा जिन विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई उनकी संख्या के विषय में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	पुरुष	महिलाएं
1980	91	2)6
1981	85	292
1982	65	307

छठी योजना क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त धन

5972. **श्री भीम सिंह :**
श्री बापू साहिब परूलेकर :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिए पहले जितना धन निर्धारित किया गया था उससे इस योजना को क्रियान्वित करने में सरकार को अब कठिनाई महसूस हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना को इसके मूल रूप में क्रियान्वित करने के लिए कितने अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ; और

(ग) अतिरिक्त धन की आवश्यकता किन कारणों से महसूस हुई ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) वित्तीय संसाधनों के पुनर्मूल्यांकन सहित छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा किया जाना है और इसलिए इस स्थिति में अपेक्षित सूचना देना संभव नहीं है, तथापि, वर्तमान सूचकाँकों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की वास्तविक अनुमानों से मामूली रूप से

अधिक होने की संभावना है। उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जो प्रगति की अग्रिम स्थिति में हैं। समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जायेंगे।

लोगों को राज्य से निकाल देने के बारे में कानून बनाना

5974. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु विधान सभा में हाल ही में पुरःस्थापित किये गये विधेयक के पेटर्न पर खतरनाक समझे जाने वाले व्यक्ति को राज्य से निकाल देने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में विचार किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकाले ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में एक सी संहिता बनाने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए भारतीय दंड सहिता (संसोधन) विधेयक, 1972 में भारतीय दंडसहिता में इस आशय का एक नया उपबंध शामिल करने की व्यवस्या थी कि जब कोई व्यक्ति इस संहिता के अध्याय-7 के अन्तर्गत दंडनीय किसी अपराध का दोषी सिद्ध हो जाए और न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पुनः इसी प्रकार का अपराध किए जाने की संभावना है तो वह दो वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा कारावास की उस अधिकतम अवधि के लिए जो न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए दी जा सकती थी जो भी कम हो, अपने क्षेत्राधिकार और संलग्न क्षेत्र से उसके निष्कासन का आदेश दे सकता है। परन्तु इस उपबन्ध का दोनों सदनों की संयुक्त समिति, जिसने इस विधेयक की सवीक्षा की थी, द्वारा समर्थन नहीं किया गया और इसको 1976 में संसद को क्या सूचत विधेयक में शामिल नहीं किया गया। राज्य सरकारों से परामर्श किया गया और ऐसा कोई उपबंध न करने का निर्णय किया गया। निष्कासन के संबंध में कोई उपबंध बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

काश्मीर की घाटी में संगमर्मर का निक्षेप

5975. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर की घाटी के कुपवारा जिले में द्रुगमुल्ला, जेरहमा, आवारा रेशवानी और तरेगम स्थानों पर विशाल मात्रा में मार्बल के निक्षेप पाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाए गये संगमर्मर की किस्म और मात्रा के बारे में यदि कोई विश्लेषण किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसकी खोज के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है तथा आस-पास के क्षेत्रों में उसके मिलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार के भूतत्व और खनन निदेशालय द्वारा कश्मीर घाटी के कुपवारा जिले में द्रुगमल्ला, आवारा, रेशवानी, जेरहमा और मेरहना क्षेत्रों में विभिन्न शैडों और रंगों के मार्बल के कुल 14.5 मि० घन मीटर भंडारों का अनुमान लगाया गया है जिसमें 45-50 प्रतिशत औसत वाले सी० ए० ओ० अंश है ।

(ग) राज्य सरकार का भूतत्व और खनन निदेशालय इस समय निकटवर्ती खण्डों के नए मार्बलधारी क्षेत्रों में खोज और पूर्वेक्षण कार्य तेजी से कर रहा है ।

संसाधन जुटाना और पूंजी-निवेश वातावरण सुधार करना

5976. **डा० कृपा सिंह भोई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संसाधन जुटाने तथा पूंजी-निवेश वातावरण में सुधार करने के लिए प्रशासन और आर्थिक मामलों से संबधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सम्मिलित कर किसी "थिंक टेंक" की नियुक्ति करने की वांछनीयता की जांच की है ;

(ख) यदि हां. तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में देश को मजबूत बनाने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) संसाधन जुटाने तथा देश की निवेश स्थिति में सुधार करने से सम्बन्धित प्रश्नों की योजना आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से, समय-समय पर जांच की जाती है और केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से इस प्रयोजन के लिये विस्तृत योजनाएं—पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं । सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में आर्थिक प्रशासन में सुधारों के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिये श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में एक आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग स्थापित किया है । उन्होंने हाल ही में इनका भी गठन किया है—(1) सरकार को आर्थिक नीति और विकास से संबंधित विशिष्ट मामलों पर सलाह देने के लिये चार अन्य सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों सहित प्रोफेसर एस. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक आर्थिक सलाहकार परिषद, और (2) योजना आयोग को राष्ट्रीय योजना

तैयार करने तथा योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने के बारे में सलाह देने के लिए अर्थशास्त्रितों की एक समिति (पैनल) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए "थिंक टैंक" नियुक्त करने का इसलिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्थाओं से ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी ।

पर्यावरण के हित में उद्योगों को रियायत

5978. श्री आर० पी. गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण के हित में खनन कानून में संशोधन करने, नये उद्योगों के लिये प्रक्रिया बनाने और उद्योगों को वित्तीय रियायत देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण में गिरावट को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) जहां तक खानों/उद्योगों से संबंधित पर्यावरण में गिरावट को रोकने के लिये कदम उठाने का सम्बन्ध है, पर्यावरण विभाग ने खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति स्थापित की है ताकि खनन विभाग द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं पर पर्यावरणीय दृष्टि से विचार किया जा सके ।

नई औद्योगिक परियोजनओं की पर्यावरणीय समीक्षा करने के लिये एक पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति उद्योगों के लिए भी स्थापित की गई है ।

अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में पदोन्नति

5979. श्री स्वामी इन्द्रवेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में कनिष्ठतम अवर सचिव ने अनुभाग अधिकारी के ग्रेड से किस तारीख को पदोन्नति प्राप्त की और उसने अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के माध्यम से अथवा सहायक के पद से पदोन्नति के रूप में किस तारीख को अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति प्राप्त की ; और

(ख) इस संबंध में मंत्रालय वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा की 1981 की प्रवर सूची के ग्रेड I में शामिल कनिष्ठतम अधिकारी को 26.11.82 से नियमित आधार सर अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था । उन्हें 1.5.1972 से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति किया गया था ।

(ख) क्योंकि भाग (क) में कनिष्ठतम अवर सचिव से संबंधित सूचना मांगी गई है अतः मंत्रालय-वार ब्यौरे प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्कूटरों के निर्माण के लिये विदेशी सहयोग

5980. **श्री के. मालन्ना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों के निर्माण के लिये जिन भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान किये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है, और उन्होंने किन शर्तों पर अपने कौन-कौन से विदेशी सहयोगियों से सहयोग प्राप्त किया है तथा इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी और उनकी क्षमता क्या-क्या होगी ;

(ख) ये स्कूटर बिकने के लिये कब तक बाजार में आ जायेंगे ; और

(ग) क्या स्कूटरों के मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नई पार्टियों के ब्यौरे जिन्हें विदशी सहयोग से स्कूटरों के निर्माण के लिये मंजूरियां दी गई हैं, निम्नलिखित हैं :

पार्टी का नाम	वार्षिक क्षमता	विदेशी सहयोगी का नाम
1. लोहिया मशीन्स लिमिटेड	1,00,000	मे. पियागियो, सी. एस. पी. ए. इटली ।
2. आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०	60,000	-वही-

सामान्यतः विदेशी सहयोग की शर्तों में तकनीकी जानकारी आदि के अन्तरण के लिए एकमुश्त भुगतान और निर्दिष्ट और अवधि के लिए रायल्टी का भुगतान शामिल होता है ।

(ख) कम्पनियों ने बताया है कि जिस तारीख को मंजूरियां दी गई थी । उस तारीख से लगभग दो वर्षों में वे अपने स्कूटर बाजार में ला सकेंगे ।

(ग) सरकार ने मूल्यों को नियंत्रण में रखने और मूल्यों में वृद्धि न करने की आवश्यकता के बारे में निर्माताओं पर बल दिया है । स्कूटरों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में एक एकक के होने से स्कूटरों की कीमतों को उपयुक्त स्तरों तक रोके रखने में सहायता मिली है ।

गाडगिल फार्मूला में किये गये परिवर्तन

5981. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए क्षेत्रीय असन्तुलन और देश के विकास के लिये पिछड़े क्षेत्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास कोई विशेष योजना विचाराधीन है ; और

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गाडगिल फार्मूला में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी. चव्हाण) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों, रेगिस्तान क्षेत्रों तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित जैसी अनेक विशेष स्कीमें छठी योजना के भाग के रूप में कार्यान्वित की जा रही है जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करना है ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गाडगिल फार्मूले का आशोधन किया गया है जिससे प्रतिव्यक्ति कम आय वाले राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता का भाग 10 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया है ।

हिन्दी में आयोजित विभागीय परीक्षाएं

5982. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान उनके मन्त्रालय/विभाग तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा कितनी विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गई ;

(ख) क्या इन विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के लिये किसी विकल्प की व्यवस्था की गई थी और यदि हां, तो ऐसी परीक्षाओं की संख्या क्या है ;

(ग) उपरोक्त सभी विभागीय परीक्षाओं में उम्मीदवारों को हिन्दी माध्यम से भाग लेने की अनुमति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्र

5983. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रभार के अधीन मंत्रालय /विभागों और उन सम्बद्ध और अधानस्थ कार्यालयों द्वारा कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं और उनके क्या क्या नाम हैं ;

(ख) इन प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं ;

(ग) उपर्युक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से कितनों में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है ; और

(घ) क्या इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए भी हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है और यदि नहीं, तो यह विकल्प कब तक दिए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में जनगणना विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारियों की नियुक्ति

5984. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य अस्थायी जनगणना कर्मचारी कल्याण परिषद, पटना ने छंटनी किए 14 कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में उन्हें कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने जनगणना विभाग के छंटनी किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में राज्य सरकार के सभी विभागों को 7 अप्रैल, 1982 को एक परिपत्र भेजा था ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) कृपया उत्तर के लिए (घ) को देखें ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) इसमें भाग (ख) का उत्तर भी शामिल हैं ।

2. छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों से गृह मंत्री को प्राप्त हुए ज्ञापन में निम्नलिखित मांगे की गई हैं :—

(1) बिहार सरकार के ऊपर उल्लिखित पत्र में निहित आदेशों का कार्यान्वयन ।

(2) राज्य सरकार के अधीन नियुक्तियों के लिए आयु सीमा में रियायत ।

(3) ऐसे पदों पर, नियुक्ति के लिए टंकण ज्ञान से छूट जिनके लिए टंकण एक आवश्यक अर्हता है।

(4) परिलब्धियों में जनवरी, 1983 से 50 रु० प्रतिमाह की कमी के प्रश्न को भारत सरकार के समक्ष परिलब्धियों को बहाल करने और बकाया राशि अदा करने के लिए रखा जाए।

(5) जनगणना अनुसूचियों को कूटबद्ध करने और सम्पादन के कार्य पर लगाये गए कर्मचारियों के लिए न्यूनतम परिलब्धियां निर्धारित करना।

(6) कूटबद्ध करने और सम्पादन के कार्य में लगाए गए कर्मचारियों के लिए उनकी छंटनी किए जाने से पहले वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था।

(7) छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर रोजगार में अग्रता देने के लिए भारत सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी करना।

(8) छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों को उनको रोजगार दिये जाने तक बेरोजगारी भत्ता और जिनकी पहले छंटनी की गई थी और रोजगार नहीं दिया गया है उनको बकाया राशि देना।

3. उपर्युक्त आदेशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व बिहार सरकार का है। उनको अपने अधीन पदों पर भर्ती की पद्धति को निश्चित करने का पूरा हक है। इस विषय में कि छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट होनी चाहिए अथवा नहीं अथवा टंकण ज्ञान को उनके मामले में समाप्त किया जाए अथवा नहीं केवल राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जा सकता है।

4. जनगणना आंकड़ों के सारणीकरण और जनगणना अनुसूचियों के कूटबद्ध करने और सम्पादन कार्यों में लगे कर्मचारियों की परिलब्धियों को भारत सरकार द्वारा सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इन परिलब्धियों में कोई कमी नहीं की गई है। इसलिए इन परिलब्धियों को बहाल करने अथवा बकाया राशि अदा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

5. इन कर्मचारियों को स्पष्टतः इस शर्त पर भर्ती किया गया था कि जिन कार्यों के लिए उन्हें भर्ती किया गया है वे थोड़ी अवधि के लिए हैं और उसके समाप्त होने पर उनकी छंटनी कर दी जाएगी। इसलिए भारत सरकार उनके लिए वैकल्पिक रोजगार सुनिश्चित करने अथवा उनको बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करने के लिए वचनबद्ध नहीं है।

6. फिर भी केवल मानवतावादी आधार पर उनकी पुनः रोजगार प्राप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है। इन कर्मचारियों को निम्नलिखित रियायतों के लिए भी पात्रता दी गई है :—

(I) जनगणना संगठन में उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के बराबर आयु और खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम के अतिरिक्त सीधी भर्ती द्वारा पदों की भर्ती के लिए तीन वर्ष तक उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता।

(II) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के लिए अग्रता-III की पात्रता।

(III) 1983 के अन्त तक समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा देने के पात्र हैं चाहे उन्होंने विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे जनगणना संगठन में अपनी आरम्भिक भर्ती के समय कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निर्धारित आयु-सीमा में थे और वे अन्यथा सम्बन्धित पदों पर भर्ती के लिए नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षिणिक और अन्य अर्हताओं के आधार पर इन परीक्षाओं में बैठने के पात्र हैं।

(IV) अपने रोजगार कार्यालय द्वारा उनके नाम प्रयोजित किए बिना विभिन्न भर्ती प्राधिकरणों द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिए भर्ती हेतु आवेदन देने के पात्र हैं यद्यपि चाहे उन्होंने स्वयं को अग्रता-III की रियायत प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा रखा हो।

7. उक्त रियायतों को उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध की गई हैं बशर्ते कि :—

(I) वे प्रारम्भिक रूप से रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए गए हों।

(II) उन्होंने लगातार छः महीने से कम से कम सेवा न की हो।

(III) सेवा की उनकी बर्खास्तगी स्थापना में कमी के कारण हो अर्थात इन कार्यालयों को उस कार्य की समाप्ति के पश्चात बन्द किया गया जाना जिसके लिए उन्हें खोला गया था।

औद्योगिक उत्पादों का मूल्य-निर्धारण

5985. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक उत्पादों का मूल्य निर्धारित नहीं कर रही है, जबकि कृषि मूल्य आयोग जैसे विभिन्न निकायों के माध्यम से कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मामलों में भिन्न नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार गेहूं, गन्ना, चावल, और अन्य उत्पादों की भाँति, औद्योगिक उत्पादों के बाजार में आने से पहले कारखाना द्वार पर मूल्य निर्धारित करने के तरीके की खोज करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) संपूर्ण रूप से मूल्यों को स्थिर रखने की दृष्टि से सरकार, जहां कहीं जनहित में आवश्यक समझती है वहां प्रत्येक वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न सीमा तक कुछ आवश्यक औद्योगिक उत्पादों के मूल्य पर नियन्त्रण रखती है अथवा उनका विनियमय करती है । औद्योगिक उत्पादों के प्रशासकीय मूल्य सामान्य रूप से औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो जैसे विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों पर निश्चित किए जाते हैं । मूल्यों की सिफारिश करने में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो सामान्यतः सरकार द्वारा मूल्य निश्चित करने के लिये निर्धारित निदेशों का पालन करता है । वस्तुओं की प्रकृति के अनुरूप यह हो सकता है कि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निश्चित करने की विधि में कोई घनिष्ठ सम्बन्ध न हो ।

हरिजनों के प्रति अत्याचार

5986. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) 1981 और 1982 में इस प्रकार की घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए ;

(ग) मृतकों के आश्रितों को प्रतिपूर्ति की कितनी राशि की अदायगी की गई ; और

(घ) मृतकों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों को रोकने के विचार से एहतियाती, निवारक, दंडात्मक, पुनर्वासात्मक

और कार्मिक नीति उपाय करने के लिए राज्यों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों से निकट का और निरन्तर संपर्क रखा जाता है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर 1981 में अनुसूचित जातियों की हत्या के 493 मामले सूचित किये गये थे। 1982 में सूचित किए गये हत्या के मामलों की संख्या जहां तक उपलब्ध हैं, 512 हैं।

(ग) और (घ) प्रत्येक मामले में आश्रितों को दी गई प्रतिपूर्ति की राशि के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती है। फिर भी अधिकांश राज्य सरकारों को पहले ही अपराधों के शिकार अनुसूचित जाति और अथवा उनके परिवारों के सदस्यों को प्रतिपूर्ति/राहत देने की स्थाई योजना है।

रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में वृद्धि

5987. श्री चित्त बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1979, 1980, 1981 और 1982 में कितने औद्योगिक एकक रुग्ण हुए ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन घटनाओं को कम करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, उसके द्वारा अपनायी गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार बैंकों द्वारा सहायता पहुंचाए गए रुग्ण एककों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1979, 1980 और 1981 के अंत तक रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या
1979	22,366
1980	24,550
1981 (अनन्तिम)	267.58

वर्ष 1982 के रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही प्रकार के प्राय; अनेक कारण साथ-साथ मिलकर औद्योगिक रुग्णता के लिये जिम्मेदार हैं। प्रबन्ध की कमियाँ, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, स्रोतों का दिशान्तर, अनुसंधान तथा विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना, प्रौद्योगिकी और मशीनों का पुराना हो जाना, खराब औद्योगिक संबन्ध, मांग का अपर्याप्त होना, कच्चे माल की कमी और अन्य निविष्टियां तथा अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयां औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण हैं।

(घ) देश में औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती घटनाओं का सामना करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिये कुछ मार्ग दर्शी अभ्युपायों की घोषणा की है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं लोक सभा में दिनांक 24 मार्च, 1982 को पूछे गए अता० प्रश्न सं० 4974 के उत्तर में दे दी गई थी।

आसाम में दंगों के दौरान हुई हानि

5988. श्री चित्त बसु :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह*: क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में चुनाव बहिष्कार आंदोलन के दौरान, इसके पूर्व और बाद में कुल कितने लोगों की जानें गई ;

(ख) कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ ;

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए, कितने विकलांग हो गये और कितने व्यक्तियों के अंग भंग हो गए ;

(घ) कितने मकान जल गए ; और

(ङ) कितने पुलों को क्षति पहुंची तथा अन्य क्या नुकसान हुए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) (ख) (घ) तथा (ङ) राज्य सरकार के अनुसार जनवरी, 1983 से 21.3.1983 तक असम में हाल के दंगों में 1637 व्यक्तियों को जाने गई। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति का भी व्यापक नुकसान हुआ। लगभग 40,000 मकानों को पुनः निर्मित करने/मरम्मत करने की आवश्यकता होगी। 1598 सड़क पुल क्षतिग्रस्त/नष्ट कर दिये गए।

(ग) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है ।

अवैध हथियारों का निर्माण

5989. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ कारखानों को अवैध हथियारों का निर्माण करते पकड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थलों के नाम क्या हैं और इन मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विस्तृत सूचना सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को जांच के लिये सौंपे गए मामले

5990. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन मामलों का समाधान दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती उन्हें जांच के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास भेजा जाता है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को कुल कितने मामले सौंपे गए हैं ;

(ग) इनमें से कितने मामलों का अपराध शाखा ने समाधान किया है और कितने मामलों को फाइल कर दिया गया है और 31 मार्च, 1983 तक कितने मामले जांच के लिए हाथ में होंगे ; और

(घ) यदि अपराध शाखा इनका समाधान करने में समर्थ नहीं है, तो उसे मामले भेजने का क्या फायदा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) ऐसे मामलों को जिनका समाधान नहीं हो पाता, जाँच पड़ताल के लिए अपराध शाखा को नहीं भेजा जाता है । किसी मामले को तभी अपराध शाखा को भेजा जाता है जब यह समझा जाता है कि ऐसे हस्तान्तरण अधिक प्रभावकारी जांच के हित में है ।

(ख) और (ग) आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	अपराध शाखा को भेजे गए मामले	उनमें से ऐसे मामले जिनका समाधान किया गया	फाइल किए गए मामलों जिनका पता नहीं लगा	मामले जिनकी जाँच पड़ताल की जा रही है
1980	150	139	19	—
1981	167	142	18	7
1982	153	99	6	48
1983	43	2	—	41

(घ) अपराध शाखा के पास उपलब्ध सुविज्ञता मामलों के समाधान में सहायक हैं, जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़े से पता चलता है ।

छुट्टी रियायत भत्ता की 1978-81 की अवधि को बढ़ाना

5991. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को वर्ष 1978-81 ब्लाक के लिए छुट्टी यात्रा रियायत योजना की अवधि अगले छह महीने तक बढ़ाने के लिये सरकारी कर्मचारियों की ओर से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी कतिपय कारणों से इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुविधा को 1983 में अगले कुछ महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसे कितनी अवधि तक बढ़ाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसे कुछ महीनों तक न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार ने यह निर्णय किया हैं कि छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाओं को ब्लाक वर्ष 1978-81 के सम्बन्ध में भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मूल निवास स्थान पर जाने के लिए अब छ: महीने अर्थात 30.6.1983 तक बढ़ा दिया जाए ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लिए पूंजी निवेश

5992. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने के बाद से क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना आवंटनों से जैसा परिलक्षित होता है शिक्षा पर पूंजीनिवेश की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) क्या इस वर्ष मध्यावधि मूल्यांकन करने के बाद छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में शिक्षा के लिये आवंटन में वृद्धि करके धन का अधिक आवंटन किया जायेगा ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी० चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

योजना	शिक्षा के लिए आवंटन प्रतिशतता
पहली पंचवर्षीय योजना	7.2
दूसरी पंचवर्षीय योजना	5.8
तीसरी पंचवर्षीय योजना	7.5
चौथी पंचवर्षीय योजना	5.2
पांचवी पंचवर्षीय योजना	3.3
छठी पंचवर्षीय योजना	2.6

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा किया जाना है ।

महापंजीकार जनगणना द्वारा प्राप्त की गई शिकायतें

5993. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महापंजीकार जनगणना को 1981 की जनगणना के दौरान कम गणना करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र से प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है और उन शिकायतों पर कौन सी अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में जनगणना अधिकारियों/गणनाकार पर जान-बूझ कर ऐसा करने की कोई जिम्मेवारी निर्धारित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या परवर्ती कार्य-वाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से महापंजीकार और जनगणना आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई ऐसी शिकयतों की संख्या इस प्रकार है :—

बिहार-3, गुजरात-2, हरियाणा-1, नागालैंड-4, पंजाब-3,

उत्तर प्रदेश-2, पश्चिम बंगाल-2, और दिल्ली-7.

सभी शिकायतें आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध जनगणना कार्य निदेशकों को भेजी गई थी जिन पर तुरन्त कार्रवाई की गई ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान । ऐसा कोई अवसर नहीं आया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कार्यकारण में सुधार के लिये योजना

5994. श्री बी०वी0 देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में सभी स्तरों पर इसके कार्यकरण में सुधार तथा उत्पादन प्रक्रिया में असुंतलन को समाप्त करने के लिए वर्ष 1983-84 में 230 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुरानी मशीनों को बदलने और कच्चे माल की कोटि में हुए परि-वर्तन का मुकाबला करने के लिये सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु मार्च से यह योजना शुरू कर दी गई हैं ;

(ग) क्या केन्द्र भी 100 करोड़ रुपये की सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ;

(घ) अन्य कौन से स्रोतों से शेष धन राशि प्राप्त की जायेगी ; और

(ङ) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की सुधार योजना कब तक शुरू कर दी जायेगी और किस हद तक लाभदायक सिद्ध होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन. के. पी० साल्वे) : (क) से (ङ) जी हाँ। दुर्गापुर इस्पात कारखाने को सक्षम बनाए रखने के उद्देश्य से परिवर्द्धन, फेर-बदल तथा प्रतिस्थापन की एक योजना बनाई है। इस योजना पर लगभग 228 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा यह लगभग 4 से 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जायेगी। वर्ष 1983-84 में इस योजना के लिये 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

उद्यमियों द्वारा रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण

5995. **श्री बी० बी० देसाई** :
श्री पी० एम. सईद : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिर्जव बैंक के गवर्नर ने रुग्ण इकाइयों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में फिर से विचार करने को कहा है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि अलाभकारी रुग्ण इकाइयों को सरकारी क्षेत्र में लाने की बजाय यदि उन्हें अन्य उद्यमियों द्वारा अधिग्रहण किये जाने की छूट दे दी जाये तो बेहतर होगा ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिर्जव बैंक के गवर्नर द्वारा अन्य सुझाव दिये गये हैं तथा सरकार ने कहाँ तक उनके सुझावों को स्वीकार किया है तथा इसके कार्यान्वयन के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल फैडरेशन द्वारा आयोजित औद्योगिक रुग्णता संबंधी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह कहा था कि रुग्णता से बचने के लिए आधुनिकीकरण अति महत्वपूर्ण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) 7 मार्च, 1983 को श्री टी. टी. कृष्णमाचारी स्मारक भाषण देते समय भारतीय रिर्जव बैंक के गवर्नर ने सुझाव दिये थे जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : --

"रुग्ण एककों के मामले में हमें अपने दृष्टिकोण पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यदि सभी रुग्ण एकक अंततः सरकारी क्षेत्र में ही मिल जाने हैं तो यह किसी उपक्रम को बिना कोई वित्तीय जोखिम उठाए उसमें कुप्रबन्ध बनाए रखने के लिए बेईमान उद्यमियों के वास्ते एक खुला निमन्त्रण है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि घाटे में चलने वाले एककों को राजसहायता देने से काम पर लगे हुए व्यक्तियों को रोजगार की हानि न हो किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि नए व्यक्तियों को उनके गुजारे के लिए कृषि क्षेत्र में काम दिया

जाए । बेहतर तो यही होगा कि अलाभदायी रुग्ण एककों को सरकारी क्षेत्र में लाने के बजाय इस प्रकार के एककों को अन्य उद्यमियों द्वारा अभिग्रहीत किये जाने की अनुमति मुक्त रूप से दी जाये ।"

अक्तूबर, 1981 में सरकार द्वारा घोषित नीति परक मार्गदर्शी सिद्धान्तों में रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कुछ मानदंड निर्धारित किए गये हैं । मुख्य रूप से इसी बात पर बल दिया गया है कि रुग्णता को रोका जाए, नैदानिक अध्ययन के आधार पर उपचारात्मक कार्यवाही की जाये अथवा बेंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने ऋणों की वसूली के लिये सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाए यदि वे ऐसा समझे कि उनके द्वारा किये गये प्रयासों से रुग्ण एकक के जीव्य होने की संभावना नहीं है । यदि कोई स्वस्थ एकक किसी रुग्ण एकक का प्रबन्ध करने और उसकी जीव्यता पुनः स्थापित करने में समर्थ है तो सरकार रुग्ण एककों के स्वस्थ एककों में विलय को भी प्रोत्साहित करती है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के अधीन करों में रियायत दी जा रही है ।

(घ) जी हां ।

मूल परियोजनाओं की अतिव्याप्ति

5996. श्री बी० वी० देसाई :
श्री पी० एम० सईद : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कहा है कि वह मूल परियोजनाओं और उनके विस्तार की योजनाओं की अतिव्याप्ति के सिद्धांत के विरूद्ध है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आयोग ने परियोजना प्राधिकारियों को सूचित किया है कि जब तक मूल परियोजना पूरी नहीं होगी तब तक उस परियोजना के विस्तार संबंधी काम शुरू नहीं करना चाहिये ;

(ग) क्या आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्रों के एककों के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा जारी की गई व्यापक नीतियों व मार्गदर्शी निदेशों में क्या मानदंड निर्धारित किये हैं तथा वे कहां तक परियोजना प्राधिकारियों को स्वीकार्य हुई हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज (योजना के कार्यान्वयन; प्रबोधन और मूल्यांकन से संबंधित अध्याय में) में यह बताया गया है

कि "जब तक मूल परियोजना पूरी न हो जाये, पूरी तरह स्थिर न हो जाये और वास्तविक तथा धन संबंधी (राज कोषीय) निष्पादन दोनों ही के संबंध में अपेक्षित परिणाम न दे दे तब तक कोई विस्तार परियोजना आरंभ नहीं की जानी चाहिये।"

(ख) संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठकों में आयोग उपर्युक्त नीति पर बल देता रहा है।

(ग) सरकारी क्षेत्रक की इकाईयों के बारे में इसलिए कोई अलग से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किये गये हैं क्योंकि इस नीति को छठी योजना के दस्तावेज में पहले ही स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा के सुनकी जिला कोरापुट में सीमेंट कारखानों की स्थापना

5997. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के कोरापुट जिले के विभिन्न भागों में पाये गये चून-पत्थर के भारी भंडारों के निर्यात के लिये कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों ने कोरापुट जिले में सुनकी में सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिये आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो आवेदकों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिये अन्य नामों के साथ सुनकी सीमेंट कारखाने के नाम पर भी विचार करने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो सुनकी सीमेंट संयंत्र के लिये सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को आशय-पत्र जारी क्यों नहीं किया गया है; और

(छ) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करेगी?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (छ) उड़ीसा के कोरापुट जिले में विभिन्न स्थानों पर सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिये (1) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि. (राज्य सरकार का उपक्रम) जेपीरा/कोरापुट/ओलीवा में 20 लाख मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले संयंत्र, (2) इंडस्ट्रीयल प्रमोशन एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (राज्य सरकार का एक उपक्रम) से सुनकी में एक मिनी सीमेंट

संयंत्र लगाने (3) सी. के. पी. मूर्ति से सुनकी में एक मिनी सीमेंट संयंत्र लगाने और (4) श्री एम मिश्रा से तालुर में एक मिनी सीमेंट संयंत्र लगाने के लिये कुल मिलाकर चार आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ये आवेदन पत्र अन्य बातों के साथ-साथ राज्य का खान निदेशालय इस क्षेत्र में चूने के निक्षेपों का पता लगाने के लिये कार्य कर रहा था; निकट भविष्य में रेल संपर्क उपलब्ध न होने तथा मिनी सीमेंट संयंत्र के प्रस्ताव स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप न होने के कारण प्रथम दृश्या अस्वीकृत कर दिये गये थे। दो राज्य निगमों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार तथा केन्द्रीय प्राधिकरणों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

उड़ीसा में खनिजों का पता लगाने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण

5998. श्री गिरिधर गोमांगों : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्थान और राज्य खनन एंव भूविज्ञान विभाग ने राज्य में खनिजों का पता करने के लिए सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य में व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कौन कौन से खनिजों और धातुओं का पता चला है और जिले-वार उनकी मात्रा तथा क़िस्म का क्या मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) इन खनिजों और धातुओं को निकालने के लिए उनके मन्त्रालय तथा उड़ीसा सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये हैं ;

(घ) उड़ीसा सरकार ने प्राइवेट कंपनियों तथा व्यक्तियों को जिले-वार कितनी खनन पट्टे दिये हैं ; और उन्हें किन-किन खनिजों तथा धातुओं की लीज दी गई है ; और

(ङ) उनमें से कितने सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और खनन पट्टेधारियों से सरकार को कितना राजस्व मिला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के० पी० साल्वे) : (क) खनिज की खोज और गवेषण एक लगातार चलने वाला कार्य है तथा उड़ीसा के चुने हुये कार्यचालन क्षेत्रों में यह कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और उड़ीसा राज्य खनन निदेशालय द्वारा अपने कार्यक्रमानुसार किया जा रहा है। उड़ीसा के कुल 1,55,782 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में से 143,060 वर्ग कि०मी० क्षेत्र भारतीय भूवैज्ञानिकी सर्वेक्षण द्वारा अपने कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है।

(ख) अब तक के सर्वेक्षण के फलस्वरुप उड़ीसा के विभिन्न जिलों में मुख्य खनिजों के आकलित भंडार निम्नलिखित हैं : —

खनिज	जिला	भंडार मि० टनों में	ग्रेड
चूना पत्थर	सम्बलपुर	32.86	सभी ग्रेड
	सुन्दरगढ़	636.36	सभी ग्रेड
	कोरापुट	187.30	सभी ग्रेड
	जोड़	856.52	

खनिज	जिला	भंडार मि० टनों में	ग्रेड
डोलोमाइट	सुन्दरगढ़	534.14	सभी ग्रेड
	कोरापुट	100.00	अवर्गीकृत
	सम्बलपुर	55.50	-तदैव-
	जोड़	689.64	
लौह अयस्क	धेनकनाल	1.40	55—60% लौह
	कटक	10.00	55—63% लौह
	क्योंझर	1791.89	सभी ग्रेड
	कोरापुट	1.50	+ 62% लौह
	मयूरभंज	16.99	+63% लौह
	सुन्दरगढ़	837.94	सभी ग्रेड
	जोड़	2659.72	
वेनेडिफेरस	मयूरभंज	5.39	0.21 से 2.4% $वी_2$ $ओ_5$
मैग्नेटाइट	क्योंझर और बलमोड़	1.20	0.9% $वी_2$ $ओ_5$
	जोड़	6.59	

खनिज	जिला	भंडार मि० टनों में	ग्रेड
मैंगनीज अयस्क.	बोलनगीर	0.582	25 से 35% मैंगनीज
	सम्बलपुर	0.120	25 से 35% मैंगनीज
	सुन्दरगढ़	5.654	25 से +46% मैंगनीज
	क्योंझर	24.501	25 से +46% मैंगनीज
	कोरापुट	0.130	25 से 46% मैंगनीज
	जोड़	30.987	
क्रोमाइट	सुकिन्दा और नौशाही		(खोज कार्य चल रहा है)
	पट्टी कटक जिला		
	भीमतानगर	81.948	सभी ग्रेड
	कलियापानी और भीमता नगर	16.157	धातुकर्म चार्ज क्रोम तथा घटिया ग्रेड
	सुकरेंगी	5.750	धातुकर्म और चार्ज क्रोम
	सरूआबिल कुमारडेइ	6.383	धातुकर्म और चार्ज क्रोम
	क्योंझर जिला		
	बाऊला	2.439	सभी ग्रेड
	जोड़	112.667	
तांबा अयस्क	मयूरभंज	1.66	1.59% तांबा
सीसा अयस्क	सुन्दरगढ़	6.01	5.77% सीसा
बौक्साइट	कोरापुट	841.17	43% से 49% एल्यूमिना और 5% से कम सिलिका

खनिज	जिला	भंडार मि० टनों में	ग्रेड
	कालाहाँडी	67.00	43%से 49% एल्यू-मिना और 5% से कम सिलिका
	कोरापुट और कालाहांडी	139.00	-तदैव-
	बोलनगी और	116.54	एवी०ए० एल$_2$ ओ$_3$ 46.8%
	सम्बलपुर		एस. आई. ओ$_2$ 2.5%
	जोड़	1163.71	
निकिल अयस्क	कटक	154.50	1.03से 1.09%निकिल
	मयूरभंज	27.11	0.97%निकिल
	जोड़	181.61	
चीनी मिट्टी	सुन्दरगढ़	0.018	
	मयूरभंज	57.790	
	सम्बलपुर	0.061	
	क्योंझर	1.780	
	फूलबानी	0.008	
	बोलनगीर	0.001	
	जोड़	59.658	

खनिज	जिला	भंडार मि० टनों में	ग्रेड
फायर क्ले	धेनकनाल	26.230	
	पुरी	0.285	
	सम्बलपुर	18.18	
	सुन्दरगढ़	0.618	
	कटक	0.293	
	जोड़	45.606	
कायनाइट	धेनकनाल	0.07	
कोयला	धेनकनाल		

तालचेर कोयला क्षेत्र 3530.98 (300 मी० गहराई तक सभी वर्ग)

सम्बलपुर

ईब नदी कोयला 2376.31 (600 मी० गहराई पर सभी वर्ग)

क्षेत्र जोड़ 5907.29

टिन अयस्क — जिला कोरापुट के मुन्डागुडा और टेन्डामली क्षेत्रों की जलोढ़भूमि और कुछ पैगमाटाइट धारियों में कैसेराइट पाया गया है। पैगमेटाइट 15 - 50 मी० लम्बी और 1 6 मी० चौड़ी पट्टी में हैं। ये मध्य प्रदेश के बस्तर टिन भंडार के विस्तार के रूप में हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा उड़ीसा खनन महानिदेशाल इसके अन्वेषण में लगे हैं। काम प्रारम्भिक अवस्था में है।

ग्रेफाइट	सम्बलपुर, बोलनगीर, धेनकनाल, फूलबानी, कालाहांडी और कोरापुट	भंडार का अनुमान नहीं लगाया गया।	सभी ग्रेड

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप उड़ीसा में स्थापित या निर्माणगत या स्थापना के लिए प्रस्तावित खनिज आधारित उद्योग, निम्नलिखित हैं :—

(1) एल्यूमिनियम कम्पलैक्स ;

(2) धेनकनाल में रिफ्रेक्टरी प्रोजेक्ट ;

(3) क्योंझर में स्पंज आइरन प्रोजेक्ट ;

(4) रारंनपुर में केलमियम कारबाइड प्रोजेक्ट ;

(5) क्योंझर जिले में बनानीपाल के निकट चार्ज क्रोम संयंत्र ;

(6) सुन्दरगढ़ जिले में सरगीपल्ली सीसा प्रोजेक्ट ;

(7) जेदा और रायगडा में फेरो-मैंगनीज संयंत्र ;

(8) क्योंझर में इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज संयंत्र डाइआक्साइट प्लांट ;

(9) हीरापुर सीमेंट संयंत्र ;

(10) पिग आइरन प्लांट ;

(11) राऊरकेला स्टील प्लांट ; और

(12) तालचेर कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रालय से अनुदान के लिए मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संगठन

5999. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वयं सेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से मिलने वाले अनुदानों के लिए मान्यता दी है ;

(ख) उन संगठनों के नाम क्या हैं जो पूरी तौर पर अथवा आंशिक रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित हैं ;

(ग) उनके मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों को कितना अनुदान दिया है और अनुदान किस काम के लिए दिया गया है ;

(घ) क्या कुछ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के व्यक्तियों ने सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए अखिल भारत स्तर के स्वयं सेवी संगठनों का गठन किया है और उनके मंत्रालय से अनुदान हेतु आवेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्वयं सेवी संगठनों के नाम क्या हैं और अब तक इन संगठनों को कितना अनुदान दिया गया है क्योंकि ये संगठन उन लोगों द्वारा गठित किए गए हैं जिनके लिए ये डिवीजन काम कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय सहायता अनुदान देने के प्रयोजन के लिए किसी स्वयं सेवी संगठन को मान्यता नहीं देता है। किन्तु मंत्रालय उन संगठनों को अनुदान देता है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण में लगे हुए हैं। उन संगठनों के नाम जिनको गत तीन वर्षों के दौरान अनुदान दिए गए हैं और जिस प्रयोजन के लिए अनुदान दिए गए थे, अनुलग्नक में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6313/83] ।

(ख) इण्डियन रैड क्रास सोसायटी, सर्वेन्ट आफ इण्डिया सोसायटी और श्री गरिवनवासी प्रगति मण्डल, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आंशिक रूप से कार्य करते हैं, के अतिरिक्त अनुलनग्क में उल्लिखित सभी अन्य संगठन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से कार्य करते हैं ।

(घ) और (ङ) गृह मंत्रालय के पास अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा निर्मित अखिल भारतीय स्वरूप के स्वयं सेवी संगठनों के संबंध में कोई सूचना नहीं है । तथापि जिन संगठनों ने अनुदान के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया था उनमें दो स्वयंसेवी संगठनों नामतः अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को 1981-82 के दौरान अनुदान दिए गए थे ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की चोरी गई वस्तुओं को मेहसाना पुलिस द्वारा बरामद किया जाना

6000. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :
श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेहसाना पुलिस ने हाल ही में जिले में अनेक ट्यूबवैल कम्पनियों और मकेनिकल वर्कशापों पर छापा मारा था और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की लाखों रुपए मूल्य की चोरी गई वस्तुएं बरामद की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर पुलिस ने छापा मारा था और बरामद बस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पुलिस ने इस बात की जांच की है कि लाखों रुपयों की वस्तुएं कैसे चोरी चली गई और इसमें सम्मिलित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का कौन सी कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, मेहसाना पुलिस ने हाल में दो सेंधमारों और चोरियों जो मेहसाना और सोभासन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के परिसरों में हुई थी, की जांच पड़ताल के दौरान जिले में कई ट्यूबवैल कम्पनियों और कुछ वर्कशापों के परिसरों पर छापे मारे थे और लगभग 4,60,000 रुपए के मूल्य के बरमें की 172 अनियां और लगभग 30,000 रुपए के मूल्य के 27 पाइप जिनका तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से संबंधित होने का संदेह था, बरामद किए गए। जिन कम्पनियों पर छापा मारा गया उनके और प्रत्येक से बरामद की गई वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. अब तक दी गई जांच पड़ताल से पता लगा है कि मुख्य अभियुक्त सोभासन निवास डी. एच. ठाकुर जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग मेहसाना में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य कर रहा था, लगभग 12 महीने से अधिक की अवधि से अपने साथियों की मदद से धीरे धीरे बरमें की अनियां ले गया। पुलिस द्वारा तीन कर्मचारियों नामतः श्री के. डी. चौधरी, खलासी, ग्रेड-III, श्री बच्चुभाई एम. परमार, खलासी ग्रेड III और श्री एच. ठाकुर, सुरक्षा गार्ड को इस मामले में अन्तर्ग्रस्त होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। इन तीन कर्मचारियों को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पहले ही निलम्बित कर दिया गया है।

3. महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रक्षा की जा रही है और सी सु. बल और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों के गश्ती दल हैं जो आयोग की संस्थापनाओं/सम्पत्तियों की 24 घंटे गश्त/निगरानी रखते हैं।

4. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गश्ती दलों की बढ़ोतरी करके, और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, सी. सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस द्वारा गहन गश्त लगवाकर गांव के रक्षक दलों जैसे ग्राम रक्षक दल की सेवाओं का उपयोग करके, जंक्शन स्थलों और तेल क्षेत्रों (नाकेबन्दी) तक पहुंचने वाली सड़कों पर वाहनों की जाँच करने के लिए एस.आर. पी. को तैनात करना, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिमी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच, अनुत्पादक बन्द कुओं को कुंआ पूरा करने की फल्यूड जो निर्माण को हानि नहीं पहुंचाती का प्रयोग करके समाप्त करने द्वारा चोरियों को रोकने के लिए अनेक निवारक उपाय किए हैं।

विवरण

अनुलग्नक

कम्पनी का नाम	कम्पनी का मालिक	बरामद की गई अणियों और अन्य वस्तुओं की संख्या
राधा इलैक्ट्रिक वैल्डिंग वर्क्स मेहसाना	पटेल मंगलभटट पूपाभी	बर्मे की 42 अणियां
राजरंग ट्यूब वैल कम्पनी चाँसभा	पटेल रामभट्ट मोहनभी	बर्मे की 14 अणियाँ
वर्षा ट्यूब वैल कम्पनी, चाँसभा	मिस्त्री शिवा भाई अमथाभाई	शून्य
बागेश्वरी ट्यूब वैल कम्पनी चासभा	मिस्त्री गणपत लाल डोसालाल	बर्मे की 6 अणियां
गुजरात वैल्डिंग वर्क एण्ड विष्णु, ट्यूब वैल कम्पनी अजोलटा, बीजापुर	पटेल शेखर भाई सोभा भाई	बर्मे की 30 अणियां
भवानी फेब्रीकेशन वर्क्स मन्सा टा बीजापुर	पंचाल रतीलाल भूरजी	बर्मे की एक अणि E
गणपत ट्यूब वैल कम्पनी सिद्धपुर	पटेल पंजीराम नथ्थालाल	बर्मे की 15 अणियां
गजानन्द ट्यूब वैल कम्पनी, ऊंझा	पटेल ईश्वर भाई त्रीभुवनदास	बर्मे की 20 अणियां और 27 पाईप
लक्ष्मी ट्यूब वैल कम्पनी महसाना,	पटेल सोभाभाई विठ्ठलदास	बर्मे की 21 अणियां
गोपाल ट्यूब वैल कम्पनी ऊंझा	पटेल विठइलभाई खुशहाल भाई	बर्मे की 9 अणि
जयकिसान ट्यूब वैल कम्पनी मेहसाना	पटेल अम्बा लाल जीवन लाल	बर्मे की एक अणियां
कोहीनूर ट्यूब वैल कम्पनी पाटन	पटेल कान्ती लाल नानालाल	बर्मे की 2 अणियां

इसके अतिरिक्त 11 (ग्यारह) अणियां मुख्य अपराधी सोभासन निवासी डी. ए. ठाकुर के भाई के खेत से बरामद हुई थी।

अधिक हिन्दी-टाइपिस्टों की नियुक्ति

6001. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 तथा 1 अप्रैल, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान उद्योग मंत्रालय ने कितने पत्र हिन्दी में लिखे हैं ;

(ख) क्या हिन्दी में और अधिक पत्र लिखने के लिए मंत्रालय में और अधिक हिन्दी टाइपिस्टों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग मंत्रालय द्वारा 1980-81, 1981-82 और 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 1982 की अवधि के दौरान हिन्दी में लिखे गए पत्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	हिन्दी में लिखे गए पत्रों की संख्या
1980-81	57,733
1981-82	10.825
1982 (1.4.82 से 31.12.1982 तक)	9,310

(ख) जी' नहीं ।

(ग) अवर श्रेणी लिपिक (अंग्रेजी/हिन्दी की टाइप जानने वाले) वर्ग के रिक्त पदों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किए गए नामांकन के आधार पर भरा जाता है । कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को रिक्त पदों की सूचना देते समय अपेक्षित हिन्दी टाइप जानने वाले अवसर श्रेणी लिपिकों की संख्या मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से बतायी जाती है । किन्तु, कर्मचारी चयन आयोग से हिन्दी टाइप जानने वाले अवर श्रेणी लिपिक जब तक उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय कुछ हिन्दी टाइपिस्ट रोजगार कार्यालय के माध्यम से तदर्थ आधार पर भर्ती कर लेता है ?

असम शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए पश्चिम बंगाल का अनुरोध

6002. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने असम से उत्तरी बंगाल में भारी संख्या में आए असम शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए केन्द्र से आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, केन्द्र ने इस अनुरोध का क्या उत्तर दिया है ;

(ग) इन शरणार्थियों पर अब तक हुए खर्च में केन्द्र तथा राज्य सरकार का हिस्सा कितना है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) असम सरकार से पश्चिम बंगाल में और अधिक शरणार्थियों के जाने को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने और, जो शरणार्थी पश्चिमी बंगाल चले गए हैं, उन्हें वापस असम में लाने के लिए प्रबन्ध करने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) फरवरी, 1983 के बाद से राहत शिविरों की स्थापना और संचालन पर हुए खर्च के रूप में 23.92 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की स्वीकृति देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

असम आन्दोलनकारियों के प्रवक्ताओं द्वारा "विदेशियों" पर भविष्य में होने वाली बातचीत का बहिष्कार करने की धमकी

6003. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम आन्दोलनकारियों के प्रवक्ताओं ने धमकी दी है कि यदि "विदेशियों" की समस्या पर भविष्य में होने वाली बातचीत में राज्य सरकार और या असम में रहने वाले विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया तो वे बातचीत का बहिष्कार करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री **(श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखी हैं । सरकार की इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि सरकार ने सदन में हाल की बहस में अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है ।

डल्ली में रक्षित लौह अयस्क खानों में खनन कार्य के लिये ठेके पर श्रमिकों का नियोजन

6004. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक डल्ली में रक्षित लौह अयस्क खानों में खनन कार्य के लिए ऐसे कार्यों के लिए 10 मई, 1980 से लागू केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार ठेके पर श्रमिकों के नियोजन के निषेध के बावजूद ठेके पर श्रमिकों का नियोजन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मैसर्स अजय ड्रिलिंग कम्पनी को हाल ही में दिए गए इस प्रकार के ठेके को रद्द किया जाएगा और कार्य विभागीय तौर पर प्रारम्भ किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

कीटनाशकों के कारण पारिस्थितिकीय समस्यायें

6005. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को कुछ प्रकार के कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल के कारण पैदा हुई पारिस्थितिकीय गम्भीर समस्याओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार कीटनाशक दवाइयां पारिस्थितिकीय समस्यायें पैदा कर रही है ; और

(ग) इन पारिस्थितिकीय असंतुलनों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्यतः क्लोरीनित कीटनाशी जो पर्यावरण में विद्यमान है ।

(ग) रसायनों के निरन्तर उपयोग को निम्नतम करने और समेकित कीटनाशक प्रबन्ध प्रक्रियाओं, जिनमें सांस्कृतिक, यान्त्रिक तथा जैव नियन्त्रण विधियाँ सम्मिलित है, को अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

स्वदेशी उपकरणों से एक आणविक संयंत्र स्थापित करने का कार्यक्रम

6006. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पूरे तौर पर स्वदेश में उत्पादित उपकरणों से एक आणविक संयंत्र स्थापित करने की पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उसका व्यवहारिक लाभ उठाएगी ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में केवल देश में ही उत्पादित उपकरणों की सहायता से आणविक संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई फैसला किया है और इस बारे में तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागरविकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के लिए आवश्यक अधिकांश कलपुर्जे तथा उपस्कर भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तावित एक दीर्घकालीन योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर लगाए जायें।

जेलों में विचाराधीन कैदियों के इलाज के लिये मानदण्डों का पालन

6007. प्रो० मधु दण्डवते :
श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में जेलों में रखे गए विचाराधीन कैदियों को दिए जाने वाले इलाज के बारे में कुछ निश्चित मानदण्ड अपनाए जाने के निदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मानदण्डों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए मानदण्डों को लागू करने हेतु राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मार्गदर्शी सुझाव दिए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) उच्चतम न्यायालय ने कानून और संविधान के उपबन्धों के अनुसार जेलों में विचाराधीन व्यक्तियों सहित सभी कैदियों के इलाज के लिए समय समय पर निदेश दिए हैं। ये निदेश राज्य सरकारों को आदेश देते हैं कि कैदियों के अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में बनाए रखा जाए, उन पर बेड़ी और अवरोधोंके अन्य उपकरण अन्धाधुन्ध प्रयोग न किए जांए, उनको ऐसी किसी बात से वंचित न रखा जाए जिनकी कैद और न्यायालय के दंड के अधीन आवश्यकता न हो, कैदियों और उनके वकीलों के बीच साक्षात्कारों, यात्राओं और पत्रों की पूरी सुविधा दी जाए बशर्ते कि यह अनुशासन और सुरक्षा के विचार से उचित हो, असहाय कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करना आदि।

(ग) तथा (घ) चूंकि "जेल" राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें संघ शासित क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन करने के बाध्य हैं। कैदियों को अपने अधिकारों से अवगत करवाने और जेल में रहने वालों के बीच वितरण के लिए दिशा निदेशों का एक सैट

तैयार करने के लिए व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा भी राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है। उनको गरीब और असहाय कैदियों को निशुल्क कानूनी सहायता देने का भी अनुरोध किया गया है।

सेमीकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रोनिक घड़ी माड्यूल का उत्पादन

6008. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सेमीकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड किसी सन्तोषजनक इलेक्ट्रोनिक घड़ी माड्यूल का उत्पादन करने में असफल रही है ;

(ख) ऐसे माड्यूलों की तकनीकी जानकारी का विकास करने/उसे प्राप्त करने के प्रयास में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सेमीकन्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड एल० एस० आई० युक्त का निर्माण करने सम्बन्धी तकनीकी जानकारी का विकास करने/उसे प्राप्त करने और अपनाने में असफल रही है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं। सेमीकण्डक्टर काम्पलेक्स लिमिटेड ने छ: प्रकार के अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ी माड्यूलों का विनिर्माण करने के लिए जापान की मेसर्स हिताची लिमिटेड के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग विषयक करार को अन्तिम रूप दे दिया है और उसने उस सहयोग के आधार पर अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ी माड्यूलों का संयोजन करना आरम्भ कर दिया है। सेमीकण्डक्टर कांपलेक्स लिमिटेड इस समय महिलाओं तथा पुरुषों की कलाई घड़ियों के लिए पांच प्रयोजन मूलक माड्यूलों तथा पुरुषों की अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के लिए बहु-प्रयोजन मूलक माड्यूलों का संयोजन कर रहा है।

सेमीकण्डक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड क्वार्टज एनालॉग घड़ियों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक माड्यूलें बनाएगा। इन मांडयूलों के लिए जापान की मेसर्स सिटीजन तथा जापान की मेसर्स सीको, जोकि क्रमश: बंगलौर स्थित मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा हैदराबाद स्थित मेसर्स हैदराबाद आल्विन नामक कम्पनियों के सहयोगकर्त्ता हैं, से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) मेसर्स हिताची को तकनीकी दस्तावेजों सेमीकण्डक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने तथा विनिर्माण और गुणवत्ता-नियन्त्रण के लिए आरम्भिक सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी-जानकारी के कुल प्रभारों के रूप में 1240 लाख जापानी येन (50 लाख रुपए के बराबर) का भुगतान किया जाएगा, जिस पर कर लगेंगे।

(ग) जी, नहीं। सेमीकण्डक्टर कांम्पलेक्स लिमिटेड ने 5 माक्रइांन तथा 3-माइक्रॉन, सी. एम. ओ. एस. तथा एन. एम. ओ. एस. सिलिकन गेट प्रक्रिया नामक प्रौद्योगिकी जानकारियों पर आधारित बड़ी पैमाने की एकीकृत (एल. एस. आई.) युक्तियों का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु संयुक्त राज्य अमरीका की मेसर्स अमेरिकन माइक्रोसिस्ट्म इन्कारपोरेटेड (ए. एम. आई) के साथ तकनीकी सहयोग विषयक एक करार को अन्तिम रूप दिया है। सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड एवं अमेरिकन माइक्रोसिस्ट्म्स इन्कारपोरेटेड के बीच सम्पन्न करार में निम्नलिखित के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण करने की परिकल्पना की गई है :-

I) तकनीकी दस्तावेजों का अंतरण ;

II) सेमीकण्डक्टर कांम्प्लेक्स लिमिटेड के इंजीनियरों को मौके पर तात्कालिक प्रशिक्षण देना ; और

III) अनुबन्ध में निहित प्रौद्योगिक जानकारी को स्वीकृति मिलने तक आरम्भिक सहायता प्रदान करना ;

सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में प्रौद्योगिकी-अन्तरण के संवाहक के रूप में चुनिन्दा बड़ी पैमाने की स्वीकृत (एल. एस. आई.) युक्तियों के माध्यम से विभिन्न प्रौद्योगिकियाँ स्थापित की जाएंगी।

सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड इस समय बड़ी पैमाने की एकीकृत (एल. एस. आई.) युक्तियों के विनिर्माण के लिए भवन विषयक तथा अन्य सहायक सुविधाएं स्थापित कर रहा है। सहयोगी के कार्यस्थल पर तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया गया है।

बड़े पैमाने के एकीकृत (एल. एस. आई) परिपथों का डिजाइन तैयार करने के लिए सेमीकण्डक्टर कांम्प्लेक्स लिमिटेड और अमेरिकन माइक्रोसिस्टम्स इन्कारपोरेटिड के इंजीनियरों का एक संयुक्त विकास दल बनाया गया है। इस संयुक्त दल ने प्रारम्भ में अमेरिकन माइक्रोसिस्ट्म्स इन्कारपोरेटेड में अपना कार्य भी शुरू कर दिया है।

सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में बड़े पैमाने के एकीकृत (एल. एस. आई.) युक्तियों के संयोजन का कार्य शुरू हो गया है। आशा है कि बड़े पैमाने के एकीकृत (एल. एस.आई.) वेफर-संरचना, डिजाइन तथा आवरण बनाने का कार्य वर्ष 1983 के समाप्त होने से पूर्व शुरू हो जाएगा।

रेडार के निर्माण में माँग-पूर्ति अन्तर

6009. श्री अमल दत्त : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक आयोग ने रेडार-उत्पादन के निर्माण में मांग-पूर्ति अन्तर को खत्म करने सम्बन्धी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है ;

(ख) क्या रेडार-उत्पादन सम्बन्धी सुविधा की स्थापना करने या उसका विस्तार करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा के प्रतिस्थापन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी तथा अनुमानतः कितना उत्पादन होगा और उसका मूल्य क्या होगा ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (ग) बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए रेडारों की विद्यमान उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। विद्यमान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की उत्पादन-क्षमता का विस्तार करके तथा कुछ राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों को रेडारों तथा सहायक उपस्करों का विनिर्माण कराने के लिए बढ़ावा देकर भी ऐसा किए जाने का प्रस्ताव है।

तदनुसार, सरकार ने इस क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड (बी.ई.एल.) के विस्तार-कार्यक्रम को समर्थन प्रदान किया है। हैदराबाद स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स (वैमानिकी) लिमिटेड (एच.ए.एल.) ने भी इस क्षेत्र में विस्तार करने की योजना बनाई है। रेडारों तथा सहायक-उपस्करों के विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय रेडार परिषद (एन.आर.सी.) द्वारा भी अनेक राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड (बी.ई.एल.) तथा साथ ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) तथा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगमों द्वारा उत्पादन के आधार में की जा रही अभिवृद्धि के अन्तर्गत रेडारों तथा अन्य जटिल एवं परिष्कृत किस्म के व्यवसायिक इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों का समन्वित आधार पर उत्पादन भी शामिल है। अतः केवल रेडारों के लिए स्थापित उत्पादन-क्षमता पर किए गए पूंजीनिवेश के सम्बन्ध में अलग से जानकारी देना संभव नहीं हैं।

किन्तु ऊपर उल्लिखित व्यापक उत्पादन कार्यक्रमों से इस दशक के अन्त तक रेडारों तथा सहायक उपस्कर का वार्षिक उत्पादन दुगुना हो जाने की आशा है।

दुतरफा रेडियो संचार के उपकरणों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

6010. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या दुतरफा रेडियो-संचार के उपकरणों के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के अधीन, रेडियो संचार उपस्करों का विनिर्माण सरकारी क्षेत्र

के लिए आरक्षित रखा गया है। ऐसे उपस्करों के विनिर्माण के लिए केवल शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों को ही औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए जा रहे हैं।

देश में विदेशी मिशनरी संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करना

6011. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी मिशनरी संगठनों, यदि कोई हों, के नाम और ब्योरा क्या है, जो सक्रिय हैं और जो देश के पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) वहां चल रहे विदेशी मिशनरी संगठनों की भूमिका किस प्रकार की है तथा उनकी आय का स्रोत क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा अवधि सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गरीबी की रेखा से ऊपर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार

6012. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के संबंध में सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में राज्यवार छाँटे गए जिलों की संख्या का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। छठी योजना अवधि में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता कार्यक्रमों से गरीबी रेखा पार करवाने का लक्ष्य बनाया गया है। इसको दृष्टि में रखते हुए 20 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्र जिनमें काफी अनुसूचित जाति जनसंख्या है, में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार की गई हैं। ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा कश्मीर है और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, दमण तथा दीव, पाँडिचेरी हैं।

अनुसूचित जन जातियों, के विकास के लिए जनजातीय उपयोजनाएं तैयार की जाती हैं। देश के 22 जिलों में पूर्णतः और 93 जिलों में आंशिक रूप से जनजातीय उपयोजनाएं लागू हैं।

बलात्कार के मामलों की संख्या में वृद्धि

6013. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या में वृद्धि के समय बलात्कार के मामलों की संख्या भी काफी बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने बलात्कार करने वालों को कठोरतम दण्ड देने की व्यवस्था करने हेतु एक नया विधान बनाने का कोई निर्देश दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस देश की नारियों की प्रतिष्ठा को किस प्रकार बचाया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) 1978 से 1982 तक के दौरान बलात्कार के मामलों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आपराधिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को 12 अगस्त, 1980 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को विधेयक को भेजने का प्रस्ताव 23 दिसम्बर, 1980 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। समिति ने 2.11.1982 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस विधेयक के संबंध में पुनः प्रस्ताव रखने का प्रश्न विचाराधीन है। विधेयक में सामान्यतः बलात्कार के अपराध और उसके दण्ड तथा विशेष रूप से हिरासातमक परिस्थितियों में बलात्कार के लिए अर्थात पुलिस अधिकारियों आदि द्वारा बलात्कार के संबंध में भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों को कड़ा करने की व्यवस्था है।

विवरण

1978 से 1982 तक के दौरान बलात्कार के मामलों की कुल संख्या का विवरण

बलात्कार

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1978	1979	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	157	173	204	179	245
2.	असम	223	244	235	214	190 सितम्बर 82 तक
3.	बिहार	422	418	243	346	318
4.	गुजरात	94	64	106	99	97
5,	हरियाणा	64	78	89	74	90
6.	जम्मू व कश्मीर	117	116	136	114	115
7.	हिमाचल प्रदेश	23	31	16	20	25
8.	कर्नाटक	73	87	52	59	60
9.	केरल	74	53	56	77	61 अक्तूबर 82 तक
10.	मध्य प्रदेश	858	790	936	1017	733 अगस्त 82 तक
11.	महाराष्ट्र	358	371	392	500	505
12.	मणिपुर	5	10	17	18	20
13.	मेघालय	9	12	22	13	17
14.	नागालैंड	6	4	5	5	9
15.	उड़ीसा	94	115	96	123	137
16.	पंजाब	81	83	77	83	53
17.	राजस्थान	318	202	313	298	339
18.	सिक्किम	10	6	3	7	4
19.	तमिलनाडु	118	98	123	172	169
20.	त्रिपुरा	13	4	12	22	22
21.	उत्तर प्रदेश	812	708	707	847	773
22.	पश्चिम बंगाल	495	500	521	463	389 सितम्बर 82 तक
	जोड़ :	4424	4167	4261	4780	4371

1	2	3	4	5	6	7
	संघ शासित क्षेत्र					
23.	अण्डमान निकोबार	1	2	2	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	3	6	8	7	6
25.	चंडीगढ़	3	1	2	5	5
26.	दादर नगर हवेली	—	3	—	—	2
27.	दिल्ली	79	84	54	86	69
28.	गोवा दमन व द्वीव	4	3	6	5	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	29	29	39	34	35
31.	पांडिचेरी	15	5	7	2	4
	जोड़ :	134	133	118	139	121
	कुल जोड़ :	4558	4300	4379	4919	4492
	जनसंख्या लाखों में	6384	6510	6636	6840	उपलब्ध नहीं
	प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध	0.71	0.66	0 66	0.72	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी :—वर्ष 1980 से 1982 तक के आंकड़े अस्थाई हैं।

वर्ष 1982-83 में सीमेंट का उत्पादन

6014. **श्री राम लाल राही :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में सीमेंट का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से 35 लाख टन कम होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी फैक्ट्रियों को बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोयले की किस्म घटिया होने के कारण पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) अवस्थापना संबंधी निविष्टियों विशेष रूप से बिजली और कोयले की सामान्य उपलब्धता को मानते हुए वर्ष 1982-83 में सीमेंट का कुल उत्पादन 260 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया था, किन्तु प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में बिजली की उपलब्धता की रुकावटों के कारण आशा है कि सीमेंट का उत्पादन 230 लाख मी. टन के आसपास होगा।

(ग) और (घ) बताया गया है कि विभिन्न तकनीकी कारणों जिनमें से कोयले की सप्लाई भी एक है, बिजली की कमी के कारण कुछ राज्यों/प्रणालियों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

तापीय बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की किस्म और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। कोयला कंपनियों तथा बिजली घरों के प्राधिकारियों द्वारा कोयले के संयुक्त रूप से नमूने लेने का कार्य अनेक स्थानों पर हो रहा है। कोयला-खानों पर कोयला ढोने के संयंत्र भी प्रावस्थाबद्ध रूप में लगाए जा रहे हैं।

पुलिस को मिलने वाली गुमनाम शिकायतें

6015. **श्री राम लाल राही :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस बल को वर्ष 1981 में 2580 गुमनाम शिकायतें मिली थीं, यदि हां, तो 1982 में कितनी गुमनाम शिकायतें मिली हैं ;

(ख) वर्ष 1981 और 1982 में पुलिस ने कितनी गुमनाम शिकायतों पर कार्यवाही की ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां । 1982 में 2837 गुमनाम शिकायतें मिली थीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त विषय पर वर्तमान अनुदेशों के अनुसार गुमनाम शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती । फिर भी वर्ष 1981 और 1982 में इस प्रकार की क्रमशः 2 और 9 शिकायतों के बारे में जांच प्रारम्भ की गई थी क्योंकि विशेष पुलिस स्थापना के पास उन शिकायतों की संपोषक सामग्री पहले से ही मौजूद थी ।

साम्प्रदायिक दंगे

6016. **श्री रामलाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पत्र लिखे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) कुछ संसद सदस्यों ने देश में साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में पत्र लिखे हैं । सरकार ने ऐसे सभी पत्रों पर सावधानी पूर्वक विचार किया और उन पर उचित कार्यवाही की ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

6018. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 तक औद्योगिक लाइसेंसों के लिए मंत्रालय में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए थे ; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्रों को निपटाया गया है और किन-किन लोगों को आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा उनका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1982 में, देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन विभिन्न उद्यमियों से औद्योगिक लाइसेंस हेतु 2137 आवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) इनमें से अब तक 678 आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं और आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं जबकि 1041 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है अथवा अन्यथा निपटा दिया गया है। शेष 418 मामले इस समय विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं;

नमक के कारखानों की स्थापना

6019. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक आयुक्त के अधीन कितने कार्यालय हैं तथा उनमें से प्रत्येक कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) देश में किन-किन स्थानों पर नमक के कारखाने चल रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक कारखाने में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा प्रत्येक का वार्षिक उत्पादन कितना-कितना है; और

(ग) दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक नमक आयुक्त, जयपुर के पास नमक उद्योग लगाने संबंधी कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे तथा इन आवेदन पत्रों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) नमक आयुक्त के अधीन आने वाले कार्यालय तथा उनके कर्मचारियों की संख्या (उनके अधीन आने वाले प्रभागीय तथा सर्किल कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या सहित) निम्नलिखित है : —

मुख्यालय, जयपुर	87
क्षेत्रीय कार्यालय	
मद्रास	378
बम्बई	217
अहमदाबाद	135
कलकत्ता	140
जोधपुर	52

(ख) नमक के महत्वपूर्ण कारखानों के स्थापना स्थल तथा उनके औसत वार्षिक उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। नमक आयुक्त के कार्यालय में प्रत्येक कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती।

(ग) एक भी नहीं।

विवरण

नमक कारखाना	औसत वार्षिक उत्पादन (मी० टन में)
1	2
तमिलनाडु	
1. नागरकोइल एक्सटेंशन	5500
2. एस.एम.जी.एन. एण्ड पुथालोम	700
3. एस.एम.के. एण्ड एस.एस. एलम	2200
4. राजक्का मंगलम	200
5. थाटेरी पोद्दाई	1300
6. एस.सी.टी.एम.	2500
7. ओल्ड एलम	2000
8. कायल पटनम ग्रुप	100000
9. लेविंगीपुरम	40000
10. सेवादाकुलम	46000
11. करापाड़	23000
12. कालावसाल	35000
13. उरानी	55100
14. उरानी एक्सटेंशन	37000
15. अरासाड़ी	13000

1	2
16. वेप्पालाडई	186000
17. वेयपार	3500
18. मुरेकुलम	12000
19. वोलिनोकम	22000
20. वट्टनम ग्रुप	600
21. कुटुम्बार्डी	5000
22. अदिरम पटनम	10000
23. थाम्बीकोटेई	5000
24. मरकानम्	42000
25. वेदनारायम्	147000
26. चूनमपेट	10000
27. चेयुर	5000
28. कोबेलोग	45000
29. बेल्लूर	25000
30. अट्टीपुट ग्रुप	28000
31. चिल्लाई	2000
32. बोयालूर	3300
आन्ध्र प्रदेश	
33. कृष्णापटनम	14000
34. इसकापल्ली	29000
35. पाकलाएण्ड पाकला एक्सटेंशन	13000
36. चिन्नागंजम (उत्तरी तथा दक्षिणी)	48000
37. कानुपारथी	7500

1	2
38. पादारथी	9500
39. बांदर	250
40. मंगिनापुड़ि	1800
41. पन्डारका	2400
42. पोलुकोरू	1700
43. जगननायकपुर	32000
44. पेनुगुडरू	3200
45. गुरुजनापल्ली	18000
46. पोलावरम	3000
47. पुडीमाड़का	12000
48. देदानिपुरूपल्ली	11000
49. बालाचुरूवु	16000
50. करासा	2000
51. भीमली पटनम	3000
52. कुप्पिली	500
53. कलिंगपटनम	4000
54. कोनाड़ा	600
55. नौपाड़ा	15000
56. मुलापेट	16000
57. भवन पुडु	2100
58. पुण्डी	6700
उड़ीसा	
59. सुरला	3000

1	2
60. सुमड़ी	38000
61. गजम	12000
62. गोका	3400
63. एस्ट्रोंग	1000
64. बेलोंग	विकास किया जाता है।
65. चूड़ामणि	— वही —
66. जम्बू	— वही —
पश्चिमी बंगाल	
67. कोन्तई	5000
राजस्थान	
78. फालोडी	350000
69. पोकरान	30000
70. डिडवाना	170500
71. सुजानगढ़	44000
72. पचबद्रा	40000
73. कुचामन	37000
74. सरगोट एण्ड मिथरी	24000
75. साम्भरलेक	250000
गुजरात	
76. खराघोडा	900000
77. निमक नगर	660000
78. हलंगाड़	200000
79. मलिया	376000

1	2
80. भावनगर	410000
81. काडला	285000
82. अदीपुर	320000
83. राबुला	248000
84. पोरबन्दर	60000
85. मिथनापुर	625000
86. सलाया	100000
87. सिगोच	212000
88. जामनगर	370000
89. धरसाना	66000
90. दाहेज	33000
91. काम्बे	17500
महाराष्ट्र	
92. राय	89000
93. बेसाई	111000
94. पालाधार	54000
95. मारोली	40000
96. ट्राम्बे	16000
97. मडूप	33600
98. कोलापुर	35000
99. थाना	3700
100. बाडला	13000
101. उरान	50000

1	2
102. शीवा	73000
103. करन्जा	20000
104. पेन	21000
105. शिरोदा	1400
106. पांवेल	1000
कर्नाटक	
107. सानीकाटा	23000

केन्द्रक उद्योगों की स्थापना

6020. श्री निहाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रक औद्योगिक एककों के रूप में किस प्रकार के "उद्योगों" की स्थापना करने की सरकार की योजना है ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) केन्द्रस्थ संयंत्रों की अवधारणा के अन्तर्गत चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में बड़े और मझोले केन्द्रस्थ संयंत्रों के साथ-साथ उनके आस-पास उनसे सामान प्राप्त करने वाले उनको सामान देने वाले बहुत से सहायक उद्योगों की स्थापना के द्वारा समग्र एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है ।

(ख) तथा (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सिफारिशों पर केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना हेतु 69 जिले चुने गए हैं । इन जिलों में केन्द्रस्थ संयंत्रों को चुनने के लिए 33 कृतिक बल गठित किए गए हैं । 19 कृतिक बलों ने 35 जिलों (विवरण में दिखाए गए) के बारे में अपनी रिपोर्टें दे दी हैं । संबंधित राज्य सरकारों से संस्तुत परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक जाव्यता की जांच करने को कहा गया है ।

विवरण

केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन औद्योगिकीकरण आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा चुने गए जिलों के विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उन जिलों के नाम जिनमें कि कृतिक बल स्थापित किये जा चुके हैं।	रिपोर्ट प्राप्त हुई अथवा नहीं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर	रिपोर्ट मिली
		2. मेडक	रिपोर्ट मिली
		3. श्री काकुलम	रिपोर्ट मिली
2.	असम	4. ग्वालपाड़ा 5. कामरूप	रिपोर्ट नहीं मिली
3.	बिहार	6. मधुवनी 7. कालामऊ	रिपोर्ट मिली
4.	गुजरात	8. कच्छ 9. अमरौली 10. सबरकण्डा	रिपोर्ट नहीं मिली
5.	हरियाणा	11. महेन्द्रगढ़ 12. हिसार 13. जीन्द	रिपोर्ट मिली
6.	हिमाचल प्रदेश	14. कांगड़ा	रिपोर्ट मिली
		15. सोलन 16. सिरमूर	रिपोर्ट मिली

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	17. बारामूला	रिपोर्ट नहीं मिली
		18. ऊधमपुर	
8.	कर्नाटक	19. टुंकुर	रिपोर्ट नहीं मिली
		20. द० कनारा	
		21. गुलबर्ग	
		22. बेलगांव	
9.	केरल	23. अलेप्पी	रिपोर्ट मिली
		25. मालपुरम	रिपोर्ट नहीं मिली
10.	मध्य प्रदेश	24. सीधी	रिपोर्ट मिली
		26. झबुआ	
		27. मुरेना	रिपोर्ट नहीं मिली
		28. धार	
11.	महाराष्ट्र	29. औरंगाबाद	रिपोर्ट मिली
		30. चन्द्रपुर	
		31. रत्नागिरी	
12.	मेघालय	32. पूर्वी गारो पहाड़ियां	पूर्वी खासी पहाड़ियों के अलावा रिपोर्ट मिली
		33. पूर्वी खासी पहाड़ियां	
		34. जयन्तिया पहाड़ियां	
13.	नागालैण्ड	35. मोन	रिपोर्ट नहीं मिली
		36. ब्युनसांग	
14.	उड़ीसा	37. पुरी (चांडक क्षेत्र)	रिपोर्ट मिली

1	2	3	4
		38. बोलंगीर	रिपोर्ट मिली
		39. कालाहांडी	
		40. धेनकनाल	
		41. मयूरगंज	
15.	पंजाब	42. अमृतसर (गोविन्दवाल साहिब)	रिपोर्ट मिली
		43. होशियारपुर	रिपोर्ट मिली
16.	राजस्थान	44. जोधपुर	केवल जोधपुर के लिए रिपोर्ट मिली
		45. चुरू	
		46. नागौर	
		47. भीलवाड़ा	
17.	सिक्किम	48. गंगटोक	रिपोर्ट मिली
		49. मनगांव	
		50. ग्यालशिंग	
		51. नामची	
18.	तमिलनाडु	52. पुड्डुकोटई	रिपोर्ट मिली
		53. मदुराई	
19.	त्रिपुरा	54. उत्तरी त्रिपुरा	रिपोर्ट नहीं मिली
		55. दक्षिणी त्रिपुरा	
20.	उत्तर प्रदेश	56. झांसी	रिपोर्ट मिली
		57. ललितपुर	

1	2	3	4
		58. बलिया	
		59. बस्ती	रिपोर्ट नहीं मिली
		60. फैजाबाद	
		61. अल्मोड़ा	रिपोर्ट नहीं मिली
		62. रायबरेली	
21.	पश्चिम बंगाल	63. जलपाई गुडी	रिपोर्ट नहीं मिली
		64. बाकुंरा	
22.	पाण्डिचेरी	65. पाण्डिचेरी	रिपोर्ट नहीं मिली
23.	मिजोरम	66. मिजोरम	रिपोर्ट नहीं मिली
24.	मणिपुर	67. उत्तरी मणिपुर	
		68. दक्षिणी मणिपुर	रिपोर्ट नहीं मिली
		69. केन्द्रीय मणिपुर	

विदेशी सहयोग

6021. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1980, 1981 और 1982 में कुल कितने विदेशी सहयोग का अनुमोदन किया गया ;

(ख) इन विदेशी सहयोगों के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी ; और

(ग) इस संबंध में लगी हुई कुल राशि कितनी है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ग) सरकार ने वर्ष 1980, 1981 और 1982 में क्रमशः 526, 389 और 590 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किए थे । इनमें से 243 प्रस्तावों में विदेशी कंपनियों की 8260.03 लाख रुपये की राशि की वित्तीय भागीदारी निहित है ।

(ख) वर्ष 1979-80 में लाभ, लाभांश, रायल्टी और तकनीकी जानकारी के लिए देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके बाद की अवधि की इसी प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1979-80 में लाभ, लाभांश रायल्टी तथा तकनीकी जानकारी के लिए विदेशों को भेजी गई राशि दर्शाने वाला विवरण :

	योग लाख रुपयों में
लाभ*	1437
लाभांश*	5092
रायल्टी*	953
तकनीकी जानकारी	4397
	योग : 11879

* तेल कंपनियों के मामले में शामिल किए गए आंकड़े विदेश को भेजी जाने वाली देयताओं को दर्शाते हैं न कि वास्तव में भेजी गई राशि के।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

6022. श्री अजय विश्वास : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 और 1982 में राज्य-वार कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी मंजूर किए गए ;

(ख) उपरोक्त अवधि में सरकार को कितने आवेदन पत्र मिले ; और

(ग) "फेरा" और "एम" आर. टी. पी." घरानों को कितने लाइसेंस जारी किए गए ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1981 और 1982 के दौरान 4244 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियक के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों को वर्ष 1981 और 1982 में 208 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की कंपनियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1981 और 1982 के दौरान राज्यवार जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण :—

राज्य	1981	1982
1. आन्ध्र प्रदेश	39	26
2. अंडमान और निकोबार	—	—
3. अरुणाचल प्रदेश	—	—
4. असम	4	1
5. बिहार	10	9
6. चंडीगढ़	1	3
7. दादर और नागर हवेली	—	—
8. दिल्ली	2	7
9. गोवा, दमन और दीव	5	7
10. गुजरात	79	69
11. हिमाचल प्रदेश	1	6
12. हरियाणा	21	21
13. जम्मू और कश्मीर	3	3
14. कर्नाटक	25	34
15. केरल	15	9
16. लक्षदीप, मिनिकॉय तथा अण्डमान द्वीप समूह	—	—

रज्य	1981	1982
17. मध्य प्रदेश	15	9
18. महाराष्ट्र	114	95
19. मणिपुर	1	—
20. मेघालय	—	—
21. मिजोरम	—	—
22. नागालैण्ड	—	—
23. उड़ीसा	5	10
24. पांडेचेरी	1	1
25. पंजाब	17	14
26. राजस्थान	26	14
27. सिक्किम	—	—
28. तमिलनाडु	30	41
29. त्रिपुरा	—	—
30. उत्तर प्रदेश	24	22
31. पश्चिम बंगाल	34	27
32. अनिर्दिष्ट राज्य/एक से अधिक राज्य	4	4
योग :	476	432

ट्रकों के चेसिसों की कमी

6023. श्री अजय विश्वास : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रकों के चेसिसों के मामले में कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है ;

(ख) 1982 में ट्रकों के चेसिसों की कितनी मांग थी और इस अवधि के दौरान कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) 1982 में ट्रकों के चेसिसों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी थी ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) निर्माताओं ने बतलाया है कि ट्रक चेसिसें आसानी से मिल रही हैं और उन सभी ग्राहकों को डिलीवरी लेने के लिए कहा गया है जिन्होंने इनकी बुकिंग कर रखी है।

(ख) और (ग) विस्तृत ब्यौरा जैसा कि निर्माताओं द्वारा बताया गया है, निम्न प्रकार : –

कम्पनी का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	1982 में उत्पादन	31-12 1982 को क्रयादेश स्थिति
टेल्को	44,640	43,097	30,000 (लगभग)
अशोक लेलैण्ड	45,000	16,232	17,000 (लगभग)

दिल्ली में गैर-कानूनी वेश्या-वृत्ति मे वृद्धि

6024. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जी०बी० रोड, दिल्ली तथा आलीशान कालोनियों सहित अन्य स्थानों पर भी स्थानीय पुलिस के बिना किसी उचित नियंत्रण के दिन-प्रति-दिन गैर-कानूनी वैश्या-वृत्ति बढ़ रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि वेश्या-वृत्ति के प्रयोजनार्थ नेपाल, आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक आदि से लड़कियां दिल्ली लाई जाती हैं और इस धंधे में धकेली जाती हैं ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस के रिकार्ड में दिल्ली में कुल कितनी वेश्याएं हैं ;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान वेश्या-वृत्ति के विरुद्ध कितने छापे मारे गए और इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किये गये ; और

(ड) दिल्ली को शुष्क पत्तन मानते हुए बम्बई और कलकत्ता की भांति, इस धंधे के लिए लाइसेंस देने सहित वेश्या वृत्ति की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) वेश्या-वृत्ति को प्रभावकारी ढ़ंग से रोकने के लिए पुलिस द्वारा जी०बी० रोड, और अन्य बदनाम स्थानों पर अचानक छापे

मारे जाते हैं। जहां आवश्यक होता है, महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(ख) वर्ष 1982 और 1983 (15.3.1983 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराये गये मामलों में 21 लड़कियां बरामद की गई थी जो बिहार, असम, पश्चिम बंगाल गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडु और महाराष्ट्र से लाई गई थी।

(ग) दिल्ली में महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन पता लगाये गये मामलों और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के रिकार्ड के अलावा वेश्याओं की कुल संख्या का कोई रिकार्ड नहीं है।

(घ) 1982 वर्ष के दौरान छापे मारने के बाद अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन 85 मामले दर्ज किये गये थे और 1983 में (15.3.1983 तक) ऐसे 15 मामले दर्ज किये गये हैं।

(ङ) इस बुराई को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस में एक विशेष कक्ष कार्य कर रहा है। खास बदनाम स्थानों पर अचानक छापे मारे जाते हैं। महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम लागू रहेगा और वेश्या-वृत्ति से निपटने के लिए कानून में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करना

6025. श्री भीखाभाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों की तुलना में आदिवासी लोगों को विशिष्ट और विभिन्न प्रकार की रीति-रिवाजों, लौकिक बोलियों, पर विचार किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ आदिवासी आदिम जीवन बिता रहे हैं ;

(ग) उनकी संस्कृति की रक्षा करने और उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा में शामिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को आदिवासी लोगों की विशिष्ट तथा विभिन्न किस्म की संस्कृति, और रहन सहन के तरीकों की जानकारी है।

(ख) कुछ आदिवासी वर्ग अधिक पिछड़े हैं और ऐसे 71 वर्गों का उनके विश्वास की ओर विशेष ध्यान देने के लिए पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार की यह नीति है कि उनके जीवन के तौर तरीके में हस्तक्षेप किये बिना उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रम शुरू किये जाएं और उन्हें उनकी अपनी विशिष्टता के अनुसार राष्ट्रीय मुख्यधारा की ओर अग्रसर करने योग्य बनाना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण सम्बन्धी ब्रोचर

6026. श्री भीखाभाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालयों के अधीन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेवा में आरक्षण सम्बन्धी ब्रोचर को, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधनों सहित अद्यतन करके प्रकाशित/मुद्रित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नवीनतम सेवा स्थिति की जानकारी रखने से वंचित रह जाते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवा में आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका (ब्रोशर) का अद्यतन छठा सस्करण पहले ही प्रकाशित हो चुका है और यह आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारियों के ग्रेड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना

6027. श्री भीखाभाई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु उर्जा विभाग के रोस्टर में 1 जनवरी, 1983 को वैज्ञानिक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) विभाग में 1 जनवरी, 1983 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के कितने वैज्ञानिक अधिकारी थे ;

(ग) क्या यह सच है कि विभाग में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ;

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ; और

(ङ) आरक्षित पदों को न भरने के क्या कारण हैं ;

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जायेगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

इस्पात संयंत्रों के लिए धन राशियों का अपर्याप्त आवंटन

6028. श्री पी० एम० सईद : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात सैक्टर के लिए परिव्यय में प्रस्तावित कटौती के परिणामस्वरूप 1983-84 में इस्पात विकास योजनायें पिछड़ जायेंगी ;

(ख) क्या धनराशियों के अपर्याप्त आवंटन के कारण निर्माणाधीन विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा तथा विजयनगर और दायत्री इस्पात संयंत्रों के कार्य आरम्भ करने में भी विलम्ब हो सकता है ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के योजना परिव्यय में कटौती का आरम्भ की जा चुकी आधुनिकीकरण एंव विस्तार योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या इस प्रसिद्ध सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को 1983-84 में 100 करोड़ रुपए से अधिक ही हानि होगी ;

(ङ) क्या योजना आयोग द्वारा इस्पात सैक्टर में की गई कटौती का इस्पात के उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा ;

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार योजना आयोग को ऐसा न करने के लिए कहने का है ; और

(छ) यदि हां, तो योजना आयोग की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) वर्ष 1983-84 के लिए परिव्यय में कोई कटौती करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) वर्ष 1982-83 के दौरान "सेल" को हानि होने की संभावना है। हिसाब-किताब बन्द करने के पश्चात् ही सही राशि का पता चल सकेगा। इस समय वर्ष 1983-84 में होने वाले लाभ अथवा हानि की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है ।

(ङ) से (छ) वर्ष 1983-84 में परिव्यय के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। योजना आयोग ने "सेल" के कारखानों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन के वर्ष 1982-83 के 58 लाख टन के संशोधित लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1983-84 के लिए अस्थाई तौर पर 60.4 लाख टन का लक्ष्य रखा है । उत्पादन योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

सीमेंट की पिसाई और पैकिंग के दो कारखानों संबन्धी "सेल" का प्रस्ताव

6029. श्री के० रामपूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्रालय की उदासीनता तथा वित्त मंत्रालय के कठोर रवैये के कारण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को सीमेंट की पिसाई और पैकिंग के दो कारखाने लगाने संबंधी अपने प्रस्ताव को संबोधित करने के लिए बाधित किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो स्टील अथारिटी आफ इंडिया द्वारा सीमेंट की पिसाई तथा पैकिंग के दो-कारखानों को प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, नहीं । सरकार ने राउरकेला और चिलहाटी में सीमेंट की पिसाई और पैकिंग का एक-एक कारखाना लगाने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय ले लिया है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन पर पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए विचार किया जा रहा है ।

चंडीगढ़ में रेणु भल्ला की हत्या

6030. श्रीमति गीता मुखर्जी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चंडीगढ़ में रेणु भल्ला की कथित हत्या की ओर दिलया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जाँच कार्रवाई की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हाँ । श्रीमान ।

(ख) से (घ) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि 7.2.1983 को पी. जी. आई. चंडीगढ़ से सूचना प्राप्त होने पर प्रारम्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था । थाना पी. जी. आई. के एक उपनिरीक्षक ने रेणु भल्ला धर्मपत्नी श्री राजेश भल्ला का ब्यान दर्ज किया । अपने ब्यान में उसने कहा था कि खाना बनाते हुए वह अक्समात रूप से जल गई थी । 11 2.1983 को उसने अपना बयान दर्ज कराने के लिए वार्ड के प्रभारी डाक्टर को बुलाया, जिसे डा० के० अग्रवाल, वरिष्ठ रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी, प्लास्टिक सर्जरी, द्वारा डा० रमेश शर्मा की उपस्थिति में दर्ज किया गया । इस बयान पर श्रीमती रेणु भल्ला ने हस्ताक्षर किए थे । तथापित उसका पहले बयान बाद के बयान से भिन्न है । उसके बाद के बया पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया । अभियुक्त श्रीराजेश भल्ला को 12.2.83 को गिरफ्तार किया गया और 13.2.83 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 16.2.83 तक पुलिस हिरासत में रखा गया । मामने की जांच पड़ताल की जा रही है ।

भाषाई अल्प-संख्यक आयुक्त के प्रतिवेदन

6031. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्ला सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के वर्ष 1980-81. 1981-82 और 1982-83 के प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो वह किस प्रकार की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक वर्ष की सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है और कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) भाषाई अल्प संख्यक आयुक्त की अनुपस्थिति में मई, 1977 से भाषाई अल्पसंख्यक उपायुक्त अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है । जुलाई, 1978 से जून 1980 तक की अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यक उपायुक्त द्वारा अपने 20वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार की टिप्पणियों का एक विवरण 27.1.1983 को संसद पुस्तकालय में रखा गया था । जुलाई, 1980 से जून 1983 तक की अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यक उपायुक्त के बाद के प्रतिवेदनों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं । जैसे ही मुद्रित प्रतियां प्राप्त होंगीं भाषाई अल्पसंख्यक उपायुक्त की सिफारिशों पर

सरकार को टिप्पणियों के विवरण संबंधी प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखने के बारे में कार्यवाही की जाएगी ।

दिल्ली में प्रति विशिष्ट व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा

6032. **श्री के० लकप्पा :**
श्री गुलशेर ग्रहमद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1983 को "टाइम्स आफ इंडिया" में "ब्लास्ट इन न्यु दिल्ली पोस्ट आफिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) केन्द्र और राज्यों के विशिष्टतम व्यक्ति/अति विशिष्ट व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गये ;

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए ; और

(घ) क्या किसी घटना के पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ होने का पता लगा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के निवासों पर सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा किया गया है राज्यों में ऐसे सुरक्षा प्रबंध संबधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं ।

(ग) प्रभावकारी सतर्कता रखी जा रही है ।

(घ) मामलों की जांच की जा रही है और इसलिए अभी यह कहना संभव नहीं है कि क्या इन घटनाओं के पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ है ।

पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योगों के लिए अपेक्षित कच्चे माल के मूल्य

6033. **प्रो० रूप चंद पाल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि ऐसे कच्चे माल के मूल्यों को, जिनकी पश्चिम बंगाल में स्थित उद्योगों को आवश्यकता होती है, कोयले और इस्पात के मूल्यों को समान करने के आधार पर बराबर कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(क) कीमतों में समानता का तर्काधार यह है कि प्रयोग करने वाले उद्योगों के प्रकीर्णन में सुविधा हो । माल भाड़ा प्रायः वस्तुओं की अन्तिम कीमत का महत्वपूर्ण भाग होता है । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा भाड़ा समकरण नीति की हाल ही में समीक्षा की गई थी और उक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भाड़ा समकरण के कारण उद्योगों की अलाभकर अवस्थिति हो सकती है । सैद्धान्तिक रूप से सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की माल भाड़े समकरण स्कीमों की चरणबद्ध तरीके से संबंधित सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । यह निर्णय किया गया है कि औद्योगिक वस्तुओं के लिए भाड़ा समकरण की किसी भी नई स्कीम को चालू न किया जाए ।

उद्योगों में विकास दर

6035. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योगों के क्या नाम हैं जिनमें 1981-82 और 1982-83 के दौरान अधिक उत्पादन हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के अनन्तिम सूचकांक (आधार 1970-100) के अनुसार उत्पादन क्षेत्र के प्रमुख उद्योग समूह, जिनमें वर्ष 1982-83 (अप्रैल,-दिसम्बर) में वर्ष 1981-82 तथा पिछले वर्षों की इसी अवधि की अपेक्षा विकास की दर अधिक रही है, उनमें मद्य उत्पादक उद्योगों से इतर खाद्य उत्पादक उद्योग, फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी तथा कार्क का उत्पादन करने वाले उद्योग रबर उत्पाद विनिर्माण, उद्योग आधार भूत धातु उद्योग, मशीनरी, परिवहन उपकरणों से इतर धातु उत्पादों का विनिर्माण करने वाले उद्योग तथा विविध प्रकार का उत्पादन करने वाले उद्योग शामिल हैं ।

एल्यूमिनियम और तांबे का उत्पादन

6036. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में एल्यूमिनियम और तांबे का उत्पादन कितना कम हुआ है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में एल्यूमिनियम और ब्लिस्टर तांबे का उत्पादन कम नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों का प्रशासनिक खर्च

6037. श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों का प्रशासनिक खर्च 46 हजार करोड़ रुपए है और यदि हां, तो यह कुल राष्ट्रीय आमदनी का कितना प्रतिशत है ; और

(ख) दस वर्ष पूर्व केन्द्रीय और राज्य सरकारों का प्रशासनिक खर्च कितना था और यह उस समय की राष्ट्रीय आमदनी का कितने प्रतिशत था और क्या वर्तमान खर्च औचित्य-पूर्ण है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के लिए और 1981-82 के लिए भी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, जो सूचना उपलब्ध है वह पूरी नहीं है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए त्वरित अनुमानों के अनुसार केन्द्र और राज्यों के प्रशासनिक विभागों के वर्ष 1980-81 के लिए वर्तमान कीमतों पर उपयोग व्यय का अनन्तिम अनुमान 11920 करोड़ रु० अर्थात उक्त वर्ष के लिए बाजार की कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन का 9.4 प्रतिशत था। वर्ष 1970-71 के लिए इसके 3171 करोड़ रु० होने का अनुमान लगाया गया था जो उक्त वर्ष के लिए बाजार की कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 8.4 प्रतिशत होता है। यह प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में 7 8 और 9 5 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा है और इसमें स्थिर तथा सतत वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी है। इसके अलावा, इसमें मरम्मत पर व्यय तथा अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों अर्थात् सड़कों, भवनों, पुलों आदि के रख रखाव पर व्यय में एक योजना से दूसरी योजना में वृद्धि की प्रवृत्ति रहती है। केन्द्र के योजनेतर व्यय पर सतत निगरानी रखी जाती है और प्रशासन तथा सरकारी परिसम्पत्तियों और सेवाओं की कार्यकुशलता/क्षमता बनाए रखने के अनुरूप इसे न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। राज्य सरकारों से भी ऐसा ही मार्ग अपनाने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।

राज्यों में कार्यालय के काम में अंग्रेजी/हिन्दी का प्रयोग

6038. श्री मूलचन्द डागा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अंग्रेजी को अब भी व्यापार और प्रशासन की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के 98 प्रतिशत लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं फिर भी मंत्री और राजपत्रित अधिकारी अपने कार्यालय के काम में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे लोगों की प्रतिशतता क्या है, जो अपना काम या तो अंग्रेजी में अथवा हिन्दी में करते हैं तथा ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है, जो अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में अपना काम करते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की भी व्यवस्था की गई और जिसे राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1) के अनुसार इसके बाद भी सरकारी कामकाज में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों में हिन्दी के साथ प्रयोग करने की छूट दी गई। व्यापार क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों को छोड़कर) अपने कामकाज में स्वेच्छा से अंग्रेजी, हिन्दी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकता है। राज्य सरकारें भी राज्य की राजभाषा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कितने केन्द्रीय या राज्य के मंत्री तथा राजपत्रित अधिकारी अपने काम में अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की सूचना एकत्र करने की कोई पद्धति सरकार द्वारा नहीं अपनाई गई है और जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8 (1) में यह छूट दी गई है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है। इस स्थिति में संघ शासित क्षेत्रों या राज्यों में विभिन्न अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी या अंग्रेजी के प्रयोग की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

खनन उपस्करों के उत्पादन के लिए नई फर्मों की स्थापना

6039. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन उपस्करों के उत्पादन के लिए ब्रिटिश फर्मों के सहयोग से नई फर्में स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या एम०ए०एम०सी० को खनन उपस्करों के निर्माण के लिए कोयला उद्योग से आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) 7 नई फर्मों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव क्या है ;

(ङ) क्या इन वर्षों के दौरान खनन उपस्करों के उत्पादन में एम०ए०एम०सी० की क्षमता बेकार गई ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) एम०ए०एम०सी० को विभिन्न कारणों से जिनमें कोयले के उत्पादन में धीमी गति से वृद्धि भी शामिल है, कोयला उद्योग से पर्याप्त क्रयादेश नहीं मिले ।

(घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) और (च) जी, नहीं ।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना

6040. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास की गति तथा प्रौद्योगिक लाभ प्रदान करने के मामले में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की आवश्यता है ;

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । उद्योगों के स्थापना स्थल के बारे में सरकार की नीति का एक उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना भी है ।

(ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना न होने के कारण अनेक तथा भिन्न-भिन्न हैं । मुख्यतः इसके लिए अवस्थापना और सहायता सुविधाओं की कमी कहा जा सकता है जैसे बिजली की उपलब्धता, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परिवहन की व्यवस्था कच्चे माल के डिपो और आपूर्ति प्रणाली तथा विनियमनकारी अभिकरणों तक पहुंच, उद्यमियों का भोगोलिक फैलाव और इन क्षेत्रों में सुविकसित उपभोक्ता बाजारों की कमी होना ।

(ग) इन क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं :—

(1) 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले महानगरीय शहरों के मानक शहरी क्षेत्रों और 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को नगर निगम सीमाओं में औद्योगिक कार्यकलापों के लिए और नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, गोआ तथा पांडिचेरी की ओर विशेष रियायतें दी जा रही हैं। क्षमता संबंधी अड़चनों के कारण अन्य क्षेत्रों में भले ही नए लाइसेंस न दिए जा रहे हों लेकिन फिर भी उपर्युक्त अविकसित राज्यों क्षेत्रों को मूलभूत उद्योग उपलब्ध कराने के लिए उन क्षेत्रों के आदानों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

(3) लाइसेंस देने के मामले में "उद्योग रहित जिलों में नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के आदानों को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। इसके पश्चात् अधिमान का क्रम निम्नलिखित है :—

1) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र/जिले ;

2) औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र/जिले।

3) औद्योगिक दृष्टि में पिछड़े राज्य/संघ शासित प्रदेश का ऐसा क्षेत्र/जिला जो कि पिछड़ा हुआ हो।

4) औद्योगिक रूप से विकसित राज्य/संघ शासित प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जो कि पिछड़ा न हो।

(4) चुने हुए केन्द्रस्थ संयंत्रों और उनके साथ के सहायक उद्योगों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की क्रिया अपनायी जा रही है।

(5) अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में स्थापित औद्योगिक एककों को अधिकतम 15 लाख रुपये की सीमा के भीतर अचल पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय निवेश राजसहायता दी जा रही है। उत्तर पूर्वी अंचल के राज्यों के मामले में राज सहायता की दर 20 प्रतिशत और अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये है।

(6) विशिष्ट रेल शीर्षों और पत्तनों से एककों के स्थापना स्थल तक कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने के लिए भी परिवहन लागत के 50 प्रतिशत तक की परिवहन राजसहायता औद्योगिक एककों को दी जा रही हैं।

उपर्युक्त प्रोत्साहनों से लाभ उठाना और "उद्योग रहित जिलों" तथा पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना के लिये सुविधाएं प्रदान करना उद्योगपतियों और राज्य सरकारों पर निर्भर करता है ।

योजना क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर तन्त्र

6041. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जिला स्तर में योजना के गठन और क्रियान्वयन के लिए कोई जिला स्तर तंत्र स्थापित किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए ऐसी कोई योजना लागू किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) जिला-स्तर पर योजना के गठन और कार्यान्वियन को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर तंत्र की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । केन्द्रीय सरकार जिला. स्तर योजना तंत्र पर होने वाले कुल व्यय का (क्वालीफाईंग) 50 प्रतिशत देकर राज्य सरकारों की सहायता कर रही है ।

उड़ीसा में उद्योगों का बन्द होना

6042. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बहुत से उद्योग बन्द हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी जिलावार संख्या तथा उन उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन औद्योगिक एककों को किन कारणों से बन्द किया है ; और

(घ) इन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) देश में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के बारे में सूचनाएं तथा उनके बारे में ब्यौरे इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते । कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन पंजीकृत उन एककों जो काफी समय या कुछ समय से बन्द पड़े हैं, के बारे में श्रम मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से एकत्र की गई जानकारी "इण्डियन लेबर जरनल" में प्रकाशित मानक सारणीबद्ध फार्मों में दी गई है जो भारत सरकार के श्रम ब्यूरो का एक मासिक प्रकाशन है । इस मासिक प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(घ) देश में औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती हुई घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शक के लिए कुछ नीतिपरक उपायों की घोषणा की है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख विशेषताएं लोक सभा में 24 मार्च, 1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 4974 के उत्तर में दी गई है।

राजधानी में आटो-रिक्शा चालकों की अवैध गतिविधियां

6043. डा० ए० यू० आजमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से तिपहिये स्कूटरों में या अन्य किसी सार्वजनिक वाहन में मांस नहीं ले जाया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो यह कैसे होता है कि बहुत से आटोरिक्शा चालक बूचड़खाने के पास कतार बनाए खड़े रहते हैं और उस क्षेत्र में यातायात नियन्त्रण के लिए तैनात पुलिस कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ से राजधानी के विभिन्न भागों के व्यापारियों के लिए मांस ले जाते हैं ; और

(ग) इन तिपहिए स्कूटर चालकों की अवैध गतिविधियों को तथा सार्वजनिक वाहनों को ऐसे गलत काम में लगाए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तीन पहिए वाले स्कूटर या अन्य सार्वजनिक वाहनों में मांस ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन, मांस को खुले ले जाने पर, जो जनता को दिखाई दे, दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 397 के अधीन प्रतिबन्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में लघुतर सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

6044. श्री हरिहर सोरन :
श्री अनादिचरण दास : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय को पता है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में चूना पत्थर निक्षेपों के बहुत बड़े भागों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने चूना पत्थर के निक्षेपों वाले क्षेत्र में लघुतर सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि मयूरभंज जिले में चूना पत्थर निक्षेपों का बड़े सीमेंन्ट संयंत्रों द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ तो, या तो उड़ीसा के क्योंझर जिले में या मयूरभंज जिले में वहां के चूना पत्थर के निक्षेपों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए लघुतर सीमेंन्ट संयंत्रों की शीघ्र स्थापना करने लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) उड़ीसा के मयूरभंज जिले में चूना पत्थर निक्षेपों के बहुत बड़े भण्डारों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है और न ही किसी उद्यमी का इस जिले में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है। उड़ीसा में क्योंझर या मयूरभंज जिले में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्रों की स्वीकृत तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर और स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जाएगा। मिनी सीमेंट संयंत्रों को वित्तीय सहायता के संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने देश के विभिन्न ऋण दायी संस्थानों के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया है।

20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धनराशि का आवंटन

6045. **श्री चित महाटा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1983-84 के लिए सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यवार और संघ क्षेत्र-वार धनराशि के आवंटन के आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को धनराशि के आवंटन के लिए इस प्रयोजन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ?

योजना मन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) वर्ष 1983-84 के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्रों के लिये आवंटन संबंधी सूचना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बटज के पास हो जाने के पश्चात उपलब्ध होगी ;

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का भाग है और निधियों का आवंटन योजना में विकास के क्षेत्रकों की प्राथमिकताओं तथा राज्यों और केन्द्र में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। राज्य योजनाओं के लिये कुल मिलाकर केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित एकरूप मानदंडों के आधार पर वितरित की जाती है।

परमाणु बिजलीघर के विस्तार का कार्यक्रम

6046. **श्री ब्रजमोहन मोहन्ती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय देश में परमाणु बिजली का कुल उत्पादन कितना है और वर्ष 1983-84 में कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) क्या छठी योजना अवधि के दौरान परमाणु बिजलीघरों का विस्तार करने और नये बिजलीघर लगाने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशों के साथ किसी सहयोग कार्यक्रम के बारे में विचार किया जा रहा है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल : (क) परमाणु बिजलीघरों की वर्तमान उत्पादन क्षमता 860 मेघावाट है तथा आशा है कि वर्ष 1983-84 के अंत तक बढ़कर 1095 मेगावाट हो जाएगी ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 6 रिऐक्टरों के लिए प्रावधान किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। इनमें से 2 रिऐक्टरों पर काम शुरू करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) सोवियत संघ द्वारा भारत में परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए हाल ही में की गई पेशकश के अलावा इस क्षेत्र में और कोई पेशकश नहीं मिली है।

गृह मंत्रालय में छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) का दुरुपयोग

6047. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका सहित इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, में गत पांच वर्षों के दौरान कितने कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) का दुरुपयोग करते हुए पाए गए ; और

(ख) जांच/कार्यवाही हेतु कितने मामले लम्बित हैं ;

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल रबर और इन्चेक टायर्स के राष्ट्रीयकरण के लिए अग्रिम

6048. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की नेशनल रबर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और इन्चेक टायर्स कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के लिए इस वर्ष फरवरी के अन्त से कितना अग्रिम दिया जा चुका है ; और

(ख) क्या उपरोक्त दोनों कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स इन्चेक टायर्स और मैसर्स नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स की परिसंपत्तियों के अन्तिम निपटान तथा उनका राष्ट्रीयकरण करने संबंधी विभिन्न वैकल्पिक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है। इन उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय सरकार का इन बातों से समाधान हो जाने के पश्चात ही लिया जाएगा कि : —

(1) ऐसा कदम जनहित में है ; और

(2) ये उपक्रम राष्ट्रीयकरण के पश्चात् लाभदेयता की दृष्टि से जीव्य हो जायेंगे।

राजगढ, गुना और विदिशा (म० प्र०) में औद्योगिक विकास

6049. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना और विदिशा के विशेष रूप से पिछड़े उद्योग हीन जिलों के औद्योगिक विकास के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं ;

(ख) वर्ष 1980-83 के दौरान इन तीन जिलों में मध्यम, लघु और लघुतम श्रेणी के कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग और ग्राम उद्योग आयोग ने मध्य प्रदेश के इन पिछड़े जिलों में कोई उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव तैयार किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या इन जिलों के लिए कोई आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है ; और

(ङ) मध्य प्रदेश के इन तीन जिलों के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उद्योगों को अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करने हेतु क्या योजना बनाई गई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय असन्तुलनों और औद्योगिक छितराव को ठीक करने के विचार से 87 जिलों को (मध्य प्रदेश में राजगढ़ और गुना जिलों सहित) जहां कोई बड़ा या मझोला उद्योग नहीं है, "उद्योग रहित जिलों" घोषित किया है। सरकार ने इन जिलों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है।

विदिशा जिला पिछड़ा जिला घोषित किया गया है जो रियायती वित्त और केन्द्रीय निवेश राजसहायता और अन्य प्रोत्साहन प्राप्त करने का पात्र है।

जारी किए गए आशय-पत्रों और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाओं का दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण-एक) सभी आशयपत्र के सम्बन्ध में उपक्रम को नाम, उत्पादन की वस्तु और स्थापना स्थल सम्बन्धी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा "मंथली न्यूजलेटर" में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं

राजगढ़, गुना और विदिशा में जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत स्थापित किए गए लघु और टाइनी एककों की संख्या विवरण-दो में दी गई है।

जहाँ तक प्रश्न के भाग "ग" का सम्बन्ध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-एक

मध्य प्रदेश में राजगढ़, गुना और विदिशा जिलों को जारी किए गए आशय-पत्र और पंजीकृत योजनाएं।

जिलों का नाम	1980	1981	1982
राजस्व			
1. आशयपत्र	—	—	—
2. पंजीकृत योजनाएं	—	1	3
गुना			
1. आशयपत्र	—	—	1
2 पंजीकृत योजनाएं	—	--	1
विदिशा			
1. आशयपत्र	—	—	1
2. पंजीकृत योजनाएं	3	2	3

विवरण-दो

मध्य प्रदेश में राजगढ़, गुना और विदिशा में जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए एककों की संख्या (उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार)

जिलों का नाम	1979-80	1980-81	1981-82
राजगढ़			
1. शिल्पी प्रधान एकक	145	206	307
2. लघु उद्योग एकक	106	85	101
गुना			
1. शिल्पी प्रधान एकक	181	28	230
2. लघु उद्योग एकक	95	145	122
विदिशा			
1. शिल्पी प्रधान एकक	25	93	71
2. लघु उद्योग एकक	140	240	200

रिएक्टर एककों के लिए प्रावधान

6050. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान 235-235 यूनिटों के रिएक्टर एककों के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने रिएक्टरों पर कार्य आरम्भ हो गया है, वे कहां-कहाँ पर हैं और शेष कार्य कब आरम्भ किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार को स्थलों आदि का पता लगाने के लिए नियुक्त समिति का प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) तथा (ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 6 रिएक्टर लगाने का प्रावधान किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। दक्षिणी गुजरात में ककरापार नामक स्थान पर 2 रिएक्टर बनाने का काम शुरू किया भी जा चुका है। अन्य रिएक्टरों के स्थलों के बारे में निर्णय सरकार द्वारा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट मिल जाने और उस पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाने के बाद लिया जायेगा।

(ग) तथा (घ) उक्त समिति ने दक्षिणी क्षेत्र के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा सरकार उसका अध्ययन कर रही है।

खादी आयोग के कर्मचारियों के लिये बम्बई में स्टाफ क्वाटर्स

6051 श्री राम सिंह शाक्य : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी कमीशन, बम्बई के पास अपने कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वाटर्स हैं;

(ख) यदि हां, खादी कमीशन के शहरवार कितने स्टाफ क्वाटर्स हैं और स्टाफ की किन-किन श्रेणियों को यह क्वाटर्स दिये गए हैं इस सम्बद्ध में पूरा ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या खादी आयोग का विचार निकट भविष्य में कुछ और स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण करने का है ताकि कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को स्टाफ क्वाटर्स दिए जा सकें?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तीन शहरों में अपने कर्मचारियों को आवंटित किए गये विभिन्न श्रेणी के स्टाफ क्वाटरों का विवरण निम्न प्रकार हैं:—

श्रेणी	वेतन परिधि	शहरों के नाम		
		बम्बई	भोपाल	लखनऊ
1.	259 रुपये तक	80	4	6
2.	260 रु. से 499 रु. तक	22	12	8
3.	500 रु. से 999 रु. तक	104	8	7
4.	1000 रु. तथा उससे अधिक	4	—	—
	कुल	242	26	24

(ग) जी, हां। धन राशि उपलब्ध होने पर इस कार्य को पूरा किया जाएगा।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भवन समिति का गठन

6052. श्री राम सिंह शाक्य : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग अपने प्रत्येक भवन के लिए नियमों के अन्तर्गत एक भवन समिति (बिल्डिंग कमेटी) का गठन करता है ;

(ख) यदि हां, तो उन भवनों के नाम क्या हैं अब तक जिनके लिए ऐसी समितियों का गठन किया गया है और इसके शेष भवनों के लिए ऐसी समितियां स्थापित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा इन समितियों को दी गई शक्तियों को कम कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में उच्च अधिकारियों का कार्यकाल

6053. श्री राम सिंह शाक्य : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के नामजद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सचिव का कार्यकाल 31 मार्च, 1983 को पूरा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नए नामजद अधिकारियों के नाम कब तक घोषित किए जाएंगे ताकि अप्रैल, 1983 से आयोग का कार्य नियमों के अंतर्गत सुचारू रूप से चल सके ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोकारो के प्रबन्धकों द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

6054. श्री राम विलास पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो के प्रबन्धकों द्वारा कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु भू-खण्ड आवंटित किए गये हैं और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कितने प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं ; और

(ग) यदि कोई आरक्षण नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (ग) बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों को आवासीय भू-खण्डों का सीधे आवंटन नहीं किया है। भूतपूर्व कम्पनी नामत: बोकारो स्टील लिमिटेड ने कम्पनी के कर्मचारियों की सहकारी आवास समिति को 90 एकड़ भूमि आवंटित की थी। समिति ने अपने सदस्यों को 461 भू-खण्ड आवंटित किये थे। समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के तीन सदस्यों तथा अनुसूचित जनजाति के दो सदस्यों को भू-खण्ड आवंटित किये गये थ।

बोकारो प्रबन्ध-मण्डल द्वारा दुकानों/प्लाटों का आवंटन

6055. **श्री राम विलास पासवान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो प्रबन्ध-मण्डल द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने में कुल कितनी निर्मित दुकानों और दुकान प्लाटों का आवंटन किया गया और ऐसे कितने प्लाट/दुकान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित किये गये ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि उनके लिये कोई आरक्षण नहीं हैं ; तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने 235 निर्मित दुकानों और दुकानों के लिए 411 प्लाटों का आवंटन किया है। 4 निर्मित दुकानें और दुकानों के लिए 4 प्लाट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं।

(ख) और (ग) दुकानों अथवा प्लाटों के आवंटन के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की कोई नीति नहीं है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा

6056. श्री राम विलास पासवान : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है -

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में विस्थापित और विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या यह सच है कि विस्थापित और विकलांग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पत्रों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा के प्रयोजनों से गणना की जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) से (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

लेवी तथा खुली बिक्री के सीमेंट के विक्रय मूल्य को कम करना

6057. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट संयंत्रों द्वारा रक्षित डीजल जेनरेटिंग सेटों की स्थापना में लगने वाले अधिक खर्चे की प्रतिपूर्ति करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रतिपूर्ति की मात्रा क्या है ;

(ग) क्या लेवी तथा खुली बिक्री के सीमेंट के विक्रय मूल्य में तुलनात्मक कटौती करके उपभोक्ताओं को भी कोई राहत प्रदान की जायेगी : और

(घ) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान एककों के मामलों में सीमेंट उत्पादकों को डी०जी० सैटों की अधिष्ठापना करके प्राप्त किए गए अतिरिक्त उत्पादन का 48.5 प्रतिशत सीमेंट गैर-लेवी बाजार में बेचने की अनुमति दी जायेगी जबकि सामान्य परिस्थितियों में 33.4 प्रतिशत की अनुमति है। 1.11.1982 के पश्चात् उत्पादन शुरू करने वाले नये सीमेंट संयंत्रों को डी०जी० सैटों की अधिष्ठापना करके प्राप्त किए गए अतिरिक्त उत्पादन के 61.3 प्रतिशत सीमेंट को गैर-लेवी कोटे के अधीन बेचने की अनुमति दी जायेगी, जबकि सामान्य स्थिति में इन्हें 50 प्रतिशत की अनुमति है। सीमेंट उत्पादकों को ये सुविधाएं ऐसे डीजल जनित्रण सैटों को चलाने की बढ़ी हुई लागत की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करने के लिए दी गई है। इसलिए, इस कारण लेवी सीमेंट के मूल्य कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु, गैर-लेवी सीमेंट मूल्य नियंत्रण और वितरण से मुक्त होता है।

लेवी और खुला सीमेंट के विक्रय में लाभ का मार्जिन

6058. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि सीमेंट उत्पादकों तथा स्टाकिस्टों द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकुल सीमेंट की खुली बिक्री में बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा है;

(ख) क्या स्टाकिस्टों द्वारा सीमेंट में मिलावट करना और बोरियों से सीमेंट की चोरी करना एक भारी व्यापार है; यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमेंट के वितरण की इस प्रणाली में इन बातों को तथा अन्य कमियों को दूर करने के लिये कभी कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) खुली बिक्री तथा लेवी सीमेंट पर थोक व्यापारियों और स्टाकिस्टों को इस समय लाभ कितना अर्जित दिया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) बिना लेवी वाले सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मई, 1982 में सरकार को गैर-लेवी सीमेंट के अधिकतम मूल्य सूचित किए थे जो इस प्रकार हैं।

स्थानीय करों को छोड़कर 50 किलो के प्रति बोरे का मूल्य	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम
60 रुपये	केरल, जम्मू तथा काश्मीर, और उत्तर पूर्वी राज्य
56 रुपये	अन्य सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र

वर्ष 1993-84 के सामान्य बजट में घोषित सीमेंट पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप सीमेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने यह बताया है कि 1.3.1983 से खुदरा मूल्यों में संशोधन करके 60 रुपये और 64 रुपये प्रति बोरी किए जा रहे हैं। कुछ उपभोक्ता केन्द्रों पर इनके मूल्यों में अस्थायी वृद्धि होने के समाचार मिले हैं।

(ख) देश में सीमेंट की सामान्य कमी के कारण कदाचार की संभावना जैसे चोरी और अवमिश्रण की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सीमेंट की चोरी के मामले में राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन संबद्ध भार तथा माप संबंधी कानूनों के अधीन कार्यवाही करने के लिए समक्ष है। इस अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन सीमेंट में मिलावट करने के मामलों में राज्य सरकारों को भी कार्यवाही करने की शक्ति दे दी गई है।

(ग) लेवी सीमेंट के खुदरा मूल्य निश्चित करते समय विक्रेताओं/स्टाकिस्टों का लाभ स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। गैर-लेवी सीमेंट के मामले में इस प्रकार का लाभ स्वयं सीमेंट उत्पादकों द्वारा निश्चित किया जाता है। उदाहरणार्थ हरियाणा सरकार ने लेवी सीमेंट पर यह लाभ 1 रुपये 75 पैसे प्रति बोरी तथा भारतीय सीमेंट निगम ने गैर-लेवी सीमेंट पर लाभ 1.50 रु० प्रति बोरी निश्चित किया है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियम

6059. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति के बारे और केन्द्रीय सेवा में उनकी कालावधि के बारे में नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सेवा में प्रतिनियुक्ति पर आए राज्य सरकार का कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि से आगे भी सेवा में रहा है; और

(घ) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार के कर्मचारी विभिन्न पदों के संगत भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार, जहां कहीं इनकी व्यवस्था हो, भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों प्रतिष्ठानों में कुछेक पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हैं। सम्बन्धित भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति की सेवावधि भी निर्धारित की जाती है।

(ग) तथा (घ) सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं देखी जाती है ।

दिल्ली में विदेशी मिशनों द्वारा दी जाने वाली पार्टियों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को विनियमित करने वाले नियम

6060. **श्री डॉ० एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विदेशी मिशनों द्वारा दी जाने वाली पार्टियों में केन्द्रीय सचिवालय के उत्तरदायी पदों पर काम करने वाले तथा उच्च वेतन पाने वाले अधिकारियों अर्थात्, सचिव, अतिरिक्त सचिव, आदि द्वारा सम्मिलित होने को विनियमित करने के लिये कोई नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या किसी अधिकारी ने उक्त नियमों का उल्लंघन किया है और पिछले 2 वर्षों में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) इस मामले को विनियमित करने वाले प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार, संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी विदेशी राजनयिकों द्वारा दिए गए औपचारिक अथवा अनौपचारिक आतिथ्य-सत्कार के निमंत्रण को केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं, जबकि निमंत्रण किसी तदनुरूपी स्तर के अथवा उच्चतर राजनयिक स्तर के अधिकारियों से प्राप्त हुआ हो । इनसे नीचे के स्तर के अवर सचिव के स्तर तक के अधिकारी केवल सम्बन्धित सचिव/संयुक्त सचिव की पूर्वानुमति से ही ऐसे निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं ।

(ग) यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों का काम है कि उनके अधिकारियों द्वारा उक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है और यदि उनमें से कोई अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है । इस विषय से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं की जाती है ।

पुलिस द्वारा तिहाड़ जेल मे विचाराधीन बंदियों को यातना

6061. **श्री हरीश कुमार गंगवार**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 1983 के हिन्दी समाचार पत्र 'जनयुग' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के 'तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदियों को पुलिस द्वारा अमानवीय यातना दी जाती हैं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) सारे देश में उन जेलों के नाम क्या हैं जिनमें पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार की अमानवीय यातनाओं की घटनाएं हुई हैं ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो, उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार ने समाचार देखा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को विचारणाधीन कैदियों की याचिकाओं में निहित आरोपों की जांच करने और उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

(ख) "जेल" विषय राज्य सूची में शामिल है और उसमें नजरबंद व्यक्तियों का रख-रखाव करना राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। देश में जेलों के अन्दर दिन प्रति दिन की वारदातों/घटनाओं के बारे में भारत सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती। परन्तु कैदियों इत्यादि को सताने/तंग करने की कोई घटना सरकार के ध्यान में आती है तो उसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेज दिया जाता है। जहाँ तक दिल्ली का संबंध है, प्रशासन ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान जेल के अन्दर किसी कैदी को सताने का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) कैदियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे राज्य मुख्यालयों और संस्थागत दोनों स्तर पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए तत्र को सुदृढ़ बनाए। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे नियमित अवधि पर जेलों का दौरा करने के लिए अधिकारियों और गैर अधिकारियों के बोर्डस आफ विजीटर्स गठित करें और जेलों में व्याप्त स्थिति के संबंध में रिपोर्ट दें। इसके अतिरिक्त जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है, कि वे जेलों के अन्दर ऐसे स्थानों पर, जहां कैदी आसानी से पहुंच सकें, शिकायत बक्से रखने के लिए जेल प्राधिकारियों को अनुदेश दें। ये शिकायत बक्से जिला तथा सत्र न्यायाधीश अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनकी ओर से किसी अधिकारी द्वारा उनके जेलों के नियमित दौरों में खोले जायेंगे।

अंटार्कटिका के द्वितीय अभियान दल द्वारा विमान से सर्वेक्षण

6062. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क क्या अंटार्कटिका का दूसरा अभियान दल इस बात का पता लगाने के लिए, कि जिन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया वह खनिज बहुत संसाधनों वाला है, विमान द्वारा कोई सर्वेक्षण कर पाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) क्या भूसर्वेक्षण करने के भी कोई प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इन खनिजों को निकालने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए गवेषणाधिकार होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) : अंटार्कटिका पर गये दूसरे अभियान दल से रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बिहार में उद्योगों की स्थापना हेतु प्रस्ताव

6063. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार से उद्योगों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(ख) विचाराधीन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना हैं;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1.1.1981 से 31.3.1983 के दौरान बिहार राज्य में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए बिहार राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों से 26 औद्योगिक लाइसस आवेदन औद्योगिक स्वकृति सचिवालय में प्राप्त हुए हैं । इनमें से अब तक 12 मामलों में स्वीकृति दे दी गई है, 11 प्रस्ताव रद्द कर दिए गए अथवा अन्यथा निपटा दिए गए हैं और 31.3.1983 को प्राप्त एक आवेदन सहित शेष 3 आवेदन फिलहाल विचाराधीन हैं । सरकार का निरन्तर यह प्रयत्न रहता है कि औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को यथासम्भव शीघ्र निपटा दिया जाये ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलना में बेंकों, जीवन बीमा निगम तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को ग्राह्य समयोपरि भत्ते की दरें

6064. **श्री आर० एम० राकेश :**
श्री डी० पी० जदेजा० :
श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य प्रति घंटा समयोपरि भत्ते की विद्यमान दरें क्या हैं ;

(ख) ये दरें कब निर्धारित की गई थीं तथा संशोधित की गई थीं ;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को ग्राह्य प्रति घंटा समयोपरि भत्ते की दरें क्या हैं ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित संगठनों के कर्मचारियों को ग्राह्य समयोपरि भत्ते की दरों में इतना व्यापक अन्तर होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में समयोपरि भत्ते की दरों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) कार्यालय कर्मचारियों, आपरेटिव कर्मचारियों, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, स्टाफ कार चालकों आदि जैसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अलग-अलग वर्गों के लिए समयोपरि भत्ते की दरें अलग-अलग हैं। विभिन्न विभागों में सभी वर्गों पर लागू समयोपरि भत्ते की दरें केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, कार्यालय कर्मचारियों तथा स्टाफ कार चालकों के मामले में लागू समयोपरि भत्ते की विद्यमान दरें विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) कार्यालय कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की दरें 1-6-1961 से निर्धारित की गई थीं और आखिरी बार 1-2-1974 से संशोधित की गई थीं। स्टाफ कार चालकों डाक व तार आपरेटिव कर्मचारियों जैसे कुछ अन्य वर्गों के लिए यह दरें विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गए पंच निर्णय के आधार पर हाल ही में संशोधित कर दी गई हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू समयोपरि भत्ते की दरें विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, कार्य के घंटे, कार्य की प्रकृति तथा वेतनमान और परिलब्धियां बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में काम कर रहे कर्मचारियों से भिन्न हैं।

(ङ) तथा (च) समयोपरि भत्ते की दरों को संशोधित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग पर समय-समय पर विचार किया जाता रहा है और डाक व तार आपरेटिव कर्मचारियों और स्टाफ कार चालकों के लिए समयोपरि भत्ते की दरें अभी हाल

ही में संशोधित की गई थीं। कार्यालय कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की दरों में नंशोधन की एक मांग संयुक्त परामर्श तंत्र की योजना के अधीन विवाचन बोर्ड को भेजी गई थी। विवाचन बोर्ड द्वारा दिए गए पंच निर्णय पर विचार किया जा रहा है।

विवरण I

कार्यालय कर्मचारी व स्टाफ कार चालकों के मामले में लागू समयोपरि भत्ते की दरें दर्शाने वाला विवरण

(1) कार्यालय कर्मचारी

परिलब्धियां रुपए	समयोपरि भत्ते की घंटेवार दर रुपयों में	
	कार्य के निर्धारित घंटों से अधिक पहले एक घंटे तक	इसके बाद
285 रु० से नीचे	शून्य	0.95
275 और इससे अधिक लेकिन 225 रु० से कम	,,	1.25
325 और इससे अधिक लेकिन 375 रु० से कम	,,	1.55
375 और इससे अधिक लेकिन 425 रु० से कम	,,	1.80
425 और इससे अधिक लेकिन 475 रु० से कम	,,	2 05
475 और इससे अधिक लेकिन 527 रु० से कम	,,	2.35
525 और इससे अधिक लेकिन 575 रु० से कम	,,	2.60
575 और इससे अधिक लेकिन 625 रु० से कम	,,	2.90
625 और इससे अधिक लेकिन 675 रु० से कम	,,	3.20
675 रु० से अधिक	,,	3.45

(II) स्टाफ कार चालक

575 रु० से नीचे	,,	4.30
575 और इससे अधिक लेकिन 625 रु० से कम	,,	4.50
625 और इससे अधिक लेकिन 675 रु० से कम	,,	4.90

675 और इससे अधिक लेकिन 725 रु० से कम	,,	5.25
725 और इससे अधिक लेकिन 775 रु० से कम	,,	560
775 और इससे अधिक लेकिन 825 रु० से कम	,,	6.00
825 और इससे अधिक लेकिन 875 रु० से कम	,,	6.40
875 और इससे अधिक लेकिन 925 रु० से कम	,,	6.75
925 और इससे अधिक	,,	6.95

विवरण—II

रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, (जिसमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया भी शामिल है) जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाले समयोपरि भत्ते की दरों के संबंध में

1. **रिजर्व बैंक आफ इण्डिया**

कर्मचारियों की श्रेणी		समयोपरि भत्ते की दरें
(1) श्रेणी III के कर्मचारी		
(क) कार्य दिवसों में		घंटेवार परिलब्धियों का 150%
(ख) रविवार/छुट्टी के दिनों में		घंटेवार परिलब्धियों का 200%
(2) श्रेणी-IV कर्मचारी		
(क) कार्य दिवसों में	(1) एक घंटे की 15-15 मिनिट की पहली चार अवधियों के लिए	घंटेवार परिलब्धियों को 150%
	(2) उसके बाद	घंटेवार परिलब्धियों का 200%
(ख) शनिवार को	(1) एक घंटे की 15-15 मिनिट की पहली चार अवधियों के लिए	घंटेवार परिलब्धियों को 150%

	(2) 15-15 मिनिट की अगली 6 अवधियों के लिए	घंटेवार परिलब्धियों का 170%
	(3) उसके बाद	घंटेवार परिलब्धियों का 200%
(ग) रविवार व छुट्टी के दिन		घंटेवार परिलब्धियों का 200%

(2) राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी (जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है)

श्रेणी	घंटेवार परिलब्धियों के प्रतिशत के रूप में समयोपरि भत्ता	
	कार्य दिवसों में (शनिवार व छुट्टी के दिनों को छोड़कर)	शनिवार (छुट्टी के दिनों को छोड़कर
अधीनस्थ कर्मचारी-वर्ग अलावा अन्य कारगार		
समयोपरि कार्य की 15-15 मिनिट की पहली दो अवधियों के लिए	100 की दर पर	100 की दर पर
समयोपरि कार्य की 15-15 मिनिट की अगली चार अवधियों के लिए	170 की दर पर	170 की दर पर
समयोपरि कार्य की 15-15 मिनिट की अगली चार अवधियों के लिए	200 की दर पर	170 की दर पर
बचे हुए समयोपरि कार्य के लिए	200 की दर पर	200 की दर पर
अधीनस्थ कर्मचारी-वर्ग		
समयोपरि कार्य की 15-15 मिनिट की पहली चार अवधियों के लिए	150 की दर पर	150 की दर पर
समयोपरि कार्य की 15-15 मिनिट की अगली चार अवधियों के लिए	200 की दर पर	170 की दर पर
बचे हुए समयोपरि कार्य के लिए	100 की दर पर	200 की दर पर

रविवारों और छुट्टी के दिनों में किए गए कार्य के लिए कामगार को कार्य की सम्पूर्ण अवधि के लिए उसकी घंटेवार परिलब्धियों के 200% की दर से समयोपरि भत्ता मिलेगा, बशर्ते कि ऐसा कोई दिन उसके मामले में कार्य दिवस न हो ।

3. जीवन बीमा निगम के कर्मचारी

श्रेणी	समयोपरि भत्ते की दरें	
	न्यूनतम घंटेवार दर	अधिकतम घंटेवार दर
	(रुपए)	(रुपए)
जमादार	4.21	8.10
चपरासी	4.37	8.30
ड्राइवर	5.71	10.47
रिकार्ड क्लर्क	4.28	10.65
सहायक	4.90	15.61
अनुभाग प्रमुख	7.30	17.61
आशुलिपिक	5.90	16.67
उच्च श्रेणी सहायक	7.30.	19.14
अधीक्षक	10.10	19.93

4. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी

फैक्टरी अधिनियम या शाप्स एंड एस्टेबलिशमेंट ऐक्ट के अधीन आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में समयोपरि भत्ते की दरें वहीं होंगी जो कि सगत अधिनियमों में दी गई हों । अन्य उपक्रमों के मामले में विभिन्न उपक्रमों द्वारा विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं । निर्धारित दरों से सबधित सूचना केंद्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं हैं ।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा लाट्री आयोजित करना

6065. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमा सुरक्षा बल एक लाट्री का आयोजन करता है ;

(ख) क्या सरकार ने इसकी अनुमति दे रखी है ;

(ग) लाट्री की धनराशि किन प्रयोजनों के लिये नियत है ; और

(घ) क्या अन्य कोई सरकारी विभाग भी लाट्रियों का आयोजन करते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान् मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल समय-समय पर मेले और लाटरी आयोजित करता है, जिसके लिए दिल्ली प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इन लाटरियों/मेलों से होने वाला लाभ सीमा सुरक्षा बल कल्याण/परोपकारी निधि में जाता है, जिसका प्रयोग युद्ध में मारे गए कार्मिकों की विधवाओं, सीमा सुरक्षा बल के अपंग जवानों और उनके आश्रितों को मृत्यु/अशक्तता की हालात में वित्तीय सहायता और अनुग्रहपूर्व अनुदान देने के रूप में किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा योजना के कार्यान्वियन में किए गए व्यय पर पुर्नविचार

6066. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग योजना क्रियान्वयन के लिये जिनके लिये केन्द्रीय सरकार धन उपलब्ध कराती है राज्यों द्वारा किये गये खर्च का प्रतिवर्ष पुनरावलोकन करता है ;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राज्य-वार राज्यों की खर्च प्रणाली के बारे में आयोग के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) आयोजना व्यय के साथ-साथ आयोग गैर-योजना व्यय का पुनरावलोकन भी करता है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि करता है तो गत तीन वर्ष के दौरान वर्ष-वार तथा राज्यवार प्रवृत्ति के बारे में आयोग के क्या निष्कर्ष हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। प्रत्येक राज्य द्वारा अपनी वार्षिक योजना पर किए गए व्यय की समीक्षा की जाती है।

(ख) अलग-अलग राज्यों द्वारा विकास के प्रमुख क्षेत्रों के अधीन वर्ष 1980-81 और 1981-82 में हुए वास्तविक व्यय का विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6314/83] वर्ष 1982-83 के लिए वास्तविक व्यय के अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

जैसाकि अनुलग्नक से पता चलेगा, इन दो वर्षों में सभी राज्यों को मिलाकर कुल व्यय मूलरूप से स्वीकृति परिव्ययों से अधिक हुआ है और सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और सेवाओं को छोड़कर जिनमें व्यय में कुछ कमी हुई है, सभी क्षेत्रों के अन्तर्गत भी अधिक व्यय हुआ है।

(ग) जी, हां। राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों के मूल्यांकन के समय, पिछले एक अथवा दो वर्ष में वास्तविक योजनेतर व्यय और चालू वर्ष के लिए अद्यतन अनुमानों को ध्यान में रखा जाता है और राज्यों से पहले सृजित परिसम्पत्तियों तथा सेवाओं के सुचारू/कुशल रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना योजना व्यय में किफायत करने के लिए अनुरोध किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर वर्ष 1980-81 (वास्तविक) 1981-82 (पूर्व-वास्तविक) में और 1982-83 नवीनतम अनुमानों के लिए वर्षवार और राज्यवार योजनेतर व्यय के संबंध में सूचना संलग्न है। उससे यह मालूम होगा कि योजनेतर व्यय में वृद्धि कुछ तो सामान्य संवृद्धि के कारण और कुछ सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मंजूर करने और मुद्रा स्फीति की वजह से पहले सृजित परिसम्पतियों तथा सेवाओं के अनुरक्षण की अधिक लागत के कारण होती रही है।

बैल गाड़ियों के नमूनों का सुधार

6067. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने छोटे किसानों की परिवहन समस्याओं के लिए बहुपयोगी बैलगाड़ियों के 10 नये सुधरे नमूने तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सुधरे हुए नमूने का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन दस नमूनों में से किस नमूने को मानकीकरण और उत्पादन के लिए चुना गया है ;

(घ) देश में कितनी परम्परागत बैलगाड़ियों द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने टन भार ढोया जाता है और कितने यात्रियों का परिवहन किया जाता है ;

(ङ) नये सुधरे नमुने की बैलगाड़ी का क्रम मूल्य कितना होगा और इसके रखरखाव पर कितनी वार्षिक लागत आयेगी ; ।

(च) क्या नये प्रकार की बैलगाड़ियां खरीदने के लिए किसानों को रिजंव बैंक द्वारा तैयार किये गये नई जिला ऋण योजनाओं के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रबंध अथवा योजनायें तैयार की गई हैं ; और

(छ) यदि हां, तो ऋण प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिको, और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) बैलगाड़ी सुधारने की दिशा में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली कार्य कर रहा है। सम्प्रति उपलब्ध बहुत बड़ी संख्या की बैलगाड़ियों को ध्यान में रख कर संस्थान के कार्य का मुख्य स्वरूप उनमें संशोधन करना और नवीन चीजें लगाना है। जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय (सड़क अनुभाग) द्वारा आयोजित योजना के अंतर्गत संस्थान द्वारा 10 बैलगाड़ियां तैयार की गई थीं जिनमें नवीन विशेषताएं थीं। वर्ष 1981-82 से इन बैलगाड़ियों के क्षेत्रीय परीक्षण दिल्ली के किसानों द्वारा किए जा रहे हैं। ये परीक्षण टेपर रोलर बियरिंग और उसका रखाव व्यर्थ रबर टायरों, ब्रेकिंग क्रियाविधि, समयोजित ड्रा-बार और विभिन्न प्रकार के लोडिंग प्लेटफार्मों जैसी विशेषताओं के संबंध में हैं।

(ग) क्षेत्रीय परीक्षणों के समापन पर विभिन्न नई चीजों के लगाने और संशोधन के बारे में सिफारिशें की जाएंगी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी परिवहन पर सामाजिक-आर्थिक अध्ययन करने के लिए जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई थी। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली और भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर द्वारा सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। 14 राज्यों और 2 संघीय क्षेत्रों की 41 करोड़ जनसंख्या के अध्ययन से पता चला है कि पशुगाड़ियों की संख्या 1 करोड़ 51 लाख है जिनमें से 87.5% गाड़ियों परंपरागत तरीके की (लकड़ी के पहिये वाली) थीं और 12.5% हवा भरने वाले टायरों की थीं। ग्रामीण घरेलू माल ढुलाई यातायात की कुल संख्या 134 करोड़ टन थी जिसमें से 80 प्रतिशत गांवों के अन्तर्गत ही थी। लगभग 70% माल ढुलाई यातायात गांवों के बाहर और अंदर इन बैलगाड़ियों द्वारा ही किया जाता है।

(ङ) क्षेत्रीय परीक्षणों की वर्तमान प्रगति के आधार पर ही वास्तविक मूल्य और रख-रखाव लागत आंकी जाएगी। फिर भी प्रारंभिक लागत मोटे तौर पर अनुमानत: 2000-3500 रुपए के मध्य है, जो गाड़ी की किस्म और सामग्री पर निर्भर करती है।

(च) और (छ) नवीन मॉडलों के प्रसार के लिए नए डिजाइनों को राज्य सरकारों, कृषि आधारित निगमों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ संबंधित अन्य संगठित प्रतिष्ठानों को दिए जाने का प्रस्ताव है। सुधरी किस्म की गाड़ियों को खरीदने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है।

जाली मैडिकल डिग्री और प्रमाण पत्र देने वाला गिरोह

6068. **श्री दीनबन्धु वर्मा :**

श्री अनादि चरण दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने जाली मैडिकल डिग्री और प्रमाण पत्र जारी करने वाले संगठित गिरोह को पकडा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी मैडिकल डिग्रियां वितरित की गई हैं ; और

(ग) जाली मैडिकल डिग्रियों को जब्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जब्त किए गए रिकार्ड के अनुसार 100 जाली मैडिकल प्रमाण पत्र/डिग्रियां वितरित की गई थी ।

(ग) 4 ऐसे जाली प्रमाण पत्र दिल्ली में अब तक जब्त किए गए हैं और एक पुलिस दल उत्तर प्रदेश को भेजा गया है जो उस राज्य में रह रहे व्यक्तियों को जारी किए गए ऐसे जाली प्रमाण पत्रों का पता लगाएगा ।

खेल सामग्री उद्योगों को प्रोत्साहन

6009. डा० ए.यू. आज़मी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल सामग्री उद्योग विनाश के कगार पर है ;

(ख) क्या कच्चे माल के मूल्यों में समुचित वृद्धि हुई है इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर जैसे खेल सामग्री के कच्चे माल के उत्पादक राज्यों से कच्चा माल नहीं मिल रहा है ;

(ग) क्या सरकार इस उद्योग को पाकिस्तान जैसे अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में पर्याप्त तथा उपयुक्त प्रोत्साहन नहीं दे रही है ;

(घ) क्या इस उद्योग को चमड़े की खेल सामग्री बनाने के लिए अच्छे किस्म का चमड़ा नहीं मिल रहा है ;

(ङ) क्या निर्यात संवर्द्धन परिषद् का कोई अध्यक्ष नहीं है ; और

(च) यदि हां, तो इस उद्योग को मुकाबले पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) खेल का सामान बनाने में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे विभिन्न प्रकार की लकड़ी और बेंत के मूल्य में काफी वृद्धि हो गई है । जिन राज्यों में ये उपलब्ध है उनसे अन्य स्थानों को ले जाने पर लगाए गए कुछ प्रतिबन्धों के कारण से कच्चे माल आसानी से नहीं मिलते ।

(ग) खेल के सामान के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उपयुक्त प्रोत्साहन दे रही है जिनमें नकद प्रतिपूर्ति सहायता और महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात जैसे नायलोन नट, रोश की लकड़ी, कांच की लकड़ी, पिल्लो क्लेफट, शटल कोक के पर और नीचे लगने वाले कार्क के आयात को आयात शुल्क से मुक्त रखना सम्मिलित है। खेल के सामान के उद्योग को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पड़ोसी देशों में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के समतुल्य हैं।

(घ) तथा (ङ) जी, नहीं।

(च) जटिल विदेशी बाजारों में कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद भी खेल के सामान के उद्योग ने निर्यात के क्षेत्र में बढ़िया कार्य किया है। विभिन्न प्रकार के खेल संबंधी सामान के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन आवश्यक तकनीकी सलाह, सामान्य सुविधा सेवा, जांच तथा प्रशिक्षण सुविधाएं दे रहा है। विभिन्न प्रकार की लकड़ी से बनाए जाने वाली खेल संबंधी विभिन्न वस्तुओं के निर्यात उत्पादन के लिए खेल सामान निर्यात संवर्धन कौसिल के माध्यम से खेल सामान उद्योग को देशी बेंत की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय खेल कूद सामान की किस्म सुधारने के लिए विश्व में अद्यतन प्रौद्योगिकी के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु व्यापार/परिषदों को विदेशों में तथा देश के भीतर भी मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की अनुमति है। खेल-कूद के सामान के निर्यात में बढ़ोतरी करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार विदेशों में दौरा करने हेतु अध्ययन दल को अनुदान भी देती है। अपनी प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को सहायता देने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आई. टी. सी./एस.आई. डी ए. सहायता के अन्तर्गत निमंत्रित किया जाता है।

विदेशी धर्म प्रचारकों का रजिस्टर

6070. **श्री डॉ० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी धर्म प्रचारकों के रजिस्टर में केवल ईसाई धर्म प्रचारकों का ब्यौरा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मुस्लिम देशों और अन्य धर्मों के प्रचारकों के नाम रजिस्टर करने पर भी विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा विदेशी धर्म प्रचारकों का कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है। वीजा पर भारत में प्रवेश वाले विदेशी चाहे उनका व्यवसायअथवा राष्ट्रीयता कुछ भी हो विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 और उसके अधीन नियमों के अधीन पंजीकरण की आवश्यकताओं द्वारा नियमित किए जाते हैं जब कि उनका ठहरना एक निश्चित अवधि से अधिक हो जाता है।

संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया जाना

6071. श्री पीयूष तिरकी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र देने का अधिकार है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) दिल्ली में कौन कौन से अधिकारी अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ?

गृह मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। संसद और विधायक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, इसका कारण यह है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को वास्तव में प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उपयुक्त जांच करनी होती है ।

(ख) उप-आयुक्त, दिल्ली द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं :—

(I) प्रभारी अधिकारी (सी सी एस-II) उप आयुक्त का कार्यालय तीस हजारी, दिल्ली ।

(II) एस० डी० एम० नई दिल्ली ।

(III) एस० डी० एम०, शाहदरा ।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है । तथापि अन्य राज्यों से दिल्ली में आए हुए व्यक्तियों द्वारा उनके पिता/माता के मूल राज्य में निर्धारित्त प्राधिकारी द्वारा उनके पिता माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, अलावा इसके कि जहां निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करते हों कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य से विस्तृत जांच आवश्यक है । प्रमाण पत्र इस बात का ध्यान किए बिना जारी किए जाएंगे कि उक्त जाति/जनजाति संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के संबंध में, जिसमें व्यक्ति ने प्रव्रजन किया है, अनुसूचित है या नहीं है । इस सुविधा से किसी एक या अन्य राज्य के संबंध में व्यक्ति के अनुसूचित जाति/जनजाति के स्तर में परिवर्तन नहीं होगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर भद्र सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनयम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 866 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जो 4 जनवरी 1983 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नमक (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 का निरसन किया गया है,

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6276/83]

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, एक समाचार तथा एक चित्र प्रकाशित किया गया है ···(व्यवधान)**···।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। वे दीर्घायु होंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : कृपया श्री ज्योति बसु को शुभ कामनाएं भेजिये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आपने वायदा किया था कि कल गेहूं की सपोर्ट प्राइस के बारे में ऐलान किया जाएगा···।

अध्यक्ष महोदय : आपने वायदा माना कब था ?

श्री मनीराम बागड़ी : आपने तो माना था। आप मेरी बात सुन लें। बंगाल में कांग्रेस वाले शोर करें तो यह भाई करें, पंजाब में दूसरे शोर करें तो यह भाई शोर करें, जरा रास्ता बना दो पुलिस को इतनीं खुली छूट न हो कि लोगों को मारे और न पुलिस को लोग मारें। यह हिंसा का वातावरण देश में नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आज आ रही है होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड।···(व्यवधान)।

मैं सब की बात सुनता हूं, व्यवस्था से सारा काम चलता है और जब आप लोग या लेजिस्लेटिव असेम्बलीज में जो लोग है वह जो चुन कर आते हैं, जो विधान के अनुसार कानून बनाने के हकदार हैं, जिन्हें देश को चलाना है, पहले तो वह सोचें, हमें सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आज आपने जो कहा मेरे दिल में बात आई कि आपको कहूं और आपके माध्यम से सारे देश से कहूं। जो कुछ मैं पढ़ता हूं आजकल या सुनने में आया है, असेम्बलीज में हमारी जिस प्रकार का व्यवहार होता है, उससे मुझे चिन्ता है और आप सब को होनी चाहिए। और जो भी जागरूक हैं इस देश में, जिन्हें थोड़ा सा प्रजातन्त्र में विश्वास है उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इस देश को चलाना है ? और अगर हम ही ऐसा करेंगे, जो बाड़ खेत की रक्षा के लिए लगाई है अगर वही खेत को खाने लग जाय, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो कैसे काम चलेगा ? ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। कोई कहीं पावर में है, कोई कहीं है। यह सत्ता लोगों की है, लोग मालिक हैं। इस देश से राजा और प्रजा तो चले गए, अब तो आप लोग हैं, या जानता है, राजा हमारे लोग हैं, इसलिए सब को हमें सोच कर चलना पड़ेगा। अब किसी की बारी है. लेकिन जो तंत्र बनाया है उसको लागू करने के लिए हमें ठंडे दिल से सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल आप से प्रार्थना करना चाहता हूं सबकी मारफत से।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आप एक बैठक क्यों नहीं बुलाते ? आप इसके लिए पहले क्यों नहीं करते हैं ? ... (व्यवधान) ...।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : बैठक बुलाइए ...(व्यवधान)। आप ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ... (व्यवधान)। इस पर फैसला होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बैठक बुलाइए। आज का राजा परमानेंट समझ रहा था कि हम परमानेंट राजा हो गये। (व्यवधान)...।

अध्यक्ष महोदय : देखिये। वायोलेंस की बात करते है। ...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। मैं बताता हूं। जब आपने जनता को ताकत बख्श दी और वोट का हक दे दिया कि पाँच साल में, पहले या पीछे, जनता सब कुछ कर सकती है। वह किसी की परवाह नहीं करती है। ...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कर देती है। बदल देती है। तो फिर क्यों वायोलेंस का सहारा लेना है। सारों के प्रति घातक होगा। जो वायोलेंस करता है, उसके प्रति भी और देश के प्रति भी घातक होगा। वायोलेंस कहीं भी करो, वह अनुचित है। अनुचित सदैव रहेगा। उसका हमें सहारा नहीं लेना चाहिए। ...(व्यवधान)...।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपकी रक्षक भक्षक बनने वाली बात से सहमत हूं। किन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी बिना वस्त्र पहने बाहर निकल आए हैं। और सरकार को उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये। वे इतने आगे कैसे बढ़ गये ? उसका कोई न कोई कारण रहा होगा।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अच्छा नहीं है। गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिये। टैरिकॉट हो या खद्दर हो सारी बातें समझाई जा सकती है। ऐसा करने से अशुद्धि होती है। ···(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे इतने आगे बढ़ गये हैं और सरकार उसका उत्तर दे रही है।···(व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : पहले शास्त्री जी की बात सुन लूं, फिर आपकी सुनूंगा।··· (व्यवधान)····।

श्री मनीराम बागड़ी : अनाथ के बारे में, जो जबाव दिया है···।

अध्यक्ष महोदय : आएगा, करवा देंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : कब करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे, मैं सोच रहा हूं। ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या बोला है। मेरे से बात कर लेंगे।···(व्यवधान)···।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, कल हजारों रेल मजदूरों ने यहाँ डिमॉंस-ट्रेशन किया है। आपसे भी मिले हैं। मैं चाहूंगा कि उन की मांगों के बारे में सरकार वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पेटीशन भेज दिया है। आप इसको 377 में दे दीजिए। आप 377 में दूसरा दे दीजिए। जो दिया था वह स्टेट के मुताल्लिक था। आप बदल दीजिए, हम रख देंगे।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैं चुने गए प्रतिनिधियों के बारे में आप द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं। लोक सभा के अध्यक्ष के नाते आप राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक बैठक क्यों नहीं बुलाते और उस बैठक में इस मामले पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी ने भी कहा है। आपने भी कहा है। आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : महोदय, दिल्ली में 49 अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करने के लिए सूचनाएं जारी कर दी गई हैं···।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है।···(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, रक्षा मंत्री जी ने हिन्दुस्तान मोनार्क के बारे में जो वक्तव्य दिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । आप मेरी बात सुनिए । मैं क्या उनके खिलाफ प्रिवलेज मोशन दूं, क्योंकि यह 20 करोड़ की डिलिंग है । जिसके पास न कोई फैक्ट्री है और न कुछ है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए । आप लिख कर दीजिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह : उसका इजराइल से सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : लिख कर दीजिए, ऐसे नहीं होता है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, आप बहस करवाइए ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए । मैं बहस करवा दूंगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप बहस करवाइए । आप लिख कर दीजिये । ऐसे कहने से थोड़े ही बात हो जाएगी ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह भ्रष्टाचार जो हो रहा है । वह इसी कंपनी के जरिये से हो रहा है । हिन्दुस्तान मोनार्क के जरिए से ।

अध्यक्ष महोदय: देख लेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने आपको नोटिस दिया है । लेकिन मैं दूसरी चीज के बारे में कहना चाहता हूं । मैंने एक एडजार्नमैंट मोशन दिया है । बहुत गम्भीर मामला है पूरे देश में भुखमरी की स्थिति है । लोग भूखों मर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कई दफा करवा दिया है ।

श्री राम विलास पासवान : लोग भूख से मर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : और करवा देंगे ।

श्री रामविलास पासवान : डिसकशन के लिये आल-रैडी दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : करवा देंगे । मैंने पहले भी कई दफा करवाया है ।

श्री राम विलास पासवान : सरकार से कहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार भी देखेगी । सरकार ने काफी दिया है । ...(**व्यवधान**)...।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : इस सदन में बार बार यह चिंता व्यक्त की गई है कि जो फेअर प्राइस शाप्स से गेहूं या गल्ला मिलता है, उसमें कचरा और मिट्टी बहुत होती है ...।

अध्यक्ष महोदय: आप 377 दे दीजिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) ; महोदय, प्रधान मंत्री द्वारा असम यात्रा के किये जाने पर भी असम समस्या का समाधान नहीं किया जा सका ... (व्यवधान) । एक बैठक बुलायी जानी चाहिए ... (व्यवधान) ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री सैदपुर : हम आपके सामने फेअर प्राइस शाप्स का मामला ही रख रहे हैं । यह सारे देश की समस्या है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामस्वरूप राम । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिये, मैंने रामस्वरूप राम जी को बोलने की इजाजत दी है आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, हमने आपके समक्ष एक कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है कि डालमियानगर की रोहतास इंडस्ट्रीज में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि लोग भूख का शिकार होने लगे हैं । आप इस पर हमारा कालिंग अटेंशन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : उसे देख लेंगे । कंसीडर कर लेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र-जारी

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नियमों के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 2 (अ) के अधिलंघन में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 311 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने का विनिमय दरों के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.—6277/83]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 301 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 31 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 2/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत अमोनिया के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे नेफ्था को उत्पाद-शुल्क से दी गई छूट को 30 जून, 1983 तक बढ़ाया गया है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—6278/83)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

56 वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 56 वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

57 वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं इंडियन एयरलाइन्स के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का 57 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

याचिका समिति

12वां प्रतिवेदन

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक (बुलदाना) : मैं याचिका समिति का बारहवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, हम अगली मद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करते हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि कालिंग अटेंशन का यह मामला शिक्षा मंत्रालय का नहीं है, यह मामला मेडिकल से संबंधित है। पिछली बार जब हमने इस सदन में इस मामले को उठाया था तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि मैं क्या करूं, यह मामला मेडिकल से सम्बन्धित है। आप इसका जवाब मेडिकल से सम्बन्धित मंत्रालय से दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह ठीक नहीं है तो सोच लेंगे। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कहते हैं कि यह कालिंग अटेंशन मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन के अन्तर्गत जाता है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

अध्यक्ष महोदय : चलो हम देख लेते हैं कि वह क्या कहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : आप इसके लिए दोनों को बुलवाइये। पिछली बार जब डिस्कशन हुआ था तो यह बात आयी थी और यह बात रिकार्ड पर है। आप उसे देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो एक ही मिनिस्टर देगा। लेट हिम आन्सर।

श्री राम विलास पासवान : आप उन्हें जवाब देने की परमीशन दे दीजिए, लेकिन हेल्थ वाला भी तो यहां रहना चाहिए। (व्यवधान) पिछली बार स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मैंने मोनार्क के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं पहले हर बात पर विचार करूंगा और तभी निर्णय लूंगा। बाद में देख लेंगे, अपने को कोई बन्दिश थोड़े ही आ रही है।

अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए वरिष्ठ मन्त्री महोदय सभा में उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अस्पताल में हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फिर इसे स्थगित क्यों नहीं कर देते हैं? कनिष्ठ मन्त्री महोदय के प्रति असम्मान से मेरा मतलब कतई नहीं है, परन्तु मेरे विचार से वह न्याय नहीं कर

सकेंगे। स्वास्थ्य मन्त्री महोदया यहां पर नहीं है। यहां तक कि वरिष्ठ शिक्षा मन्त्री भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम देखते हैं; यदि हम सन्तुष्ट नहीं होते, तो हम इस पर फिर चर्चा करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इनको हाउस की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कालिंग अटेंशन की अहमियत क्या रह जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। आप इनकी वैल्यू क्यों घटा रहे हैं। ये भी सक्षम हैं।

मैं आदमी और आदमी के बीच भेद नहीं करता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : हमारा तो रोज अपमान होता है। आज आपका अपमान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। सभी इस सदन के सदस्य हैं। मैं उन्हें मन्त्री मानकर नहीं चलता हूं। मैं उन्हे सदस्य ही मानता हूं।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : महोदय, क्या माननीय सदस्य को उत्तर चाहिए या वह रुतबे का ध्यान रखना चाहते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : ये कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : जा सकते हैं। मैं तो जाया करता था जब मैं डिप्टी मिनिस्टर था।

श्री मनीराम बागड़ी : आप लंबे थे, ये इतने लंबे नहीं हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रावेशिक शुल्क (कैपिटेशन फी) को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति प्रावेशिक शुल्क (कैपिटेशन फी) को समाप्त करने की आवश्यकता।"

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : सरकार को ज्ञात है कि उच्च अध्ययन की संस्थाओं में छात्रों के दाखिले के लिए दान अथवा प्रति छात्र शुल्क के रूप में बड़ी राशि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार राज्यों में अधिकतर इंजीनियरी के क्षेत्र में ली जा रही है। इन राज्यों में अनेक प्राइवेट इंजीनियरी कालेज तथा तकनीकी संस्थाएं हैं, जो इस अवांछनीय पद्धति को अपनाती हैं।

भारत सरकार शैक्षिक संस्था में दाखिले के प्रयोजनों के लिए प्रति छात्र शुल्क अथवा दान लेने का पूर्ण रूप से विरोध करती है। सरकार का यह विचार है कि उच्च अध्ययन की सभी संस्थाओं में दाखिले बिलकुल योग्यता के आधार पर किये जाने चाहिए और इसके साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कानून द्वारा यथा निर्धारित उपयुक्त आरक्षण किये जाने चाहिए। सरकार का यह विचार है कि किसी संस्था में दाखिला प्राप्त करने के लिए बड़ी राशि का उपयोग करने से पात्र छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है।

प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को अप्रैल, 1981 में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने छात्रों के दाखिले के लिए प्रति छात्र शुल्क लेने की निन्दा की और मुख्य मंत्रियों से विशेष रूप से यह अनुरोध किया कि वे इस हानिकारक पद्धति को समाप्त करें। बाद में जून, 1981 में हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अपने उदघाटन भाषण में उन्होंने प्रति छात्र शुल्क लेने की पद्धति पर फिर से दुःख प्रकट किया। इसके अनुसरण में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखे जिनमें उनसे इंजीनियरी कालेजों द्वारा प्रति छात्र शुल्क लेने की पद्धति को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

अधिकांश राज्यों ने, जिनके क्षेत्र में प्रति छात्र शुल्क लेने वाली कोई भी संस्था नहीं है, प्रति छात्र शुल्क लेने को रोकने के प्रयास में भारत सरकार की पहल का स्वागत करते हुए अनुकूल विचार व्यक्त किए हैं। उपरोक्त तीन राज्यों की प्रतिक्रिया भी, जिनमें प्रति छात्र शुल्क लेने वाली संस्थाएं हैं, अनुकूल रही है किन्तु वे कुछ कानूनी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इस पद्धति को अभी तक समाप्त नहीं कर सके हैं। तथापि, वे इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने प्रति छात्र शुल्क लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक अध्यादेश हाल ही में अधिघोषित किया है। अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक लाया जा रहा है जो राज्य विधान सभा द्वारा पारित हो चुका है। कर्नाटक सरकार पांच वर्षों की अवधि में प्रति छात्र शुल्क लेने को उत्तरोत्तर रूप से समाप्त करने की अपनी योजना तो कार्यान्वित करने के लिए कानूनी कदम उठा रही है। बिहार सरकार सम्बन्धित संस्थाओं का निरीक्षण

करने की व्यवस्था कर रही है ताकि इनमें कुछ को, जहाँ आवश्यक हो, बन्द किया जा सके अथवा शेष के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त की जा सके जिससे उनके कार्यकरण तथा विकास को निर्धारित स्तर के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके ।

केन्द्रीय सरकार उक्त समस्या तथा शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रति छात्र शुल्क लेने को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता से अवगत है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के अनुसरण में, प्रति छात्र शुल्क लेने पर रोक लगाने के लिए संसद में उपयुक्त विधान पेश करने का केन्द्रीय सरकार का भी प्रस्ताव है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैडिकल कालिजों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : 6 अगस्त, 1982 की डिबेट देख लें जिसमें श्रीमती शीला कौल जी ने कहा था कि यह तो हैल्थ का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यह शिक्षा संस्थाओं का मामला है । एक मैडिकल कालेज तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के बीच क्या अन्तर है ? क्या वे शिक्षा संस्थायें नहीं हैं ?

श्री पी० के० थुंगन : हम शिक्षा संस्थाओं का जिक्र कर चुके हैं और हम इन संस्थाओं के संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं जो इस मंत्रालय के अधीन हैं । स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन संस्थाओं के बारे में यद्यपि ढांचा लगभग वही है, फिर भी हम उनके संबंध में कार्यवाही नहीं करते हैं । यही कारण है कि·········।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये आप उस मिसिल का चार्ज नहीं ले सकेंगे ।

श्री पी. के. थुंगन : जहां तक चिकित्सा शिक्षा का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में कार्यवाही स्वास्थ्य मंत्रालय करता है । अतः मैंने इसका जिक्र नहीं किया है । लेकिन रूप लगभग वही है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हम इंजीनियरिंग शिक्षा पर चर्चा करें ;

श्री रामविलास पासवान : आज डिसकशन करवा दीजिये कल हैल्थ पर हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो हमें चिकित्सा शिक्षा के बारे एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेना पड़ेगा ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : आप निर्देश दें कि दोनों मंत्री सदन में उपस्थित होने चाहिए और अपने-अपने विषय का पूरी तरह से निर्वाह करे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या दोनों को साथ कर सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों साथ होने चाहिए। यह सरकार जायंट रिसपांसिबिलिटी के आधार पर चलती है।

श्री पी. के. थुंगन : ढाँचा एक ही है। माननीय सदस्य कुछ सूचना ले सकते हैं, जैसे कि उन्हें हमसे मिली है। और चिकित्सा के बारे में......।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम इसे बाद की तारीख में लें तो क्या कठिनाई है? हम स्वास्थ्य मंत्री को भी यहां उपस्थित रहने के लिये कहेंगे। हम अब इसे स्थगित करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम नियम 377 के बाद में लेंगे क्योंकि वह सूची अभी तैयार नहीं है। अब हम मागों पर चर्चा करेंगे।

अनुदानों की मांगें, 1983-84

ऊर्जा मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गिरधारी लाल व्यास। क्या वे बोल नहीं रहे हैं। इसे रोक भी नही सकते। अगले वक्ता श्री रघुनाथ सिंह वर्मा हैं;

रघुनाथ सिंह वर्मा (मैनपुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एनर्जी पर बोलने का मौका दिया है। कोई भी देश बिजली या ऊर्जा की शक्ति के बिना तरक्की नहीं कर सकता है। ऊर्जा ही हमारे देश के विकास की रीढ़ है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

12.24

ऊर्जा के मुख्य स्रोत पानी, कोयला, सौर, गोबर प्लान्ट और भू-तापीय उर्जा है। हमारे देश में मुख्य रूप से ऊर्जा शक्ति को पैदा करने के लिए बिजली और कोयला ही हैं। आज जो छोटे-मोटे, ट्यूबवैल चल रहे हैं, वे खास कारगर नहीं है। सूरज की गर्मी पानी गरम करने और फल तथा आम और आलू के चिप्स आदि सुखाने के काम में ही आती है। अभी यह प्रयोगशाला में ही है। तारापुर में जो एटमिक पावर हाउस बनाया जा रहा है वह अमरीका के बीच में ही लटक रहा है, दूसरा मद्रास में है 235 मेगावाट की यूनिट तैयार हो रही है, तीसरी कोटा में 220 मेगावाट की यूनिट और चौथा एटमिक पावर हाउस नरौरा में है जिसके लिये यूरेनियम की सप्लाई नहीं हो रही है ठीक से और जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिये हमें अपने पानी और कोयले पर ही निर्भर करना होगा ताकि देश में ऊर्जा के अतिरिक्त साधन लाये जा सकें और देश की तरक्की हो सके।

हमारे देश में 31,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 80 प्रतिशत जनता जो गावों में रहती है उसको बिजली खेती के लिये सिर्फ 15.6 परसेंट दी जा रही है, इंडस्ट्री के लिये 60 6 परसेंट दी जा रही है, 3.8 परसेंट औरों को, 6 परसेंट अदर इंडस्ट्रीज को, 4 परसेंट काटेज इंडस्ट्रीज को और 4 परसेंट दूसरे साधनों के लिये दी जा रही हैं। रोजाना देखते है कि पूरे देश में बिजली की कमी है जिससे हमारी खेती और उद्योग चौपट हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसानों की हालत यह है कि बिजली की कमी के कारण गेहूं की बोवाई नहीं कर सके और सिंचाई न होने के कारण गेहूं की पैदावार कम होगी, हालांकि आंकड़ों में आप दिखा कर कहेंगे कि बम्पर क्रोप हुई है। मैं स्वंय किसान हूं मेरी 4, 5 एकड़ जमीन बिजली की कमी के कारण और सिंचाई न होने के कारण खाली पड़ी हुई हैं। किसानों को 4, 5 घंटे बिजली देते हैं जिससे कोई फायदा नहीं है। मेरा सुझाव है कि किसानों को बोवाई के समय और थ्रैसिंग के वक्त 24 घंटे बिजली दी जानी चाहिये तभी पैदावार बढ़ेगी। इस वर्ष गेहूं की पैदावार निश्चित रूप से कम होगी क्योंकि जो लास्ट पानी गेहूं में लगता है वह नहीं लग सका। इससे पैदावार आधी हो गई। आपकी सारी योजनायें खटाई में पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को समितियां गारन्टी देते हैं। जनता पार्टी के समय सरकार ने 15 रु० से घटा कर 12 रु० प्रति हौर्स पावर कर दिया था। लेकिन आज की सरकार ने उसको बढ़ा कर 22.50 कर दिया है। यह किसानों पर अन्याय है। बिजली एक घंटे भी नहीं मिलती है, हमारे यहां 15, 15 दिन तक बिजली नहीं आयी है जिससे किसानों में त्राह त्राह मची हुई है।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स से कोई उम्मीद नहीं है। मेरा सुझाव है कि इन को समाप्त किया जाय और एक डिपार्टमेंट के तौर पर उनसे काम लिया जाय जिससे किसानों को बिजली मिल सके। उत्तर प्रदेश में 3,4 विद्युत योजनायें चल रही हैं जिसमें टिहरी है, गंगा और यमुना तट पर खेती की जो पैदावार होती है वह 33 करोड़ की पैदावार होती है, और उद्योगों से जिनको कि आप 66.5 परसेंट बिजली देते हैं, 10, 11 करोड़ की पैदावार होती है...इससे बढ़कर और क्या अन्याय होगा कि बिजली की चोरी स्वयं वहां के कर्मचारी और अधिकारी की तरह करते हैं। बिजली डिपार्टमेंट के लोग स्वयं ही आधी बिजली गायब कर देते हैं। वे लोग बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। टाटा, बिड़ला, डालमिया को चोरी से वे बिजली देते हैं जिससे कि आम कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस प्रकार की जो स्थिति चल रही है उसको सुधारा जाना चाहिए।

हमारे यहां मैनपुरी में एक थर्मल पावर हाउस है उसकी हालत इतनी दयनीय है कि उसको अब प्राइवेट कांट्रैक्टर को दिया जा रहा है। जिले को बिजली मिल भी पायेगी या नहीं इस बात को स्वयं सरकार ही जान सकती है।

इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि मैनपुरी में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय है। उनका आधा कार्यालय दो तहशीलों जसवंतनगर शिकोहाबाद तहशीलों में ट्रांसफर हो रहा था

लेकिन जैसा कि मुझे पता चला है अधिशासी अभियन्ता ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को कई हजार रुपए देकर उस दफ्तर को जहां का तहां रखा है, जिससे कि किसानों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अपने काम के लिए उन्हें 30-30 मील चलकर मैनपुरी आना पड़ता है और बिना रिश्वत लिए वहां पर कोई काम भी नहीं किया जाता है। बिना पैसा लिए हुए कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया जाता है और न फार्म ही लिए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1979-80 में 16 परसेंट बिजली की कमी थी जोकि अब 8 परसेंट रह गई बताई जाती है। बताया जाता है कि 1984-85 तक बिजली की पूरी सप्लाई होने लगेगी और उससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा सम्भव हो सकेगा। केवल दस परसेंट बिजली की कमी होने से 19 करोड़ रुपए का औद्योगिक नुकसान होता है और 4 करोड़ का सरकारी राजस्व में नुकसान पहुंचता है।

बिजली घरों की क्षमता इस वर्ष काफी बढ़ गई बताई जाती है। 7.5 परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी खण्ड में 6.5 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी 36 परसेन्ट है, वेस्ट बंगाल में 28 परसेन्ट की कमी है, कर्नाटक में 26 परसेन्ट की कमी है, तमिलनाडू में 20 परसेन्ट की कमी है और राजस्थान में 22 परसेन्ट बिजली की कमी है। तमिलनाडू की स्थिति तो यह है कि वहां पर चार-पांच साल से वर्षा न होने के कारण पानी भी मोल बिक रहा है। वहां पर एक टैंकर दो से, ढ़ाई सौ रुपए में मिलता है।

विभागीय इनएफीशिएन्सी के कारण 79-80 में 14 अरब का नुकसान हुआ है और इस वर्ष 20 अरब का घाटा होने की सम्भावना है। अनुमान है कि छटी पंचवर्षीय योजना में 5 हजार मेगावाट बिजली की कमी हो जायेगी। हमारे उत्तर प्रदेश में विद्युत योजनाओं के विलम्ब से चलने के कारण दो तीन गुना खर्चा बढ़ गया है। राज्य की 29 तापीय और जल विद्युत योजनाओं के बारे में कहा जाता है कि उन में दो से लेकर दस वर्ष की देरी हुई है। राज्य में 1970-71 से 15 अरब 98 करोड़ 38 लाख की योजनायें चालू की गई थीं, वह देरी होने के कारण 32 अरब 81 करोड़ दो लाख तक पहुंच गई हैं। रिहन्द और माता टीला योजनायें 1955 से शुरू हुई और 65 तक तैयार हो पाई। रिहन्द डैम 19 सालों में तीन बार ही भर पाया है। शारदा और खटीमा की योजनायें इस सदी के अन्त तक भी पूरी नहीं हो पायेंगी। इस समय तक इन दोनों की लागत 20 अरब से ज्यादा तक पहुंच गई है। पूरी टरबाइन्स नहीं बनने से पानी नहीं मिलता है। लागत 34 करोड़ 39 लाख से बढ़ कर 73 करोड़ 33 लाख तक पहुंच गई है।

राम गंगा परियोजना की लागत 76 करोड़ 67 लाख से बढ़कर एक अरब 33 करोड़ पर पहुंच गई है। इसलिए राम गंगा परियोजना तैयार नहीं हो पाई है। इस समय राज्य में जल विद्युत योजना तैयारी पर है, लेकिन उसके सुरंग में पानी नहीं है। टेहरी परियोजना में एक अरब रुपया पानी की तरह बहाने पर भी यह योजना प्रारम्भ नहीं हो पाई; जबकि शुरू में एक

अरब 90 करोड़ 72 लाख रुपए पर यह योजना प्रारम्भ की गई थी। अब 8 अरब, 27 करोड़ 30 लाख रुपए पर पहुंच गई है। जब तक यह योजना तैयार होगी, तब तक पता नहीं कितना रुपया और खर्च हो जाएगा। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि यह योजना बीसवीं सदी तक पूरी हो पाएगी।

तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये हमारे स्रोत हैं। एक लाख 11 हजार 628 मिलियन मिट्रिक टन कोयले के भण्डार हमारे देश में हैं। 19075 मिट्रिक टन कुकिंग कोयला है और 22500 दूसरे किस्म का कोयला है, जिसका कि उपयोग थर्मल पावर हाउसेस में किया जा सकता है। हमारे यहां थर्मल पावर हाउस को दूर ले जाकर बनाया है। पिट-हैड पर नहीं बनाया है। रेलवे का समन्वय नहीं हो पाता है। उनको सहयोग नहीं मिल पाता है। हमारे बहुत से बिजली घर कोयले की कमी की वजह से नहीं चल पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि बिजली घर पिट-हैडस पर जो बनाये जायें, जिससे कोयले की ढुलाई में परेशानी न हो। बिजली के ट्रांसमीशन पर भी कम खर्च होगा। बिजली किसानों और व्यापारियों को दी जा सकेगी।

श्रीमन्, पहले थर्मल पावर के बजाय जल विद्युत योजना पर काफी ध्यान दिया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे का इनके साथ सहयोग रहना चाहिए, जिससे देश का औद्योगिकीकरण हो सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। तेल के हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े भंडार हैं। दक्षिणी गोदावरी, बंगाल की खाड़ी, बम्बई हाईवे में काफी तेल उपलब्ध है। मैं अभी एस्टीमेट कमेटी में वहां के स्थान को देखने के लिए गया था। वहाँ पर कर्मचारी व अधिकारी बड़ी मेहनत से दो-ढ़ाई सौ मिल दूर काम करते हैं, समुद्र में। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी कार्य इस क्षेत्र में किया है। बड़ी लगन से हमारे कर्मचारी और अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि हम सन् 1980 तक तेल में आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

हमारे देश में 5 लाख 76 हजार गाँव हैं। जिनमें से बहुत कम गांवों में विद्युतीकरण हो पाया है। जब तक हम गांवों में अधिक बिजली नहीं देंगे तब तक शहरों में आबादी बढ़ती रहेगी। शहरों की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और शहरों की समस्याएं बढ़ रही हैं, वह सब हमारे सामने हैं। अभी मद्रास शहर में पीने के पानी की समस्या उठ खड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि शहरों की आबादी न बढ़े तो गांवों को अधिक से अधिक बिजली दीजिए जिससे कि लोग गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगा सकें और गांव के लोग गांव में ही अपना धंधा कर सकें।

बिजली के कर्मचारी मिल कर बिजली की चोरी कराते हैं। जब गांवों में किसान की खेती पक रही होती है उस समय वे बिजली की चोरी कराते हैं। बिजली की चोरी बिजली कर्मचारियों के सहयोग से ही हो सकती है, और किसी में बिजली की चोरी करने की हिम्मत नहीं है गैर-जानकार आदमी बिजली की चोरी नहीं कर सकता है। इसकी तरफ आपको ध्यान

देना चाहिए । श्रीमन् अगर देश में किसान का खेत हरा हो गया तो देश हरा होगा और खेत सूखा होगा तो देश भूखा मरेगा । इसलिए किसानों को अधिक सुविधा देनी चाहिए । मेरा तो यह निवेदन है कि कुल पैदावार की 50 परसेंट बिजली किसान को मिलनी चाहिए । क्योंकि 80 परसेंट से ज्यादा लोग देश में खेती के काम में लगे हैं ।

कोयले के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सिंगरौली में 9 करोड़ टन से भी अधिक कोयला है । उसका हैड क्वार्टर रांची में है । रांची से उसका हैड क्वार्टर हटा कर सिंगरौली में बनाया जाना चाहिए । बड़े-बड़े अधिकारी अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े शहरों में हैड क्वार्टर बना लेते हैं ताकि वहां उन्हें आराम की सारी सुख-सुविधाएं प्राप्त हो सकें । मेरा निवेदन है कि इसका हैड क्वार्टर सिंगरौली में बनाया जाए ।

श्रीमन् कोयला मजदूर को 512 रुपए तनख्वाह प्रति माह मिलती है । मेरा सुझाव है कि बिजली मजदूर को भी इतनी ही तनख्वाह दी जाए । बिजली के महकमे में बहुत से कर्मचारी अस्थाई तौर पर काम कर रहे हैं । मेरे गांव में एक कर्मचारी बिजली का कनेक्शन जोड़ने के लिए आया । कनेक्शन जोड़ते वक्त उसकी डेथ हो गई । वह डेलीवेजिज पर काम करता था । उसको कोई कम्पेनसेसन नहीं मिला । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चाहे कोई परमानेंट तौर पर काम करता हो, चाहे टेम्परेरी तौर पर काम करता हो, दोनों को कम्पेनसेसन जैसे और विभागों में दिए जाते हैं, उसी आधार पर दिये जाने चाहिए क्योंकि जीवन की कीमत नहीं आंकी जा सकती है । जीवन गरीब और अमीर सभी का बराबर है । आपको मेरे इस सुझाव पर अमल करना चाहिए कि कोयले और बिजली के मजदूरों की तनख्वाह एक हो ।

मेरा एक सुझाव यह है कि आपको सारे देश के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाना चाहिए जिससे कि किसी राज्य में कमी के समय में दूसरे राज्य से बिजली दी जा सके । हमारे केन्द्रीय इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के अधिकारियों ने बताया है कि यह ग्रिड 1990 तक बन पाएगा जिससे कि सरपलस बिजली वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को बिजली दी जा सके और सूखे के टाइम पर दी जा सके ।

श्रीमन् हमारे जो राज्य विद्युत बोर्ड हैं ये सभी राज्यों में एक सफेद हाथी की तरह हैं । ये बोर्ड करोड़ों रुपया खाते रहते हैं । इनके अधिकारी अपनी परसनल प्रापर्टी दिन दूनी, रात चौगुनी पैदा कर रहे हैं और ये बिजली की पैदावार 49 परसेंट ही कर रहे हैं । इसको आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब साफ कर देंगे । इनकी मशीनें खराब हैं । मशीन लगाने से पहले ही ये इतनी कमीशन ले लेते हैं कि वे मशीनें ठीक तरह से काम नहीं कर पातीं । मेरा सुझाव है कि अक्तूबर, नवंबर और दिसम्बर में तथा अप्रैल मई और जून में किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

सन् 2000 तक हमारी विद्युत की मांग चौगुनी हो जायेगी । इसको ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक थर्मल पावर स्टेशन लगाए जायें जिससे उस समय हमारी आवश्यकता की

पूर्ति हो सके। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का सर्वे किया जाना चाहिए। यहां पर अधिक विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। कच्छ एरिया में समुद्र की लहरों से बिजली प्राप्त की जा सकती है। वहां पर कार्य चल रहा है। उस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिये ताकि भविष्य में हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके।

शादियों इत्यादि में बिजली की फिजूल खर्च बंद की जाए और यही बिजली खेती और उद्योगों के लिये दी जाए। इससे देश का उत्पादन बढ़ेगा। हमारे देश के प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 133 वाट है जबकि कनाडा में 1100, स्वीडन में 9000, जापान में 2000 और यू एस० एस० आर० में 4000 वाट प्रति व्यक्ति है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम इस क्षेत्र में कितने पीछे हैं। हमारी टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी 30000 मेगावाट है। मांग 27000 मेगावाट है और पूर्ति 15000 मेगावाट की हो रही है। 11000 जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अगले पांच वर्षों में 2000 मेगावाट महाराष्ट्र और गुजरात विद्युत बोर्डों द्वारा प्राप्त होगी। महाराष्ट्र और गुजरात विद्युत बोर्डों की हालत अच्छी है लेकिन उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड की स्थिति ठीक नहीं है। कर्जे पर कब तक यह चलता रहेगा। बिल बढ़ाकर कब तक काम चलाते रहेंगे। जब तक ये इकानामी नही बरतेंगे तब तक इनका काम ठीक तरह से नहीं चल सकता।

इसके साथ ही एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज बड़े-बडे पूंजीपतियों पर लाखों और करोड़ों रुपया विद्युत का बकाया है। उनको सप्लाई बंद नहीं की जाती है। लेकिन अगर किसान का 1000 रुपया भी बकाया है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। वह सिंचाई नहीं कर सकता। उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते। पूंजीपतियों से अधिकारियों की मिलीभगत रहती है इसलिए उनका कनेक्शन नहीं काटा जाता। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी में 25 अधिकारियों के पद हैं जिसमें से 10 खाली हैं। 6 सेक्रेटरीज में से 5 आई ए एस हैं एक इंजीनियर है। ज्वाइंट सेक्रेटरीज में भी केवल एक इंजीनियर है बाकी सब आई ए एस आफिसर हैं। आई. ए. एस. को रामबाण समझा गया है जिसको जहां चाहे रखा जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक टेक्निकल आदमियों को रखा जाना चाहिए।

चालू वित्त वर्ष में 132 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है जो पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है। फरवरी 1983 तक के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। कोयले की पैदावार भी हमको बढ़ानी होगी। 1982 में कोयले की पैदावार बढ़ी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1977 से 1979 तक गतिरोध रहा है। 1981-82 में कोयले में 9.6 करोड़ मीट्रिक टन वृद्धि हो पायी है। 1982 में आपका लक्ष्य 12.4 करोड़ मीट्रिक टन का था लेकिन वह 12.49 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमें

इससे ही सब्र नहीं करना चाहिये बल्कि कोयले की पैदावार को और बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे देश की योजनाएं आगे बढ़ सकें। बिहार में कोयले की चोरी कितनी होती है, इसका आपको पता है मुगलसराय में जितनी भी चोरी होती है, उसको आप रोक नहीं पा रहेहैं। पिछले वर्ष हम लोग कोयला खदान देखने गए थे। वहां हमने देखा कि लोग जबर्दस्ती ट्रक लगा देते हैं. वे आतंकवादी भी बहुत हैं। वहाँ एक गैंग बना हुआ है मेरा सुझाव है कि वहाँ सी. आर. पी. या बी. एस एफ. को लगाया जाए ताकि कोयले की चोरी न हो सके।

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 19066 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया था जब कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 20300 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष के लिए 3500 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य रखा गया था। नेशनल ग्रीड बनाने से ही इसका काम चल पाएगा जिससे कमी के समय में दूसरे राज्यों को अधिक बिजली दी जा सके। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के लिए सदस्यों को 2 बजे बुलाया जायेगा। श्री व्यास अब बोल सकते हैं। जब सदस्यों को बुलाया जाता है, तो वे सभा में उपस्थित होने चाहिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास आप एक विशेष मामले के तौर पर बोल सकते हैं; आप पहले ही 12 मिनट ले चुके हैं। आप को अब तीन मिनट मिलेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं 15 मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कल जो कुछ आप लोगों ने कहा, उसे न दोहरायें।

श्री गिरधारी लाल व्यस (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं लिगनाइट के बारे में जिक्र कर रहा था। हमारे राजस्थान में लिगनाइट के बहुत बड़े भण्डार हैं: हमारे माननीय सांसद श्री वृद्धि चन्द्र जैन जी के इलाके बाड़मेर में भी लिगनाइट के बहुत बड़े भण्डार हैं; हम माननीय मंत्री जी को पिछले दो सालों से कह रहे हैं कि हमारे यहां लिगनाइट के पावर प्रोजेक्ट लगाइए, परन्तु अभी तक उसका कुछ पता नहीं है; अभी तक प्लानिंग कमीशन को भी लिखकर नहीं भेजा है। हमने प्लानिंग मिनिस्टर से भी निवेदन किया कि हमारे यहाँ यह प्रोजेक्ट मंजूर करवा दीजिए। लेकिन. अभी तक कुछ भी फारवर्ड नहीं किया है। इस प्रकार से व्यवस्था चलेगी तो राजस्थान में किस प्रकार से बिजली प्राप्त हो सकेगी। इस बारे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं। आज राजस्थान में सारी इन्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं। कृषि के लिए चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। सारी की सारी फसल तबाह हो गई है। अगर वहां लिगनाइट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लगा दिया जाए तो सैकड़ों मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और उसके जरिये से किसानों, कारखानों और सभी को बिजली देकर गरीबी दूर करने का

बहुत बड़ा प्रयत्न किया जा सकता है। दूसरा निवेदन हाईडल वेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में है। मगर राजस्थान के जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं वह सब बाहर दूसरे प्रदेशों में हैं, जैसे पंजाब, मध्य प्रदेशों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। हमारे यहाँ पर कोई भी हाइडल प्रोजेक्ट नहीं हैं, इसलिए ऐसे प्रदेशों में आप ज्यादा से ज्यादा थर्मल प्लान्ट लगायें ताकि अकाल के समय उनको बिजली मिल सके जिससे खेती और उद्योग पर बुरा असर न पड़े।

हमारे यहां कोटा में 420 मैगावाट की दो ऐटमिक पावर प्लान्ट यूनिट्स लगायी हैं जो साल में 20 दिन ही चलती हैं। मेरा निवेदन है कि इन दोनों यूनिट्स को समाप्त कर के दूसरे नये प्रोजेक्ट लगायें ताकि हमें बिजली मिल सके। यह घिसी पिटी यूनिट्स लगा दी हैं, आप ऐवरेज लगा लीजिए कि कितने सालों में लगी हैं और कितने दिन यह दोनों प्रोजेक्ट चले हैं जिससे पता लग जायगा कि ऐटमिक पावर प्लान्ट्स से राजस्थान को कितना नुकसान हुआ है। आप कितना ही प्रयत्न कीजिये यह घिसीपिटी ऐटमिक यूनिट्स चलने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये इन दोनों ऐटमिक यूनिट्स को समाप्त कर के और नए दो यूनिट्स आप राजस्थान को दें ताकि हमें 420 मैगावाट बिजली मिल सके जिससे उद्योग और खेती को पूरी बिजली उपलब्ध हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस में करोड़ों रु० का घाटा है। अभी राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में सी० एंड ए०जी० की रिपोर्ट में बताया गया है एक करोड़ से ज्यादा का सामान बोर्ड ने बिना आवश्यकता के और बिना टेंडर इनवाइट किए हुए खरीद लिया। तो जहां पर नियमों का पालन नहीं होता है और करोड़ों रु० बरबाद करते हैं. ऐसे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं सारे प्रदेशों में उन पर उचित नियंत्रण की व्यवस्था की जाय। आज इन बोर्ड्स से बिजली भी ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं होती हैं. बिजली की भी चोरी होती है लाखों रु० की बड़े लोगों द्वारा, लेकिन उनके खिलाफ बोर्ड्स कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। अतः आप को कार्यवाही करनी चाहिये और चोरी करने वालों के खिलाफ जो केसेज राज्यों में पेंडिंग हैं उन पर तुरन्त ऐक्शन लिया जाय जिससे चोरी करने वाले बड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। करोड़ों रु० की बिजली हर साल लोग चुरा रहे हैं, करोड़ों रु० का सामान बिना टेंडर के खरीदा जा रहा, है। जिसका दुरूपयोग होता है इन्हीं कारणों से इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस में घाटे हो रहे हैं। आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिये जिससे यह गड़बड़ियां न हों।

अब एक बात मैं मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्डस में स्टाफ रखने के लिए कोई नौर्म्स स्थापित किए हैं जिनके अनुसार इंजीनियर्स या मजदूर रखें जाय ? मैं समझता हूं कि जितने भी बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि जरूरत से ज्यादा ओवर स्टाफिंग है। इसलिए नौर्म्स स्थापित करने चाहिये जिससे व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके। जो मजदूर सरप्लस हों उनको और कामों में लगाइये। इस समय राजस्थान में इण्डस्ट्रीज के ऊपर 100 परसेन्ट बिजली की कटौती लागू की गई है। ऐसी स्थिति में जो भी इण्डस्ट्रीज अपना अलग जेनरेटिंग सेट लगाना चाहेंगी उनको बेंकों से पैसा देने की बात

कही गई लेकिन इसके विपरीत राजस्थान में जिन्होंने जेनरेटिंग सेट्स खरीदे उन पर बिजली का टैक्स और लगा दिया गया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बिजली उपलब्ध न होने के कारण जिन इण्डस्ट्रीज ने 20-20 लाख रुपया लगाकर जेनरेटिंग सेट्स लगाए उनके ऊपर टैक्स और लगा दिया गया जबकि आर्थिक तौर पर उनकी मदद की जानी चाहिए थी। तो इसके सम्बन्ध में भी सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आपका बिजली बोर्ड बिजली उपलब्ध न करा सके और फिर आप छूट दें कि अगर कोई उद्योगपति अपने लिए अलग से प्लान्ट लगाना चाहें तो लगा ले और फिर उसमें इस तरह की रुकावटें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जायें तो फिर उत्पादन किस प्रकार से बढ़ सकेगा ? मुझे आशा है कि राजस्थान के सम्बन्ध में मन्त्री जी गम्भीरता से विचार करके अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध करने की कृपा करेंगे।

जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों का सम्बन्ध है, आपका जो उत्पादन का कार्यक्रम है वह काबिले तारीफ है और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से पेट्रोलिय पदार्थों का उत्पादन बढ़ाते चले जायेंगे जिससे कि देश सेल्फ-सफीशिएन्ट हो सकेगा। लेकिन आपका जो डिस्टीब्यूशन का सिस्टम है, उससे मुझे शिकायत है। पेट्रोल पम्प या गैस एजेन्सीज देने में भयंकर घोटाला किया जाता है। जब तक आप पूरी सतर्कता नहीं बरतेंगे तब तक यह घोटाले होते रहेंगे। एक संसद्सदस्य द्वारा अपनी कांस्टीटुएन्सी में अमुक स्थान पर पेट्रोल पम्प खोलने का सुझाव माना नहीं जाता है लेकिन आपके मेकहमे में कोई जैन हों या अन्य अधिकारी, उनके कहने से कहीं भी पेट्रोल पम्प स्थापित कर दिया जाता है और गैस की एजेन्सी भी दे दी जाती है। फिर पार्लमेंट के मेम्बरों की आवश्यकता ही क्या है ? मैं निवेदन करूंगा कि इसकी स्वीकृति देने वाले जो हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। आज जिन के पास डिस्ट्रब्यूशन एजेन्सीज देने का काम है उनकी हालत दस-पांच साल पहले क्या थी और आज क्या हो गई है ? आज वे करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हैं। हमारे यहां गंगानगर में आपके यहां का कोई भण्डारी अधिकारी था, जिसने गैस की एजेन्सी ली, उसने पता नहीं कितना पैसा खाया कि आज बम्बई में वह एक करोड़ से ऊपर का अस्पताल बनवा रहा है। ऐसी ही हालत अन्य क्षेत्रों में भी है। खास मेरे यहां गांव में जो पेट्रोल पम्प दिया गया है, जिसका डीलर कहता है कि बीस तोले सोना देकर उसने पम्प प्राप्त किया है। इसी तरह से दो-तीन लाख रुपए में एक गैस की एजेन्सी मिलती है। इस तरह की स्थिति चल रही है। आप कितना भी बढ़िया काम करना चाहें, अधिकारी लोग उस पर पानी फेर रहे हैं, हमारी पार्टी की बदनामी कर रहे हैं। चारों तरफ से धन बटोरने की कोशिश हो रही है। इसलिए इन के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। पहले पुलिस महकमें को बदनाम किया जाता था, लेकिन आज गैस की एजेन्सी सबसे ज्यादा सोने का अण्डा देने वाली एजेंसी हो गई है।

इस एजेंसी में आज जितनी गड़बड़ी हो रही हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। हमारे क्षेत्र की बात के सम्बन्ध में हम लोग किसी प्रकार की बात कहें, तो आपके अधिकारी और आप मंत्री मानेंगे ही नहीं। यह आपके कहने की बात नहीं है। आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं।

हमारे क्षेत्र के लोगों के बारे में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं आप को बताना चाहता हूं कि आर एस एस के एक आदमी को पेट्रोल पम्प दस साल से दे रखा है। मैंने आप से शिकायत की थी कि वह सामान को ब्लैक करता है और पैसा खाता है। उसका नाम बाजी है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आप उसके खिलाफ एक्शन न लें, लेकिन वहां एक और पैट्रोल पम्प खोल दीजिए, ताकि लोगों को ठीक प्रकार से सामान उपलब्ध हो सके। लेकिन इस संबंध में भी कुछ नहीं किया गया है। पैट्रोल पम्प की हमारी मांग बरसों से चली आ रही है। वह आर.एस.एस का आदमी है। आपके डिपार्टमेंट में सम्बन्धित लोग होंगे जैनी हैं, जैनी सेल्स में बैठ हुए हैं। वे लोगों के साथ निश्चित तरीके के अन्याय और अत्याचार करते हैं। इसलिए आपके डिपार्टमेंट में जो अत्याचार हैं, उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए हम बराबर कहते आ रहे हैं। वहां सब-डिवीजनल क्वार्टर है। सब इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ हैं। कुछ लोग आपके विभाग से मिले हुए हैं। उनकी एप्लीकेशन आने पर सब तैयारी हो जाती है। जब पार्लियामेंट का मेम्बर कहता है, तो उस पर कुछ कार्यवाही नहीं होती है। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी के रिश्तेदार की एप्लीकेशन पर उस प्वाइंट को ले लिया जाता है और सारी कार्यवाही हो जाती है। मैं चाहता हूं कि वहां पर आप पैट्रोल पम्प लगायें, मगर आपको अधिकारियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको और राज्य मंत्री को स्वयं इन चीजों को देखना चाहिए। आपके अधिकारी गलत रास्ते पर अन्धेरे में रखते हैं। गलत तरीके से फैसला करते हैं। इसलिए इनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।...(व्यवधान)... मैंने तो अधिकारियों के लिए कहा है कि वे ही गड़बड़ी करते हैं, लेकिन मंत्री महोदय की तारीफ की है। (व्यवधान)... यदि मैं श्री ज्योति बसु का नाम लूं तो आपको कितनी तकलीफ होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: जिस समस्या का आपने अभी जिक्र किया है, उसका एक मात्र समाधान यह है कि वितरण भी सरकारी उपक्रमों के हाथ में अधिक होना चाहिए। वितरण व्यक्तियों के हाथ में नहीं होना चाहिये। इसे सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जाना चाहिये।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, कोयले के संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोयले के उत्पादन में कमी है। खास तौर से वेस्ट बंगाल से हमारे आने वाले माननीय सदस्य इस बात से स्वीकार करेंगे... उसमें कितना कोयला चोरी जाता है, उस कोयले को चुराने के पीछे किन लोगों का हाथ है? कौन लोग कोयले की चोरी कराते हैं? इस सम्बन्ध में विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर सारा कोयला सही ढंग से आये, उसमें से कोयला चोरी न जाए, चोरी किया हुआ कोयला विदेशों में न जाए तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है।

बायोगैस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप यह देखें कि यह व्यवस्था ठीक से चल रही है या नहीं। यह प्रोग्राम हमारे टवन्टी प्वाएंट प्रोग्राम में है। आप इसको देखें कि यह प्रोग्राम ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं। गांवों में हम देखते हैं कि किसान लोगों को तो इसके लिए पैसा नहीं मिल पाता है लेकिन बहुत से फर्जी लोग पैसा ले लेते हैं, लौन ले लेते हैं, सीमेंट ले लेते हैं और सामग्री ले लेते हैं। सब्सीडी भी ले लेते हैं। उसके बाद बायोगैस का प्लांट नहीं लगाते हैं। आपके पास इसके झूठे आंकड़े बना कर भेज दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि किसी मोनेटरिंग एजेंसी के जरिये इस की मोनेटरिंग की जाए। इस मोनेटरिंग के जरिये से यह देखा जाए कि प्रदेश सरकारों ने जो आंकड़े भेजे हैं वे ठीक हैं या नहीं। इसके सम्बन्ध में आपके पास कोई एजेंसी होनी चाहिए।

आपका एन०आर०ई०पी० का कार्यक्रम है जिसमें गांवों के किसान लोगों को, ट्राइबल लोगों को काम दिलाने का इंतजाम किया जाना है। इसमें जो सब्सीडी दी जाती है वह सही लोगों तक पहुचती है या नहीं यह भी आपको देखना है। आज इस देश के करोड़ों लोग पावर्टी लाईन के नीचे हैं। उनको अपने पांवों पर खड़ा करना है। क्या इस कार्यक्रम के लिए रखे गये पैसे का उपयोग हो रहा है या नहीं, यह भी आपको देखना है। क्या इस कार्यक्रम के लिए रखे गये धन का राज्य सरकार सही ढंग से उपयोग कर उसके सही आंकड़े प्रस्तुत कर रही हैं? यह सब आपको देखना है।

हमारे भाई नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं किसी एक स्टेट का नाम न लेकर सभी राज्यों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह जो हमारी एन०आर०इ०पी० और आई०आर० डी० की योजनाएं हैं और बायोगैस प्लांट की स्कीम है यह बहुत बढ़िया है। इसके लिए जो पैसे आप देते हैं, सामग्री देते हैं, उनका उपयोग ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं इसको आप देख कर इसको आप सही ढ़ंग से लागू करवाएं। यह योजनाएं हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की हैं और इनको ठीक ढ़ंग से लागू करवाया जाना चाहिए। इनको लागू करवाना आपके हाथ में है। अगर आप इन योजनाओं को, बायोगैस की योजना को ठीक ढ़ंग से लागू करवाएंगे तो लाखों यूनिट आपकी बिजली बचेगी और उससे लोग अपनी इंडस्ट्रीज चला सकेंगे। बायो-गैस के जरिये से जंगलों की जो लकड़ी जलाने की प्रवृत्ति लोगों में है वह प्रवृत्ति समाप्त होगी और लगों को भी सब प्रकार की सुख-सुविधाएं मिलेंगी।

मैंने जो आपके सामने-चार प्वाएंट रखें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तरीके से उन पर तवज्जोह देंगे। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की योजना है कि जिस तरीके से भी हो देश शक्ति शाली और ताकतवर बने। वे लोगों को आर्थिक तौर पर खुशहाल बनाना चाहती हैं। निश्चित तरीके से जब उनकी योजनाएं सफल होंगी तो इस देश के लोगों का जीवन बहुत उन्नत होगा और वे फलेंगे-फूलेंगे। देश में उद्योग धंधे भी बहुत पनपेंगे। देश की जनता सैकड़ों वर्षों तक इन योजनाओं को याद रखेगी और चाहेंगी कि हमारी नेता उनके लिए सदा ऐसे कार्य करती रहें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र श्री शिव शंकर के विधि विभाग से ऊर्जा विभाग में आने को अव्यवस्था तथा ऊर्जा की क्षति का नाम दिया गया है। विधि तथा न्याय से अब वह कोयला क्षेत्र के माफिया संचालकों के साथ है। विद्युत क्षेत्र में उन्होंने अन्धकार उत्पन्न कर दिया है जबकि तेल के क्षेत्र में मैंने यह देखा है कि वह चालाक उपभोक्ताओं के हाथ में एक कैदी बन गये हैं। हमारे एक मित्र होने के नाते मैं वास्तव में उनके भले की कामना करता हूं। लेकिन ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकते हैं, जब कि उनसे ऐसी नीतियों को कार्यान्वित करने को कहा गया है जो न तो आगे लागू की जा सकती हैं और न कोई दिशा प्रदान कर सकती हैं? इसलिए उनके मंत्रालय का कार्य-निष्पादन अब आम व्यक्ति के शोषण का एक अंग बन गया है। प्रकाश न होना, चूल्हों का न जलना, मिट्टी के तेल की दुकानों के सामने लम्बी-लंबी लाइनें तथा इस देश के राजस्वों को संभालने के लिए ऊंचे मूल्य—यह इस मंत्रालय के कार्य-निष्पादन का परिणाम है।

इस मंत्रालय के तीन महत्वपूर्ण विभाग हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्रहूँको लेते हैं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नवम्बर, 1982 में एक बुलेटिन जारी किया था जिसमें यह कहा गया है कि देश के सभी क्षेत्रों में 29.79 मिलियन यूनिट तक की प्रतिदिन आश्चर्य चकित करने वाली विद्युत सप्लाई की कमी रही है। जो आवश्यकता की 8 प्रतिशत होती है। परिचय क्षेत्र में यह कमी 7.52 जी. डब्लू. एच. रही, दक्षिण क्षेत्र में यह कमी 2.07 जी डब्ल्यू. एच. है लेकिन पूर्वी क्षेत्र में यह कमी 10.18 जी. डब्ल्यू. एच. है। यद्यपि इसके उत्पादन में कुल मिलाकर एक वर्ष में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह छठी योजना के दस्तावे के अनुसार 11.3 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत कम है। विद्युत उत्पादन के लिए क्षमता विस्तार में लक्ष्यों से लगातार कमी हुई है। यह गिरावट प्रथम योजना में 15.4 प्रतिशत, दूसरी योजना में 35.7 प्रतिशत, तृतीय योजना में 35.8 प्रतिशत, चौथी योजना में 50 प्रतिशत तथा पांचवी योजना के 15 प्रतिशत रही है। हाल ही के कार्य-निष्पादन को देखकर ऐसा लगता है कि यदि ऐसा रहा तो इस गिरावट में और वृद्धि होगी।

वर्ष 1982 के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना ग्यारहवां सर्वेक्षण प्रकाशित किया जिसमें यह भविष्वाणी की गई है यह गिरावट की परिस्थिति अखिल भारतीय आधार पर तथा सभी क्षेत्रों में, सिवाय उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर बनी रहेगी। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि विद्युत क्षेत्र में योजना तथा पहुंच हमेशा ही असंतुलित रही है। विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि जब तक ग्रामीण विद्युतीकरण सहित तकनीकी क्षेत्र में टी. एण्ड डी. के नाम से प्रसिद्ध ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अनुरूप व्यय नहीं किया जाता है तब तक ये रुकावटें तथा कमियां अवश्य रहेंगी और ये उत्पादित विद्युत के उचित तथा प्रभावी उपयोग में बांधा पहुंचाती रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है? विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने के नाम पर परिणाम दिखाने के लिए वे क्या कर रहे हैं? टी. एंड डी. पर घाटे को कम करने के पहलु पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके लिए आवंटित धन को उचित रूप से उपयोग में नहीं लाया जाता

है। टी. एंड डी. के घाटे में वृद्धि, कम वोल्टेज, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समय तक सप्लाई न होना इन सभी बातों के बारे में विशेषज्ञों का यह आरोप है कि यह विद्युत योजनाओं के आयोजन तथा उनके कार्यान्वियन में अस्तव्यवस्थता के कारण है। मेरी तरह आप भी संबधित आंकड़ों को जानकर आश्चर्य चकित होंगे कि अखिल भारतीय आधार पर टी. एंड डी. को घाटा 20 प्रतिशत तक है तथा परिमाणात्मक रूप में बिजली के मामले में यह 6,000 मेगावाट अथवा इसके समान है। यदि हम इसको 15 प्रतिशत अर्थात 5 प्रतिशत तक घटा सकते हैं तो हम 1500 मेगावाट विद्युत की बचत कर सकते हैं, तथा उत्पादन संयंत्र पर वर्तमान लागत में प्रति किलोवाट 6.000 रु० की बचत होगी। तथा टी. एंड. डी. घाटों को कम करने के लिए किया गया खर्च पर्याप्त रूप से न्यायोचित होगा। वास्तव में यह व्यय पुरस्कार के समान होगा क्योंकि उत्पादित विद्युत अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी।

शायद आपने एक बात की ओर ध्यान दिया होगा कि सदन में प्रत्येक सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की स्थितियों के बारे में शिकायतें करते हैं। इस देश में विद्युत के क्षेत्र में योजना की एक बड़ी कमी क्षेत्रीय असंतुलन रही है। मैं इ। माननीय सदन का कुछ समय कुछ आंकड़े देने के लिए लूंगा। हांलाकि 1951 में पूर्वी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से काफी आगे था, परन्तु दुर्भाग्यवश अब यह पिछड़ गया है। मैं कारण बताना चाहता हूं। वर्ष 1951-82 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में प्रतिष्ठापित क्षमता में वृद्धि हुई थी। हमें किसी क्षेत्र में हुई वृद्धि से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों से कैसे-कैसे अलग-अलग वर्ताव किया गया। पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों में स्थापित क्षमता में 2,025% की, उत्तरी क्षेत्र में 2905% की ओर दक्षिण क्षेत्र में 2,306% की वृद्ध हुई जबकि पूर्वी क्षेत्र में यह केवल 864% ही थी, जोकि अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि का केवल तीसरा भाग ही है। मैं क्षेत्रवार ब्यौरे की बात कर रहा हूं।

अगर हम अन्तर-राज्य स्थिति को देखें तो असंतुलन और असमानता बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी। 1981-82 में महाराष्ट्र में स्थापित क्षमता 4,322 मेगावाट, तमिलनाडु में 2,5 9 मेगावाट, गुजरात में 2,407 मेगावाट थी, वही प० बंगाल में यह केवल 1,726 मेगावाट ही थी। 1980-81 में प्रतिव्यक्ति बिजली की खपत महाराष्ट्र में 272.3 के डब्ल्यू एच. गुजरात में 24.52 के. डब्ल्यू. एच थी, जबकि प० बंगाल में यह केवल 114 के डब्ल्यू. एच. ही थी। श्रीमन, क्या यह उग्रराष्ट्रीयता नहीं है? हम ऐसे भारत के ऐसे भाग के रूप में रखना चाहते हैं जहां जो कुछ भी उपलब्ध हो उसे सही ढंग से बांटा जाये। ऊर्जा विभाग की 1982-83 की रिपोर्ट में सूची-I में 1 82-83 के दौरान शुरू किए गये, शुरू किये जाने वाले और वारी-वारी से आरम्भ किये जाने वाले यूनिटों के बारे में बताया गया है। यह स्थिति 10-3-83 के अनुसार है। उत्तरी क्षेत्र में यह वृद्धि 815 मेगावाट, पश्चिमी क्षेत्र में 1170 मेगावाट, दक्षिणी क्षेत्र में 585 मेगावाट है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में यह केवल 380 मेगावाट है—जो कि पश्चिमी क्षेत्र का चौथा हिस्सा और अन्य क्षेत्रों के तीसरे हिस्से के लगभग है।

जहां तक पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का संबंध है, इनकी आवंटित क्षमता क्या है ? जब यह स्थिति है तो इसके बावजूद छठी योजना में क्षमता-आवंटन क्या किया गया है ? छठी योजना में क्षेत्रवार क्षमता वृद्धि इस प्रकार रखी गई हैं : दक्षिणी क्षेत्र 23.2%, उत्तरी क्षेत्र—26.3% पश्चिमी क्षेत्र—30.2% और पूर्वी क्षेत्र 16.9—पहले ही असमानता होने के बावजूद यह पश्चिमी क्षेत्र से लगभग आधी है। पूर्वी क्षेत्र में यह-यह भाग सम्मिलित हैं :— बिहार उड़ीसा, प० बंगाल, डी. बी. सी. प्रणाली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह···।

एक माननीय सदस्य : उत्तर-पूर्व क्षेत्र की क्या स्थिति है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उत्तर-पूर्व क्षेत्र की स्थिति और भी अधिक खराब है। मैं आपको बताता हूं। यह 3.4% है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : यह 2550 है। आप पुस्तक पढ़ें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं। यह 2951 है। मैं बहुत खुश हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। इससे पता चलता है कि क्षेत्र वार कोई योजना नहीं है। और न ही निवेश के बारे में कोई योजना है पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें बिहार, उड़ीसा, प० बंगाल, डी. बी. सी. प्रणाली और अंडमान और निकोबार शामिल है, स्थिति और ज्यादा खराब है, क्योंकि सिर्फ उड़ीसा ही में पन-बिजली क्षमता केवल 16% है। प० बंगाल सरकार द्वारा विस्तार के लिए अनेक बार माँग करने पर भी कोई उचित योजना नहीं बनाई गयी है और न ही विस्तार किया गया है। उत्तरी बंगाल में पन-बिजली के उत्पादन की काफी सम्भावनाएं है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई जैसा कि ज्ञात है जब तक कि पन-बिजली उत्पादन न हो तब तक इसकी कमी को ऊर्जा का राशन करके पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। यह भी तभी प्रभावी होता है जब कि पन बिजली उत्पादन काफी मात्रा में हो क्योंकि ज्यादा खपत के समय, ताप केन्द्रों में उत्पादन पर नियंत्रण रख पाना मुश्किल हो जाता है और दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। लेकिन उड़ीसा में जो कुछ भी पन बिजली उत्पादन उपलब्ध है, जिससे कि पूर्वी क्षेत्रों को कुछ सहायता मिल सकती है वह नहीं मिल पा रही है, क्योकि उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र से सीधा संबंध है न कि बाकि के पूर्वी क्षेत्र से।

इसलिए महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे पूर्वी भारत और पश्चिमी बंगाल में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने जाने से संबंधित परियोजना प्रतिवेदनों पर ध्यान दें।

महोदय जैसाकि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है मै भी मांग करता हूं कि एक राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड होना चाहिए ताकि शक्ति के विवरण में एक प्रकार की समानता का आभास हो सके। पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड द्वारा 3212.5 मेगावाट बिजली पैदा करने की छः परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उन पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति बहुत से निलम्बित है राज्य सरकार भी 2040 मेगावाट उत्पादन के लिए परियोजना रिपोर्ट

तैयार कर रही है जिसके बारे में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन्हें उन पर तुरंत विचार करना चाहिए और उन निलम्बित परियोजनाओं को स्वीकृत करना चाहिए जिन पर स्वीकृति दी जानी बाकी है।

महोदय दामोदर घाटी निगम में भी कलकलत्ता व्यवस्था को अनियमित पूर्ति करने की समस्या है। पश्चिम बंगाल को 95 मेघावाट की पूर्ति करने का समझौता किया गया था। परंतु पूर्ति में कोई नियमितता नहीं है अधिकांश दिनों में पूर्ति काफी कम हो जाती है। मैं माननीय मंत्री से मान्झिथा परियोजना को शुरू करने के लिए भी निवेदन करता हूं जिसके बारे में हमने इतना कुछ सुना है। इसको तुरंत अनुमोदित किया जाना चाहिए और फराक्का परियोजना को भी त्वारित किया जाना चाहिए।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसन सोल) : महोदय, यदि माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र के काफी निष्पादन के तथ्य दे सके तो इस सभा को और अधिक स्पष्ट हो जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं मानूँगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : (आसनसोल) आंकड़े दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : कार्य निष्पादन के बारे में आँकड़े पूछने वाले कौन होते हैं? आपको प्रश्न पूछने में शर्म आनी चाहिए। 10 वर्षों से आपकी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैंने पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड में श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय के दस्तों के 12000 अवैध प्रवेश का संदर्भ नहीं दिया। इस बात का सभी को मालूम है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय उनके दल के लोग वहां पर तोड़-फोड़ का कार्य कर रहे हैं (व्यवधान)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मैं नहीं मानूंगां। कोई सीमा होनी चाहिए। मैं नहीं मानता।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का वित्त पोषण पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है? ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में मेरे पास 1951 से 1979 तक की अवधि के आँकड़े हैं। वाम-मोर्चा सरकार 1977 से सत्ता में आयी। 28 वर्षों में पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण

विद्युतीकरण 1% से 33.10% बढ़ा जबकि उसी अवधि के दौरान पूरे देश, में 0.5% से 41.80% बढ़ा है। 1983 तक देश में ग्रामीण विद्युतीकरण 50% से ऊपर गया हे जबकि पश्चिमी बंगाल में यह केवल 44% से ऊपर ही गया है। अब इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धि में असमानता केन्द्र सरकार द्वारा बड़े लम्बे समय से की जा रही उपेक्षा का परिणाम है। यह मेरा आरोप है। यह असमानता केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण में और सामन्य रूप से राज्य में स्थापित क्षमता को बढ़ाने में निवेश करने में की जा रही उपेक्षा के कारण है। जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति वास्तव में ही निराशा जनक है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां तक छोटे और लघु सिंचाई संसाधनों का सम्बन्ध है, बिजली की उपलब्धि के अभाव ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है। मैं इस सम्बन्ध में विषमताओं के बारे में आपको कुछ आंकड़े दूंगा।

गुजरात में कृषि के में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 40.76 के. डब्लयु.एच. है, तमिलनाडु में 43.6, पंजाब में 115.96 है जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 1.30 के० डब्ल्यू०एच० ही है। अब इसमें केवल 4% की वृद्धि हुई है। जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड 1989-90 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तृत प्रस्ताव बना रहा है।

परंतु लागत 400 करोड़ रुपए होगी। हम केन्द्रीय सरकार से इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सबंध है मैं मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार धनराशि उपलब्ध कराए। पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में बहुत अधिक अन्तर है। इसे इसी प्रकार नहीं चलने दिया जा सकता। पश्चिम बंगाल सरकार विद्युत क्षेत्र में निवेश को अत्यधिक महत्व दे रही है। 1983-84 के चिए राज्य का योजना व्यय, जिसके लिए केन्द्र सरकार की अनुमति लेने हमें दिल्ली आना पड़ा था, केवल 543.01 करोड़ रुपए है जिसमें से पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्युत क्षेत्र योजना हेतु 135.01 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं लगभग एक चौथाई विद्युत क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट कर दिए गए हैं। यदि राज्य के सामान्य योजना व्यय के लिए अधिक धनराशि आबंटित की जाती तो हम विद्युत क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करा सकते थे। अतः यद्यपि हमारी सम्पूर्ण योजना व्यय का धनराशि की एक चौथाई भाग विद्युत क्षेत्र के लिए दिया गया परन्तु फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि वर्षों तक कांग्रेस शासन के दौरान इसकी उपेक्षा की गई है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में अगले सात वर्षों में कुल 20,200 मेगावाट क्षमता वाली 92 ताप विद्युत इकाइयां स्थापित की जाएगी जिनमें से 1440 मेगावाट क्षमता वाली 9 इकाइयां पश्चिम बंगाल में होंगी। हमारे विचार में हमारे राज्य के साथ जानबूझ कर उपेक्षा की जा रही है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : वह राज्य की प्रगति के बारे में कुछ नहीं कह रहे। (व्यवधान)...।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, जहां तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए स्वयं भारत सरकार के अपने अन्तर-क्षेत्रीय विषमता मूल्यांकन का संबंध है। भारत की 24 प्रतिशत जनसंख्या पश्चिमी क्षेत्र में रहती है। इस देश की 24 प्रतिशत जनसंख्या वाले पश्चिमी क्षेत्र को 25 प्रतिशत विद्युत, 28 प्रतिशत जनसंख्या वाले दक्षिणी क्षेत्र को 29 प्रतिशत विद्युत, 22 प्रतिशत जनसंख्या वाले उत्तरी क्षेत्र को 29.3 प्रतिशत विद्युत तथा 22 प्रतिशत जनसंख्या वाले पूर्वी क्षेत्र को 15.4 प्रतिशत विद्युत मिल रही है। कृपया देखिए जहां 22 प्रतिशत जनसंख्या वाले उत्तरी क्षेत्र को 29.3 प्रतिशत विद्युत मिल रही है जबकि इतनी ही आबादी वाले क्षेत्र को इससे आधी विद्युत अर्थात 15.4 विद्युत मिल रही है। आप इसे क्या कहेंगे? इससे विकास योजनाओं में क्षेत्रीय भेदभाव सिद्ध हो जाता है। मैं मांग करता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में बेहतर और अपेक्षा कृत अधिक निवेश करके स्थिति सुधारने के बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

त्रिपुरा के संबंध में क्या है? क्या आप इस छोटे से राज्य के विकास के बारे में वस्तुतः चिन्तित हैं। त्रिपुरा में अब गैस उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि गैस का विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाए और इस उद्देश्य हेतु वहां एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया जाए।

मैंने जो कुछ है उसे दृष्टि में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वह विद्युत के मामले में पक्षपात पूर्ण राजनीति न अपनायें। मैं जानता हूं कि उन्हें यह सब विरासत में मिला है जैसा कि हमें विरासत में निराशा पूर्ण और बेकार का प्रशासन मिला था।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : आपकी विद्युत उत्पादन में नहीं शासन हथियाने में दिलचस्पी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें सत्ता जनता ने दी है। हमें आपके पास नहीं आना पड़ा। कुछ राजनीतिज्ञ निराश हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? वह अब पश्चिम बंगाल में अपना पद खोने वाले हैं। उन्हें वहां जाकर मतदाताओं का सामना करने दीजिए। यहां मत चिल्लाओ इसका यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।

अब जैसा कि मैं कह रहा था, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर गम्भीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। लोगों की भावनाओं को तथा देश की मौजूदा स्थिति को प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य है। हम पक्षपातपूर्ण

रवैये को उजागर करते रहेंगे और उसका विरोध करते रहेंगे और जितनी जल्दी निष्पक्ष और न्यायपूर्व दृष्टिकोण अपनाया जाएगा उतना ही देश के लिए बेहतर होगा।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र तेल-क्षेत्र को लेता हूं। मैं देश के प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और कामगारों तथा मंत्री महोदय का देश में कच्चे तेल के अधिक उत्पादन तथा बम्बई हाई में नई खोजों के लिए धन्यवाद करता हूं। देश के उत्पादन में वृद्धि हुई है इसका पता मुझे हैदराबाद में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से चला, जहां वे अपने मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए गए थे। यह उत्पादन 1981-82 में 16.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 1982-83 में 21.5 मिलियन टन हो गया। परन्तु इसके साथ-साथ हमारे समक्ष आकलित कीमत के द्वारा लोगों के लूटने की समस्या भी है। जितना अधिक उत्पादन होता है, पेट्रोल के मूल्यों में उतनी ही वृद्धि होती है। यह शिवशंकर किस्म की अद्भुत अर्थव्यवस्था है।

हमें ऊर्जा के इस महत्वपूर्ण स्रोत में आत्म-निर्भर होने का प्रयत्न करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे उत्पादन में वृद्धि होने के कारण पैट्रोलियम उत्पादों का आयात 5200 करोड़ रुपए से कम होकर 4600 करोड़ हो गया है यदि इसमें और अधिक अंतर आया हो तो कृपया हमें बताइए। इस तरह, 1982-83 में करीब 600 करोड़ रुपये की बचत हुई। खाने पकाने की गैस के अतिरिक्त सभी पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ गए थे, लेकिन श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं; रेल किरायों में वृद्धि के कारण पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पुनः बढ़ गए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ने से अब करीब 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैंने कहा, कम मात्रा में आयात करने से करीब 600 करोड़ रुपये की बचत हुई है। लेकिन 1400 करोड़ रुपए का लाभ किसे मिला है। यह वित्तीय लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है बल्कि वे लोगों को धोखा दे रहे रहे हैं, इन्होंने मिट्टी के तेल के मूल्य बढ़ाकर बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, जिससे आम लोगों को सबसे अधिक हानि हुई है। अब हमें अतिरिक्त लाभ हुआ है। न केवल अत्याधिक उत्पादन के कारण हमें कम आयात करना पड़ा बल्कि विश्व मंडी में मूल्य भी गिर गए हैं और उसके परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपये का और लाभ हुआ। वह फायदा सरकार को पेट्रोल के बिल पर होगा। लेकिन सारा लाभ कहां जा रहा है? आम लोगों को इस से एक पैसे का भी लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ, सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमत दस पैसे और बढ़ा दी गई है मैं इस वृद्धि तथा संसद की उपेक्षा कर मूल्यों को नियंत्रित करके शासन करने के तरीकों का पुरजोर विरोध करता हूं। हम इस पर आपत्ति करते रहे हैं और यहां तक कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इसके विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया। लेकिन निश्चय ही सरकार अपनी चाल चलती है और इसे इन लोगों की कोई चिन्ता नहीं है। महोदय, अधिक उत्पादन होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अपव्य को रोकना भी महत्वपूर्ण है इस उद्योग में तेल-संरक्षण संबंधी उपाय अपनाने की काफी गुंजाइश है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्था नाम की संस्था है, जिसने इस संबन्ध में अनुसंधान और परिकलन किए हैं। इसका कहना है कि 220 करोड़ रुपये के निवेश से, प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए के तेल की बचत होगी। इसने

बॉयलरों का आधुनिकीकरण करने, वैस्ट-हीट रिकवरी सिस्टम लगाने आदि क्षेत्रों के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त, हम यह भी समझते हैं कि सरकार को सभी गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की खोज करनी चाहिए ताकि ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर कम निर्भर रहा जा सके।

महोदय, ऊर्जा के संसाधनों के क्षेत्र में आर, एण्ड. डी .को मजबूत करना आवश्यक है। जहां तक इन संसाधनों का संबंध है, मुझे आशा है, सरकार मामले की जांच कर रही है हमें सौर-ऊर्जा, बांयों-गैस वायु ऊर्जा पन-बिजली, समुद्री ऊर्जा और ऊर्जा के रसायनिक स्रोत आदि पर बल देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ठीक हैं या गलत लेकिन मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा था कि केवल गोबर से 300 लाख टन घन मीटर बांयों-गैस का उत्पादन किया जा सकता है। जिसका 20% देश में 2.7 विलियन डीजल पम्प सैटों को अर्जित करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि वायो-गैस की इतनी क्षमता है, तो यह अच्छा समय है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दें।

अन्य क्षेत्र पेट्रोलियम रसायन का है। निश्चय ही हमें खुशी है कि जैसा कि वार्षिक प्रतिवेदन में हमने देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात में दो गैस पर आधारित दो पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्हें स्थापित कीजिए। लेकिन हल्दिया में ऐसा औद्योगिक समूह स्थापित किये जाने के बारे में क्या हुआ? जहां तक पेट्रो-रसायनिक औद्योगिक समूह का सम्बन्ध है, प्रत्येक वस्तु केन्द्रीय क्षेत्र में क्यों है? हम चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आसनसोल के इन माननीय सदस्य का क्या रुख है? वह यह कैसे यहाँ आ सकेंगे, मैं नहीं जानता। यदि यह स्थिति है, तब उनका क्या कहना है? क्या वह पेट्रो-रसायन समूह के बनाए जाने की माँग का समर्थन करते हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : यह गलत तरीका है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत खूब, लेकिन हाँ गैस का मामला है। सरकार का क्या निर्णय है। आप स्पष्ट बात······क्यों नहीं बताते···।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : मुझे श्री चटर्जी को उस बारे में याद दिलाना चाहिए। मुझे इसकी खुशी है कि उन्होंने इसका उल्लेख किया है, लेकिन वह अन्य बात भूल गए हैं। उन्होंने जो गैस टरबाइन खरीदा था, उसका क्या हुआ? क्या उसे चींटियाँ खा गई हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, संभवतः वह नहीं जानते कि पेट्रो-रसायन से उनका क्या अभिप्राय है। मैं पेट्रो-रसायन की बात कर रहा हूं और वह टरबाइनों में उत्पादन की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को विपक्ष के माननीय सदस्यों के लिए जो कक्षाएं लेनी चाहिए।

जहां तक पैट्रो-रसायन का सम्बन्ध है, हल्दिया पैट्रो-रसायन औद्योगिक समूह का प्रस्ताव लंबित है और हमें भारत सरकार, जिसे मंत्रियों को बदलने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहा है। के पास यह देखने के लिए बार-बार चक्कर लगाने होंगे कि इस बारे में कुछ निष्कर्ष निकलें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे वकील होने की शर्मिंदगी नहीं है। मैं उनकी तरह उपद्रवी नहीं हूं।

मै माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे चर्चा का उत्तर देते हुए हल्दिया पैट्रो-रसायन एकक की स्वीकृति की अवश्य घोषणा करें और यह बतायें कि इसे कब स्थापित किया जाएगा। उन्हें देश और देश की जनता के प्रति ईमानदार रहना चाहिये और उसके वित्तीय दायित्वों को स्वीकार करना चाहिये। राज्य सरकार ने कहा है; "ठीक है यदि आप इसे केन्द्रीय स्तर पर स्थापित नहीं कर सकते तो उसे संयुक्त क्षेत्र में स्थापित कर दें; हम प्रत्येक मिल कर वित्तीय संस्थानों से 40 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत धनराशि दें। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें।

अब मैं कोयले से तेल निकालने के बारे में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में घोष समिति की रिपोर्ट है। इसे रिपोर्ट को दबा कर रखा गया था किन्तु श्री नीरेन घोष जैसे युवा और कर्मठ सदस्यों के प्रयासों के परिणामस्वरूप उसे प्रकाश में लाया गया। किन्तु उस सम्बन्ध में निहित स्वार्थों के कारण उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाए ताकि इस देश में उपलब्ध प्रचुर कोयले से तेल निकाला जा सके।

तेल के क्षेत्र में एक बात मिट्टी के तेल के विवरण के बारे में है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है? दूसरे राज्यों को मिट्टी के तेल के अपेक्षाकृत अधिक आवंटन अथवा अधिक निवेश का हम बुरा नहीं मानते। किन्तु हम यह कहते हैं; "कृपया हमें मत भूलिए। हमें प्रति मास 85,000 मीटरी टन मिट्टी का तेल की आवश्यकता है किन्तु हमें केवल 38,400 मीटरी टन ही दिया जाता है जिसमें से केन्द्र सरकार के उपक्रमों तथा अन्य औद्योगिक एककों, जिन्हें इसकी बहुत आवश्यकता है। को भी सप्लाई किया जाता है।

जहां तक मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति आवंटन का सम्बन्ध है, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र, 1.51 लीटर, गोआ 1.60; पंजाब 1.13, चंडीगढ़ 2.85; गुजरात 1.45; दिल्ली 2.49 किन्तु पश्चिम बंगाल के लिये प्रति व्यक्ति मिट्टी का तेल का आवंटन केवल 0.85 लीटर ही है। मैं इस स्थिति की ओर मंत्री महोदय तथा देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिट्टी के तेल का राज्य-वार आवंटन का आधार क्या है? क्या प्रति व्यक्ति मांग के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर आवंटित किया जाता है? वे कहते हैं; नहीं, हम ऐतिहासिक

आधार अपना रहे हैं : क्या आप चाहते हैं कि इतिहासिक कारणों से हमें पीछे छोड़ दिया जाए ? इसी प्रकार से अन्याय किया जा रहा है ; और मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं ; कि वे इसमें सुधार करे तथा अपेक्षाकृत अधिक केरोसिन तेल के आवंटन की व्यवस्था करे।

अब मैं भारतीय तेल निगम के कार्यकरण के बारे में कहूंगा । मैं विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि मंत्री महोदय ने उसकी जांच का वायदा किया है ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह चाहता हूं कि आप उसका उल्लेख न करें क्योंकि आप और हम इससे सम्बद्ध हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे स्वीकार करता हूं । मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा । मुझे विश्वास है कि वे इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । मैं किसी दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करूंगा ।

अब मैं कोयले के क्षेत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा । कोयले के क्षेत्र में पूर्ण अराजकता फैली है । मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय शासकीय तौर पर न सही, निजी तौर पर इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : इस बात पर मैं आप से शत प्रतिशत सहमत हूं । 28 कोयला खदानों को लम्बे समय तक खोला नहीं जा सका । **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी इस विषय पर बोल रहे हैं । हमें उनके विचार सुनने चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक इकाइयां भ्रष्टाचार के अड्डे बन गई हैं । यह सर्वविदित बात है । कर्मकारों की वैद्य मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्रमिक वर्ग में फूट डालने वालियां शक्तियों के एक वर्ग के विरोध के कारण 7 लाख कोयला खदान कर्मकारों को पिछले वर्ष 8 अथवा 9 नवम्बर, को एक दिन की हड़ताल करने के लिये वाध्य किया गया और इस वर्ष भी 17 जनवरी से 19 जनवरी तक 3 दिन की हड़ताल हुई । हड़ताल असफल हो गई, यह दिखाने के लिये प्रबंधकों द्वारा सभी तरह की गलत रिपोर्टें दी गईं । उत्साह उत्साह में ही उन्होंने अध्यक्ष को हटा दिया । उसकी नौकरी बचाने के लिये किये गये अन्तिम, संघर्ष में उन्होंने कहा कि हड़ताल के दिनों में उत्पादन 104 प्रतिशत था । हालांकि वे अपनी नौकरी न बचा सके क्योंकि उन्होंने अपना प्रभाव कहीं और खो दिया था ।

वार्षिक रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि उन्होंने कर्मकारों की उन मांगों का उल्लेख किया है जिनके कारण उन्होंने हड़ताल की थी । किन्तु लम्बे अरसे से चली आ रही उनकी मांगों के बारे में क्या किया जा रहा है, इसके बारे एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला । मैं इस सरकार

से मांग करता हूं कि वे इस मसले को सुलझायें और कर्मकारों के साथ कोई न्यायपूर्ण समझौता करें और उनकी लम्बे अरसे से लम्बित न्यायपूर्ण मांगों की ओर शीघ्र ही ध्यान दिया जाए।

कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में मेरे पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार उसका लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : हड़ताल को सफल बनाने के लिए उन्होंने तीन कर्मकारों की हत्या कर दी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस जीवन में मैं, एक बात यहीं कर सकता हूं कि उन्हें मैं अपना अध्यापक मान लूं। मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन का वह अन्तिम दिन होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला क्षेत्र, कोल इंडिया लि० आदि में फैले भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ करने की बात यहां बैठे माननीय सदस्य को गहराई से छू रही है। शायद मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानता जिन्हें इस भ्रष्टाचार से लाभ पहुंच रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड 1982-83 में अपना कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी है, यह मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों से, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे सिद्ध होता है इसका लक्ष्य 1160 लाख टन था इसमें से 150 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह 31 मार्च, 1983 तक 1145 लाख टन तक पहुंच चुका था।

श्री राम प्यारे पानिका (रावर्टसगंज) : उनकी सूचना के स्रोत के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें अनेक निहित स्वार्थ हैं। कोल् इंडिया लिमिटेड के मुहानों पर 230 लाख टन का रिकार्ड भंडार एकत्रित हो गया है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों से यही पता चलता है। यदि मैं गलत हूं तो यहां पर मंत्री महोदय हैं जो सही सूचना दे सकते हैं। कोयला खादानों में दुर्घटनाओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसका स्पष्ट कारण सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को लागू न करना है। किन्तु गम्भीर आरोप लगाये गये हैं कि कर्मकारों को असुरक्षित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि किसी न किसी प्रकार अपेक्षाकृत अधिक कोयला निकाल कर अधिकारी वर्ग अधिक उत्पादन दिखा सके। इस संबंध में गम्भीर आरोप है कि इस दुर्घटना के बाद प्रबन्धकों और अधिकारियों द्वारा इस पर पर्दा डालने के लिये कार्यवाही की गई है ताकि सच्चाई सामने न आ सके।

कर्मकारों में बहुत ही रोष है क्योंकि जबरदस्ती कोयला निकलवाने के संबंध में गम्भीर शिकायतें हैं। मैं यह नहीं जानता कि क्या श्री मुखर्जी इसे प्रोत्साहित करते हैं। (व्यवधान) अत: यह बहुत ही आवश्यक है कि सुरक्षा सम्बन्धी उपाय इमानदारी से लागू की जाए। जबरदस्ती कोयला निकालने की घटनाएं नहीं होनी चाहिये। सरकार और इस मन्त्रालय को सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। जहां तक बिजली घरों को सप्लाई किए

जाने वाले कोयले की किसम का संबंध है। इस देश के प्रत्येक बिजली घर से यह शिकायत है किअत्यधिक राख वाला घटिया किसम का कोयला दिया जाता है। दो बातें घटित हो रही हैं और यह बिजली घरों पर प्रभाव डाल रहा है। इसके और इलावा, राज्य बिजली बोर्डों को न केवल कोयला बल्कि उसमें 35 प्रतिशत राख को ढ़ोने के लिये रेलभाड़ा खर्च करना पड़ रहा है।

13 56 hrs

(श्री एफ.एच. मोहसिना पीठासीन हुए)

इस कोयले के क्षेत्र में कोयला खदानों के कर्मकारों की मांगों की ओर शीघ्र ही ध्यान दिया जाए और उनकी मांगों के सम्बन्ध में समझौता किया जाए ; जबरदस्ती कोयला निकलवाने का कार्य बन्द किया जाए और उचित सुरक्षात्मक उपाय लागू किए जाएं ; कोयले की किसम में सुधार किया जाए और क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जाएं। अब तक धन्यवाद क्षेत्र में एक युवा लेखाकार श्री एस-एस. दास की हत्या की उचित रीति से जांच नहीं की गई है। यद्यपि सभी यह कह रहे हैं कि वे कोयला क्षेत्रों में सक्रिय माझिया के शिकार बने हैं किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं अपनी अन्तिम बात जो कहने जा रहा हूं वह कोयले के मूल्य में वृद्धि के बारे में है सोफ्ट कोक का मूल्य एक्स-डम्प लगा मुहाने पर 300 रुपये बढ़ा दिया गया है। मुहाने का मूल्य 1973 में 72 रुपये प्रति मीटरी टन था अब बढ़ कर 175 रुपये हो गया है। कलकत्ता में 1981 में एक्स-डम्प मूल्य 293.75 रुपये था जिसे बढ़ाकर फरवरी, 1983 में 293.75 रुपये कर दिया गया है। जुलाई, 1978 और मई, 1982 की अवधि के दौरान सोफ्ट कोक के मुहाने पर मूल्य 103 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है और दो वर्षों के दौरान एक्स-डम्प मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अक्तूबर, 1978 में प्रति 40 किलो का उसका खुदरा मूल्य 10 रुपये से बढ़ा कर जून, 1982 में 14 रुपये कर दिया गया है। सोफ्ट कोक का मुहाने पर मूल्य बढ़ाने के अतिरिक्त परिवहन प्रभार इतने अधिक कर दिये गये हैं कि उससे मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है और उपभोक्ता बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

सोफ्ट कोक की किसम के बारे में भी शिकायत है। राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना ही सम्भाल एवं भंडारण एजेन्टों की नियुक्ति की जाती है। खत्ते वहां पर लगा दिये जाते हैं। जहां तोलने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। इस सम्बन्ध में किसी को भी, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से सलाह नहीं ली जाती और खत्ते वहीं स्थापित किये गये हैं जहां संचालन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को बल्कि कोयले के सभी उपभोक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें। इस महत्व-पूर्ण क्षेत्र में राज्य सरकारों के साथ परामर्श अत्यन्त अनिवार्य है। कर्मकारों, ईंजीनियरों तथा अधिकारियों द्वारा किये गये परिश्रम और निष्ठापूर्वक प्रयासों से तेल के उत्पादन में सुधार हुआ

है किन्तु इस सम्बन्ध में नीति इस प्रकार की है कि इसमें भेदभाव पैदा करने, इस देश के आम आदमी का शोषण करने और उन्हें लाभ न पहुंचाने की उसमें निहित व्यवस्था है, इसी कारण अधिक से अधिक मूल्य वृद्धि की जा रही है यद्यपि उनके मन्त्रालय की रिपोर्टों के अनुसार हम आत्म-निर्भरता की स्थति की ओर बड़ी तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं किन्तु इस देश की आम जनता को इस देश के कर्मकारों और इन्जीनियरों की उपलब्धियों का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसका लाभ किसे पहुंचेगा ? मैं कह रहा था कि कोयले की कीमतों में कुछ कमी की जानी चाहिए अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप मूल्यों में कमी भी होनी चाहिये। अतः मैं यह मांग करता हूं कि यह अतिरिक्त लेवी वापस ले ली जाए और इस स्थिति को ध्यान में रख कर उचित मूल्य-निर्धारण किया जाए क्योंकि विश्व भर में मूल्यों में कमी आ रही है. कम आयात करने की आवश्यकता है और तेल के क्षेत्र में अधिक उत्पादन की आवश्यकता है।

बिजली के क्षेत्र में स्थिति बड़ी निराशजनक है और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कदम उठायें। ताकि अधिकाधिक उत्पादन ही न हो बल्कि देश के विभिन्न भागों में व्याप्त विषमताओं को भी दूर किया जा सके और देश इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पीछे न रहे।

— ——

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर बिहार में विद्युत उत्पादन की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : सभापति महोदय, बिहार में बिजली की उपलब्धता के बारे में स्थिति असंतोषजनक है। बिहार राज्य में बिजली की आवश्यकता और उसकी प्राप्ति में लगभग 40 लाख यूनिट्स का अन्तर है। बरौनी, पतरातु और कामती (मुजफ्फरपुर) में निर्माणाधीन 6 नये बिजली उत्पादन युनिट्स का काम शीघ्र पूरा होना चाहिए। और बिजली में सुधार लाने के लिए इनमें केवल बिजली का ही उत्पादन करना चाहिए। वर्तमान में फरक्का, कोयला कारों और भुटान में चूक्का में विद्युत उत्पादन की केन्द्रीय परियोजनायें इस समय निर्मित की जा रही हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने भूटान में निर्मित चूक्का प्रोजेक्ट से 71 मेगावाट बिहार को आवंटन किया है और इस बिजली के वितरण के लिए पूर्णिया में सब स्टेशन बनाया जा रहा है। उत्तर बिहार क्षेत्र का विकास अनेक वर्षों से बिजली के अभाव में अवरुद्ध रहा है और यह अत्यावश्यक है कि उत्तर बिहार के पूर्वी जिलों में पुर्णिया, सहरसा, खगरिया बिजली के संचार एवं वितरण प्रणाली में मजबूती लाने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए जिससे भूटान से उपलब्ध बिजली का विभिन्न क्षेत्रों में समयक वितरण हो

सके। भागलपुर के निकट कहलगांव विद्युत परियोजना का काम भी शुरू करना चाहिए। यद्यपि केन्द्रीय प्राधिकरण ने इस परियोजना की अनुमति दे दी है परंतु इस दिशा में काम आगे नहीं बढ़ा है।

बिहार में थर्मल बिजली कारखानों में असंतोषजनक उत्पादन हुआ। यह भी एक कारण है कि ग्रिड स्टेशनों में संचार सुविधाओं का अभाव है। रख-रखाव में अनियमितता बढ़ती जा रही है और उपयुक्त किस्म का कोयला भी नहीं उपलब्ध हो रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन समस्याओं की ओर ध्यान देकर बिहार में बिजली के उत्पादन की स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि बिहार का पिछड़ापन दूर हो और जन समाज के जीवन में सुख और समृद्धि हो।

(दो) जोधपुर आदि में कपड़ों की रंगाई तथा छपाई एककों से उनके द्वारा खुली नालियों में छोड़े जाने वाले प्रदूषित जल को साफ करने के लिये संयंत्र स्थापित करने के लिये कहे जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : जोधपुर पाली तथा बलोत्रा में लगभग 1500 एकक कपड़ों की रंगाई तथा छपायी में लगे हैं। चूंकि इनमें से किसी भी एकक में साफ करने का प्लांट नहीं है और वे $1\frac{1}{2}$ करोड़ लीटर गंदा पानी बाहर फेंकते हैं जो नदियों अथवा जलाशयों में मिलने से पहले काफी दूरी तक खुली नालियों में बहता है। इन 15000 एककों में 80,000 लोग रोजगार पर लगे हैं। उनके स्वास्थ्य के लिये काफी खतरा बना रहता है। जोधपुर मैडकिल कालिज, जोधपुर विश्वविद्यालय के परिस्थिति विज्ञान विभाग तथा गांधी प्रतिष्ठान के पर्यावरण सैल के सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि 20 प्रतिशत श्रमिक कैंसर, क्षयरोग तथा तथा अन्य खतरनाक बिमारियों के शिकपर हो जाते हैं।

चूंकि बिना साफ किया गया पानी कई गांव होकर गुजरता है, इसलिये कृषि भूमि तेजी से बंजर बनती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार, लगभग सात अथवा दस हजार हेक्टेयर भूमि या तो नष्ट हो चुकी है या यह भूमि तेजी से खुश्क होती जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुये, मैं परिस्थति विज्ञान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उन तीन कपड़ा कारखानों में काम कर रहे असंख्य श्रमिकों को मौत पर से बचायें। उन एककों को बिना विलम्ब स्थायी-संयंत्र स्थापित करते हेतु आवश्यक निदेश जारी किये जायें;

(तीन) तालचेर और सम्बलपुर के बीच एक रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता

श्री कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : पश्चिमी उड़ीसा से पूर्वी उड़ीसा की धातुओं तथा कृषि वस्तुओं का परिवहन सीधी रेल लाईन के बिना बहुत कठिन हो गया है। राज्य सरकार तथा उड़ीसा के संसद सदस्यों ने बार-बार तेलचर-सम्बलपुर रेल लाईन की मांग की है जिसके द्वारा सम्बलपुर तथा पारादीप के नीचे बीच सीधा लिंक हो जायेगा। इस लाइन के निर्माण से पूर्वी

तथा केन्द्रीय भारत और पूर्वी तट के बीच 470 किलोमीटर दूरी कम हो जायेगी और परिवहन लागत में भी काफी कमी होगी। इससे दक्षिणी पूर्वी रेलवे के झरखुगुडा-खड़गपुर सेक्शन की यातायात भीड़ में भी काफी कमी होगी।

यदि इस लाईन का निर्माण किया गया तो दामनजुरी तथा अनुगुल में निर्माणाधीन एलुमिनियम स्मेलतर तथा एलुमिना प्लांट की दूरी भी 75 किलो मीटर कम हो जायेगी। अतः रेल लिंक से परियोजना लागत में भी काफी कमी होगी।

तेलचर-सम्बलपुर रेलवे लाईन से तटवर्ती उड़ीसा तथा पश्चिमी उड़ीसा जो धातु तथा कृषि संसाधनों से सम्पन्न एक आदिवासी क्षेत्र है, के बीच सीधा सम्पर्क हो जायेगा। इस समय, राज्य की राजधानी से पश्चिम उड़ीसा के मुख्यालय सम्बलपुर पहुंचने के लिये पश्चिम बंगाल तथा बिहार होकर यात्रा करनी पड़ती है। अतः राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु तथा तटवर्ती उडीसा और पश्चिमी उड़ीसा के बीच भावात्मक एकता पैदा करने के लिये प्रस्तावित लाईन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसे ध्यान में रखते हुये मैं मांग करता हूं कि तेलचर-सम्बलपुर रेल लाईन के निर्माण कार्य को छठी योजना अवधि के दौरान शुरू किया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा बनारस जिलों में पेय जल की समस्या

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

वैसे तो आम तौर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पेयजल कठिनाई प्रतिवर्ष रहा करती है, किन्तु गत् वर्ष वर्षा की कमी के कारण वाराणसी तथा मिर्जापुर जिले के कुछ भागों में पानी का स्तर अत्यन्त नीचा होने के कारण पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। वाराणसी के सेवापुरी, भदोही, नवगढ़ आदि विकास खण्डों में तथा मिर्जापुर के अकोढ़ी, हलिया, लालगंज तथा दक्षिणी मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कुवें सूख रहे हैं। अनेक गांवों में सूख भी गए हैं। तीन-तीन, चार-चार किलो मीटर से पीने का पानी ढ़ोया जा रहा है। वहां के निवासियों में पेयजल के संकट के कारण घबराहट उत्पन्न हो रही है। यदि समय रहते उपाय न किया गया तो उक्त क्षेत्रों में पेयजल के अभाव का गंभीर संकट सम्भावित है। सरकार से अनुरोध है कि पहले तो पेयजल के संकट का मुकाबला करने के लिए उक्त क्षेत्रों में तात्कालिक कदम उठाए जायें। इसके पश्चात् मिर्जापुर तथा वाराणसी जिलों की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए स्थाई योजना क्रियान्वित की जाये।

(पांच) पटना में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये वित्तीय सहायता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं :

बिहार राज्य के विभिन्न भागों में गन्दी बस्तियां बढ़ रही हैं और गन्दगी तथा कूढे के जमाव के कारण स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है । इस संबंध में मैं पटना में गंदी बस्तियों की दशा की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा । अत: यह अति आवश्यक है कि गंदी बस्तियों को शीघ्र समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जायें । केन्द्रीय सरकार को गंदी बस्तियों को समाप्त करने हेतु वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकार को सहायता करनी चाहिए । ऐसे अनुदान सीधे नगर निगमों तथा नगर-पालिकाओं को देने चाहिए न कि गंदी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकार के एक मुश्त अनुदान के रूप में ।

(छ:) कोचीन पत्तन में नारियल के तेल का अवैध आयात

श्री इ.के. इम्बीची बावा (कालीकट) : कोचीन पत्तन पर "फटयासिड" के नाम पर नारियल तेल के गुप्त रूप से आयात से एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो गयी है । 1400 टन वाले पातंग से आये विदेशी जहाज से अब नारियल तेल पिछले गुरुवार से उतारा जाना शुरू हो गया है जिसका साबुन बनाने वाले कच्चे माल का निशान लगा है । कहा जाता है कि यह तेल केरल की एक साबुन बनाने वाली फर्म के लिये है ।

बड़े व्योपारियों तथा बड़े एकाधिकारियों द्वारा केरल के हजारों गरीब किसानों को धोखा देने के लिये नारियल तेल का चोरी से आयात करने का यह एक दूसरा उदाहरण है । देश में पैदा होने वाले कारखाने की गरी का 90 प्रतिशत भाग केरल में होता है और राज्य के अधिकांश किसान इस नकदी फसल पर निर्भर करते हैं । इसीलिये हम नारियल उत्पाद के आयात को उचित नहीं ठहरा सकते । नारियल की कीमतें कम हो रहीं हैं । ये मूल्य नवम्बर, 1980 में 1840 रुपये प्रति क्वींटल थे और भारी पैमाने पर आयात के कारण जुलाई, 1981 में घटकर 1250 रुपये हो गये । यह कमी 1982 में भी जारी रही और इससे पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों तथा राज्य को पृथक-पृथक 175 करोड़ रुपये की हानि हुई । जब बाजार में नारियल के दाम घट रहे हैं तो सभी अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं ।

बेईमान तथा बड़े व्यापारी आयात नीति की कमियों का लाभ उठा रहे हैं और इस प्रकार मूल्य में कमी की प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं । किसानों को उनकी पैदावार के स्थिर मूल्यों की गारंटी दी जानी चाहिये ।

सरकार को गैर-कानूनी तौर पर आयात किये गये नारियल तेल को जब्त करने के आदेश जारी करने चाहिये । भविष्य में भी सभी प्रकार के गैर-कानूनी आयात के बंद करने के लिये सख्त कार्यवाही करनी चाहिये :

मैं यह कामना भी करता हूं कि प्रधान मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री समस्या की गंभीरता का ध्यान रखें और किसानों के हितों की रक्षा हेतु हर प्रकार के आवश्यक कदम उठायें ।

(सात) ओलावृष्टि से फसलें नष्ट होने के कारण हरियाणा के किसानों को क्षतिपूर्ति

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं सब से पहले एक बात कहना चाहूंगा ।

सभापति महोदय : श्री एफ०एच० मोहसिन : स्टेटमेंट पढ़िये ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप खुदाई हुकम अगर चलाना चाहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा । नहीं कहने से मैं नहीं मान जाऊंगा । यह बहुत गलत है । आप सुन लो । मैं व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं ।

कायदा आपको पहले बनाना है । आपका कायदा है और उसके मुताबिक कालिंग अटेंशन से पहले इसको आना चाहिए था । आपने पहले नहीं लिया ।

सभापति महोदय : आर्डर हो गया था स्पीकर का इसके बारे में ।

श्री मनीराम बागड़ी : दूसरी बात यह है कि स्पेशल मेंशन इसलिए रखा जाता है कि टेलीविजन और आकाशवाणी से यह चीज जनता तक पहुंचे । अगर नहीं पहुंचती है तो क्या बकने के लिए हम लोग यहां पर हैं ?

सभापति महोदय : मैंने कल टी वी पर सुना 377 का जिक्र आया था ।

श्री मनीराम बागड़ी : प्रेमी जी का सिर्फ नाम आया क्योंकि बालमीकि थे । लेकिन सूअरों की मौत के लिए जो उन्होंने कहा वह बात नहीं आई । यह गलत है । यह नहीं होना चाहिये । ये दोनों प्रश्न मैं आपकी व्यवस्था के लिए आपके माध्यम से रख रहा हूं ।

सभापति महोदय : अब आप पढ़िये ।

श्री मनीराम बागड़ी : हरियाणा में ओला-वृष्टि में फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं और उनका मुआवजा भी लोगों को नहीं मिला । यहां तक कि गांव बड़ौदा और बड़ौदा के चार गांव जो कि बहुत बड़े गांव हैं, पक्षपात का शिकार बने । रिश्वत न दिये जाने की वजह से उनका पैसा सरकार को वापस किया गया ।

प्रान्त में बिजली की दरों की बढ़ौतरी और खाले नालों की वसूली से हालत बहुत खराब हो रही है । मैं चाहूंगा कि बड़ौदा और बड़ौदा के अन्य गांव, जिला जींद की ऐसी ही दूसरी जगह पर जो गांव बचे हुए हैं, जहां ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाये और वसूली हर किस्म की खाले नाले, बेंक कर्जा व सरकारी कर्जा माफ किया जाये क्योंकि [illegible]नों की हालत ओला-वृष्टि से बहुत खराब हो गई है ।

(आठ) यमुना नदी के किनारों पर स्थित बस्तियों में पेय जल की अत्यन्त कमी

श्री भीम सिंह (झुंझुनू) । केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली तथा नई दिल्ली में पेयजल सप्लायी में वृद्धि करने के लिये युमना नदी के साथ साथ कुएं खोदे हैं इन कुओं के चालू करने से यमुना पार क्षेत्रों की कई कालोनियों में पेयजल की कमी का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। इन कालोनियों में अधिकांश निम्न तथा मध्य आप वर्ग के लोग रहते हैं। भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है और हैड पम्प भी इस स्तर के नीचे जाने से सूखे पड़ गये हैं। इन कालोनियों के लोगों के बीच बहुत असंतोष है। वे कुओं के सामने धरना मार कर बैठे हैं। यदि इन कालोनियों के लोगों को इन कुओं से पानी देना सुनिश्चित न किया गया तो स्थिति बिगड़ भी सकती है।

निर्माण और आवास मंत्री को इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये तुरंत आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

(नौ) जवाहर सागर हिंस्र जीव अभयारण्य कोटा (राजस्थानों) के बीमार घड़ियालों को बचाने की आवश्यकता

डा० वसंतकुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, मुझे मगरमच्छ से झूठे नहीं सच्चे आंसू बहाने की अनुमति दी जाये।

गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण सैल की कोटा, राजस्थान स्थित जवाहर सागर हिंस्र जीव अभयारण्य सम्बन्धी रिपोर्ट निस्संदेह चिंताजनक है। अभयारण्य की स्थापना विशेषतौर पर खतरे में पड़ी मगरमच्छ की नस्लों को बनाए रखने के लिए 1976 में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्यान्न तथा कृषि संगठन तथा राजस्थान सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने की थी। सरकार ने 1979 तक 3.25 लाख रुपये लगाये हैं लेकिन तब से मगरमच्छ सम्बन्धी इस परियोजना की पूर्णतः उपेक्षा की गयी है।

यह बात बहुत ही खेदजनक है कि भारत सरकार का ध्यान अब तक भी इस अभयारण्य में रखे गये 222 मगरमच्छों में से 1976 से 1979 के बीच मरे 156 ही की मृत्यु और शेष के बीमार होने की ओर अभी तक नहीं दिलाया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस अभयारण्य को त्याग दिया है और कहा है कि इसके रखरखाव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विवाद चल रहा है। इसके बजाए कि यह मगरमच्छ परियोजना खतरे में पड़ी नस्लों को समाप्त होने से बचाने के लिए एक आदर्श पर्यावरण स्थल बनती, वह मगरमच्छों के लिए एक मृत्युजाल बन कर रह गई है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सभी बीमार मगरमच्छों के लिए पशु विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने तथा इस प्रतिकृति बन्य जीव की नस्ल के पर्यटन की दृष्टि से बनाये रखने के लिए, राजस्थान सरकार तथा बन विभाग पर जोर डाले। सरकार को राज्य

सरकारों के मुकाबले इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन में देश के सम्मान को धक्का लगेगा। मुझे आशा है कि सरकार एक वक्तव्य द्वारा इस मामले पर की गई कार्यवाही से सभा को अवगत कराएगीं।

सभापति महोदय : आपने मगरमच्छों के लिए मगरमच्छी आंसू बहाए हैं।

(दस) तमिलनाडु में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए वीराणम पेय जल की योजना को शीघ्र कार्यान्वित करना

श्री के. माया तेवर (डिन्डीगल) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिन्डीगल में पीने का पानी सप्ताह में एक बार सप्लाई किया जाता है। मदुरै शहर में भी 7 दिनों में एक बार पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। मद्रास में कुछ क्षेत्रों में पीने का पानी तीन दिनों में एक बार तथा कुछ क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार सप्लाई किया जाता है। मदुरै, मद्रास और डिन्डीगल में सप्लाई किया जा रहा पीने का पानी स्वच्छ नहीं होता है मेरे ध्यान में यह लाया गया है। कि अस्वच्छ पीने के पानी के कारण एक अज्ञात बीमारी फैल रही है। मदुरै में कुछ स्थानों पर विशेषरूप से मदुरै पश्चिम में पीने के पानी में नालियों का पानी मिल जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र डिन्डीगल के लोगों ने स्नान करने की अपनी आदत स्थगित कर दी है। स्वच्छ पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण उपर्युक्त कस्बों और शहरों में विभिन्न प्रकार की गम्भीर बीमारियां फूट पड़ी हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को न तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और न ही अपने पशुओं को बचाने के लिए तथा न ही फसल उगाने के लिए। तमिलनाडु सरकार ने पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए और लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया है।

तमिलनाडु के लोगों की आपातिक मांगों को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में नहीं रखा गया जिससे जल, विद्युत और खाद्य समस्या का कोई हल निकाला जाता। तमिलनाडु सरकार वित्तीय सहायता तथा सूखा राहत कार्यों के लिए अधिक सहायता पाने हेतु केन्द्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने में असफल रही है।

उपर्युक्त गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार सभी रेलवे वैगनों और मिलिटरी लारियों को निदेश दे कि वे डिन्डीगल, मदुरै, मद्रास तथा तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से यह भी कहा जाता है कि वह मद्रास तथा तमिलनाडु के अन्य भागों के लोगों को जल्दी पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को 'वीरणम पेय जल योजना, को लागू करने का निदेश दे। और इस प्रकार तमिलनाडु के लोगों को बचाए।

————

अनुदानों की माँगे, 1983-84 – जारी

ऊर्जा मन्त्रालय

सभापति महोदय : अब हम ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर पुन: चर्चा आरम्भ करते हैं। प्रो० नारायण चन्द पराशर।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

पिछले कुछ वर्षों से जलविद्युत उत्पादन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि छठी वर्षीय योजना के अन्त तक जलविद्युत का अंश 34 प्रतिशत हो जाएगा जो अब तक का सबसे कम होगा। यह सब इस तथ्य के बावजूद है कि जलविद्युत समस्याओं का एक शानदार हल है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अन्य कई राज्यों में जलविद्युत के विकास का बहुत संम्भावना है। केवल हिमाचल प्रदेश का ही मामला लीजिए। वहां 1040 मेगावाट की क्षमता वाली सुविख्यात नाथपा-झाकरी परियोजना है। इस पर दो राज्य सरकारें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहमत हैं। यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे छठी पंचवर्षीय योजना में रखा है परन्तु हरियाणा सरकार का प्रस्ताव इसे सातवीं पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का है। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण परियोजना को कार्यरूप दिया जाना है। मैं सुझाव देता हूं कि कुछ प्रारम्भिक कार्य विशेषरुप से सिविल निर्माण कार्य आरम्भ कर दिए जाएं ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने पर इस परियोजना को निष्ठापूर्वक शुरु किया जा सके।

इसी प्रकार इसी स्तर की दो और परियोजनाएं हैं। एक का नाम कोल बान्ध है और दूसरी का लारजी परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में इसकी बहुत संभावनाएं हैं। यह सम्पूर्ण उत्तरी-क्षेत्र को विद्युत सप्लाई कर सकता है इसका अन्दाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहां अन्य राज्य विद्युत कटौती का सामना कर रहे हैं वहीं हिमाचल प्रदेश में विद्युत की बहुलता है। मैं सुझाव देता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और जलविद्युत परियोजनाएं को प्रारम्भ करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्रालय और विद्युत विभाग के लघु, छोटे और सूक्ष्म स्तर की परियोजनाएं चलाने के निर्णय का स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य मन्त्री डा० परमार कहा करते थे हिमाचल प्रदेश की नदियों में बहने वाला पानी सोना है जिसका राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए दोहन किया जाना चाहिए। भारत में (15 मेगावाट तक की स्थापित क्षमता वाली) ऐसी 103 लघु सूक्ष्म/छोटी जल विद्युत योजनाएं है जिनकी कुल स्थापित क्षमता 150 मेगावाट है कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जिनके सम्बन्ध में छानबीन आदि की जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इससे प्रत्येक नहर को पड़ौसी

गांवों के लिए बिजली उत्पादित करने का अवसर मिलेगा। इसमें एक और भी लाभ है ताप विद्युत उत्पादन से जहां वायु प्रदूषण होता है और पर्यावरण के लिए खतरा होता है, वहीं जल विद्युत में ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मैं अब विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहिए। यह 29 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत 13 वें प्रतिवेदन में दिया गया है। जिसमें शीघ्र कार्यान्वित करने और निरीक्षण करने पर जोर डाला गया है। यह पृष्ट 57 पर दी गई सिफारिश संख्या 3.25 है।

> "इस समय केन्द्रीय क्षेत्र में 794 मेगावाट क्षमता वाली 5 जलविद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं तथा 2100 मेगावाट क्षमता वाली 4 अन्य परियोजनाए केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ की गई हैं इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र में छ: अन्य क्षेत्र में परियोजनाओं (4070 मेगावाट क्षमता वाली) के बारे में जांच की जा रही है। समिति चाहती है कि सरकार यह सुनिश्चत करे कि कार्यान्वियन अधीन 9 परियोजनाओं की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाए ताकि त्रुटियों से बचा जा सके और इन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जा सके।"

समिति ने इस पर जोर दिया है। समिति ऐसी प्रत्येक परियोजना के शीघ्र कार्यान्वियन तथा नियमित निगरानी पर जोर देना चाहती है।

यह सच है कि जलविद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं से राष्ट्र समृद्ध होगा, मैं विनम्रतापूर्वक कुछ अन्य मुद्दों की ओर भी संकेत करना चाहता हूं। इन परियोजनाओं के कारण लोगों को, जिन्हें सामान्यत: 'बेदखल किए गए' कहा जाता है कष्ट सहने पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब हिमाचल प्रदेश की भूमि पर भाखड़ा परियोजना का निर्माण किया गया था, बहुत सी नदियां जल स्रोत, पुलें और सड़कें पानी में डूब गई थीं जिसके परिणामस्वरूप हजारों परिवार उजड़ गये और उन्हें हरियाणा में बसाना पड़ा। क्या मैं आपकी जानकारी में यह बात ला सकता हूं कि 1950 से 1954 तक अपने मूल गांवों से बेदखल किए गए लोगों को आज तक हरियाणा के उन गांवों में सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिया गया जिनमें उन्हें बसाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप वे किसी भी बैंक से किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं ले सकते हैं। राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी भूमि और घर की कुर्बानी देने वाले इन बेदखल व्यक्तियों के साथ किए गए अनुचित व्यवहार के बारे में तत्काल जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें प्रोत्साहन मिलें और देश, के लिए की गई कुर्बानी के बदले उन्हें रोड़े-पत्थर की बजाय फूलों के गुलदस्ते मिलें कदम उठाए जाने चाहिए।

पोंग बान्ध के बेदखल व्यक्तियों का भी यही मामला है। उनके साथ भी राजस्थान में अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को उनके साथ भी बेहतर बर्ताव करना चाहिए। हाल ही में मैंने नियम 377 के अधीन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दो महत्वपूर्ण पुल

बनाने की आवश्यकता की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया था ये पुल भाखड़ा बान्ध के निर्माण के फलस्वरूप पानी में डूब गए थे। इसकी 50% लागत बी बी एम बी द्वारा वहन की जाएगी । जिला कांगड़ा में शाह नेहरा गांव के बारे में, जहां तक बान्ध के निर्माण से हिमाचलवासी पानी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, विवाद चला हुआ है । अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि किसी परियोजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चत करने का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो कुर्बानी देते हैं, जो अपने गांव को छोड़ देते हैं, अपने घरों को छोड़ देते हैं वे उन्हें केवल इसलिए कष्ट न उठाने पड़ें कि वे बान्ध के जलग्रहण क्षेत्र में रह रहे हैं । लोगों को अभी भी उनका देय भाग नहीं मिला है ।

हमने जब 1974 में डा० के० एल० राव को भाखड़ा का दौरा करने के लिए आमन्त्रित किया था तब गोबिन्द सागर के किनारे हमने एक जन सभा की थी । मैं इस अबसर पर यथार्थतः उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा था "मैं देख रहा हूं कि जिस भाखड़ा ग्राम ने शेष राष्ट्र को ऊर्जा और विद्युत सप्लाई की है और समृद्धि प्रदान की है, तथा हर चेहरे को हंसी दी है । वही अभी तक बिजली के बिना अन्धकार में डूबा हुआ है" तब उन्होंने दो योजनाओं की स्वीकृति दी, एक तो गांव के विद्युतीकरण हेतु और दूसरी गांव को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए । भाखड़ा ग्राम की आभारी है कि मन्त्री महोदय केन्द्र से आए और ग्राम के लिए पंचायत डा० के० एल० राव बिजली की स्वीकृति दी जिसने देश को भाखड़ा जैसी परियोजना समर्पित की और जहां पर बान्ध बनाया गया । गांव को, जिसके कि कुएं गोबिन्द सागर झील की उठती हुई लहरों में डूब गए थे पीने के पानी की सुविधा की प्रदान की गई ।

ऐसी ही समस्या उत्तर-प्रदेश की भी है । टिहरी बांध बंधने जा रहा है और मैं यह सुझाव दूंगा कि निर्माण कार्य आरम्भ होने से पूर्व, वहां से उजाड़े जाने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए और उचित सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति को कष्ट न हो या वह आंसू न बहाये जबकि शेष राष्ट्र मुस्कराता हो ।

मैं गांवों को विद्युत प्रदान करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करता हूं । यह कार्य आमतौर से ग्रामीण विद्युत निगम करता है और हमें बताया गया है कि अब तक भारत के लगभग 52 प्रतिशत का विद्युतीकरण किया जा रहा है या कर दिया गया है तथा 70% जनसंख्या को बिजली प्रदान की जा चुकी है । मोटे हिसाब से, लगभग 3 लाख गांवों को बिजली दी गई है ।

एक बहुत ही रुचिकर खामी जो कि सारे ही कार्यक्रम को अन्यथा बहुत ही विषम, विलक्षण बना देती है यह है कि किसी विद्युतीकृत ग्राम की परिभाषा यह है कि एक बार जब बिजली की लाइन ग्राम की सीमा तक पहुंचा दी जाती है तो अभिलेखों में उसे पूर्णतया विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से घर छूट जाते हैं, बहुत सी

ढ़ाणियां छूट जाती हैं और उसके बाद के विद्युतीकरण हेतु हमें नई योजनाएं हाथ में लेनी पड़ती हैं जिन्हें गहन विद्युतकरण योजनाएं कहा जाता है। तो इस परिभाषा को ही क्यों नहीं बदला जाए ? बिजली विभाग, राज्यों के बिजली बोर्ड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यह सरल, स्पष्ट और गणितीय नीति क्यों नहीं अपनाते हैं जिसमें वे बताएं कि 80 प्रतिशत गांव को बिजली दे दी गई है, 50 प्रतिशत ग्राम को बिजली दे दी गई है या 10 प्रतिशत गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है। सारे राष्ट्र को यह बताने की क्या आवश्यकता है कि सारे गांव को बिजली दे दी गई है जबकि 200 या 300 घरों की बस्ती में एक ही बिजली का बल्ब जलने की सम्भावना है ?

घाटे में कौन रहता है ? बहुत ही अनुपयोगी प्रकृति के सरल से सूत्र पर आधारित पूर्ण विद्युतीकरण के इस कार्यक्रम में, समाज का कमजोर वर्ग ही घाटे में रहता है। हरिजन बस्तियों में, आपको अलग से कार्यक्रम बनाना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक प्रतिवेदन में बताया गया है कि एक अन्य कार्यक्रम लागू करना पड़ा था और उसके अन्तर्गत, अब तक, 1 लाख हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। अतः, आपकी संकल्पना न्याय वादी और ईमानदारी की है तो आपको सरल आयामों तक अपने सूत्र को ले आना चाहिए और कहना चाहिए कि एक गांव में इतने घर हैं और इतनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

संचारण में होने वाले घाटों की समस्या और पहाड़ी, पिछड़े, तथा जनजाति क्षेत्रों में विद्युतीकरण की समस्या, हम सभी के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है क्योंकि वहां पर तारों को घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी-कभी, हमारी योजनाएं इसलिए ठप्प पड़ी रहती हैं कि केन्द्रीय सरकार ने जो वन सरक्षण अधिनियम पारित कर रखा है उसके विनियम ऐसे हैं कि यदि 20 किलोमीटर के घेरे में एक भी वृक्ष काटना पड़े तो आपको केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। यह एक बड़ी ही विषम परिस्थिति का मामला है कि पेड़ के कारण 10 गावों को बिजली से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि केन्द्रीय सरकार की अनुमति उसमें होती नहीं है। जिला स्तर पर यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि तीन अधिकारियों से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। उनमें से एक तो परियोजना प्रभारी होता है, दूसरा एक कार्यकारी अभियन्ता हो सकता है या उपयुक्त और एक अन्य अधिकारी सहयोगी विभाग का होता है। एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लिए इन तीनों अधिकारियों को एकत्र होना पड़ता है। उसके बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को जाती है और राज्य सरकार उसे केन्द्रीय सरकार को भेजती है तथा वहां पर कृषि मंत्रालय एवं वन-विभाग इसको अनुमति प्रदान करते हैं। इस समय तक सारा कार्यक्रम लम्बित पड़ा रहता है।

ये कुछ दिक्कतें और कठिनाईयां हैं जो कि उस उद्देश्य को असफल कर देती हैं जिसकी कि हम दुहाई दे रहे हैं। हम बनों को बचाने की बात सोच रहे हैं। परन्तु हम कर क्या रहे हैं ? हम पेय जल योजनाओं को पूरा होने से रोक रहे हैं, हम विद्युतीकरण योजनाओं की कार्यान्विती में रोडे अटका रहे हैं हम सड़क निर्माण योजनाओं को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। हम केवल बनों

को बचाने के बहाने बहुत-सी योजनाओं की कार्यान्विती में रोड़े अटका रहे हैं। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार एक अन्य पहलू भी है जो कि महत्वपूर्ण है। वह यह है कि हमें उन लोगों की ओर ध्यान देना होगा जो कि किसी जिले या राज्य के सुदूर छोर पर रहते हैं उन पर सामान्य नियम लागू नहीं होंगे। उनके मामले में किसी परियोजना के लाभकारी होने के सामान्य नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह परियोजना भारी घाटे में रहेगी। अतः, इस उद्देश्यार्थ भी मानदण्डों में विशेष छूट देनी होगी।

राज्य बिजली बोर्ड घाटा देते रहे हैं। ये घाटे क्यों होते हैं? ये घाटे प्रत्येक बोर्ड में पाये जाने वाले बड़े कार्यकारी प्रतिष्ठान पर होने वाले ऊपरी खर्चों के कारण होते हैं। परिणाम यह होता है कि बिजली की सप्लाई करने के लिए लाइन बिछाने के लिए खर्च किये जाने वाला धन इन लोगों को दिए जाने वाले भारी वेतनों की तुलना में बहुत कम होता है। अतः बोर्डों की किसी न किसी प्रकार की पुनर्संरचना अवश्यमेव होनी चाहिये और जैसा कि अनेक प्रतिवेदनों में उल्लिखित है बोर्डों को ढांचा समान होना चाहिये। इसी प्रकार, हमको यह भी देखना है कि निम्न स्तर पर, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में हमें छोटी-छोटी कार्यकारी इकाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का एक उप-मण्डल या मण्डल अथवा सर्किल, उत्तर प्रदेश या पंजाब के उन मैदानों से भिन्न स्वरूप का होगा, जहां पर संचार के व्यापक साधन उपलब्ध हैं और उन तक पहुंच सरल है। हिमाचल-प्रदेश में यदि 10 विद्युत धाराएं हैं और कोई उप-मण्डल इन धाराओं तक फैला हो तो उप-मण्डलीय अधिकारी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर गावों को उचित विद्युतीकरण प्रदान करना कठिन होगा। यद्यपि हिमाचल-प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या यह उचित अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि उन्होंने जो विभिन्न मानदण्ड निश्चित किये हैं और जो समस्त देश के लिए एक समान मानदण्ड हैं। उनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा।

मेरा यह भी सुझाव है कि नदी जल विवादों को शीघ्र हल किया जाना चाहिये और एक नियमित तन्त्र होना चाहिये जिससे कि देश पूर्ण विद्युतीकरण, और अधिक विद्युत और एक उज्जवलतर भविष्य के आसार को केवल इस कारण से न खो दे, कि दो राज्य लड़ रहे हैं। राज्य लड़ सकते हैं इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। उन्हें तो लड़ने दो, परन्तु देश को इससे हानि नहीं होनी चाहिये। मैं ऊर्जा मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें यह देखने के लिए कि राष्ट्र के समक्ष कुछ न कुछ स्थायी तन्त्र खड़ा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिये जिससे कि जब दो राज्यों में झगड़ा हो तो इसे कम से कम समय में हल किया जा सके। परियोजनाओं को चलते रहने देना चाहिये। राज्य किस लिए लड़ते हैं? कभी-कभी तो वे रायल्टी के लिए लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की कुछ परियोजनाओं के मामले को ही लीजिए, मैं पंडित कमला पति त्रिपाठी का आभारी हूं कि जब वह मुख्य

मंत्री थे तो उन्होंने कहा था। "हिमाचल-प्रदेश एक बहुत छोटा राज्य है उन्हें अधिक लाभ मिलने दो" और उन्होंने हमारे लिए अधिक रायल्टी निर्धारित की और वही हिमाचल प्रदेश और उत्तर-प्रदेश में भावी आशा का आधार बना। परन्तु यह लाभ हर मामले में नहीं मिल सकता है। कभी-कभी मध्य-प्रदेश और कर्नाटक और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा कभी-कभी पंजाब और हिमाचल, या जम्मू और कश्मीर और हिमाचल लड़ते हैं। वे लड़ें, वे लड़ सकते हैं। उन्हें लड़ने दो। कोई निश्चित सूत्र होना चाहिये। कोई नियमित तन्त्र होना चाहिये, जिससे कि विवाद को सही समय पर सुलझाया जा सके, परंतु परियोजनाओं को हानि न हो। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह यह है कि परियोजनाओं की चर्चा तो हुई है......।

प्रो एन० जी० रंगा (गुंटूर): जब परियोजना स्थल पर विवाद खड़ा होता है तो क्या होता है ?

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : उसका भी पता लगाया जा सकता है। मैं थीन बांध परियोजना का सामान्य सा उदाहरण लेता हूं। यह बहुत दिन से अधर में लटकती चली आ रही है और 1971 से यानी जब से हम लोक सभा में आए हैं। हम प्रत्येक योजना में इसके बारे में सुनते आए हैं तथा यह थीन बांध हमारे मानस में मंडराता रहा है और लम्बे समय से नथपा भाकरी हमारे दिमाग में घूमता चला आ रहा है। केन्द्र सरकार को कोई मानक सूत्र तैयार करना चाहिये। कोई तन्त्र तो ऐसा होना ही चाहिये। एक तीन सदस्यीय आयोग या समिति होनी चाहिए जिसमें चाहे कोई भी विवाद हो, एक-एक सदस्य दोनों अन्यथा तीनों राज्यों के होनी चाहिये। और एक अन्य केन्द्र से होना चाहिये तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाये। समान स्वरूप के सभी विवादों को हल करने के लिए कोई स्थायी तन्त्र होना चाहिये। कभी-कभी जलग्रहण क्षेत्र, कभी सीमा कभी-कभी स्थल ये सभी बातें उठ खड़ी होती हैं। कभी-कभी राज शुल्क की समस्याएं भी उठ खड़ी होती हैं। वे मानवीय समस्याएं है। वे अवश्य उठेंगी। परंतु यदि इन विवादों को हल करते समय, हम इन परियोजनाओं को भी चालू रख सकें तो राष्ट घाटे में नहीं रहेगा। इस उद्देश्यार्थ मैं किसी न किसी प्रकार के स्थायी तंत्र की वकालत करता हूं और यह निश्चित किया जाना चाहिये तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मानदण्डों में कुछ छूट की अनुमति दी जानी चाहिये और जल विद्युतोत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिये जिसकी कि उपेक्षा की गई है और जिसे पृष्ठभूमि में धकेला जा रहा है। यदि आप अन्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक जैसे विश्व-निकायों से सहायता की मांग कर सकते हैं तो आप देश के जलीय संसाधनों का दोहन करने पर विचार कर सकते हैं तथा राष्ट्र के उज्जवलतर भविष्य के लिए नदियों का दोहन किया जा सकता है। राष्ट्र के मुख पर प्रच्छन्न मुस्कान खेलनी चाहिये। इसका उत्तर है जलीय विद्युतोत्पादन। धन्यवाद।

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद में बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद करना चाहती हूं।

ऊर्जा विकाश के अत्यधिक महत्वपूर्ण साधनों में से एक है तथा जीवन के स्वरूप को कायापलट करने की क्षमता रखती है। दुर्भाग्यवश नियोजित विकास के 33 वर्षों के उपरान्त भी आधे से अधिक जनसंख्या इससे वंचित है तथा सामाजिक-आर्थिक ढांचा कमीबेसी पहले जैसा ही रहा है जिस पर हमारी नीति तथा विकास कार्यक्रमों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है। यह बात ऊर्जा की प्रति व्यक्ति कम खपत से प्रतिलक्षित होती है। देश में प्रयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा का 56 प्रतिशत वाणिज्यिक ईधनों के रूप में होती है, जो विकास के निम्न स्तरों को प्रदर्शित करती है बकाया 45 प्रतिशत गैर-वाणिज्यिक ईधनों जैसे ईधन की लकड़ी, फसलों के अवशेष तथा पशुओं का गोबर आदि के रूप में होती है।

इस समय वाणिज्यिक ईंधनों की उपयोग मात्रा इस प्रकार है कोयले की 1240 लाख टन, तेल की 320 लाख टन, तथा विद्युत की 123 बिलियन किलोवाट प्रतिघंटा हैं। चूंकि औद्योगीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है इसलिए निःसंदेह रूप से इस मात्रा में और अधिक वृद्धि होगी। लेकिन हमारी ऊर्जा नीति के लिए चुनौती केवल वाणिज्यक ईंधनों के उपयोग में वृद्धि करने में ही निहित नहीं है बल्कि ईंधन लकड़ी, तथा गाय के गोबर, सहित गैर-वाणिज्यक ईंधनों को उपयोग में लाने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त जानकारी को अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में भी निहित है। यह बात याद रखनी आवश्यक है कि हमारे पास 650 लाख टन पशुओं के गोबर तथा 450 लाख टन कृषि अवशेषों से सतत ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत हैं। इससे हमारे लिए कुल मिलाकर ऊर्जा का परिपेक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे कुल ऊर्जा के उपयोग में भी वृद्धि होती है। ऊर्जा के स्रोतों को पुनः उपयोग में लाने तथा पुनः उपयोग में न लाने का अनुपात उचित है तथा इससे उपयोग में न लाये जाने वाले स्रोतों का संरक्षण होता है जबकि उनके उपयोग में वृद्धि हो रही है। वास्तविक चुनौती तो यही है।

मैं ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के गठन का स्वागत करती हूं जो ऊर्जा समस्या के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेगी, जिससे एक निश्चित दिशा में ऊर्जा के विकास के लिए ऊर्जा के सम्बन्ध में सरकार को एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। जो पुनः उपयोग में लाने तथा पुनः उपयोग में न लाये जाने वाले दोनों ही स्रोतों के लिए बेहतर उपयोग प्रदान करेगी तथा जो न केवल ऊर्जा को यथा संभव कम मूल्य पर उपलब्ध कराने बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी एक सुव्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देगी।

वाणिज्यिक ऊर्जा के सम्बन्ध में बोर्ड को तेल तथा कोयला के बीच एक उचित संतुलन बनाये रखने पर विचार करना होगा। प्रमाणित 4680 लाख टन तेल तथा 411 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के हाइड्रोकारबन संसाधनों से हम इनके उपयोग पर अत्यधिक खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतः मुझे यह नोट करते हुए खुशी हो रही है कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट में 5000 करोड़ के कुल प्रावधान में से 2900 करोड़ रुपये तेल के लिए निर्धारित किए गए हैं। वास्तव में सरकार को 200 लाख टन से 260 लाख टन प्रतिवर्ष तेल के उत्पादन में वृद्धि करने

का श्रेय दिया जा सकता है। मेरे विचार से विद्युत क्षेत्र की ओर ध्यान देने का यह उचित समय पर है जबकि 14,000 मेगावाट की कमी बढ़कर 20,000 मेगावाट हो गई है।

विद्युत क्षेत्र को 1222 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है जो वर्ष 1981-82 से 30 प्रतिशत अधिक है, लेकिन मूल्यों में वृद्धि होने के कारण यह अधिक महत्व नहीं रखती कुछ दिन पूर्व ऑल इण्डिया रेडियो, पटना से बोलते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने इसके उत्पादन में सात प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया था। मैं यह बताना चाहती हूं कि इस वृद्धि के बावजूद भी यह तथ्य छिपा हुआ नहीं रह जाता है कि छठी योजना में 20.000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में 6,000 मेगावाट की कमी रह जाएगी।

आधे राज्यों को पहले से ही विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है। योजना आयोग का यह कहना है कि यदि संस्थापित क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग किया जाए तो विद्युत में कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन इसमें "यदि" एक महत्वपूर्ण शब्द है। वर्ष 1981 के पिछले नौ महीनों में 179 विद्युत केन्द्रों में से 67 को बन्द कर दिया गया था। इसको देखते हुए सातवीं योजना में भारी विद्युत के अकाल का सामना करने की संभावना है।

संसाधन को एक बड़ी रुकावट के रूप में बताया गया है। विदेशी सहायता प्रस्तावों के बारे में सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। निर्णय में देरी करने से परियोजना लागतों में वृद्धि हो सकती है। पहले ही अनेकों ताप विद्युत केन्द्र परियोजनाओं के मूल्यों में 95 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर सिंगरोली विस्तार परियोजना की लागत इस समय 660 करोड़ रुपये की बजाय 996 करोड़ रुपये होगी। इसी तरह से कोरबा विस्तार, रामगुण्डम तथा फरक्का परियोजनाओं की लागत भी अधिक हो जायेगी। अतः, क्या हमें इस समय कोई निर्णय नहीं देना चाहिए तथा बी. एच. ई. एल. को यह आश्वासन नहीं देना चाहिए कि इसको आर्डर दिये जाते रहेंगे?

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का यह विचार है कि इसके बजट में 847 करोड़ रुपये से कटौती करके 607 करोड़ रुपये करने के परिणामस्वरूप 500 मेगावाट यूनिटों के कार्य को छोड़ना पड़ेगा। हम यह चाहते हैं, कि इस सम्बन्ध में सरकार स्थिति को स्पष्ट करे।

50 प्रतिशत से कम उपयोग करने का तात्पर्य है 3000 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि। मेरे विचार से इसका मुख्य कारण कोयला है, जिसकी किस्म बहुत गिर गई है। तथा इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण अनुचित रखरखाव हैं। सरकार को कोयला सफाई संयंत्रों को स्थापित करने के लिए शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। निम्नस्तरीय कोयले से उपकरणों को क्षति पहुंचने के अतिरिक्त ताप संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में अधिक कमी होने के कारण राष्ट्रीय हितों की हानि भी हो रही है।

'फ्लूडाइस्ट बेन्ड कम्ब्यूशटन प्रोसस' जो निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग कर सकती हैं और इससे बेहतर कुशलता प्राप्त कर सकती है, उसके लिए बी.एच.ई.एल के अनुसंधान

अनुदान को बढ़ा दिया जाना चाहिए तथा 1985-86 तक सभी बायलरों को इसी प्रकार का कर दिया जाना चाहिए । फ्लूडाइस्ड बेड प्रोसस में लेने के लिए बायलर डिजाइन में परिवर्तन करने के लिए बी.एच.ई.एल. को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा जाना चाहिए । जिसमें 15 से 25 प्रतिशत तक ताप कुशलता में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है ।

राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति खराब है, क्योंकि उनका कार्य-निष्पादन लक्ष्य से बहुत पीछे है । अधिकतर मामलों में इन राज्य बोर्डों की स्थिति को राजनैतिक गुटबन्दियों ट्रेड यूनियन प्रतिस्पर्द्धाओं प्रशिक्षित प्रबन्ध कार्मिकों की कमी तथा धन की कमी द्वारा खराब कर दिया जाता है । सरकार के अन्तर्गत नये निदेशों पर प्रतिशतता प्राप्ति के बारे में जो विवाद चलता है, क्या वह वेंकटरामन समिति द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार 9.5 प्रतिशत होना चाहिए अथवा विश्व बैंक की इच्छा के अनुसार 12 प्रतिशत हो, इस पर शीघ्र ही निर्णय किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण बैंक की सहायता रुकी हुई है ।

अब मैं एक स्पष्टीकरण के रूप के बिहार की स्थिति का उल्लेख करना चाहती हूं कि राज्य बिजली बोर्ड सामान्यतः किस तरह से कार्य कर रहे हैं । सौभाग्यवश ऊर्जा राज्य मन्त्री जी भी बिहार से ही निर्वाचित होकर आते हैं और मुझे आशा है कि वह मेरी बात की ओर ध्यान देंगे ···।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्री चन्द्रशेखर जी उनकी बात सुनिए ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मेरे विचार से वह मेरी बात से सहमत होंगे । बिहार में बिजली का तीव्र संकट है । बरौनी में तथा पतरातू में 750 मेगावाट क्षमता वाले ताप केन्द्र का 40 प्रतिशत तक भी उपयोग में नहीं हो रहा है । अतिरिक्त क्षमता की निर्माण सूची का भी अनुसरण नहीं किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर पतरातू में 110 मेगावाट की 9 वीं उत्पादन यूनिट बरौनी में 110 मेगावाट की 6 ठीं उत्पादन यूनिट तथा मुजफ्फरपुर (कान्ती ताप विद्युत केन्द्र) में 110 मेगावाट की पहली यूनिट को प्रारम्भ करने के बारे में 6 महीने से लेकर एक वर्ष तक अथवा उससे अधिक विलम्ब होने की संभावना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी कार्य-निष्पादन को देखकर इसके समान ही निराश होना पड़ता है । इस बात के होते हुए भी कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इसको प्राथमिकता दी गई है, छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों 1980-83 में बिहार में छठी योजना के अन्त तक 10,000 अतिरिक्त गांवों के विद्युतीकरण की तुलना में केवल 1600 अतिरिक्त गांवों का विद्युतीकरण किया गया है । क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करना अब संभव है ?

दूसरी ओर गुजरात तथा आन्ध्र में बहुत ही अच्छे परिणाम निकल रहे हैं । इस त्रुटि के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए राज्य बोर्डों के कार्यकरण का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए ।

श्री टाटा राव द्वारा आन्ध्र ताप संयंत्रों की 70 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा रहा है । विजयवाड़ा संयंत्र की कुशलता 90 प्रतिशत है । अतः वहां पर यह क्यों नहीं होनी चाहिए । राज्य बोर्डों की तदर्थवाद के बजाय सुनियोजित इंजीनियरी परियोजना को अपनाना चाहिए । विद्युत इंजीनियरों के लिए अधिक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जानी चाहिए ताकि उनकी कुठाएं दूर हो सकें ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि और अधिक निकट पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए राज्य बोर्डों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए ।

तेल के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य-निष्पादन प्रशंसनीय है । लेकिन मुझेयह कहते हुए खेद हो रहा है कि तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग की कार्मिक सम्बन्धी नीतियों के बारे में कुछ फुस्फुसाहट सुनने में आई है । हाल ही में तेल की चोरी की बातों से भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रबन्ध व्यवस्था की छवि धूमिल हुई है । सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि चोरियों की पुनरावृति को रोकने तथा व्यावसायिकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है ···।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व): आप इसका बेहतर उत्तर दे सकती हैं ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : तेल के संभावित प्रतिस्थापन हेतु एलकोहल जैसे अन्य हाइड्रो-कारबनस कैमिकल का विकास करने के लिए एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी चाहिए । इस उद्देश्य के लिए मेरा यह सुझाव है कि अल्कोहल आधारित कृत्रियों, हाइड्रो-कार्बन रेसिन्स प्रदान करने वाले संयंत्रों कैमिकल सेपरेटर्स का उपयोग करते हुए सिन्थैटिक क्लोरोफिकल तथा हाइड्रोजन सेपरेशन के बारे में अनुसंधान करने के लिए तेल निधि सरप्लस फण्डस में कि 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाने चाहिए ।

माननीय मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष दिसम्बर में घोषणा की थी कि गोदावरी बेसिन में तेल मिला है, लेकिन रिपोर्ट में इसको कोई चर्चा नहीं की गई है । क्या मैं रिपोर्ट में इसे शामिल न किये जाने के कारण जान सकती हूं । या ये केवल आन्ध्र के मतदाताओं को खुश करने के लिए ही थी ?···

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : उस समय सिर्फ वहां परीक्षण ही किये गए थे ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : लेकिन रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं यह कह रहा हूं कि उस समय जांच के आधार पर जो कुछ पाया गया उसे हमने सदन में बता दिया था । उतनी ही बात हमने कही थी जब तक कि

नियमित रूप से हमें तेल न मिले, हम रिपोर्ट में शामिल नहीं कर सकते । रिपोर्ट में सभी कुछ शामिल नहीं किया जा सकता ।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : जहां तक जल-संसाधनों का संबंध है, हालांकि हम 75,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखते हैं, जो कि काफी सस्ती भी है, परन्तु अब तक केवल 10,000 से भी कम मेगावाट क्षमता का उपयोग किया जा सका है । यह बहुत ही खेद की बात है ।

बिहार-बंगाल क्षेत्र में दमोदर घाटी निगम ने 2,360 करोड़ रु० की लागत से 3,700 मेगावाट क्षमता की पन-बिजली परियोजनायें आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है । इससे (डी. बी. सी.) दा.घा.नि. को बिजली पैदा करने में सहायता मिलेगी और देश के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की अधिक मांग को पूरा कर सकेगी । 'पम्पड स्टोरेज' क्षमता के उपयोग से बिजली की लागत में कमी आयेगी परन्तु इसके लिए जरूरी है कि प्रबन्ध में सुधार । किया जाये । डी बी सी से बिहार के कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई नियमित रूप से नहीं होती है जिससे भारी हानि होती है ।

जहां तक कोयले का संबंध है, स्टेसमैन में एक समीक्षा छपी थी । जिसके अनुसार इसके उत्पादन में 5.5% की वृद्धि हुई, जबकि इसके मूल्यों में 17% की वृद्धि की गई । राष्ट्रीयकरण से पहले, इसमें निवेश 2,000 करोड़ रु० का था, और 750 लाख टन कोयला निकाला जाता था, जबकि इसके बाद इसमें 7,500 करोड़ रु० हैं अब यह बढ़कर 12,000 करोड़ रु० हो जायेगा अब केवल 1,300 लाख टन ही कोयला निकाला जा रहा है । 1940 में, कोयला खाने, खुद अपने ही साधनों से 600 फुट तक खुदाई कर लेती थी, जबकि अब उन्हीं खानों में 300 फुट की खुदाई के लिए भी विदेशी सहायता चाहिए । राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खानों में यह कहा जा रहा है कि 220 लाख टन कोयला, खानों के मुहानों पर पड़ा है, जो इस बात का स्पष्ट दयोतक है कि परिवहन व्यवस्था फेल हो गयी है ।

अब मैं ऊर्जा के दोबारा से प्रयोग किये जाने वाले स्रोतों के बारे में कहना चाहती हूं । यह अच्छी बात है कि सरकार ने ऊर्जा के नये स्रोतों का विभाग बनाया है । मैं आशा करती हूं कि यह अपना ध्यान और साधन ऊर्जा के दुबारा से प्रयोग किये जाने वाले स्रोतों पर केन्द्रित करेगा ताकि दुबारा प्रयोग न किये जाने वाले स्रोतों पर भार कम हो सके । मैं समझती हूं कि ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने पहले ही ऊर्जा इस प्रकार के स्रोतों के लिए 50 करोड़ रु० खर्च करे हैं । आयोग ने 50 करोड़ रु० और मांगें हैं । इस मांग को मान लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य इन्हीं ऊर्जा के नये स्रोतों पर निर्भर है । इसकी बड़ी सम्भावनाएं हैं और हम अपने कई गांवों में ऊर्जा पहुंचा सकते हैं और अपने घरेलू और नागरिक आवश्यकताओं जैसे, गली की बिजली, पीने का पानी, सिंचाई आदि को पूरा कर सकते हैं ।

अमेरिका में सरकारी और निजी क्षेत्रों से सौर प्रणाली के विकास और अनुसंधान के लिए ही 50 करोड़ डालर खर्च किये गये। इसलिए आवश्यक है कि ऊर्जा के नये स्रोतों जैसे सौर, वायु, और बायोगैस का इस्तेमाल करने के लिए एक समन्वित ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाये। इस क्षेत्र में किये गये हमारे परीक्षण उत्साह जनक हैं। हमें इसकी परिचालन प्रणाली तैयार करने के लिए आगे आना चाहिए। लगभग 5 लाख रु० की लागत से समन्वित प्रणाली द्वारा 100 से 120 परिवारों वाले गांवों में खाना पकाने की गैस, पेय जल और गली में रोशनी और दूरदर्शन के लिए ऊर्जा की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता को भी कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा ये गांव की सफाई का प्रबन्ध करने के लिए मूल सुविधाएं भी जुटाने के लिए भी सहायक होंगे और गांव की महिलाओं को घरेलू उपयोग के लिए जलाने की लकड़ियां लाने के मुश्किल कार्य से मुक्ति मिलेगी। अगर इस समन्वित प्रणाली को शुरू किया जाता है तो हम साफ-सुथरे और आत्म निर्भर गांवों की कल्पना कर सकते हैं क्योंकि इस प्रणाली से कई क्षेत्रों में आर्थिक गति-विधियों के कई मार्ग खुल जायेंगे। पांच से सात वर्षों के कार्यक्रम से, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपया खर्च आयेगा, गाँव की तस्वीर ही बदल जायेगी। हमारे पास गरीब देश का जीवन बदलने के लिए तकनीकी ज्ञान और साधन हैं। क्या इसको बदलने के लिए हम 300 करोड़ रु० प्रति वर्ष नहीं जुटा सकते ? क्या महिलाओं के स्वास्थ्य और हमारे गांवों के बेहतर जीवन और हमारे बच्चों के लिए अधिक रोजगार मुहैया करने के लिए यह ज्यादा मूल्य है ?

'सूर्य की रोशनी से बिजली' पर वर्ल्डवाच रिपोर्ट में बताया गया है कि : —

"तीसरे विश्व के गांवों को कुछ एक सौ वाट बिजली देने से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है और पहली दफा उनको मूल सुविधायें मुहैया कराई जा सकती हैं।"

हमारे पास तकनीकी ज्ञान है। हम स्रोतों का पता लगा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि बिखरी हुई ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाये ताकि गरीबों का सपना पूरा हो सके और गरीब गाँवों में खुशियों के चिराग जल सकें और गांव खुशहाल हो सकें। धन्यवाद।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसलिए सरकार का यह सर्वप्रथम कर्तव्य और जिम्मेवारी है कि वे देखें कि देश के कृषि और औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा बिजली पैदा हो। अगर बिजली काफी पैदा होती है तो वस्तुओं और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की सेवाओं के दामों में स्थिरता आयेगी। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों और राजनैतिक दलों की आशाओं के अनुरूप, माननीय मंत्री श्री शिव शंकर देश की आकांक्षा पूरी करने में सक्षम और योग्य हैं। 'ऊर्जा' शक्ति है। माननीय मंत्री का नाम 'शिव' है जो 'शक्ति' का प्रतीक है 'ऊर्जा' जो कि शक्तिहै 'शिव' है। इसलिए 'शिव' और 'शक्ति' मिलकर देश की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं।

सभापति महोदय : उनका नाम शिव शंकर है।

श्री के० मायातेवर : 'शिव' जमा 'शंकर' जमा ऊर्जा सभी एक जगह इकट्ठे हैं। (व्यवधान)।

मैं माननीय मंत्री से कुछ मांग नहीं रहा हूं। मैं इस देश के लोगों के लिए, अपने राज्य तमिलनाडु के लाभ के लिए और सारे राष्ट्र के लाभ के लिए निवेदन कर रहा हूं। जहां तक कोयले की उपलब्धता का सम्बन्ध है 1982-83 की रिपोर्ट के पृष्ठ 13 में कहा गया है कि :

"3.22 भारत सरकार द्वारा गठित ऊर्जा नीति समिति ने 1980 में दी गई अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस बात को मानते हुये कि, कोयला का वार्षिक उत्पादन 400 करोड़ टन तक होता रहेगा और यह 2000 ई० के बाद भी जारी रहेगा, देश में उपलब्ध कोयला भण्डार 2000 ई० के करीब 90 वर्षों के पश्चात तक के लिए काफी रहेगा।"

महोदय, हमारी रिपोर्ट के अनुसार और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अन्वेषण के अनुसार हमें कोयले के सुरक्षित भन्डार से कोयले का उतना ही उत्पाद करना चाहिए जितना इस देश के लिए जरूरी ऊर्जा तथा शक्ति के उत्पादन के लिए आवश्यक है। जहां तक तमिल नाडू का सम्बन्ध है ऊर्जा उत्पादन बहुत कम है। तमिल नाडू के इतिहास में बिलकुल नई बात है। आगे रिपोर्ट के पृष्ठ 71 पर उसी समिति ने दक्षिणी क्षेत्र के लिए बड़े खतरे का पूर्वानुमान किया है क्यों कि दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से तमिलनाडू में ऊर्जा उत्पादन में भारी कमी रहेगी।

इस संदर्भ में मैं रिपोर्ट के पृष्ठ 71 से उद्धृत करना चाहूंगा :

"टूटी कोरिन, कल पक्कम तथा कुड़ा के विद्युत उत्पादन को हिसाब में लेने के बाद भी 1983-84 के अन्त तक दक्षिणी क्षेत्र में 3960 कि वाट बिजली की कमी रहने का अनुमान है जिसका अधिकांश भाग तमिल नाडू में होगा। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी 1978 में 630 मेगावाट की क्षमता के दूसरे ताप बिजली घर की स्थापना की स्वीकृति दी थी।

इसके बाद :

"तदनुसार नेवेली लिग्नाईट निगम ने सरकार को द्वितीय ताप बिजली घर तथा द्वितीय खान की क्रमश 638.95 करोड़ तथा 334.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर विस्तार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था अब इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा सैद्धांनिक रूप से स्वीकृत किया गया था वर्तमान द्वितीय ताप बिजली घर की 630 मेगावाट से 1470 मेगावाट तक तथा II खान को 4.8 मिट्रीक टन से 10.5 मिट्रीक टन प्रति वर्ष की क्षमता तक बढ़ाया जायेगा ताकि विस्तारित ताप बिजली घर की अतिरिक्त आवश्यक को पूरा किया जा सके।"

आपने तमिलनाडु के द्वितीय ताप बिजली घर तथा द्वितीय खान का उल्लेख किया जिसके बारे में नेवेली लिग्नाईट निगम द्वारा प्रस्ताव किया जा चुका है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तमिल नाडु तथा दक्षिणी क्षेत के लोगों के हितों की रक्षा के लिए इन योजनाओं के कार्यान्वियन में शीघ्रता लाई जाये।

वहां की वर्तमान स्थिति क्या है। तमिल नाडू में बिजली बिल्कुल नहीं है। यद्यपि वहां पर सरकार शक्ति में है परंतु शक्ति, ऊर्जा वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तमिलनाडू के लोगों के उत्पादन करने के लिए तमिलनाडू सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। तमिलनाडू में बिजली की पूर्ति में 75% कटौती है। तमिलनाडू में गलियों में रोशनी का प्रबन्धक नहीं है मेरे चुनाव क्षेत्र में 1500 से अधिक गांव हैं और वे सभी बिजली की कटौती से बुरी तरह से प्रभावित हैं कृषि कार्यों के लिए कुओं में 10-12 लाख पम्पिग सैट स्थापित किये गये हैं तमिलनाडू सरकार ने इन सभी पम्पिग सैटों के लिए प्रतिदिन 6: घंटे बिजली देने की घोषणा की थी। मैं एक एक किसान हूं; यद्यपि मैं वकील भी हूं। कुछ दिन पहले ही मैं अपने चुनाव क्षेत्र डिन्डिगल मै गया था मैं वहां तीन दिन तक रहा। मुझे बतलाया गया कि किसानों को अपने पम्पिग सैटों के लिए किसानों को 143 दिनों में एक बार भी एक या दो घंटे बिजली नहीं मिलती। प्रत्येक तीन दिन के बाद उनको एक या दो घंटे के लिए बिजली मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में खेती करने लायक जमीन भी रेगिस्तान में बदल गयी है। किसान अपने पशुओं को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। और यहां तक कि अपनी दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं के लिए भी कुछ नहीं पैदा कर सके। वहां पर किसानों की यह कठिनाई है बिजली की कटौती की वजह से वहां पर सभी फर्में मिलें तथा कारखाने बन्द कर दिये गये हैं और सरकार को इस बात की जानकारी है। इसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडू में लगभग 7 लाख श्रमिकों व कर्मचारियों के रोजगार चले गये हैं। 1976 में बेरोजगारी की स्थिति 52% थी। उस वर्ष से 1980 तक जब ए० आई० ए० डी० एम० के० सत्ता में आयी तो बेरोजगारी 67.75% तक पहुंच गयी थी। वर्ष 1982 में बेरोजगारी 75% तक बढ़ गयी। इस प्रकार से तमिलनाडू में बिजली की कटौती की वजह से बेरोजगारी की स्थिति बहुत गम्भीर है। तमिलनाडू में बिजली की कटौती के कारण निम्नलिखित हैं।

तमिलनाडू सरकार में राज्य के बहुत से तापीय ऊर्जा संयंत्रों की मरम्मत कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। मैं कुछ दृष्टांत दूगां। तूती कोरिन में एक बड़ा ऊर्जा संयंत्र है जो कि पहले 350 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा कर रहा था। अब इसका उत्पादन 100 मेगावाट ही रह गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1980-81 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडू विद्युत बोर्ड ने एक बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने में छ महीने से अधिक समय लगा दिया जबकि सामान्यत: इसको लगाने में पैंतीस से पैंतालीस दिन का समय लगता है। कुछ मामलों में तमिल नाडु सरकार ने ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराने के कार्य में एक से साढ़ेचार वर्ष का समय लगाया है। लघु क्षमता वाले लगभग 30 बिजली ट्रांसफार्मर तमिलनाडू सरकार

द्वारा मरम्मत कराये बिना काफी लम्बे समय से बेकार पड़े हैं। कुछ करोड़ रुपये की कीमत के दूसरे लगभग 30 ट्रांसफार्मर तीन से साढ़े चार साल से मरम्मत के बिना पड़े हुए हैं। कनाडा से आयात किये गये दो बड़े ट्रांसफार्मर 1978 में खराब हुए थे और आज भी वे उचित मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हैं, उन्होंने उनकी मरम्मत कराने के लिए कनाडा की उसी फर्म से किसी विशेषज्ञ को बुलाने या उनको बदलने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाये। उन कुल संप्रेषकों की संख्या जिनको मरम्मत की आवश्यकता थी 1978 में 192 थी 1980 में बढ़कर 1,928 हो गयी। ये सभी बिना मरम्मत के ही पड़े हैं।

सभापति महोदय : इन मामलों पर राज्य विधान सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

श्री के. मायातेवर : नहीं, महोदय, मै केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि इन सभी पुराने तथा बिना मरम्मत किये पड़े संप्रेषकों की मरम्मत कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दें यह केन्द्र सरकार का भी कर्तव्य है। हम केन्द्र सरकार के बच्चे हैं जब राज्य सरकार पूर्णतः बेकार हो जाये और जब राज्य सरकार पूर्णतः टूट जाये तब हम कहां जायें, आप सभापति हैं आपको मेरी रक्षा करनी हैं मैं आपका बच्चा हूं। तमिलनाडू के लोग आपके बच्चे हैं।

सभापति महोदय : परंतु राज्य विधान सभा में आपका दल है।

श्री के. मायातेवर : तमिलनाडू सरकार केन्द्र सरकार पर भार टालना चाहती थी। वे कहते हैं क्योंकि आप उनको कोयला नहीं दे रहे इसलिए हम अधिक बिजली का उत्पादन करने तथा लोगों को पूर्ति करने में असफल हैं।

कल मंत्री ने यहां कहा था कि केन्द्र सरकार ने तमिल नाडु सरकार को जितनी अधिक से अधिक मात्रा में बिजली भेजने के लिए कदम उठाये हैं। अतः तमिलनाडू सरकार का केन्द्र सरकार के विरुद्ध वह आरोप बिल्कुल झूठा है।

वे जो कुछ कर रहे हैं वह यह है; 1976 से वे तीन जहाज खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। तमिलनाडू सरकार ने प्रथम जहाज के सौदे का प्रयास 1977-78 में बलगारिया से किया था जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपये थी। इसकी भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गयी थी क्योंकि कुछ लोगों द्वारा कुछ कदाचारों का प्रयास किया गया था कुछ दलाली या रिश्वत (व्यवधान) सभी कदाचार। तमिलनाडू सरकार ने दोबारा पश्चिमी जर्मनी से 100 करोड़ रुपये में जहाज खरीदने की कोशिश की थी जिसकी भी भारत सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गयी थी। नौवहन मंत्रालय ने इसको अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमिलनाडू सरकार को किसी दूसरे स्थान से इससे कम कीमत पर बेहतर जहाज खरीदना

चाहिए । इस प्रकार से पश्चिमी जर्मनी तथा बल्गारिया के सौदे केन्द्र सरकार अर्थात नौवहन मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे अब वे 66 करोड़ रुपये में 'मित्सी पनर्सी' जापान तथा जापान में हापों के अधीन हिटोची से तीन जहाज खरीदने के प्रयास कर रहे है । तीन पार्टियों ने संविदायें भेजी हैं परंतु ये संविदायें उन पार्टियों की अनुपस्थिति में ही खोल दी गयी थी ।

इस मामले में यह तीसरा सौदा था अतः कुछ लोगों के द्वारा दुराचार तथ धोखा किये जाने के कारण तमिलनाडू सरकार पिछले 5-7 वर्षों से बल्गारिया, पश्चिमी जर्मनी और जापान से जहाज नहीं खरीद सकी । इसी कारण वे तूतीकोरन में कोयला नहीं पहुंचा सके । अतः मैं अपने योग्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे यह काम समपन्न करें ** तमिलनाडू सरकार को उपयुक्त अनुदेश दें कि वह जागे ताकि लोगों के लिए कुछ करके उनकी रक्षा की जा सके अन्यथा, वहां हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा । अतः हम आपसे अधिक बिजली चाहते हैं ताकि तमिलनाडू के लोगों को और अधिक बिजली दी जा सके ।

सभापति महोदय : यह ऐसा मंच नहीं है जिसमें आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें । यहां तमिलनाडू सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं है आप को असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

श्री के. मायातेवर : उनके दल के सदस्य यहां उपस्थिति हैं । अपशब्द क्या है ? कृपया यह बताइये ।

सभापति महोदय : मैं देखूंगा कि कोई ऐसे शब्द तो नहीं हैं ।

श्री के. मायातेवर : इन शब्दों के साथ मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : यह ऐसा मंच नहीं है ।

श्री के. मायातेवर : मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी रक्षा करें अन्यथा भूख और प्यास से हम तमिलनाडू के लोग मर जायेंगे ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मैं तमिलनाडु में बिजली की शोचनीय स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

तमिलनाडु में बिजली की भारी कमी के कारण छोटे तथा बड़े दोनों उद्योग बन्द पड़े हैं माननीय मंत्री, श्री शिव शंकर जानते हैं कि पिछले महीने पूरे तमिलनाडु में शत-प्रतिशत बिजली की कटौती की गई थी। अब यह कटौती 75% तक की जा रही है। मुझे उद्योगों के बंद होने के नतीजे पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि तूतीकोरिन सुपर ताप बिजली स्टेशन के प्रथम चरन में भी मात्र 40 प्रतिशत भार-घटक की योजना है। मैं नहीं जानता कि दूसरा चरण कब पूरा होगा और कब उत्पादन शुरू होगा।

मैंने समाचार पत्रों में पढा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिल द्वारा घटिया उपकरण सप्लाई किये गए हैं मैं नहीं जानता यह कहां तक सच है। माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि तथ्य क्या है, किन्तु एक बात मैं जानता हूं कि हमारे ताप बिजली केन्द्रों में कम बिजली उत्पादन का कारण कोयले में राख की अधिक मात्रा होना है मेरी मांग है कि मंत्रालय को कोयले में राख की मात्रा को कम करने के लिए अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान के प्रयासों से परिणाम प्राप्त होने में कुछ समय लग सकता है, तब तक तूतीकोरिन और अन्य सुपर ताप बिजली स्टेशनों के लिए आस्ट्रेलिया जैसे देशों से बिना किसी आरक्षण के विशेष कोयला आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं इस पर इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि मेरे मित्र श्री मायातेवर ने इस सम्बन्ध में भिन्न भाषा में कहा है। किसानों को एक घंटे के लिए भी बिजली नहीं मिल रही है। अतः इस स्थिति में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अच्छी किस्म के कोयले के आयात की अनुमति दी जाए क्योंकि समझता हमारे कोयले में राख की मात्रा बहुत अधिक है। यह मेरा आपसे हार्दिक अनुरोध है। मैं यह समझता हूं कि तूतीकोरिन संयंत्र केलिए बिहार द्वारा की जाने वाली कोयले की सप्लाई बहुत अव्यवस्थित है राज्य सरकार ने आस्ट्रेलिया से 5 लाख टन कोयला आयात करने की अनुमति मांगी है। इसकी अनुमति दी जानी चाहिए ताकि तमिलनाडू में वर्तमान संकट को दूर किया जा सके।

इसी तरह गैस टर्बाइनों के आयात की अनुमति भी दी जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है तमिलनाडू में हम लोगों का नुकसान हो रहा है। वहां आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज्जमम सरकार है। मुझे किसी सरकार की चिन्ता नहीं है। पांच करोड़ लोगों को तकलीफ हो रही है। भारत सरकार को तमिलनाडु के लोगों की सहयाता करनी चाहिए। जब हम सोडा ऐश आदि कई अनावश्यक वस्तुएं आयात कर रहे हैं फिर गैस टर्बाइनों के आयात की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? केन्द्र के लिए चार करोड़ रुपये अधिक नहीं है।

माननीय मंत्री जानते हैं कि चीन ने बिजली उत्पादन संबंधी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया है। पूरे चीन में उन्होंने कई छोटे हाइड्रो-सैट लगाए हैं जिनसे 5 मेगावाट और

10 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है । हमें भी बड़े पैमाने पर यह कार्य करना चाहिए । जब हमने हाल ही में रंगीन टेलीफोन सेटों के आयात के लिए कीमती विदेशी मुद्रा व्यर्थ खर्च करने की अनुमति दे दी है, तो हमें दक्षिण कोरिया और जापान से ऐसे छोटे हाइड्रो-सेटों का भी आयात करना चाहिए था ।

वार्षिक प्रतिवेदन में मैंने देखा कि इस परीक्षण के लिए तीन स्थानों का चयन किया गया है । मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी ज्वारीय तरंग परियोजनाओं के अध्ययन लिये के फ्रांस और स्पेन जाते हैं । आप उन्हें चीन में सफलतापूर्वक चल रही छोटी हाइड्रो परियोजनाओं के अध्ययन के लिए वहां क्यों नहीं भेजते ? मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह लाभप्रद परियोजना है और हमें इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री मोती लाल सिंह (सीधी) : सभापति महोदय, अपने देश में बिजली उत्पादन में सुधार के बावजूद कमी रही है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं, विशेषकर किसानों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ा । विद्युत के उत्पादन में अपना देश बढ़ा, लेकिन उन तक हम विद्युत अभी तक नहीं पहुंचा पाये हैं । विद्युत की विशेष आवश्यकता ग्रामीण अंचलों में हैं जिनको यह मालूम भी नहीं है कि विद्युत है क्या? 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत को लिया गया है । ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत जो योजनाएं हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए अपने शासन की योजना है, लेकिन सही ढंग से वह कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं । इसका विशेष कारण यह है कि सर्वेक्षण किया जाता है, विद्युत लाइनों के लिए खम्भे गाड़ दिए जाते हैं, लाइन खींच दी जाती हे, लेकिन बिजली घरों तक नहीं पहुंचाई जाती जिससे गरीबों को राहत मिल सके ।

मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला और पानी है । बिजली के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है । अगर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना यहां पर की जाय तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा विद्युत का उत्पादन हो सकता है और वहां लोगों को विद्युत मिल सकती है । वहां पर जल-विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अभी तक मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण भी बहुत कम किया गया है । प्रस्ताव चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो या जिले से हो, जब वह केन्द्रीय शासन को भेजा जाता है तो उसमें विलम्ब किया जाता है । यदि उन प्रस्तावों को जल्दी स्वीकृत किया जाये तो काम करने में भी सुविधा हो सकती है ।

इस कमी के होते हुए भी मैं निवेदन करूंगा कि उन इलाकों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाये जो पिछड़े हुए हैं । इस श्रेणी में अपना मध्य प्रदेश भी आता है ।

कोलरीज के अन्तर्गत 4, 5 कम्पनियां हैं— डबलू सी. एल. बी. सी. एल. ई. सी एल. । डब्लू.सी.एल. मध्यप्रदेश के अन्तर्गत आता है लेकिन इनके हैडआफिस दूसरी जगहों पर हैं। वहां पर काम करने में वहां के अधिकारियों को विशेष सुविधा हो या न हो, लेकिन वहां के रहने वाले मजदूरों को और लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

मैं निवेदन करूंगा कि कम्पनियों का डिवीजन किया जाये । जो सुविधाएं कम्पनियों के द्वारा दी जाती हैं, वह डिवीजन के द्वारा दी जायें । वहां डायरेक्टर नियुक्त होना चाहिए ।

कोलरीज में काम करने वाले वाले मजदूरों के जीवन के लिए, आवास, शिक्षण और औषधि की सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। वहां पर मजदूरों को सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है और अंडर-ग्राउन्ड में काम करते हैं। वे अपना जीवन न्यौछावर करते हैं लेकिन उनके रहने के लिए और पीने के पानी की सुविधा नहीं है। जो पानी मानव के लिए उपलब्ध होता है, वह उन मजदूरों को नहीं मिल पाता है। वह लोग गन्दे पानी को प्रयोगों में लाते हैं क्योंकि वहां पर नल और कुओं की सुविधा नहीं होती है। जो लोग एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, उनके लिए कोई अस्पताल न होने की वजह से ठीक इलाज नहीं हो पाता है मननगढ़ मैं डिस्पेंसरी दी है लेकिन वहां पर डाक्टर भी नहीं है और स्पेशलिस्टस भी नहीं हैं जिससे कि उचित रूप में चिकित्सा की व्यवस्था हो सके। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। शिक्षा की दृष्टि से मजदूरों के बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबन्ध भी किया जाना चाहिए ताकि कम से कम जो मजदूरों के बच्चे हैं उनका भविष्य सुधर सके। वहां पर सेन्ट्रल स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि शिक्षा की व्यवस्था हो सके।

पेट्रोलियम के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इंडियन आयल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की ओर से जो गैस एजेन्सीज एडवर्टाइज की जाती है वह वास्तव में जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती है बल्कि ऐसे लोगों को दे दी जाती हैं जोकि उनको सही ढंग से चलाने में सक्षम नहीं होते हैं । आप जो कोटा भी निर्धारित करते हैं उसमें भी अनियमिततायें बरती जाती है। इन्टरव्यू में जो शामिल होते हैं उसको कई दफा रेजेक्ट कर दिया जाता है और विलम्ब से भी उनका इन्टरव्यू लिया जाता है । मेरा निवेदन है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मिलनी चहिए ।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : चेयरमैन साहब, एनर्जी मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स पर बहस में हिस्सा लेते हुए तमाम माननीय सदस्यों ने ऊर्जा संकट पर गंभीर चिन्ता प्रकट की है इसके बावजूद सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में पैदावार में वृद्धि हुई है। लेकिन यह एक हकीकत है कि इस संकट ने एक गम्भीर महाभारी का रूप धारण कर लिया है। इस समस्या को लेकर चारों तरफ एक बेचैनी फैली हुई है।

ऊर्जा के विकास के सिलसिले में सरकार ने जो नीति अपनाई है उसका एक नतीजा यह निकला है कि सम्पूर्ण देश में क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ा है।

सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई है तथा असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के सम्बन्ध में मैं दु:ख के साथ कहना चाहता हूं कि सन 1964 में वहां पर बरौनी में रिफाइनरी की स्थापना हुई थी। उस समय भी इस बात की घोषणा की गई थी और तत्कालीन प्रधान मन्त्री, पं० जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि बरौनी औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रो केमिकल कांम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय से लेकर आज तक इस सदन में जितने भी पेट्रोलियम मिनिस्टर हुए हैं (शिव शंकर जी क्या जबाव देंगे वह मुझे नहीं मालूम) सभी ने यही जबाव दिया कि बरौनी में पेट्रो केमिकल कांम्प्लेक्स लगेगा। जो समिति इस संबंध में गठित की गई थी उसने भी इस बात की सिफारिश की थी लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि 35 वर्ष की आजादी के बाद भी, बिहार राज्य में इतनी प्राकृतिक सम्पदा होने के बावजूद, बिहार और इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां पर एक भी रसायन आदि का उद्योग अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। बरौनी में पेट्रो-केमिकल काम्म्लेक्स क्यों नहीं लगेगा, जबकि वहां पर नैपथा की पैदावार होती है। इसमें रासायनिन कान्टैन्ट इतना ज्यादा है कि रसायन के कारखाने लगाए जा सकते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पहले से मौजूद है। सड़कें वहां पर हैं, बगल में गंगा नदी है और कोयले का प्रचूर मात्रा में भंडार है। फिर क्यों इसको वहां पर स्थापित नहीं किया जाता है। आ.ई.ओ. सी. ने निर्णय लिया कि वहा पर पैराफीन वैक्स का कारखाना लगाया जाएगा, लेकिन पता नहीं चलता है कि पैट्रोकैमिकल कहां चला गया, कैपरो-लैक्टम कहां चला चला गया और पैराफीन कहां चला गया। इसकी वजह से सारे विकास के मार्ग वहां अवरुद्ध हो गए हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बार-बार हल्ला करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, और लाखों रुपए का तेल वहां के यार्ड से गायब हो जाता है। गैंग्स्टर का इतना बड़ा गिरोह वहां पर तैयार हुआ है कि वह प्रति वर्ष लाखों रुपयों का तेल काट कर ले जाता है और बैशुमार मुनाफा कमाता है। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं दिया जाता।

कोयले की बात को लीजिए। कहा जाता है कि कोयले की पैदावार में वृद्धि हुई है। हां, वृद्धि हुई हैं, मगर बिहार की स्थिति को देखिए। बिहार की स्थिति यह है कि स्थायी प्रकृति के जो काम है, वे ठेकेदारों द्वारा करवाए जाते हैं। ठेकेदारों का बड़ा गिरोह वहां आपरेट करता है। माफिया गैंग की गतिविधियां धनबाद में में बढ़ती जा रही है। वहां कोई अपना जीवन सुरक्षित नहीं पाता है।

राज्य सभा में श्री कल्याण राय के प्रश्न का जवाब देते हुए इनर्जी मिनिस्टर ने बताया था कि धीरे-धीरे ठेकेठारों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बी. सी. सी. एल. ठेकेदारों को 1978-79 में 26.11 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। 1981-82 से 34.14 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। इसी अवधि में जो सी.सी.एल. ने ठेका 9.71 करोड़ से बढ़ाकर 21.91 करोड़ रुपए का हो गया। कहा जाता है कि पैदावार में वृद्धि के लिये ठेकेदारों से काम करवाया जाता है। कि पैदावार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। बी सी सी एल में 1977-78 में 17.48 मिलियन टन 1981-82 15.73 में मिलियन टन, की पैदावार हुई। सी सी एल में उसी अवधि में से

मिलियन टन से बढ़कर 7.25 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अभी हमारे सी पी एम के साथी, श्री चैटर्जी, कह रहे थे कि एक ओडिटर को मार दिया गया है। लेकिन इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है लगता है कि वहां कोई कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप मिकेनाइज्ड मशीनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं जिनके कारण मजदूरों की छंटनी करते हैं। जो औरतें उस इलाके में काम करती थीं, उनको आपने काम से निकाल दिया है। आपने वहां ठेकेदारों की फौज खड़ी कर दी है।

मैं बिहार की स्थिति का जिक्र करना चाहता हूं। बिहार के साथ आप विमाता का सा व्यवहार कर रहे हैं। बलरामपुर, राजमहल, नार्थकरनपुरी कोल्ड फील्ड्स के विस्तार के लिए बिहार पोर्शन में 25 सौ करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था। सिक्सथ प्लान में मगर यह खर्च नहीं हुआ और न वहां कोई विकास हुआ था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिक्सथ प्लान में कोयलाकारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई थी, उस पर भी कोई काम चालू नहीं हुआ। यह कहते हुए मुझे दुःख होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तीस करोड़ रुपया लेण्ड एक्वीजीशन के लिए रखा गया था लेकिन आज तक भूमि का अर्जन नहीं हुआ। यह योजना भी वहाँ की तहां पड़ी हुई है। कहलगांव सुपर थरमल पावर स्टेशन भी क्यों नहीं बना, यह भी हम जानना चाहते हैं? क्यों नहीं तेनघाट योजना को क्रियान्वित किया गया? आखिर बिहार ने क्या कुसूर किया है कि बिहार में किसी सुपर थरमल पावर परियोजना का विकास कार्य नहीं हो रहा है। बरौनी की जो विस्तार योजना थी वह 45 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी। वह वर्ष दर वर्ष बढ़ते हुए 90 करोड़ की हो गई है और अब एक अरब तक पहुंच सकती है। अभी मुजफ्फरपुर में कांटी थरमल पावर स्टेशन बन रहा है। इसका भी निर्माण कार्य बहुत पीछे पड़ा हुआ है। बिजली के मामले में बिहार की बड़ी दुर्दशा है। बिजली की कटौती की वजह से बिहार को तीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहां कृषि की पैदावार गिरती जा रही है। इस तरह से बिहार के साथ एक विमाता का सा व्यवहार किया जा रहा है। जिन कमजोरियों की चर्चा की गई है और जिस स्थिति का जिक्र किया गया है अगर उसमें सुधार नहीं लाया गया तो बिहार के लोगों में असंतोष और बढ़ेगा और यह असंतोष ज्वालामुखी बन सकता है, जिसका मुकाबला करना सरकार के लिए कठिन होगा।

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीमनगर) : सभापति महोदय, करीब 10 वर्षों पहले, जब श्री के० एल० राव सिंचाई तथा विद्युत मंत्री थे, और जब कभी हमने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के बारे में कहा तो वे कहा करते थे "मैं ऐसा पावर (विद्युत) मंत्री हूं जिसके पास बिलकुल राजनैतिक पावर (शक्ति) नहीं है।" कठिनाई यह है कि माननीय मंत्री, श्री शिव शंकर तथा उनके तीन सहयोगी, जो विद्युत मंत्री है, यद्यपि के अच्छे मंत्री हैं, दुर्भाग्य से उनका योजना मंत्री समर्थन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वह हमें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं।

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : आप यह कैसे जानते हैं?

श्री एम, सत्यनारायण राव : प्रतिवेदन से यह बिलकुल स्पष्ट है। जब उन्होंने एक बड़ी राशि के लिए कहा, आपने उन्हें केवल 839 करोड़ रुपये दिए। उन्हें 307 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है।

श्री पी० शिव शंकर : इसके लिए मैं माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव : बिना पर्याप्त आवंटन किए, वह बिलकुल न्याय नहीं कर सकते।

श्री पी० शिव शंकर : कृपया और रुपया देने के लिए उन्हें राजी कीजिए।

श्री एम० सत्य नारायण राव : यही कारण है कि मैं उनकी उपस्थिति में उनसे यह निवेदन कर रहा हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आंध्र प्रदेश में भी यही सब हो रहा है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बिजली बहुत महत्वपूर्ण है और बिना बिजली के न खेती हो सकती है न उद्योग चल सकते हैं और न कोई अन्य उत्पादन हो सकता है। बिना बिजली के कोई उत्पादन करना संभव नहीं है।

महोदय, योजना मंत्री भाग रहे हैं।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, मंत्री महोदय बाहर चले गए है। क्या वह वाक-आउट कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : वह और अधिक दबाव नहीं देना चाहते।

श्री रतनसिंह राजदा : यदि वह यहां उपस्थित रहें तो उनसे अधिक आवंटन के लिए कहा जा सकता है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : यह इस माननीय सदन की सर्वसम्मत राय है कि बिजली के लिए और अधिक आवंटन दिया जाना चाहिए। मैं अपने माननीय मंत्री श्री शिव शंकर को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक तेल का सम्बन्ध है उनके मंत्री पद संभाले जाने के बाद इसमें काफी उन्नति हुई है। उनके विद्युत और ऊर्जा मंत्री बनने के बाद ...(व्यवधान) यह अच्छी बात है। यही कारण है कि यह 'शिव शंकर' हैं। कोई व्यक्ति कह रहा है कि उनके साथ शिव और शंकर है। उनके साथ तीन सहायक भी हैं। हम कहते हैं कि 'ईश्वर' का अर्थ है—जनक, प्रवर्त्तक और ध्वसंक। लेकिन यहां ऐसा 'ईश्वर' है। जिसका अर्थ है—जनक, संचालक तथा वितरक अत: जहां तक हमारा संबंध है वह वितरक भी हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : न्यायामिकर्ता भी ।

श्री एम. सत्यनारायण राव : यद्यपि थर्मल परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए वह यथा शक्ति प्रयास कर रहे हैं किन्तु उत्पादन अधिक हों, किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण, वे अभी तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं । जैसा कि आप जानते हैं कि थर्मल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त कोयला चाहिए । कोयला एक समाप्त हो जाने वाला पदार्थ है । और अभी-अभी एक सदस्य इसका उल्लेख कर रहे थे । लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला केवल करीब ९0 या 100 वर्ष तक ही और रहेगा । 100 वर्ष के बाद, कोयले के भंडार समाप्त हो जायेंगे । इसी कारण यह बहुत आवश्यक है कि हम पन बिजली पर जोर दें । यह सस्ती पड़ती है और हमारे यहां कई प्राकृतिक साधन हैं, कई नदियां हैं । इस पहलू की हमने उपेक्षा की है और यह रिपोट पन-बिजली के संबंध में है । पन-बिजली की अत्याधिक कमी हैं । पन बिजली से केवल 30 प्रतिशत बिजली उत्पन्न होती है । यह पर्याप्त नहीं है । वास्तव में, हमारे यहां बहुत बड़ी नदियां हैं । ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कोई वैज्ञानिक मुझे बता रहा था कि ब्रह्मापुत्र बहुत शक्तिशाली नदी है जिससे इतनी ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है जो न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया की आवश्यकता पूरी कर सकती है । मैं नहीं जानता, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं किसी विशेषज्ञ ने मुझे ऐसा बताया है । लेकिन दुर्भाग्य से हम इस नदी से बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं । निश्चय ही इस कार्य के लिए पर्याप्त धन चाहिए । लेकिन जब यह शक्ति मौजूद है तो यह उचित समय है कि हम इस नदी की क्षमता का उपयोग करें जो कि बहुत बड़ी है तथा नदी मात्रा के अनुसार यह योजना श्री दस्तूर की है । उन्होंने यह योजना बहुत पहले दी थी—वह उत्तर से दक्षिण तक नदियों को जोड़ना चाहते थे ।

उत्तर में, हिमालय के क्षेत्र में गंगा, यमुना, ब्यास, सतलुज और अन्य अनेक नदियां हैं । देश के मध्य में भी महानदी, नर्मदा गोदावरी, कृष्णा कावेरी, तुंगभद्रा तथा पेन्नार नदियां हैं । इसी प्रकार देश में अनेक नदियां हैं । यदि इन नदियों को परस्पर मिला दिया जाये तो मेरे विचार से बड़े-बड़े बाँध बनाने की संभावना हो सकती है और जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है । ऐसी संभावना है । एक ओर तो हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर हमें सूखे का सामना करना पड़ रहा है । उत्तर में हर वर्ष करोड़ों रुपये बाढ़ नियन्त्रण पर व्यय किये जाते हैं । बाढ़ नियन्त्रण के लिए तथा सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये व्यय करने के स्थान पर बेहतर यह होगा कि धनराशि इस योजना पर खर्च की जाए ।यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं है यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है । तो हमें इस उद्देश्य के लिये विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों सेसम्पर्क करना चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो अनेक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं । मुझे आशा है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे । ऊर्जा मंत्री महोदय तथा सिंचाई मंत्री महोदय को योजना आयोग के साथ बात चीत कर एक योजना तैयार करनी चाहिए । तब वे मंत्री मंडल से भी सम्पर्क कर सकते हैं । यदि वह इसकी स्वीकृति देता है तो यह बहुत अच्छी योजना होगी । तब हमारे देश में

बिजली का बिल्कुल अभाव न हीं रहेगा। मुझे आशा है कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री जी, इंजीनियरों तथा अन्य लोगों को सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रामागुंडम के निर्माण के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि से पहले ही कार्य करने के लिए बधाई देता हूं। जब मुझे इसके बारे में वताया गया तो मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों में बड़ा उत्साह है। वे अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ अच्छी तरह कर रहे हैं।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी स्थानीय जनता में से नियुक्त नहीं किये जा रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। छोटे-छोटे पदों के लिये भी अधिकारी लोग दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को ला रहे हैं। वहां की स्थानीय जनता इस कारण से बड़ी चिन्तित है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे रामगुन्डम थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्वयं जाकर देखें और इस समस्या पर विचार करें। मेरा विचार है कि वे शीघ्र ही वहां जायेंगे।

हैदराबाद में अभी हाल में वे गैस उपभोक्ताओं से मिले थे। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने अपनी यात्रा के दौरान अवसर पाते ही उपभोक्ताओं की एक बैठक बुलाई। उन्होंने वहां के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न होने पायें। उन्होंने अधिकारियों से कारण स्पष्ट करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि भविष्य में पुन: ऐसा न होने पाये। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है।

कहा गया है कि भारत 1989 तक आत्म निर्भर हो जाएगा। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में हम आत्म निर्भर हो जायेंगे जब से उन्होंने इस पद का कार्यभार सम्भाला है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में मैंने बम्बई हाई का दौरा किया था। वहाँ पर कार्य में प्रगति हो रही है। अनेक कठिनाईयाँ होने के बावजूद भी इन्जीनियर तथा अन्य लोगों द्वारा वहाँ बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। वे उन कठिनाईयों का साहस से सामना कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह जनना चाहा था कि जब तेल उत्पादक एवं निर्यातक (ओपेक) देशों ने मूल्यों में कमी कर दी है तो हमारी सरकार ने कीमतों में कमी क्यों नहीं की। रिपोर्ट से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप जितना भी धन बचेगा उसका तेल की खोज और विकास कार्यों के लिये उपयोग किया जाएगा। सरकार कोई उस धनराशि को अपनी जेब में नहीं डाल रही है। इसे खोज, उत्पादन और विकास में प्रयुक्त किया जाएगा। हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए।

हमें ग्रामीण विद्युतीकरण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारी 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है। हमें न केवल शहरी जनता की ही चिंता करनी चाहिए बल्कि ग्रामीण जनता का भी ध्यान रखना चाहिए। हम इस क्षेत्र की अवहेलना कर रहे हैं। कृषक और कृषि पर निर्भर जनता 70 प्रतिशत है। लगभग 80 प्रतिशत जनता गाँवों में बसती है। यदि आप

उन्हें सस्ती दरों पर बिजली नहीं उपलब्ध करेंगे तो हमारे देश का विकास सम्भव नहीं हो पाएगा और हम कृषि के क्षेत्र में भी विकास नहीं कर पायेंगे। अत: आपको ग्रामीण विद्युतीकरण पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लोग मेरे पास आकर यह कह रहे हैं कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। यदि आप इन सबको लागू कर देंगे, आप उन्हें पर्याप्त बिजली देने की स्थिति में हो जाएंगे।

मुझे यह प्रसन्नता है कि श्रीमती किशोरी सिंहा ने गोदावरी बेसिन का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में गोदावरी बेसिन के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा गया है ? मन्त्री महोदय ने इस सदन में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी तथा बाहर भी की थी कि उन्हें महानदी बेसिन तथा गोदावरी बेसिन में कुछ भंडारों का पता लगा है। यद्यपि रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें कि क्या कुछ भण्डार हैं, यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है। क्या हो रहा है ? क्या वहां खोज कार्य चल रहा है ? मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा कि वे इस बारे में कुछ कहें ताकि सदस्यों को सन्तुष्ट किया जा सके ? मुझे इस सम्बन्ध में भी बड़ी प्रसन्नता होगी।

परमाणु ऊर्जा, जो विषय उनके पास नहीं है, के अतिरिक्त हम थर्मल, सुपर-थर्मल तथा पन बिजली परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के विकास की बात भी हो रही है। उसका भी विकास किया जा सकता है। समुद्र की लहरों, वायु ऊर्जा तथा अन्य शक्तियों का भी विकास आरम्भ किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने यह रिपोर्ट में देखा है कि हमने फ्रांस तथा अन्य देशों के विशेषज्ञों को यहां आने और सहायता करने के लिए अनुरोध किया है। हम उनसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप ऊर्जा का विकास करें तो हम न केवल परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में अपितु गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपने लक्ष्य उपलब्ध करने में सफल हो सकेंगे।

धन्यवाद।

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : सभापति महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो माननीय सदस्यों द्वारा कही गई है। मैं विकासशील तथा विकसित देशों में अन्तर को स्पष्ट करना चाहता हूं।

ऊर्जा मन्त्रालय के पुनर्गठन के पश्चात—यद्यपि श्री शिव शंकर जी एक तकनीकी व्यक्ति नहीं है फिर भी वे एक कर्मठ और अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति हैं क्योंकि वे इस विषय को भली भांति समझने में समर्थ हैं और वे इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय को एक नया आकार दे सकते हैं। देश की समूची अर्थ-व्यवस्था तथा उसका विकास ऊर्जा पर ही आधारित है और मुझे इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम देश में पिछले दो दशकों में बिजली और ऊर्जा के अभाव की स्थिति देखें। उन्हें इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भारत जैसे विकासशील देश की विकसित देशों के साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उपलब्ध स्रोतों का आवंटन भी विकासशील राष्ट्रों में उचित रीति से नहीं किया जाता है। अत: इस देश में बिजली का संकट बना हुआ है। यह विश्व -व्यापी समस्या है और इसके सन्दर्भ में हमारे

देश में उत्पन्न हुए कुछ तथ्यों पर भी ध्यान देना होगा । हमें इस स्थिति का विश्लेषण करना होगा । विकासशील देशों को उनके विकास के लिए विश्व की ऊर्जा और तेल में से अपेक्षाकृत अधिक भाग मिलना चाहिए । किन्तु आज 'ओपेक' देश, जिनसे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में हम उनकी निरकुंश शर्तों पर निर्भर हैं. किसी प्रकार की सहानुभूति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं । हम इस देश में अब तक उपलब्ध स्रोतों के आधार पर अभी आत्म-निर्भर नहीं हो सके हैं । इस देश में उपलब्ध स्रोतों में वृद्धि के लिए विपुल धनराशि तथा प्रौद्योगिकी तथा अन्य बातों की आवश्यकता है । इस पृष्ठभूमि में हमें इस पर विचार करना होगा ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार आज हमारे देश में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में 12000 करोड़ रुपए से अधिक की निवल हानि हो रही है और हमारे उद्योग बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं । हमारे पहले के बजटों में और वर्तमान बजट में परिकल्पित औद्योगिक विकास का हम 7 प्रतिशत अथवा 8 प्रतिशत भी बिजली की कमी के कारण प्राप्त नहीं कर सकते । वित्तीय वर्ष में उद्योगों को दी जाने वाले बिजली में 20 प्रतिशत कटौती की जायेगी ।

प्रत्येक राज्य बिजली के संकट का सामना कर रहा है । इसके अतिरिक्त हमें . बजट में परिकल्पित औद्योगिक विकास की दर भी प्राप्त करनी हैं । अन्ततः इस देश का आर्थिक विकास अधिकांशतः ऊर्जा पर ही निर्भर करता है । अतः ऊर्जा संकट का समाधान शीघ्र ही किया जाना होगा और इसका समाधान इस तरह से किया जाना चाहिए कि देश के प्राकृतिक साधनों का उचित रीति से उपयोग किया जाए । ऊर्जा संकट का सबसे अधिक एक मात्र कारण तेल एवं पैट्रोलियम पदार्थों की कम मात्रा में सप्लाई है ।

हमारे अनेक मित्रों में आन्तरिक स्रोतों के उपयोग विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चर्चित एवं निर्णीत विषयों के बारे में कहा है । उदाहरण के तौर पर, 1980-81 में, ऊर्जा के नये एवं नवीकरण के योग्य स्रोतों के विकास के बारे में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था । ऊर्जा के नये एवं नवीकरण के योग्य स्रोतों का विकास एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसमें भारत सरकार को गहरी रूचि लेनी चाहिए और 1980-81 में नैरोबी में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए मार्ग दर्शी सिद्धांतों को देखना चाहिए जिसमें हमारी प्रधान मन्त्री ने प्रमुख भाषण दिया था । उन्होंने उस सम्मेलन में प्रमुख भाषण दिया था । मैं नीचे कुछ अंश उद्धृत करता हूं :

> जैसा कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदरागांधी ने सम्मेलन में दिये गये अपने प्रमुख भाषण में कहा था कि पन बिजली सम्भावनाओं, कोयला प्रौद्योगिकी के पूर्ण उपयोग, वन्यकरण एवं ऊर्जा रोपण, बायो-गैस उत्पादन सम्बन्धी बड़े पैमाने के कार्यक्रम, जल निकास तथा वायु और पम्पिग के लिए सौर ऊर्जा जैसे निम्न और मध्यम तापमान की आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग जैसे कार्यक्रम में नवीकरण के योग्य ऊर्जा की

परिपक्व प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इस सम्मेलन के माध्यम से यह आह्वान किया जाए कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में ऊर्जा को एक केन्द्रीय बिन्दु बनाया जाये।''

हमारी प्रधान मंत्री द्वारा सम्मेलन में 12 सूत्री कार्यक्रम के रूप में जो मार्ग दर्शी सिद्धान्तों, दिए गये हैं उन्हें मंत्रालय द्वारा नया रूप दिया जाना है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों पर और नैरोबी सम्मेलन में हमारी प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये मुख्य भाषण पर गम्भीरता से विचार करें।

हम सम्पूर्ण स्थिति का विश्लेषण करें। हम 40,000 करोड़ रुपए मूल्य के तेल का आयात कर रहे हैं। हमारे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की क्या स्थिति है? यह आयोग कैसे काम कर रहा है? हमने इस आयोग की स्थापना में करोड़ रुपये खर्च किए हैं निस्संदेह, हाल ही में माननीय मंत्री श्री शिव शंकर जी ने कहा है कि इस आयोग के कार्यकरण में बहुत बड़ी सफलता मिली है जहां तक प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रणाली का संबंध है यह आयोग बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। परंतु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस आयोग के कार्यकरण में बहुत त्रुटियां हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सही ढंग से काम करने में हो रहे विलम्ब की जांच की जानी चाहिए और इसकी छान बीन की जानी चाहिए क्योंकि इस आयोग पर व्यय किया जाने वाले प्रत्येक रुपए की देश की जनता को कीमत चुकानी पड़ती है देश की अर्थ व्यवस्था इस आयोग की खोजों के परिणाम पर आधारित है इसके परिणामों के आधार पर देश में एक नये परिवर्तन एक नये जीवन और एक नये समाज का निर्माण करेंगे। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हमने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में लोगों को प्रबन्ध व्यवस्था में लगाया है।

हमारे पास विभिन्न समाचार-पत्रों की रिपोर्टें हैं और हमें विभिन्न वर्गों के लोगों से पत्र प्राप्त होते रहते हैं कि तट से दूर ड्रिलिंग का कार्य सही ढग से नहीं हो रहा है। मैं कुछ ऐसे मामलों को उद्धृत करना चाहता हूं जो हमारे ध्यान में लाये गये हैं :

> "सदस्य, आफशोर (तट से दूर ड्रिलिंग) का जहां तक सम्बन्ध है, मेरी जानकारी के अनुसार वह पहले इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में थे। उन्हें बम्बई स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सदस्य आफशोर इसलिए नियुक्त किया गया था कि वह उत्पादन प्लेटफार्म का निर्माण करने के लिए संरचना इंजीनियरी के विशेषज्ञ थे"

इस संगठन विशेष में अनिश्चितकाल तक विलम्ब हुआ है और इस संगठन के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार इसके परिणामों के निकलने की आशा है। उन्हें अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले कतिहय मामलों में विलम्ब क्यों किया गया? यहाँ तक कि ड्रिलिंग के संबन्ध में, विशेषज्ञों की राय को प्रयोग करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मद के अनुसार, कुछ तेल क्षेत्र

कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है । परन्तु इस मन्त्रालय के व्यापक विस्तार योग्य तेल कार्यक्रम की गतिविधियों का इस प्रकार से समुचित समन्वय नहीं किया गया जिससे शीघ्र परिणाम प्राप्त हो सकते ।

"गोदावरी क्षेत्र में जब रिग-पेल्लिरिन ड्रिलिंग हो रहा था तब बी. ओ पी, गुम हो गया । ड्रिलिंग के प्रभारी ने बताया कि यह मिल जाएगा जिसके परिणामास्वरूप 40/45 दिनों तक 70,000 अमरीकी डालर प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना पड़ा और अन्त में इसे छोड़ दिया गया ।"

हमने इसमें कितना नुकसान उठाया ? हम कुछ निर्णय लेने के लिए दूरदर्शिता और सावधानी पूर्वक उपाय नहीं कर रहे हैं और जिसके कारण हमें आर्थिक हानि हो रही है और संगठनात्मक ढांचे में बिलम्ब हो रहा है । एक व्यक्ति और भी हैं :

"सिंगापुर बी. ओ पी. को बदलने के लिए भेजा गया और संचालन के लिए पुनः वापस लाया गया । रिग गैटीसबर्ग के मामले में भी यही हुआ लापरवाही से कार्य करने के कारण बी ओ. पी गुम हो गया और इसके परिणामस्वरूप आयोग को लाखों डालर का नुकसान हुआ ।"

इस परियोजना संगठन के निर्माण के लिए देश द्वारा खर्च की गई धनराशि कहां गई ? यह विलम्ब, असाधारण विलम्ब संगठन द्वारा लापरवाही, समन्वय का अभाव और अधिकारियों में विवाद तथा संगठनात्मक ढाँचे के निर्माण में असाधारण विलम्ब क्यों हुआ ? परिणाम प्राप्त करने में हुए विलम्ब के कारण हमें देश के अन्दर और बाहर नुकसान हो रहा है । आज हमारी स्थिति क्या है ? हम आत्म निर्भर कैसे हो सकते हैं ?

विश्व रिकार्ड के अनुसार और यहां तक कि आज भी 'ओपेक' देशों को अपने तेल के कुएं सूखने का डर पैदा हो गया है सम्पूर्ण विश्व गैर-परम्परागत ऊर्जा प्रणाली की खोज में है और बहुत से देश इसमें आत्म-निर्भर हैं । सूडान, जापान और यूरोप के बहुत से अन्य देश इसमें आत्म-निर्भर हैं और वे इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं । परन्तु हमारे देश में कुछ तेल उपलब्ध है और प्राकृतिक स्रोतों की भी बहुलता है परन्तु सही ढंग से कार्य नही हो रहा है । संरचनात्मक ढाँचा पूर्ण नहीं है ।

"जर्मनी की 'कील शिपयार्ड' में निर्मित 'सागर-प्रभात' ड्रिल पोत की सुपुर्दगी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिना किसी समुद्री परीक्षण के ली गई ।"

उत्तर दिया गया कि समुद्र में परीक्षण किया गया था । अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट न केवल गलत थी बल्कि भ्रान्तिपूर्ण है और दंड दोषी लोगों को दिया जाना चाहिए और इस मशीन का, जिसकी हमने इतनी अधिक कीमत चुकाई है और जिन पर हमने इतना पैसा बहाया है उसका

कोई परीक्षण नहीं किया गया। और अन्ततः बम्बई पहुंचने पर 90 दिनों तक इस पोत को नहीं चलाया जा सका एक दिन के विलम्ब से कितने डालरों का नुकसान होता है ? हमें कितना पैसा देना पड़ेगा ? सूचना के अनुसार सागर प्रभात 5-6-82 को प्राप्त हुआ था और इसने 15-9-82 को कार्य करना आरम्भ किया। एक महीने या दो महीने का विलम्ब समझ में आता है, परन्तु इससे भी अधिक विलम्ब हुआ। एक दिन के विलम्ब के कारण 70,000 डालर देने पड़ते हैं। आप तीने के विलम्ब, दो महीने के विलम्ब, एक महीने के विलम्ब या 15 दिनों के विलम्ब के लिए जो राशि देनी पड़ती है उसका अनुमान लगा सकते हैं। तकनीकी त्रुटियों के कारण यह हुंआ है क्योंकि बहुत से तकनीकी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकने के पश्चात् उस कार्य के लिए अपनी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाए जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। यह बैठे व्यक्ति, जिन्हें कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है, व्यवस्था करने के प्रभारी हैं, प्रशासन चलाना चाहते हैं, सम्पूर्ण हालात पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं। अतः तकनीकी व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे कार्य करेंगे परन्तु वे नहीं करते। इस प्रकार विलम्ब होता है।

> "पहले कुएं की खुदाई में विलम्ब का कारण पोल का ढांचा था। सागर-प्रभात पश्चिम जर्मनी में निर्मित सभी मोसमों में कार्य करने वाला ड्रिल-पोत था। इस बात की घोषणा की गयी थी जब इसे यहां लाया गया था और इसने कार्य करना आरम्भ कर दिया था तब यह घोषणा की गयी थी। जब सागर विकास को आग लगी थी तब डायरेक्शनल ड्रिलिंग के लिए डिक्सीलन फाइल 95 नामक एक अन्य ड्रिल शिप को किराये पर लेने की क्या आवश्कता थी ?"

क्यों ? जब उसी प्रकार की मशीनरी उपलब्ध थी वही चीज उपलब्ध थी, तब आपने एक अन्य जहाज के लिये आदेश क्यों दिया ? हम तकनीकी लोग नहीं हैं। परन्तु जब हमने सूचना एकत्रित की तब हमें पता चला कि कितना पैसा बहाया गया है।

पता चला है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ अधिकारियों ने इसका कारण यह बताया है कि नवम्बर के महीने में तूफानी मौसम के कारण ड्रिल-शिप काम नहीं कर रहा था परन्तु सच्चाई यह है कि अक्तूबर के महीने में 'क्राउन ब्लाकिंग बीम' में दरार आ गई थी और अक्तूबर के महीने में सम्पूर्ण कार्य छोड़ दिया गया था।

उन्होंने बड़े मजे में यह कह दिया कि यह नवम्बर महीने में हुआ और नवम्बर मास में मौसम अच्छा नहीं था। परन्तु सच्चाई यह है कि दरार का पता अक्तूबर में चल गया था। उन्होंने इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है। वह अब कृपया समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री के० लकप्पा : सागर विकास को बम्बई में आग लग गई थी। परन्तु अधिकारियों ने उसकी ओर ध्यान नही दिया है सूचना उपलब्ध थी। परन्तु इसमें विलम्ब हुआ और विलम्ब के कारण ये सब जल गया और इसके परिणामस्वरूप 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण का सम्बन्ध है, हमें अब बहुत सी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जिसके माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं तट पर और तट से दूर ड्रिलिंग परीक्षण और भूकम्प परीक्षण किए गए हैं। हम काफी लम्बे समय से परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु वे हमें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस सगठन में कुछ अनुशासन लाएं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाए रखना चाहिये बल्कि इस देश की प्रतिष्ठा बनानी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नुकसान से बचा जा सके और विलम्ब भी न हों।

जलविद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में मेरे मित्र ने पहले ही कुछ कहा है। समुद्र में जाने वाला बहुत सा पानी व्यर्थ जाता है। हमने इस सभा में अनेक प्रयास किए हैं और यह मांग की है कि सभी नदियां और अन्य प्राकृतिक स्रोतों का इस देश के विकास के लिए तथा विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग किया जाना चाहिए। जल विद्युत प्रदूषण करने वाली नहीं है और सस्ती भी है। सम्पूर्ण विश्व को इसकी जानकारी है। काली जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अभी बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनका विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस सभा में एक प्रश्न पूछा गया था :

> "क्या सरकार को जानकारी है कि कई राज्यों में विद्युत परियोजनाओं का कार्यकरण निर्धारित समय से पिछड़ गया है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है।"

और इसका उत्तर यह दिया गया, 'जी हां'। इसका अर्थ हुआ इसमें विलम्ब हुआ है। हम केन्द्र से धन उपलब्ध करा रहे हैं। योजना आयोग को इस बात की पूरी निगरानी रखनी चाहिये कि योजना में परियोजनाओं की जो परिकल्पना की गई है, क्या वे उसी शक्ल में पूरी हो रही हैं क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इन परियोजनाओं को एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। अन्यथा लागत में वृद्धि हो जायेगी और आपको अधिक धन खर्च करना पड़ेगा।

कर्नाटक में मंगलौर तेल शोधक कारखाने की क्या स्थिति है ? इसका अभी तक कोई स्वरूप नहीं बना है। यह अभी उस अवस्था में नहीं आया। केवल नामों का पता चल रहा है कि अमुक-अमुक चीजों की वहां स्थापना की जायेगी परन्तु अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। विद्युत वितरण में अत्यधिक असन्तुलन है। कई सदस्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसका समान वितरण होना चाहिये। इस समय कर्नाटक में बिजली का बहुत अभाव है और उसे बिजली आन्ध्र प्रदेश, केरल और गुजरात से मांगनी

पड़ रही है। परन्तु अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। वे भी विद्युत अभाव का सामना कर रहे हैं। हमने एक ग्रिड की स्थापना की है परन्तु बिजली बोर्ड इसके नियन्त्रण में नहीं हैं। देश में विद्युत का समान वितरण कहां हो रहा है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री के० लकप्पा : जहां तक ताप विद्युत परियोजनाओं का सम्बन्ध है, हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाना चाहते हैं और हम देश में ताप विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित होते देखना चाहते हैं। परन्तु कोयला ताप विद्युत परियोजनाओं तक नहीं पहुंचता। जब तक तापविद्युत परियोजनाओं का निर्माण नहीं किया जाता हम ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अतः देश में इन सब बातों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये। और इसका तालमेल अन्य देशों के प्रयत्नों से भी किया जाना चाहिये। अतः यह विश्व का संकट है। यह एक राष्ट्रीय संकट है और हर राज्य इस संकट का सामना कर रहा है। अतः इस प्रश्न के बारे में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए।

मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चालू परियोजनाओं चाहे यह तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्गत हो रहे वितरण प्रणाली के अन्तर्गत हो, को प्राथमिकता दी जाये और उन्हें पूरा किया जाये और यदि कोइ विलम्ब हो तो जिम्मेदारी निश्चित की जाये। इन बातों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की जिम्मेदारी भी निश्चित की जाये और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। मंत्री महोदय को इस बारे में अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। मैं जानता हूं कि श्री शिवशंकर बहुत ही मेहनती तथा प्रभावशाली ...।

श्री एम. सत्यनारायण राव : आप इन्हें भी शक्ति दे रहे हैं।

श्री के. लकप्पा : मैं आशा करता हूं और बिश्वास करता हूं कि सभा में हमारी चर्चा तथा वार्ता व्यर्थ सिद्ध नहीं होगी और ये इन्हें उचित रूप देकर वांच्छित परिणाम प्राप्त करेंगे। मैं इनकी सफलता की कामना करता हूं।

श्री टी. एस. नेगी (टिहरी गढवाल) : श्रीमन्, बिजली से हमारा सारा देश आज परेशान है। विद्यार्थियों को परीक्षा के समय बिजली नहीं मिल पाती और किसान को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पाती। छोटे उद्योगों को भी बिजली नहीं मिल पाती। सब दुखी हैं। इसके बावजूद हमारी काबिल सरकार बिजली के दाम निरंतर बढ़ाती जा रही है अभी पिछले नवंबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। वहां के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि यह वृद्धि जायज है क्योंकि अनेक वस्तुएं महंगी हो गई हैं। लेकिन आंकड़े देखने से स्थिति दूसरी ही सामने आती है। 522 सिनेमाघरों को कितनी बिजली मिलती है, यह केलकुलेशन

बहुगुणा जी ने लगाया है और उन्होंने श्रीपति मिश्र जी को एक पत्र भी लिखा है। बिजली सिनेमाघरों को कहाँ से मिलती है। यह सेंटेंस उनके पत्र का है—

"इससे आश्चर्य होता है कि ये सिनेमा प्रतिदिन औसत 15 घंटे कैसे चलते हैं जबकि उन्हें प्रतिदिन केवल 2.81 घटे के लिए बिजली सप्लाई की जाती है।"

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : इसका अर्थ क्या है? 30 घंटे प्रतिदिन ? हम नहीं समझ सके।

श्री टी.एस. नेगी : इसमें आगे कहा गया है :—

"मैं इस्तेमाल की गयी बिजली की संगणना करने की बात नहीं समझ सका, दिन में 37.22 घंटे कैसे हो सकते हैं जबकि भोगोलिक कानून से दिन में केवल 24 घंटे होते हैं।"

सिनेमाघर 13 घंटे प्रतिदिन चलते हैं और 2.81 घंटे प्रतिदिन उनको बिजली सप्लाई होती है। ये आंकड़े हैं। इसी प्रकार और कई जगहों पर 37.00 घंटे के लगभग प्रतिदिन बिजली दी जाती है जबकि दिन 24 घंटे का होता है। यही गोलमाल है। यह भ्रष्टाचार है। इसके लिए उनको पत्र लिया गया है।

16.13 hrs.

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

जो पत्र उत्तरप्रदेश सरकार को लिखा गया है उसमें यह स्थिति है लेकिन यहां पर तो सब सही बता दिया गया है।

श्री रामप्यारे पनिका : आप बता दीजिए।

श्री टी. एस. नेगी : सही स्थिति तो मंत्री जी जवाब में बतायेंगे। मंत्री जी बतायेंगे कि यह क्या गोलमाल है।

पर्वतीय क्षेत्रों की क्या स्थिति है ? मसूरी में जब बिजली व्यवस्था सिटीबोर्ड के हाथ में थी तो पूरे शहर को ठीक बिजली मिलती थी। जब से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस व्यवस्था को हाथ में लिया है तब से हर समय बिजली की परेशानी रहती है। आज हमारे देश की यह बिजली की स्थिति है।

मेरा निवेदन है कि बिजली सस्ती होनी चाहिए। जब तक कोयला सस्ता नहीं होता तब तक बिजली कैसे सस्ती हो सकता हो है। कोयले के उत्पादन के बारे में स्थिति यह है कि जितना

कोयला हमारे यहां एक मजदूर एक दिन में निकलता है दूसरे मुल्कों में एक मजदूर उससे चौगुना कोयला एक दिन में निकलता है। इस प्रकार हमको बिजली कैसे सस्ती मिल सकती है ? कोयला मंहगा होने का कारण यही है कि कोयले की खदानों को भी 40 परसेन्ट से ज्यादा बिजली नहीं दे रहे हैं। कोयले की दुकान में 25 से 35 परसेन्ट तक राख चली जाती है। इसलिए, मेरा निवेदन है कि बिजली सस्ती होनी चाहिए।

अभी यहां टिहरी डैम के बारे में जिक्र हुआ था। कुछ लोग चाहते हैं कि डैम न बनाया जाए। इजीप्ट में भी इसी किस्म का डैम बनाया जा रहा था, तो लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन फिर भी वह बन गया और उसके बाद वह ऐसा टूटा जिससे धन-जन सब चीजों का नुकसान हो गया। ऐसा ही इसका भी होने वाला है। बड़े-बड़े एक्सपर्टस और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की भी यही राय है कि इसको न बनाया जाए लेकिन सरकार इसको बनाती चली जा रही है। मेरा निवेदन है कि आज तक जितना भी पैसा इस पर खर्च हो गया, वह ठीक है। अब उससे रिजरवायर न बनाए बल्कि बिजली निकाली जाए ताकि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का फ्यूचर खराब न हो सके। कुछ माननीय सदस्यों की यह धारणा थी कि बड़े डैम बनने चाहिये लेकिन दुनिया के लोग यह चाहते हैं कि छोटे डैम बनाये जाएं और इसीलिए हमारी भी यही राय है। बड़े डैम्स पर अरबों रुपया खर्च हो जाता है लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है। टिहरी डैम के बारे में भी हमने सरकारी अधिकारियों से कहा था कि इतना बड़ा न बनाएं। कुछ वर्ष पूर्व गंगोत्री के इलाके से बाढ़ आई थी, अगर वह दुबारा आ जाती तो डैम नहीं बन पाता। सन्-78 में इस बारे में हमने तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से भी कहा था। जब हमने यहां के अधिकारियों से कहा तो जवाब मिला कि यह उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सुनती ही नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : क्या राम नरेश जी की सरकार ने भी नही सुना ?

श्री टी. एस. नेगी : उन्होंने किसानों के लिए काफी फायदे एलान किए थे। मेरा निवेदन है कि छोटे डैम बनाए जायें और इलैक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उत्तर भारत ही नहीं परन्तु दक्षिण भारत को भी देखना चाहिए। वहां इतनी नदियां हैं जिनसे अधिक से अधिक मात्रा में बिजली मिल सकती है। अगर सरकार बड़े-बड़े डैम के बारे में विचार न करती तो काफी पैसा बच जाता और मुल्क के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सकती थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी स्कीम्स बनाकर के बिजली के उत्पादन को बढ़ायें।

अब मैं तेल के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे देश में ज्यादा तेल उत्पन्न होने लगा है। लेकिन यह नहीं मालूम कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं ? जब हमारे देश में तेल का उत्पादन बढ़ रहा है तो फिर दाम क्यों बढ़ाये जा रहे हैं ? पहाड़ी क्षेत्र के बारे में एक और निवेदन करना चाहता हूं। वहां बाढ़ें बहुत आती हैं क्योंकि जंगल का कटान काफी हो रहा है। वहां के लोग ईंधन के इस्तेमाल के लिए लड़की ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां

बिजली नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में द्रुतगति से सारे गांवों में इलैक्ट्रिसिटी लगाई जानी चाहिये। अफसोस इस बात का है कि 1980 में फोरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ लेकिन उससे वहां की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। क्योंकि वहां तो पूरे इलाके में जंगल हैं और जंगलों के बीच से बिजली की लाइन बगैर केन्द्रीय सरकार की सहायता के चल नहीं सकती। बहुत सी स्कीमें पेंडिंग हैं जो कि चल नहीं सकती हैं। गवर्नमेंट को कोई तरीका निकालना चाहिए जिससे गांव-गांव में जल्दी बिजली पहुंचाई जा सके और स्कीमें पूरी हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विभाग की मांगों का विरोध करता हूं।

श्री डी. पी. यादव (मुंगेर) : मैं मंत्री महोदय तथा उनके तीन सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 1982-83 के इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया है जिसमें फरवरी, 1983 तक के पूरे आंकड़े हैं। यह बात प्रशंसनीय है कि फरवरी, 1983 तक आंकड़े तैयार किए गए हैं विशेषकर जब हम 1983-84 के बजट पर चर्चा कर रहे हों। 1982-83 के प्रतिवेदन में, पृष्ठ 4 में आपने ऊर्जा सम्बन्धी समिति का जिक्र किया है और कहा है कि मंत्रालय तथा देश के जो राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में बनी ऊर्जा सम्बन्धी प्रतिवेदन के विचारों के विचारों तथा सिफारिशों से मार्गदर्शन मिलेगा यह समिति, एक छोटी समिति नहीं है। जब मैं उन सदस्यों की सूची देखता हूं जो पेनल पर रहे हैं, तो मालूम होता है कि देश के ऊर्जा क्षेत्र के सभी उच्चतम लोगों को समिति से सम्बद्ध किया गया है और उसमें उल्लिखित सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। लेकिन इन्हें किस सीमा तक माना गया, इसे अभी देखा जाना है। इस सम्बन्ध में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। राजाध्यक्ष समिति ने ऊर्जा क्षेत्र के आयोग के सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिए हों, उनके कार्यान्वियन स्तर पर फिर भी कुछ न कुछ त्रुटियां है। अब ये त्रुटियां क्या हैं ? इस वर्ष के सुपर थर्मल पावर स्टेशनों की निष्पादन सम्बन्धी योजना तथा स्थापित क्षमता के आंकड़े प्रतिवेदन में दिए गए हैं प्रतिवेदन में सिंगरौली, कोर्बा, रामगुंडम, फरक्का, विंद्याचल और रिहन्द परियोजनाओं का जिक्र किया गया है। इन सब सुपर थर्मल पावर स्टेशनों की क्षमता 9060 मेगावाट होगी। वह ठीक है। लेकिन राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पावर स्टेशन कोयला खान के मुहानों के निकट स्थापित किए जायें। उस मामले में क्या आप इस बारे में कोई नीति बना पाए हैं ? मेरे विचार में, उत्तर "नहीं" होगा।

श्री पी० शिवशंकर : इससे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है।

श्री डी० पी० यादव : इसे शुरू ही से प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। अब मैं बताना चाहता हूं कि 1977 में इसकी व्यवस्था कैसे की गयी थी ? बावजूद इस बात के कि कोहालगांव की देश में सबसे अधिक क्षमता है, फिर भी 1977 में इस परियोजना का योजना परिव्यय किसी अन्य मद के लिए लगाया गया, उस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी गयी। उस परियोजना की प्राथमिकता मंत्रालय तथा सी. ई. ए. के पत्र व्यवहार में आये गलत आंकड़ों के आधार पर निश्चित की गयी जिसमें कहा गया कि कोहलगांव स्थान, फरक्का स्थान से घटिया है। क्या मैं

जान सकता हूं कि फरक्का स्थान की समुद्रतल से कितनी ऊंचाई है ? यदि आप क्षेत्र की भू-वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तथा भू-वैज्ञानिकों द्वारा एकत्र आंकड़ों को देखें तो निश्चय ही आपको पता चलेगा कि कोहलगांव स्थान, फरक्का स्थान से अच्छा है। यह सब कहीं न कहीं किसी गलती के कारण है जिसके फलस्वरूप फरक्का स्थान को चुना गया तथा इसे प्राथमिकता दी गयी। मैं कुछ और अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि इससे दो राज्यों के बीच फूट पैदा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त राजाध्यक्ष समिति ने सिफारिश की है कि ऊर्जा सम्बन्धी आयोजन 5 अथवा 10 वर्षों के लिए नहीं किया जाना चाहिए बल्कि आयोजन कम से कम 20 वर्षों के लिए किया जाना चाहिए। यह एक भावी योजना होनी चाहिए। यह राज्य-बार योजना नहीं होनी चाहिए बल्कि यह राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर होनी चाहिए।

क्या ऐसा किया गया है ? मेरे विचार में ऐसा नहीं किया गया।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोहलगांव के कोयले के स्रोतों अर्थात राजमहल पहाड़ियों लालमाटिया तथा हुड़ा का पता 1973 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा चला था। लेकिन आपने फरक्का को चुना जहां आपको इन कोयला क्षेत्रों से 80 किलोमीटर तक कोयला ले जाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि कोयला निक्षेपों, कोयला खान मुहानों से आपके 80 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। आपने कारखाने तक के भाड़े की उपेक्षा की है।

30 जुलाई, 1979 को एक बैठक हुई थी। जिसमें श्री एल.पी.जैन, उप-महाप्रबन्धक एन. टी. पी. सी. और श्री एल. सेन गुप्ता, उप-महा निदेशक (सी.एस.डी.) तथा चेयरमैन, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, उपस्थित थे, मैं चर्चा के रिकार्ड का एक अंश पढ़ता हूं :—

"कोहालगांव का उन निक्षेपों पर पहला दावा है क्योंकि यह फरक्का थर्मल पावर स्टेशन की अपेक्षा कुछ नजदीक है।"

यह अंश उस बैठक की कार्यवाही से है जिसमें विशेषज्ञ उपस्थित थे। इस समिति का गठन केन्द्रीय सरकार ने किया था। मैं किसी अन्य दस्तावेज का हवाला नहीं दे रहा हूं।

लागत अनुमान के बारे में वे क्या कहते हैं :—

"काहलगांव स्थित सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोयला खान तथा जल स्रोत से बहुत निकट है और रेल मार्ग पर है। संयंत्र स्थान बाढ़ स्तर से काफी ऊपर है, इसलिए इसमें, मिट्टी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

लेकिन उस समय, श्री मोरारजी देसाई तथा इस सभा के एक सदस्य के बीच हुए पत्र व्यवहार में कहा गया कि काहलगांव में मिट्टी भरने की फरक्का से अधिक जरुरत है जबकि स्थिति बिलकुल विपरीत है। तकनीकी व्यक्तियों ने यह राय दी थी। राजाध्यक्ष समिति रिपोर्ट में बड़ी बुद्धिमता तथा होशियारी से हेर फेर किया गया।

1980 में भी एक परियोजना प्रतिवेदन काहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया।

सभापति महोदय : क्या आप काहलगांव तक ही समिति रहेंगे ?

श्री डी० पी० यादव : जी हां, यदि मुझे यह मिल जाये तो मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी।

सिविल इंजीनियरिंग पहलूओं के बारे में इस प्रतिवेदन में क्या कहा गया था ? मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा :

> "भूमि विकास: संयंत्र क्षेत्र में औसत धरातल स्तर आर. एल. जमा 31 एम (मीटर) से आर एल जमा 41 एम (मीटर) तक फैला हुआ है। गंगा नदी का अब तक का विदित उच्चतम बाढ़ स्तर जमा 32.5 एम है। अत: क्षेत्र के एक भाग में 3 मीटर की गहराई तक भराव कराने की आवश्यकता पड़ेगी। संयंत्र क्षेत्र में न्यूनतम निर्माण स्तर आर एल जमा 34.00 मी० तक रखा जायेगा, जबकि जो क्षेत्र पहले ही आर एल जमा 34.00 मी० से ऊंचे हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के चबूतरों के रूप में ऐसे समतल किया जाएगा जिससे कि भराई और कटाई के काम का न्यूनाधिक सन्तुलन स्थापित हो जाए और भराव के लिए बाहर से मिट्टी न मंगानी पड़े और फालतू मिट्टी को बाहर न फेंकना पड़े।"

इस संबंध में स्थिति है। जबकि यह कहा गया था कि कहलगांव में 119.00 क्यूबेक लाख मीटर की सीमा तक भू-भराव की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सच्चाई यह है कि इस भारी मात्रा में भूमि भराव की आवश्यकता फरक्का में पड़ेगी, कहलगांव में नहीं।

और फिर, स्थापना स्थल के बारे में पूछे गये एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में 24 फरवरी 1981 को तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री श्री विक्रम महाजन ने इस सभा में बताया था :

> "पश्चिम-बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद में गंगा नदी फरक्का बरॉज के नीचे के बहाव में इसके दाएं किनारे के साथ-साथ कटाव करती रही है :"

इसका अर्थ यह हुआ कि फरक्का कटाव से सुरक्षित नहीं है। इस उत्तर में आगे बताया गया है :

> "बरॉज काम्पलेक्स के उन कार्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जिनकी कटाव से प्रभावित होने की सम्भावना है, राज्य सरकार और फरक्का बरॉज प्राधिकरणों ने, जहां से फरक्का सुपर ताप बिजली घर अपनी जल पूर्ति प्राप्त करता है, वहां से बचाव के

नपाय किए हैं। इन बचाव-उपायों से नदी प्रसार की स्थितियों के स्थायी होने की संभावना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गंगा द्वारा मार्ग बदलते रहने के कारण भू-क्षरण (कटाव) समस्याओं का एक व्यापक अध्ययन किया गया है।"

वहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है।

महोदय, आज 6 अप्रैल, 1983 है। 24 फरवरी, 1981 को इसी सभा में तत्कालीन राज्य मन्त्री, श्री विक्रम महाजन ने मेरे प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा था :

"हम आशा कर रहे हैं कि कहलगांव बिजली घर की प्रथम इकाई 1986-87 तक चालू होकर अपना परिचालन कार्य आरम्भ कर देगी। और शीघ्र ही काम आरम्भ होने जा रहा है। केवल सी. ई. ए. को इसकी स्वीकृति देनी है। दो या तीन मास में सारा कार्य पूरा हो जायेगा।"

महोदय, "दो या तीन मास" यह बात उन्होंने फरवरी, 1981 में कही थी, परन्तु दो वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी सारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं श्री शिवशंकर जी से निवेदन करता हूं कि कार्य को पूरा किया जाए। आपने इसे दो या तीन मास में पूरा करने का वचन दिया था, परन्तु अब तो दो वर्ष हो चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : वही तो अभ्यास है।

श्री डी० पी० यादव : वह शारीरिक अभ्यास है।

अन्त में, मैं उस क्षेत्र के स्थान निर्धारण और विकास के बारे में, कहना चाहता हूं। ऊर्जा, विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम मन्त्री श्री शिव शंकर को अपने 29 अक्तूबर, 1982 के पत्र की याद दिलाना चाहूंगा जिसका अन्तरिम उत्तर उन्होंने 5 नवम्बर, 1982 को सिंगरौली—रिहन्द विन्ध्याचल फरक्का एंव कहलगांव के बारे दिया था। फरक्का बन चुका है और मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। अब तो किसी न किसी तरह से आपको इसे चलाना है बनाए रखना है। जब आपने विवाह किया है तो पत्नी को आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, महोदय, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : नहीं, अब पत्नी का अनुसरण करो।

श्री डी० पी० यादव : कुछ भी है मैं तो उन्हें रिहन्द और विन्ध्याचल क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को स्मरण दिलाना चाहता हूं। महोदय, वहां पर इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो रही है।

श्री राम प्यारे पेनिका (राबर्टसगंज) नहीं महोदय, ऐसी बात नहीं है। अब रिहन्द एक सहायक परियोजना बन गई है।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दो। श्री पनिका जी, अब बहुत समय नहीं बचा है।

श्री डी० पी० यादव : महोदय, मैं इसके बारे में और अधिक नहीं बोलूंगा। मैं तो केवल मन्त्री महोदय, श्री शिवशंकर को याद दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया कागज-पत्र उन्हें सौंप दीजिए।

श्री डी० पी० यादव : मैं उन्हें दे दूंगा और अधिकारीगण इसे नोट कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वह एक बात ध्यान में रखेंगे, जो कि रोजगार के प्रश्न पर कहलगॉव और लालमटिया में हमारे ध्यान में आई है। जो लोग 600/- रुपए या 500/- रुपये अन्यथा 400/- रुपये से कम वेतन पाते हैं ? वे बाहर से लाये जा रहे हैं। उन्हें भागलपुर, मुंघेर या सन्थाल परगना से आना चाहिए परन्तु वहाँ पर रोजगाररत व्यक्ति किसी और ही स्थान के हैं। मैं चाहता हूं कि वह केवल इस बात को ध्यान में रखें और यह पता लगायें कि यह सब क्यों हो रहा है मैं उनसे अपील करता हूं कि वे स्थानीय लोगों को रोजगार देने की समस्या पर गंभीरता से विचार करें और उसका समाधान करें।

इन शब्दों के साथ मैं माँगों का समर्थन करता हूं और विभाग के चारों मन्त्रियों को धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय सभापति जी, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज के इस प्रगतिशील और वैज्ञानिक युग में ऊर्जा के बढ़ते हुए महत्व को कोई इन्कार नहीं कर सकता है, चाहे विकसित देश हों और चाहे भारत जैसे विकासशील देश की बात हो। पिछले 10-12 वर्षों में जहां अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के स्रोतों के बारे अनिश्चितता बढ़ी है, वहीं हमारे देश में ऊर्जा के बारे में आत्म निर्भर होने में, ऊर्चा के नए स्रोतों की खोज करने में, संरक्षण देने में हमें काफी उपलब्धि हासिल हुई है : और हम धीरे-धीरे आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

ऊर्जा के बढ़ते हुए महत्व को सभी माननीय सदस्य समझ सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार के मंत्रालयों का पुनर्गठन हुआ है। उन मंत्रालयों में पावर, पेट्रोलियम, कोल और नानकन्वेंशन सोर्सिज आफ एनर्जी से सम्बन्धित मामलों को एक ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत लाया गया है। इस से हमारे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती हैं।

हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ऊर्जा के सभी सोर्सिज को एक इन्टेग्रेटिड प्रोजेक्ट के रूप में बढ़ाने की कोशिश की है।

इस के साथ साथ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक एनर्जी एडवायजरी बोर्ड बनाया गया है। यह भी इस बात का प्रतीक है कि हम अपने देश में ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर होना चाहते हैं और विकास की नयी नयी संभावनाओं का पता लगाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि ऊर्जा नीति को एक नया रूप दिया जाना चाहिए और हमारे देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के परिप्रक्ष्य में हम को एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय ऊर्जा नीति बनानी चाहिए जिसको कि हम लाँग टर्म नेशनल एनर्जी पालिसी कह सकते हैं। हमारे देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के सन्दर्भ में इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए चाहे शीघ्र ही हमको ऊर्जा विकास एवं संरक्षण विधेयक ही क्यों न लाना पड़े।

हमारे लिए यह खुशी की बात है कि पिछले तीन वर्षों से पेट्रोलियम, कोयले और विद्युत के उत्पादन में जितनी प्रतिशत बढ़ोत्तरी राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, उसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार के सभी प्रयत्न सराहनीय है। पेट्रोल के मामले में यह बात स्पष्ट है कि जहां 1978-79 में बोम्बे हाई से 4.5 मिलियन टन का उत्पादन होता था वहां इस वर्ष हमने अपने उत्पादन को बढ़ा कर 12.11 मिलियन टन कर लिया है। जो कि इस बात को सूचित करता है कि हमने पिछले तीन वर्षों में पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में तीन गुना वृद्धि की है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी इस बात की प्रशंसा की गयी थी कि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष क्रूड आयल के उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह हमारी राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता का द्योतक हे।

हम बाहर से जो क्रूड आयल मंगाते थे, उसके आयात में भी एक हजार करोड़ रुपए की कमी हुई है। पिछले दस-बारह वर्षों में यह पहली बार ऐसा मौका आया है जब कि हम 10 मिलियन टन से भी कम क्रूड आयल का आयात कर रहे हैं।

इसी तरह मैं विद्युत उत्पादन के संबंध में भी आँकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। विद्युत के उत्पादन में, चाहे वह थरमल पावर हो, चाहे हाइडल पावर हो, चाहे न्युक्लियर पावर हो, भी हमने 1977-78 साल के 102 बिलियन यूनिट के मुकाबले में 1982-83 में 132 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया है। फिर भी हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे देश में कृषि और उद्योग के मामले में विद्युत की जितनी आवश्यकता है, उतना उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो विद्युत उत्पादन के स्रोत हैं, जो पावर स्टेशंस हैं, वे एफीशियेन्टली नहीं चल पा रहे हैं, और न ही उनसे पूरा आऊट-पुट मिल पा रहा है। विशेष तौर से मैं थरमल पावर की बात कहना चाहूंगा। जितनी बिजली हमारे राष्ट्र को उस से मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाती है। कुछ लोग इसका कारण यह बताते हैं कि हमारे यहां थरमल पावर प्लान्ट्स में काम आने वाला हल्का कोयला मिलता है जिसमें कि ऐस कन्टेन्ट ज्यादा होता है और जिसके कारण

हमारे बोयलर एफीशियेन्टली काम नहीं कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अपने कोल पिट्स के पास वाशरीज बनाने का इन्तजाम करना चाहिए जिससे कि अच्छी क्वालिटी का कोयला हम अपने देश में ही उपलब्ध करा सकें। मध्य प्रदेश में कोयले के प्रचुर भंडार हैं और उस पर आधारित ताप बिजली घरों से हम 10.000 से 15000 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत क्षमता पैदा कर सकते हैं। इस दिशा में शीघ्र कार्य किया जाना चाहिए।

आज के समय में कोयला हमारे देश में शक्ति का बड़ा स्रोत है इससे थर्मल पावर स्टेशन चलाए जाते हैं और टेक्नालाजी का विकास कर के ताल्चेर और रामागुंडम में फर्टीलाइजर प्लांट भी खोले जा चुके हैं। एक फर्टीलाइजर प्लांट कोरबा, मध्य प्रदेश में खोले जाने के बारे में भी सरकार विचार कर रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कोयले की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके हमें ध्यान देना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं इस चर्चा के दौरान कहना आवश्यक समझता हूं। जिस तरह से पेट्रोलियम और हाइड्रो कार्बन शिलिंगवर्क को ओ एन जी सी के माध्यम से बढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से नेचुरल गैस के उपयोग के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। नेचुरल गैस प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रही है लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका उपयोग खाद बनाने में या गैस पर आधारित पावर प्लांटस और स्टील उद्योग में जहां कोक का उपयोग होता है वहां गैस का उपयोग कर सकते हैं। इससे आज जो गैस हवा में बेकार जा रही है उसका उपयोग राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने में हो सकेगा और हम अपनी प्राथमिकताओं की पूर्ति अपने ही साधनों से करने में सक्षम हो सकेंगे। गैस एक ऐसा साधन है जिसका संरक्षण नहीं कर सकते। ड्रिलिंग के समय गैस प्राप्त होती है। और वायुमण्डल में बेकार चली जाती है। इसलिए इसका उपयोग करना बहुत आवश्यक है।

अंत में मैं नान कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में कहना चाहूंगा। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस वर्ष लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 13 करोड़ रुपए बायो गैस के लिए और साढ़े 5 करोड़ रुपया सोलर थर्मल एनर्जी प्रोग्राम, सोलर फोटो वेल्टक सिस्टम टेक्नालाजी को डेवलप करने के लिए रखा गया है। हमारे देश में बायो गैस और सोलर इनर्जी इतनी प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है कि इसके विकास की बहुत अधिक संभावनायें हैं। अगर इसके लिए आबंटन किया जाये तो मुझे विश्वास है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जा की आवश्यकता, और बिजली की बायोगैस एवं सोलर इनर्जी का प्रयोग से काफी हद तक पूरी की जा सकती है। किया जा सकता है। अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो हम अपनी आवश्यकता का 25-30 प्रतिशत ऊर्जा नान कन्वेंशनल इनर्जी सोर्सेज से प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्कता है।

इन सुझावों के साथ मैं ऊर्जा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम इन कठिनाइयों को पार करके देश को आत्म-निर्भर बना सकेंगे। धन्यवाद।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, पदार्थ की सभी तीन अवस्थायें यथा, ठोस, तरल और गैस और सभी प्रकार की ऊर्जा — नवीनीकरणीय तथा गैर-नवीनीकरणीय, ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन हैं। इस मन्त्रालय को अपने अधीन विभिन्न प्रकार के मन्त्रियों की सबसे बड़ी संख्या रखने का बेजोड़ वैशिष्ट्य प्राप्त है और पेट्रोलियम को भी जोड़कर रेलवे की तरह इसका भी अलग बजट होना चाहिये।

सभापति महोदय : विभिन्न किसम के मन्त्रियों से आपका क्या तात्पर्य है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : एक विद्यमान है, एक आधा है और एक है ही नहीं।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : उनके जोड़ का फिर भी कोई नहीं है।

श्री ए० के० राय : कृपया मेरा साथ जोड़ बिठाने का प्रयास न करें। केवल तेल के क्षेत्र में मैं कुछ तेल का मोर्चा मार लेने के सिवाय मन्त्रालय का निष्पादन कोयले और बिजली दोनों ही के बारे में निराशाजनक रही है। मन्त्री महोदय ने बिजली के लिए 1000 करोड़ से अधिक की मांग की है। परन्तु इससे पहले कि यह सभा उन्हें एक भी पैसा देने का निर्णय करे, मन्त्री महोदय का कुछ विरोधाभासों और भ्रान्तियों को दूर करना चाहिए। मैं एक अग्रणी समाचार पत्र दिनांक 12-1-83 के दी स्टेटस मैन से उद्धृत करता हूं।

> "1979 से ताप बिजली उत्पादन में भारी सुधार के दावे किए गए हैं, दक्षिण में 75% उत्तर पूर्व में 50%, उत्तर में 40%, पश्चिम में 38% और पूर्व में 17% और अखिल भारतीय आधार पर 39%, हो सकता है जहां तक कागजी कार्यवाही का सम्बन्ध है यह सच हों, परन्तु वे किसी भी प्रकार से वास्तविक सप्लाई की स्थिति को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं।"

और महोदय, अन्य मन्त्रालयों की आंखों में ऊर्जा मन्त्रालय के आँकड़ों की विश्वसनीयता गिर गई है, चूंकि वे अपने स्वयं के केप्टिव संयंत्र लगा रहे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। केवल ऐसी बात नहीं है कि हम विपक्ष के लोग ही इसके आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उंगली उठा रहे हैं, बल्कि मन्त्रीगण, अन्य मन्त्रालय ही इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उंगली उठा रहे हैं। उन्हें इन आंकड़ों में कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए उर्वरक संयन्त्र केप्टिव विद्युत संयंत्र लगाने जा रहे हैं। यदि उनका आपमें विश्वास हो तो क्यों? इस्पात संयंत्र भी

केप्टिव संयंत्र अपने यहां लगाने जा रहा है। यदि उनका आपमें विश्वास हो तो वे क्यों लगायें ? और अन्त में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा—क्योंकि कुछ समय तक मैं उनकी सलाहकार समिति में रहा हूं—कि कोयला विभाग भी केप्टिव संयत्र लगाने की सोच रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। केप्टिव संयंत्र लगाने के बजाय आप ऊर्जा मन्त्रालय में एक 'केप्टिव' राज्य मन्त्री रखें जिससे आपको निरन्तर ऊर्जा मिलती रहे। एक विभाग दूसरे विभाग के प्राधिकार पर उंगली उठा रहा है...(व्यवधान)।

सभापति महोदय : श्रीमान राय जी, यदि आपका मतलब 6 केप्टिव मन्त्री, से है तो यह कोई अच्छी अंग्रेजी नहीं होगी।

श्री ए० के० राय : उनका कार्य निष्पादन इस प्रकार का है कि उसको बहुत अच्छी अंग्रेजी में भी बयान नहीं किया जा सकता।

दूसरा मुद्दा यह है कि वे यह दावा कर रहे हैं कि अब विद्युत की कमी 16 प्रतिशत से घट कर 10 प्रतिशत अथवा 8 प्रतिशत अथवा 6 प्रतिशत तक रह गई है। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। अब एक केपटिव मंत्रालय, केपटिव विद्युत रखने की एक नई प्रवृत्ति चली है और वास्तव में यहां पर यह बात...(व्यवधान)।

सभापति महोदय : केपटिव मंत्रालय कहां है ?

श्री ए० के० राय : वे स्वयं भी केप्टिव हो सकते हैं। यह बहुत गंभीर बात है। यदि एक मन्त्रालय अन्य मंत्रालय के कार्य-निष्पादन के बारे में संदेह करता है तब वे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश उन्हें सही मान लेगा ?

इसके अतिरिक्त, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, कि इस विद्युत स्थिति के सम्बन्ध में योजना दस्तावेज में क्या बताया गया है ? विद्युत के मामले में इस देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उनके कार्यक्रम क्या हुआ ? घाटे के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ? क्या कमी है ? परि-योजनाओं को प्रारम्भ करने में चूकें हुई हैं ? तापीय विद्युती संयंत्रों के कार्य-निष्पादन की स्थिति खराब होने के कारण उन्हें प्रारम्भ करने के कार्यक्रम भी अस्तव्यस्त हो गये हैं। इस पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के पृष्ठ 233 को देखें। आप कृपया छठी योजना के प्रथम वर्ष में की गई वृद्धियों की ओर ध्यान दीजिए। यह आंकड़े 1,823 मेगावाट थे। दूसरे वर्ष लक्ष्य 4,089 मेगावाट से कम करके 3,212 मेगावाट करने के बावजूद भी यह आंकड़े 2,176 मेगावाट थे। तीसरे वर्ष के लिए फिर लक्ष्य को 4,355 मेगावाट से घटाकर 3,482 मेगावाट कर दिया गया था। लेकिन इसकी उपलब्धि निश्चय ही 3,000 मेगावाट से कम होगी। इससे अधिक कि क्षेत्रीय असंतुलन फिर भी सबसे अधिक है। लेकिन जो पहले ही कहा जा चुका है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। अप्रैल से सितम्बर तक पूर्वी क्षेत्र में यह कमी 24 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर छठी पंच-वर्षीय योजना के लक्ष्य को 60

प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकता । क्या मुझे यह बताया जा सकता है कि हम किन कारणों से इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते ? हम अपनी सभी योजनाओं के अन्तर्गत 28,000 मेगावाट स्थापित क्षमता के लिए 16,000 करोड़ रुपये व्यय करते रहे हैं और 19,000 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात भी हम 11,000 मेगावाट स्थापित क्षमता को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे । मंत्री जी को इसके तथा उत्पादिकता विस्तार के बारे में स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए ।

इसके अलावा, हमें एक मेगावाट स्थापित क्षमता के लिए एक करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है । उनकी कार्य कुशलता में निश्चय ही गिरावट आई होगी । दूसरी बात यह है कि आप हमेशा यह देखते होंगे कि मंत्री जी हमारे सामने झूठे तथा रहस्यपूर्ण आंकड़े रखकर हमें उलझन में डालते रहते हैं । उन्होंने 13० बिलियन यूनिट बताया है । कुछ लोग यह पूछना चाहेंगे कि बिलियन यूनिटों से क्या तात्पर्य है ? वह क्या है ? आपके द्वारा "बिलियन यूनिटस" कहने से स्वाभाविक ही है कि कुछ घबरा जायें । लेकिन मामला क्या है ? हम वास्तविकता को सामने क्यों न लायें ? कोयला के क्षेत्र में —निष्पादन पर ध्यान दीजिए । मैं अन्य मामलों की बातें नहीं कर रहा हूं । वे यह कहते हैं कि विद्युत की कमी के कारण उत्पादन का घाटा 2.8 मिलियन टन से बढ़कर 3.8 मिलियन टन हो गया है । उनका यह कहना है कि वे कमी के अन्तर को कम कर रहे हैं । और यह 10 प्रतिशत से घटकर 8.6 प्रतिशत हो गया है । लेकिन कोयला विभाग का यह कहना है -कि सम्पूर्ण कोयला क्षेत्र विद्युत के क्षेत्र में आता है यह पिछले दो वर्षों, 1981-82 तथा 1982-83 में विद्युत की कमी के कारण उत्पादन का घाटा 2 8 मिलियन टन से बढ़कर 3.8 मिलियन टन हो गया है । एक मिलियन टन घाटे का तात्पर्य है । 15 करोड़ रुपए की हानि और कुल मिलाकर ऊर्जा क्षेत्र में कमी के कारण कोयला विभाग को 50 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है । उनके आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ष में हड़तालों आदि के कारण देश को कुल 4.4 मिलियन टन का घाटा हुआ है लेकिन उनके ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हड़ताल करने अर्थात बिजली के फेल हो जाने के कारण देश को 3.8 मिलियन टन का घाटा हुआ है । अतः इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? जब एक विभाग दूसरे विभाग पर विश्वास नहीं कर रहा है तब हम उनके कार्य-निष्पादन पर कैसे निर्भर कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री ए० के० राय : यह कैसे संभव है ? यदि आप भी इसी प्रकार व्यवहार करेंगे तो इससे हमारे लिए बहुत कठिनाई होगी······ (व्यवधान)

16 53 hrs

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

टी. आर. डी. घाटे के बारे में क्या स्थिति है ? यह बात बहुत ही गंभीर है, इसकी ओर मन्त्रालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए । टी-आर. डी—ट्रांसमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1977-78 में भी यह घाटा 16.4 प्रतिशत था । मैं 1975 तथा 1976 की बात नहीं कर रहा हूं । इस समय टी. आर. डी. घाटा 23.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है । यही कारण है, जिसकी वजह

से आप उत्पादित की जाने वाली विद्युत की मात्रा के बारे में बताते हैं, लेकिन आप यह कभी नहीं बताते कि लोगों को इसकी कितनी मात्रा मिल रही है, क्योंकि उत्पादन में से टी. आर. डी. को घटाकर जो शेष बिजली बचती है, लोगों को उपलब्ध की जाती है। यदि इसे कार्य कुशलता में गिरावट से मिलाया जाए तो इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। मंत्री महोदय उत्पादकता वर्ष में उत्पादन करने में असफल रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में वे जो कुछ भी वृद्धि कर रहे हैं, उनकी कार्य कुशलता में गिरावट के कारण उसको गंवा रहे हैं। मैं केवल इस बात पर ही जोर देना चाहता हूं। 400-किलोवाट लाइन को न रखने अथवा ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत न देने का आपका सीधा उत्तर यह है कि टी. आर. डी. का घाटा हो रहा है। यह बात सच नहीं है। वर्ष 1977-78 में भी आपके पास यह 400 किलोवाट की लाइन नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में टी. आर. डी. घाटा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर अपने विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। आप यह जानकर आश्चर्य चकित होंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह बताया गया है··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब कभी भी बोलते हैं, मैं कभी भी आश्चर्य चकित नहीं होता।

श्री ए० के० राय : लेकिन अब आप अवश्य आश्चर्यचकित होंगे। छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह बताया गया है कि ट्रांसमीशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में ऊर्जा हानि काफी का प्रतिशत काफी अधिक है और पिछले अनेकों वर्षों से 20 प्रतिशत के लगभग रहा है। ऐल्यूमिनियम स्टील, इनसूलेटर्स आदि के उपलब्ध न होने के कारण बड़ी ट्राँसमीशन लाइनों की प्रगति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज तक आप ऐल्यूमिनियम, स्टील तथा इनसूलेटर्स की व्यवस्था नहीं कर सके हैं ताकि आपका कार्य सही तरीके से जारी रहे। मैं संयंत्र भार तत्व की बात नहीं कर रहा हूं उसको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। मैं कोयला के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कोयला काला होता है तथा कोयला विभाग का कार्य-निष्पादन भी अच्छा नहीं है और इन दोनों तथ्यों को मिलाकर पूरे देश में और इन दोनों तथ्यों के मिलने से उसका प्रभाव पूरे देश में प्रत्यक्ष हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री ए० के० राय : आप फिर सभापति जी की भाँति व्यवहार कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय : निसंदेह रूप में यह एक अप्रियकर कार्य है, लेकिन मैं क्या करूं? हमें यह कार्य करना होता है। मंत्री जी को 5 बजे उत्तर देना है।

श्री ए. के. राय : मैं मानता हूं। धनबाद निर्वाचन क्षेत्र से आने के कारण में मंत्री महोदय को कुछ बताना चाहता हूं, जो कि इधर-उधर की बातें कर रहे हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : आप इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री ए. के. राय : मैं बहुत गंभीर हूं । मैं केवल आपको भी इसके प्रति गंभीर बनाना चाहता हूं ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आप गंभीर नहीं हैं, आप इसका उपहास कर रहे हैं ।

श्री ए० के० राय : यह आपके लिए उपहास की बात हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं । कोयला विभाग को कुछ कार्य करने होते हैं संरक्षण, उत्पादन, हितकारी कार्य, माल भेजना तथा सुरक्षा करना । संरक्षण के नाम पर उन्होंने अन्धाधुन्ध खननकारी की है । यदि विशेषज्ञों का एक दल वहां पर भेजा जाये तो मैं चुनौती के साथ वह स्थान दिखा सकता हूं, जहां पर अन्धाधुन्ध खननकारी हुई है । उत्पादन के मामले में छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 168 मिलियन टन था और अब वे इसको 130 मिलियन टन पर ही समाप्त करेंगे और यह असंभव है कि अगले दो वर्षों में 130 मिलियन टन से 168 मिलियन टन उत्पादन कर लिया जायेगा । अतः वे कोयले उत्पादन में भी असफल रहे हैं, जबकि असफल रहने का कोई कारण नहीं था । कार्य-कुशलता के सम्बन्ध में भी वे असफल रहे हैं । आप जानते हैं कि एक वाक्यांश 'ओएमएस' आऊटटर्न पर मेनसिप है । दस्तावेजों में उन्होंने बताया है कि यह 0.68 से बढ़कर 0.75 हो गया है, लेकिन वास्तव में क्या हुआ है ? भूमिगत खानों के बारे में मैं आपको बता सकता हूं मैं आपको यह दिखा सकता हूं कि यह एक वर्ष में 0.61 से घटकर 0.55 हो गया है अर्थात कार्य-कुशलता में 10 प्रतिशत की कमी आई है ऐसा निःसंदेह रूप से कोयला खानों में हुआ है ।

मैं जानना चाहता हूं कि वह इस बात के कारण बताये कि इस उत्पादकता वर्ष में, कोयला खानों के उत्पादन की क्षमता म कमी क्यों आई ।

अब मैं कोयला साफ करने के बारे में कहना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हुई थी । मैं जानता हूं कि भारतीय कोयला एक कठोर कोयला है और उसे आसानी से साफ कर पाना मुश्किल है । विदेशों में, कोयले में राख परतदार होती है, इसलिए वे आसानी से धुल जाती है । लेकिन भारतीय कोयले में, राख बिखरी हुई है, इसलिए धोने में मुश्किल होती है । लेकिन इसे साफ करना असंभव नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि वह इस मामले में क्या कर रहे हैं । अगर कोयले को अच्छी प्रकार से धोकर साफ भी किया जाए, तब भी इसका लागत मूल्य 300 रु० प्रति टन से अधिक नहीं बैठता । लेकिन अब वे 750 रु० प्रति टन की दर से विदेशों से कोयला आयात कर रहे हैं । इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह आपके लिए एक चुनौती है । मै ईंधन शिल्प-वैज्ञानिकों की ओर से आपको बताना चाहता हूं कि इसका समाधान असम्भव नहीं है, हालांकि यह मुश्किल हो सकता है । इसलिए इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं । जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वो वस्तु जो चमकती है सोना नहीं होती । इसी प्रकार हर काली वस्तु, कोयला नहीं होती । मैं एक समाचार

से कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं, मुझे आशा है आपने भी उसे देखा होगा। उस समाचार रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में, 1983 में, बदरपुर तापीय संयंत्र ने बी सी सी एल को अदा की जाने वाली रकम से 80% राशि काट ली, क्योंकि उन्होंने कोयले के स्थान पर पत्थर सप्लाई किया था; और इस पर जांच चल रही है। क्या आपको इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है कि एक इस्पात सयंत्र के प्रबन्धक ने शिकायत की है कि किसी भी काली वस्तु को कोयला बताया जा रहा है और यहां तक कि 20 से 30 किलोग्राम वजन के गोल पत्थरों को भी कोयला मान लिया जाता है ?

मशीनीकरण के मामले में, सरकार ओपेन कास्ट माइनिंग को अपना रही है। जिससे सभी आदमियों की छुट्टी हो रही है। मशीनीकरण के अन्धे जोश में उन्होंने सभी महिला मजदूरों, जनजातीय मजदूरों और सभी गरीब मजदूरों की, जो माल ढोने का काम करते थे, कि छुट्टी कर दी है। मै यंत्रीकरण या मशीनों के उपयोग के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन आपको मशीन का उपयोग खास-खास जगहों पर करना चाहिए आपको इनका उपयोग उत्पादन के लिए करना चाहिए न कि लोगों को बेरोजगार करने के लिए। माल ढोने के लिए मशीनों का उपयोग न करें। चाहे आप मशीनों द्वारा या मानवों द्वारा कोयला ढोते हैं तो इसमें कोयले की मात्रा वही रहती है, इसमें कोई बृद्धि नहीं होती है। इसलिये आपको मशीनों का सोच समझकर और चुनीदां जगहों पर ही इस्तेमाल करना चाहिए।

अब मैं सुरक्षा के प्रश्न पर आता हूं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में पिछला रिकार्ड देखा है। कोयला खानों में दुर्घटनाओं की वजह से 1981 की तुलना में 1982 में अधिक व्यक्ति मरे हैं। आपने ओपेन कास्ट खानों में वृद्धि की है. जहां कि दुर्घटनाओं के होने की सम्भावनाएं कम हैं, फिर भी तथ्य यह है कि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है ?

मैंने यह देखा है कि सुरक्षा बोर्ड की पिछली बैठक में आपने मजदूर संघों का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं किया। जब टोपा खानों में दुर्घटना हुई थी तो मैंने उस जगह का दौरा किया था और कई एक मजदूरों से मिला था। मात्र तकनीकी से आप दुर्घटनाओं से बचने में सफल नहीं हो सकते। मगर आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं, तो आपको उनमें कर्त्तव्य की भावना, मन से कार्य करने की इच्छा और नैतिक जिम्मेवारी पैदा करनी होगी। जब दुर्घटना में 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तो मैंने उस जगह का दौरा किया था। मुझे बताया गया कि खान-सरदार ने गलत निर्णय लेकर, एक गलत जगह से खुदाई करवायी, जिसके परिणामस्वरूप इन लोगों की मृत्यु हुई। उस समय प्रबन्धक और सहायक—प्रबन्धक कहां थे ? उस समय वे खान में मौजूद क्यों नहीं थे, जिसके फलस्वरूप सरदार को यह निर्णय लेना पड़ा ? क्या आप यह नहीं आदेश दे सकते कि पर्यवेक्षी कर्मचारी भी. अन्य कर्मचारियों के साथ 8 घंटे नौकरी पर रहें, जिससे कि गरीब खान मजदूर दुर्घटनाओं में न मरें ? खानों में सभी प्रकार की दुर्घटनायें इसीलिए होती हैं, क्योंकि पर्यवेक्षी कर्मचारी, समय के अनुसार वेतन

पाने वाले, और अधिकारी खानों के अन्दर नहीं जाते हैं । खानों को गरीब खान-मजदूरों, बोझा उठाने वाले और कार्य के हिसाब से वेतन पाने वाले मजदूरों की दया पर छोड़ दिया जाता है । क्या आप यह आदेश नहीं दे सकते कि सारे पर्यवेक्षी कर्मचारी, प्रबन्धक और अन्य कर्मचारियों को भी खानों के अन्दर अवश्य मौजूद रहना चाहिए ? मगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपका मानवीय पक्ष कार्य नहीं करता, तो किसी भी मशीन से खानों में सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि···।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह आखिरी से एक पहला है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि, कोयला खानों से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है ।

श्री ए० के० राय : श्रीमन, पिछले दो सप्ताह में हमने देखा कि धनबाद में अवैध खानों में कितने ही लोगों की मृत्यु हुई क्योंकि वहां भी इसी प्रकार के गैर-कानूनी कार्य हो रहे हैं। आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं । नहीं तो मैं और विस्तार से बताता । मैं ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है और इसे अध्यक्ष महोदय ने अवश्य स्वीकार कर लिया होगा । मैं नहीं समझता कि वे उस पर क्या विचार कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, मैं चाहता था कि आप कल इस विषय पर चर्चा शुरू करते । आपका कहना है कि मैं आपको और समय नहीं देता । लेकिन मैं चाहता था कि आप कल चर्चा शुरू करते ।

श्री ए० के० राय : क्या यह सच है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री ए० के० राय : मैं नहीं जानता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते थे । आपने तैयारी नहीं की थी ।

श्री नारायण चोबे : अब, उन्हें और समय दें ।

श्री ए० के० राय : बहस शुरू करना और खत्म करना, एक ही बात है, दुनिया गोल है ।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि आपने खानों, परिवहन, रेल के लिए ठेके और अन्य अवैध ठेके किए। इससे वे आपका सारा खून, आपका सारा धन और सारे कोयला खानों का धन चूस रहे हैं और वे वहां माफिया ग्रुप को सहायता और प्रश्रय दे रहे हैं।

महोदय, दो आयोग बैठाए गए और उन्होंने इन घटनाओं की जांच शुरू की। एक आयोग श्री राजगोपाल जो 1978-79 में पुलिस विभाग में अधिकारी थे की अध्यक्षता में बनाया गया था। उन्होंने इस बात की जांच की कि माफिया कैसे आरम्भ हुआ, कैसे उसे प्रश्रय दिया गया और कैसे काम करता है। औरमाफिय उन्होंने इस बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की। लेकिन आपने उस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया। और अब कुमारामंगलम रिपोर्ट आई है। आपने उसे भी प्रकाशित नहीं किया है। श्रीमन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रशासनिक तरीकों से माफिया की कार्यवाहियों को खत्म नहीं कर सकते। आपको इस से राजनैतिक और सामाजिक तरीकों से निपटाना होगा। सारी रिपोर्टों को प्रकाशित करना होगा ताकि लोगों को पता चल सके कि यह अवैध खानों का कार्य क्या है, और माफिया की कार्यवाहियां क्या हैं और उस लेखा-परीक्षक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु कैसे हुई और सारी बातें सामने आनी चाहिए। पहले के सारे आयोगों की रिपोर्टें प्रकाशित की जानी चाहिए। और अगर आप कोयला क्षेत्रों को सही, साफ रखना चाहते हैं तो आपको इन माफिया और गैर सामाजिक तत्वों से सामाजिक, राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर निपटाना होगा।

***श्री सी० चिन्नास्वामी** (गोबिचेट्टिपलयम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले के वक्ता, श्री मायातेवर ने तमिलनाडु सरकार की राज्य में बिजली के उत्पादन सम्बन्धी समस्या से सही ढंग से न निपटने के लिए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने इस महत्वपूर्ण समस्या को सही ढंग से नहीं सुलझाया और राज्य सरकार की इस लापरवाही के लिए उसकी निन्दा की। उन्होने कहा कि राज्य सरकार सोई हुई है। कोई भी समस्या हो, श्री मायातेवर के अनुसार तमिलनाडु सरकार ही दोषी है। वे ऐसा कहने के आदी हैं। तमिल में एक कहावत है कि जिसकी आंखों को पीलिया हो, उसे हर वस्तु पीली ही नजर आती है।

श्री के० मायातेवर : मैंने तमिलनाडु सरकार पर जो भी आरोप लगाये हैं, उन्हें नौवहन मंत्रालय द्वारा प्रमाणित दस्तावेज सबूतों द्वारा सिद्ध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण जारी रखे हुए हैं वे मान नहीं रहे हैं।

श्री के. मायातेवर : केन्द्रीय सरकार का रिकार्ड मौजूद हैं। मंत्री ने राज्य सरकार के जहाजों के खरीदन के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं। जवाब में वह भी कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। मंत्री महोदय इनका उत्तर देने में सक्षम हैं। आखिरकार वह उत्तर देंगे।

---

*तामिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री सी० चिन्नास्वामी : महोदय, उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु सरकार सो रही है। बात बिल्कुल इसके विपरीत है। तमिलनाडू सरकार के पास सोने के लिए समय बिल्कुल नहीं है। मैं एक सर्वस्वीकृत वास्तविकता का संदर्भ देकर कि 1977-82 की अवधि के दौरान जिस अवधि में हमारी पुरारर्ची थालैयवार की सरकार सत्ता में है, 402 करोड रुपए की राशी ऊर्जा उत्पादन पर खर्च की जा चुकी है, यह साबित कर दूंगा कि तमिलनाडु सरकार प्रभावपूर्ण ढंग से तथा कुशलता से कार्य कर रही है। पिछले वर्ष जब दो बार मानसून वर्षा के न आने से प्राकृतिक प्रकोप हो गया था ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी। यदि तमिलनाडू की भूतपूर्व डी०एम० के, सरकार ने ऊर्जा उत्पदान में इतनी ही रुचि ली होती तो राज्य के सामने ऊर्जा की कमी की ऐसी कठिन स्थिति पैदा नहीं होती। 1969-1977 की अवधि के दौरान जब डी. एम. के. सरकार सत्ता में थी तो केवल 72 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि ही इस क्षेत्र से निवेश की गयी थी और वह भी ट्रांसमिशन लाईन बनाने के लिए। फिर भी उस समय तमिलनाडु में 100% बिजली की कटौती थी।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : यह झूठ है। जब तमिलनाडू में डी. एम. के. सरकार थी तो वहां पर बिजली की कोई कटौती नहीं होती थी।

मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं।

श्री सी. चिन्नास्वामी : 1972 से 100% बिजली कटौती थी। यह झूठ नहीं है। मैं भी अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है आप दोनों तमिलनाडु विधान सभा में नहीं हो। वे दोनों ही यह सोच रहे हैं। कि वे तमिलनाडु विधान सभा में हैं। आप दोनों संसद में हो।

श्री सी. चिन्नास्वामी : जो कुछ मैंने कहा है उससे यह स्पष्ट है कि तमिलनाडू की आल इन्डिया अन्ना डी.एम.के. सरकार राज्य में ऊर्जा संकट को सुलझाने के लिए सशक्त कदम उठा रही है। मेरे माननीय मित्र श्री मायातेवर ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जहाजों के खरीदने में हुए कदाचार का उल्लेख किया है। जब जहाज बिल्कुल ही खरीदे ही नहीं गये तो इसमें कदाचार कैसे घुस सकता है ? तमिलनाडु सरकार केन्द्र सरकार से अपील करती रही है कि राज्य सरकार को जहाज खरीदने की अनुमति दी जाये ताकि हल्दिया पत्तन से कोयला लाया जा सके।

श्री के. मायातेवर : महोदय इस कुत्सित सौदे में 36 करोड़ रुपये की धनराशि हड़पने का प्रयास किया गया था। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वह सभा को तथा सरकार को गुमराह कर रहे हैं वह मंत्री को भी गुमराह कह रहे हैं। उनको वास्तविकता की जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप उन्हें बोलने दीजिए। क्या जब आप बोल रहे थे तो क्या वे बीच में बोले थे ?

श्री के. मायतेवर : वे उपस्थित ही नहीं थे।

श्री सी. चिन्नास्वामी : महोदय, जब वे बोले थे तो हम सभा में उपस्थित थे परन्तु हम उनके बीच में नहीं बोले थे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला था। अतः आपको भी उनके भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। उत्तर मंत्री को देना है।

श्री सी. चिन्नास्वामी : मानसूनी वर्षा के न आने से पन बिजली केन्द्रों के जलाशयों में बिजली उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। तापीय ऊर्जा केन्द्रों के लिए आवश्यक मात्रा में कोयला समय पर उपलब्ध नहीं होता। कोयला सिंगरौली कोयला खानों से आबंटित किया जाता है परन्तु वहां से कोयले को तमिलनाडु में ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं होते। बिहार के कोयला क्षेत्रों से हल्दिया पत्तन से, जहां पर भंडार गृह नहीं हैं, कोयला लाने के लिए जहाज उपलब्ध नहीं हैं जिसके परिणाम स्वरूप तूताकोरिन सुपर तापीय ऊर्जा गृह के बिजली उत्पादन कार्य में रुकावट आती है। कोयले की इस अनियमित पूर्ति के बीच केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार द्वारा जहाज खरीदने के प्रयत्न में सभी सम्भव अड़चने डाल रही है। बिजली की निश्चित पूर्ति के अभाव में, राज्य में स्वतः ही उद्योग लगभग बन्द हो गये हैं। औद्योगिक विकास के मामले में तमिलनाडु चौथे स्थान से 8 वे स्थान तक पहुंच गया है। इससे तमिल नाडु के लोगों की इस भावना को विश्वास मिल गया है कि उत्तर उन्नति पर है और दक्षिण अवनति पर। इससे इन्सान बाध्य होकर यह भी निष्कर्ष निकालता है कि शायद तमिलनाडु के लोग भारत के लोग नहीं है। मुझे यह इसलिए कहना पड़ा है कि राज्य में अधिकांश क्षेत्रों में व्याप्त सूखे की वजह से जिससे सभी कृषि सम्बन्धी प्रयत्न समाप्त हो गये हैं और बिजली की कमी की वजह से सभी उद्योग बन्द हो गए हैं राज्य में बेरोजगारी की खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है तथा पेयजल की कमी के परिणाम स्वरूप लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मैं ऊर्जा मन्त्री से तमिल नाडु के 5 करोड़ लोगों की रक्षा करने के लिए निवेदन करता हूं। सितम्बर 1982 में गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधन विभाग का गठन किया गया था और उसे बायो-गैस के विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य के लिए 112 सघन बायो-गैस विकास जिले निर्धारित किए गए हैं। तमिलनाडु में ऐसे 8 जिले हैं।

महोदय, कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय में एक नया बायोगैस विभाग शुरू किया गया है जिसने अब तक कुछ उच्च श्रेणी का कार्य किया है। मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय को और अधिक धन आबंटित किया जाये ताकि इस विभाग

के इन प्रयत्नों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके । केन्द्र सरकार बायोगैस संयंत्र के लिए पूंजी निवेश की 33.3% राज सहायता दे रहा है । मैं सुझाव देता हूं कि इस राज सहायता को 50% तक बढ़ाया जाये ।

अगस्त 1982 में, दिल्ली में राज्य ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसमें राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड तथा ऊर्जा शुल्क का चौक्तिकरण किये जाने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि इन निर्णयों को कार्यान्वित कब किया जायेगा ।

15-41982 से 19-9-1982 तक ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से 19 अधिकारी विभिन्न ऊर्जा सेमिनारों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश गये थे । मैं नहीं जानता कि ऐसे विदेशी दौरों के लिए राज्यों से एक भी अधिकारी क्यों नहीं चुना गया था क्या वे सभी ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से ही होने चाहिए थे । 19 सितम्बर को केन्द्र के दो अधिकारी फ्रांस, इंग्लैंड तथा नीदरलैंड में ज्वार की लहरों से बिजली उत्पादन के विषय का अध्ययन करने के लिए गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी रिपोर्टों में क्या सिफारिशें की हैं तथा उन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा । यह वास्तव में आश्चर्य जनक है कि केन्द्र ने ज्वारीय लहरों से बिजली उत्पादन करने के सम्बन्ध में तमिलनाडू सरकार की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया था केन्द्र ने तमिलनाडू सरकार को इस परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी ।

30-9-1982 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडू सरकार ने राज्य में 9,56,740 पम्पिग सैटों को ऊर्जा प्रदान की है । यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पर केवल 52% गांवों का ही विद्युती करण किया गया है·······।

श्री के० मायातेवर : महोदय राज्य में यह कांग्रेस सरकार तथा डी०एम० के० सरकार द्वारा किया गया था इस सरकार द्वारा नहीं । उस समय 7.5 लाख पम्पिग सैटों को ऊर्जा प्रदान की गई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, यह सब तमिल नाडू सरकार ने ही किया है ।

श्री सी. चिन्नास्वामी : उस समय श्री मायातेवर ए०आई०ए०डी०एम०के० में थे ।

श्री के० मायातेवर : यह बेकार सरकार है इसीलिए मैंने उस दल को छोड़ दिया था ।

श्री सी. चिन्नास्वामी : ए०आई०ए०डी०एम०के० सरकार ने तमिलनाडू में 99% गांवों का विद्युती करण किया है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ए०आई०डी०एम०के० सरकार राज्य के जनसाधारण के कल्याण के प्रति बचन बद्ध है । मुझे यह कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार का तमिलनाडू की जनता के प्रति जो सौतेला व्यवहार है वह इसलिए है कि उन्होंने तमिलनाडू में एक ओर कांग्रेस (इ) सरकार को चुना है ।

जनवरी 1973 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऊर्जा गृहों तथा सीमेंट कारखानों को आबंटित किया गया कोयला गन्तव्य तक पहुंच सके एक स्थायी संयोजन समिति का गठन किया गया था जून 1979 में कोयले के आबंटन तथा गन्तव्य स्थानों पर पहुंचाने के मामले पर अधिक ध्यान देने के लिए एक दक्षिणी क्षेत्रीय संयोजन समिति का गठन किया गया था।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्र सरकार गलत तरीके से व्यवहार कर रही है। उन्होंने सभा को बतलाया है कि तमिलनाडू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में हमारी प्रिय प्रधान मंत्री ने तमिलनाडू का दौरा किया और सूखे से राहत कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनका अपना निजी मत है।

श्री राम प्यारे पानिका : हम उससे सहमत नहीं हैं।

श्री के० मायातेवर : महोदय, उनके मुख्य मंत्री सो रहे हैं। उन्होंने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। वह कावेरी जल सम्मेलन में भी भाग नहीं ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तेवर, कृपया बैठ जाइये कोई पीठासीन भी है।

श्री सी० चिन्नास्वामी : महोदय, पांच कोयला कम्पनियों ने 99 नई कोयला खदान परियोजनायें शुरू की हैं जिनमें 2339 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। जिनमें से केवल एक पूरी हुई है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि उनमें से 46 को निर्धारित समय में पूरा कर लिया जायेगा। परंतु दूसरी 52 परियोजनाओं के मामले में बहुत अधिक बिलम्ब हो जायेगा जिसका तात्पर्य है कि लागत में भी काफी वृद्धि होगी। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि तमिलनाडू राज्य में कोल इंडिया का केवल एक ही कोयला वाड़ा है जबकि पश्चिम बंगाल में ऐसे 32 बाड़े हैं। कोल इंडिया देश भर में 75 कोयला भंडार बनाने के लिए विचार कर रहा है जिनमें से मैं मांग करता हूं कि कम से कम 5 तमिलनाडू राज्य में स्थापित किये जाने चाहिए।

महोदय, तमिलनाडु के बेसिन, ब्रिडा तापीय ऊर्जा गृह तथा इन्नौर तापीय गृह के टरबाइन जैनरेटरों में गंभीर खराबी है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पादन में भारी कमी आ गई है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से उन्हें पुनः चालू करने के लिए अधिक धन आबंटित करने का निवेदन करता हूं। भाषण समाप्त करने से पहले मैं उनसे यह भी अपील करता हूं कि उन्हें तमिलनाडू सरकार को तूतीकोरिन उच्च तापीय ऊर्जा गृह के लिए आस्ट्रेलिया से गैस टरबाईन तथा 5 लाख टन विशेष कोयले का आयात करने की अनुमति देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यबाद करना चाहता हूं जिन्होंने बडी संख्या में ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुए वाद-विवाद में भाग लिया है । इस सदन के 28 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया । उन्होंने वाद-विवाद में काफी सहयोगदान किया है । उनमें से कुछ ने इसकी प्रशंसा की है । कुछ माननीय सदस्यों ने मंत्रालय के कार्यकरण की बहुत ही तीखी आलोचना की है । जहां तक आलोचना का संबंध है, इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से मामलों में यह आलोचना अत्यधिक अनुचित है, मैं इसे उचित मानता हूं । परंतु मैं इस बात के बावजूद कि उन्होंने भारी आलोचना की है मैं यह मानता हूं कि वे मंत्रालय द्वारा देश में बिजली के उत्पादन को वढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कठोर प्रयासों के बावजूद मंत्रालय में विद्यमान कुछ कमियों के बारे में बताना चाहते थे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि बिजली देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार है । आरंभ से ही यह देखने के लिए प्रयास किए गए थे कि देश में बिजली का उचित उत्पादन हो । एक माननीय सदस्य कुछ आकड़े उद्धृत करके संतुष्ट थे । 1951-56 में, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, हमने 1100 मेगावाट क्षमता प्राप्त कर ली थी और क्रमशः हम समय समय पर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाते रहे तथा उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि की गई थी । यह सब देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मांग को पूरा करने के लिए किया गया है ।

मैंने देखा है कि वाद-विवाद में बिजली के क्षेत्र में, कोयले के क्षेत्र में अत्याधिक और पैट्रोलियम तथा कुछ गैर-पारंपरिक ऊर्जा के बारे में आंशिक रूप से आलोचना की गई है । सर्वप्रथम मैं विद्युत क्षेत्र के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं जिसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मामलों का विस्तार से उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं अधीक से अधीक मामलों का उत्तर देने का यथा संभवप्रयत्न करूंगा और मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाएगए कुछ महत्पूर्ण मुद्दों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा ।

वर्ष 1982-83 में बिजली के क्षेत्र में कार्य निष्पादन कुल मिला कर बहुत संतोषजनक रहा है तथा बिजली उत्पादन तथा नई परियोजनाओं को आरंभ करने की स्थिति उत्साहवर्धक रही । इसमें कोई संदेह नहीं कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत सा कार्य और सुधार किया जाना है । 1982-83 के दौरान इस क्षेत्र के प्राप्त हुए परिणाम से यह विश्वास होता है कि भविष्य में हम नए रिकार्ड स्थापित कर सकते हैं । 1982-83 के दौरान बिजली का कुल उत्पादन 131.5 बिलियन यूनिट हुआ जो पिछले वर्ष के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक है ।

तापीय और पन-बिजली का उत्पादन 132 बिलियन यूनिट के निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है । जहां तक परमाणु विद्युत के उत्पादन का संबंध है उसमें हम पीछे हैं । इसी कारण

हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। व्यापक रूप से सूखा पड़ने जिससे पन बिजली उत्पादन पर प्रभाव पड़ा था और जिस कारण तापीय कार्य निष्पादन में सुधार हुआ था, के बावजूद यह लक्ष्य प्राप्त किया गया। उस लक्ष्य की तुलना में कुल उत्पादन 99.6% रहा। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी बहुत कमी परमाणु विद्युत के उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न करने के कारण हुई थी जिसका विभिन्न कारणों से हमने अनुमान लगाया था। 1983-84 के दौरान 1982-83 की तुलना में उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उत्पादन का लक्ष्य 146 बिलियन यूनिट होगा। तापीय विद्युत उत्पादन से इसमें वृद्धि का अनुमान किया जा रहा है। आगामी वर्ष में तापीय इकाइयों के संयंत्र भार घटक में 50% तक वृद्धि होगी जबकि ऊर्जा के संबंध में बिजली की कुल कमी 6% तक होगी।

1982-83 के दौरान तापीय विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष की उपेक्षा 15.5% अधिक था। संयंत्र भार घटक 1981-82 में 46.8% से बढ़कर 49 8% हो गया। मार्च, 1983 में यह 55.5% था। पूरे वर्ष में कुछ तापीय संयंत्रों जैसे विजयवाड़ा, पार्ली, धुवरन, ट्राम्बे, और नेवेली केन्द्रों में संयंत्र भार में 70% से अधिक वृद्धि की जा सकी।

चूंकि मैं बिजली उत्पादन के प्रश्न के संबंध में बोल रहा हूं। मैं अतिरिक्त नई उत्पादन क्षमता का उल्लेख करना चाहूंगा। 1980-81 की तुलना में जबकि 1,823 मेगावाट विद्युत क्षमता पैदा की गई थी, 1981-82 में अतिरिक्त विद्युत क्षमता 2,175 मेगावाट थी और 1982-83 में 3482 मेगावाट के लक्ष्य के मुकाबले में केवल 3,060 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा की गई। वास्तविक कार्य निष्पादन 88.6% है, जो कि अब तक सबसे अच्छा है।

एक माननीय सदस्य इस समय मैं स्वयं कहता, ने माना कि छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 19666 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें संशोधन करके अब इसे 14000 मेगावाट कर दिया गया है और जबकि उत्पादन क्षमता 10,000 मेगावाट भी प्राप्त होने की संभावना नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इन तीन वर्षों के अंत तक इसकी क्षमता 70,00 मेगावाट तक हुई है। लेकिन मुझे आशा है कि 1983-84 में स्वत: हम 10000 मेगावाट से अधिक क्षमता प्राप्त कर लेंगे।

फिर भी मुझे विश्वास है कि हम 14,000 मेगावाट का संशोधित लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। मुझे इसमें संदेह है तथापि समय पर संसाधन तथा उपकरण सप्लाई किए जाने से हम 14,000 मेगावाट के इस लक्ष्य को पार कर सकेंगे। लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास है कि हम 14,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि जो विभिन्न सुपर-थर्मल बिजली घर आदि खोले गए थे, उनमें कम उत्पादन नहीं हुआ था तथा वहां 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया। राज्य क्षेत्र में परियोजना प्रबंध म अभी भी काफी सुधार किये जाने की गुंजाइस है तथा तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के तैयार होने की अवधि में जो कटौती होती थी। वह कम हो गई है। जैसाकि मैंने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों

के दौरान हमने 7,000 मेगावाट क्षमता से भी अधिक उत्पादन किया है और वर्तमान स्थिति भविष्य में कार्य निष्पादन के लिए पर्याप्त रूप से उत्साहवर्धक है थर्मल-स्टेशनों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से उर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विभिन्न उपाय किये गए हैं मुझे इस समय उस पर विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं है। वह अनावश्यक होगा। क्योंकि इसमें बहुत सा समय व्यर्थ हो सकता है। लेकिन भिन्न भिन्न राज्यों के सदस्यों ने अपने राज्यों की समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। मैं उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने तीन राज्यों राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल..........का उल्लेख किया है। बताना चाहता हूं।

श्री नीरेन घोष (दम दम) : उड़ीसा राज्य भी क्यों नहीं ?

श्री पी० शिव शंकर : इसमें और अधिक समय लगेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से इस ओर ध्यान केन्द्रित किया है है और इसकी अत्याधिक आलोचना की गई है; मैं समझता हूं मुझे इन राज्यों के संबंध में कुछ मुद्दों का जवाब देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : रायल्टी के संबंध में क्या विचार है।

श्री पी० शिव शंकर : रायल्टी का मामला भिन्न है। इस समय मैं बिजली के संबंध में जवाब दे रहा हूं।

राजस्थान में बिजली की अत्यधिक कमी के सम्बन्ध में, उस राज्य को पड़ोसी विद्युत गृहों से अधिकतम सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रतिदिन करीब 1 करोड़ 70 लाख यूनिट की दैनिक आवश्यकता के मुकाबले में इस समय करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख यूनिट उपलब्ध कराई जा रही है। यह कहना ठीक नहीं होगा, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान को भाखड़ा-ब्यास प्रणाली और केन्द्रीय सिंगरौली बिजली घर से उसका बिजली का उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। वास्तव में राजस्थान ने भाखड़ा ब्यास प्रणाली और साथ साथ सिंगरौली बिजली घर से अपने हिस्से से अधिक बिजली ली है। राजस्थान को बदरपुर थर्मल बिजली घर से भी पर्याप्त सहायता दी गई है। यह सच है, कि फिर भी राज्य को खेती के व्यस्ततम काल के दौरान, बिशेषकर उद्योगों में, बिजली की भारी कटौती का सामना करना पड़ा। हमने राज्य के विद्युत बोर्डों को निदेश दिए हैं कि जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है-सामान्यतः सभी राज्यों को, जहां बिजली की कमी थी, ये निदेश दिए गए थे, कि वे उन्हें कृषि क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 10 घंटे बिजली प्रदान करनी चाहिए। जहां तक राजस्थान का संबंध है, हमें यह सूचना मिली है कि वहां कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन औसतन 5-6 घंटे बिजली दी गई और मुझे स्पष्ट सूचना मिली है कि मार्च में प्रतिदिन 6 से 7 घंटे बिजली प्रदान की गई। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : 24 घंटे में 6-7 घंटे।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक राजस्थान की क्षमता का संबंध है, राज्य में 146 मेगावाट थर्मल की क्षमता है, भाखड़ा-ब्यास प्रणाली में उनका पन बिजली का हिस्सा 526 मेगावाट है; चंबल में उनका हिस्सा 193 मेगावाट है; सतपुड़ा स्टेशन, मध्य प्रदेश में उनका हिस्सा 125 मेगावाट है। कुल मिलाकर उन्हें 990 मेगावाट प्राप्त होती है। केन्द्रीय क्षेत्र में, परमाणु बिजली घरों में क्षमता 440 मेगावाट है; सिंगरौली बिजली घर की दो इकाइयों में इसका हिस्सा 57 प्रतिशत है; और यह कुल मिलाकर 1489 मेगावाट है। जैसा कि मैंने कहा इस समय बिजली की दैनिक आवश्यकता 1 करोड़ 70 लाख यूनिट है जिसमें से 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख यूनिट बिजली विभिन्न स्रोतों से दी जा रही है। जहां तक इस राज्य का सबंध है यहां केवल 25 प्रतिशत की कमी है। इस समय यह स्थिति है। मैं कहूंगा कि उन्हें केन्द्रीय क्षेत्र से काफी सहयोग दिया जा रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में यह ठीक ठीक नहीं बता सकता कि इसमें से यह कितना है। मैंने सोचा है कि मैं राज्य के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दूं।

तमिलनाडु के बारे में भी काफी आलोचना सुनने को मिली है। मैं इस समय दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि कोटा थर्मल संयन्त्र अभी चालू नहीं किया गया है। उनकी सूचना सही नहीं है। इसे चालू कर दिया गया है। मैं यह बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। यद्यपि उन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने स्वयं देखा है। किंतु जांच तथा पुनः जांच करने पर मैंने यह पाया है कि माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है…।

उपाध्यक्ष महोदय । हो सकता है कि श्री व्यास को निमन्त्रण न मिला हो।

श्री वृद्धि चंद्र जैन (बाड़मेर) : हो सकता है उसे चालू कर दिया गया हो किन्तु वह कार्य न कर रहा हो।

श्री पी. शिव शंकर : इसे चालू कर दिया गया है और यह 30 से 40 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। हमें यह सूचना आज सवेरे ही प्राप्त हुई है…।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप तथ्यों का सत्यापन कर लें।

श्री बनवारी लाल वेरवा (टोंक) : अभी वह चेकिंग में चल रहा है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है।

श्री पी. शिवशंकर : यह आज सुबह 11 बजे की इन्फर्मेशन है। यह मैंने जानबूझकर इन्फर्मेशन ली है कि वहां पर यह कमीशन्ड हुआ है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चालू हो चुका है । मन्त्री महोदय यही कह रहे हैं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : किन्तु वे कहते हैं कि यह कार्य नहीं कर रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, किन्तु मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि इसे चालू कर दिया गया है ।

श्री पी. शिव शंकर : यह अब माननीय सदस्य पर है कि वे इस बात पर विश्वास करें अथवा न करें । मैं यह बात उन पर छोड़ता हूं । यदि वे इस बात पर जोर देते है कि इसे चालू नहीं किया गया तो मैं यह उन पर ही छोड़ता हूं । मैंने वह सूचना दे दी है जिसे मैंने सत्यापित कर लिया था । इस बात के होते हुए भी यदि वे सोचते हैं कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो मैं बिल्कुल उनके हाथों में हूं । मैं यह नहीं भूल सकता ।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का एक एकक पुनः संचालित हो गया है और दूसरा इसी वर्ष के दौरान चालू हो जाएगा ।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, यह राज्य भी निरन्तर मानसून के न आने के कारण कम पन बिजली के उत्पादन के कारण बिजली की जबरदस्त कमी का सामना कर रहा है । राज्य की स्थापित क्षमता 3200 मेगावाट है जिसमें से 1800 मेगावाट थर्मल तथा 1400 मेगावाट पन बिजली की क्षमता है । उत्तरोत्तर मानसून की असफलता के कारण पन बिजली क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है और आज भी इसकी उत्पादन क्षमता कठिनाई से 105 मेगावाट ही है । अन्यथा यह राज्य तो बिजली के सम्बन्ध में एक अधिशेष राज्य हुआ करता था । दिसम्बर, 1982 की स्थिति की तुलना में जनवरी, 1983 में स्थिति में सुधार हुआ है ।

केन्द्रीय क्षेत्र में नेवेली बिजली घर का लगातार अच्छा कार्य निष्पादन रहा है और इसने 1982-82 में 73 प्रतिशत संयन्त्र भार प्राप्त कर लिया है और राज्य को इससे बहुत सहायता मिली है । उत्पादन को अधिकतम करने की दृष्टि से, ब्रिकेट उत्पादन में सामान्यतया प्रयुक्त होने वाली मात्रा सहित समूचा लिग्नाइट उत्पादन बिजली के उत्पादन के लिए दिया जा रहा है ।

तूतीकोरिन बिजली घर, जिसके तीनों एकक अब चल रहे हैं, को कोयला सप्लाई में वृद्धि करने के विशेष उपाय भी किये गए हैं । किन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने तूतीकोरिन को कोयला सप्लाई की कमी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कुछ समय से हमने विशेष उपाय किए हैं और अब तूतीकोरिन में कोयले के पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, यह हल्दिया से सप्लाई किया गया था । अतः तूतीकोरिन बिजली घर के बारे में मुझे कोई कठिनाई नजर नहीं आती है । तथा केन्द्रीय क्षेत्र में नेवेली बिजली घर का निष्पादन बहुत बढ़िया है । महोदय, राज्य की प्रतिदिन की बिजली

की मांग 360 लाख यूनिट है और आज तक सप्लाई की स्थिति 270 लाख यूनिट है फिर भी राजस्थान राज्य की तरह यहां भी 25% बिजली की कमी है।

अब मैं अपने अच्छे मित्र, श्री सोमनाथ चटर्जी की आलोचना का उत्तर देता हूं। उन्होंने मेरे मन्त्रालय के कार्यकरण की अत्यन्त कड़ी आलोचना की है। यद्यपि मैं कुछ स्वभात्मक आलोचना की प्रशंसा करता हूं किन्तु मुझे अफसोस है कि उन्होंने इतना अधिक पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया है कि वह थोड़ी देर के लिए अपनी न्यायप्रियता की भावना को ही भुला बैठे हैं। मैं ऐसा इसलिए कहने का दुःसाहस कर रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें अधिवक्ता के रूप में भली भांति जानता हूं।

जब वह विलक्षण प्रकार के आंकड़ों के बारे में पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी उन्हें उसी स्वर से जवाब देना चाहिए जिस स्तर···।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यदि मेरे आंकड़े गलत हैं तो आप उन्हें सही कर दें। सूचना प्राप्त करने के मेरे स्रोत हैं। मेरे स्रोत इतने प्रामाणिक आपको गुमराह करने वाले नहीं हैं जितने उनके हैं।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं और मैं श्री चित्त बसु और श्री सोमनाथ चटर्जी की तरह राज्य सरकार को दोष नहीं दूंगा जो कि हमेशा केन्द्र सरकार को दोष देते रहते हैं क्योंकि यह उनके पक्ष में रहता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उनकी सब समस्याओं के लिए यह रामबाण की तरह है।

श्री पी० शिव शंकर : कुछ लोग तो आलोचना के आधार पर ही फलना फूलना चाहते हैं किन्तु मेरी आदत नहीं है।

महोदय, छठी योजना के आरम्भ में पश्चिम बंगाल में स्थापति क्षमता 1600 मेगावाट थी छठी योजना में यह आशा थी कि वे उसमें 1368 मेगावाट की वृद्धि करेंगे। अब सन्थालडीह यूनिट संख्या 4 में क्या हुआ कि वे केवल 120 मेगावाट की ही वृद्धि कर सके हैं। इसे चालू कर दिया गया है। मंडेल एकक संख्या 5 में 210 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की गई है टीटागढ़, कलकत्ता बिजली सप्लाई के लिए वे केवल 60 मेगावाट की एक यूनिट की वृद्धि कर सके हैं। अतः आज स्थिति यह है कि राज्य सरकार छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान केवल 390 मेगावाट की ही वृद्धि कर सकी है और अभी भी 978 मेगावाट की कमी शेष है। अभी चालू किये जाने वाले एकक हैं, कोलाघाट 630 मेगावाट ; डी. पी. एल. एक्सटेंशन 110 मेगावाट. कलकत्ता बिजली सप्लाई, टीटागढ़ 180 मेगावाट तथा पन बिजली रम्मन एवं जल ढाक में 58 मेगावाट। यह कुल मिलाकर 978 मेगावाट है जिसे अभी चालू किया जाना है।

ताकि वे छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान 1368 मेगावाट की उपलब्धि कर सकते हैं। 630 मेगावाट की उपरोक्त परियोजना के अतिरिक्त, 1980 में कालाघाट के विस्तार की अनुमति दी गई थी, पश्चिम बंगाल को फरक्का चरण-एक सहित विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं से भी बिजली का शेयर अर्थात 630 मेगावाट मिलेगा। उन्हें कोयला कारों एवं चक्का पनबिजली परियोजनाओं से भी बिजली का अंश प्राप्त होगा तथा पश्चिम बंगाल में छठी योजना के अन्त तक उत्पादन क्षमता व्यवहार्य रूप से दुगनी हो जाएगी। यदि आगे कोई कटौती नहीं होती है तो पश्चिम बंगाल में योजना के अन्त तक बिजली की स्थिति संतोष जनक हो जाने की संभावना है। किन्तु यह पुनः थर्मल स्टेशनों के निष्पादन के अध्याधीन है। इस क्षेत्र में विकास की गति भी काफी धीमी है और यह आशा है कि विकास की गति में तेजी आयेगी।

महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूर्वी क्षेत्र में बिजली के धीमे विकास के बारे में बहुत कुछ कहा है। यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, किन्तु यह कहना चाहता हूं कि इसका प्रमुख कारण परियोजनाओं के पूरे होने में असाधारण विलम्ब है। मैं कुछ तथ्य और आंकड़े देता हूं, ताकि सभा इस बात को नोट कर सके।

श्री नीरज घोष (दमदम): 1951 में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा से बना पूर्वी क्षेत्र बिजली उत्पादन में सबसे आगे था और छठी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक सब पूरा हो जाने के बाद यह सब से नीचे हो गया है।

श्री पी० शिव शंकर: यह दावा श्री सोमनाथ चटर्जी कर चुके हैं। महोदय, मैं सदन का ध्यान निष्पादन के सम्बन्ध में दिला रहा हूं ताकि माननीय सदस्य यह जान सकें कि विलम्ब के कारण आयोजना उचित रीति से नहीं की जा सकी, कार्यान्वियन भी सही ढंग से नहीं किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह 25 वर्ष के कार्य का रिकार्ड नहीं है?

श्री पी० शिव शंकर: यदि आप चाहें तो मैं जहां तक भी सम्भव हो, आंकड़े दूंगा और मैं खर्च के बारे में कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है आपको अपनी कठिनाईयां हों, मैं उनकी चर्चा नहीं करता और आपको इस बारे में भावुक नहीं होना चाहिये क्योंकि सम्भव है कि इस काम के लिये कई कारण जिम्मेवार हों।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह यह नहीं बतायेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र के लिये ऊर्जा के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का आबंटन किया गया है। (व्यवधान)।

श्री पी० शिव शंकर: आप यूं ही भावुक बन रहे हैं। मैं तो यहां तक कह चुका हूं कि उनकी अपनी कठिनाईयां हो सकती हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह भावुकता तथा अन्य बातों के बारे में कहते हैं लेकिन विषयपरक मूल्यांकनों की उपेक्षा की जा रही है ।

श्री पी० शिवशंकर : यदि पश्चिम बंगाल के कोई अन्य सदस्य इस तरीके से बोलें, जैसा कि आप बोले हैं, तो मैं निश्चय ही उन्हें पूरे अंक दूंगा। लेकिन आप जो कुछ बोले उसके बाद तथा जिस तरीके से आप बोले, उसे देखते हुये मैं यथासम्भव सहनशील होने की कोशिश कर रहा हूं । मैं सहनशीलता के साथ उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं । आपको मुझे सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये और जो कुछ मैं कहूं उसे सहन करें ।

बंदुल परियोजना, पांचवे एकक को 1972 से 1982 तक पूरा होने के लिये दस वर्ष लगे । कालाधार परियोजना को 1973 में स्वीकृति दी गयी और पहले एकक को 1983 में पूरा किये जाने की सम्भावना है । दुर्गापुर परियोजना के 110 मेगावाट एकक लगाने की स्वीकृति 1974 में दी गयी थी और मुझे आशा है कि यह 1984 में चालू किया जायेगा । मैं और आगे चर्चा नहीं करना चाहता, यद्यपि मेरे पास बिहार तथा अन्य स्थानों के आंकड़े भी हैं । मैंने सोचा था कि मैं इसकी ओर सभा का ध्यान दिलाऊं ।

जैसा कि मैंने कहा कि आशा की गयी थी कि छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य की क्षमता में 1368 मेगावाट की वृद्धि होगी. फिर भी स्थिति यह है कि तीन वर्षों के बाद केवल 390 मेगावाट उत्पादन की क्षमता चालू की गयी है । यह भी सम्भव है कि धन राशि की कमी हो और कुछ और कठिनाईयां भी हों, जिनसे मैं सम्बन्धित नहीं हूं लेकिन जिस ढंग से मेरे मित्र बोले हैं उनसे मैं यह समझ पाया हूं कि जैसे योजना संबंधी सारी गलती केन्द्र की ही हो ।

मुझे कहना चाहिये कि राज्य बिजली बोर्डों का काम असंतोषजनक रहा है । वे काम को अधिक अच्छा बनाने के लिये कई कदम उठाने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन फिर भी लगता है कि यह कार्य बहुत कठिन है । यदि प्रश्न बेहतर उत्पादन के लिये ठोस आलोचना का है तो मैं स्वयं इसका स्वागत करूंगा और मैं इसे वैसा ही समझ रहा हूं । मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, इसकी ओर से कोई भी ढील नहीं हुई है ; इसके लक्ष्यों की 100 प्रतिशत पूर्ति हुई है । उत्पादन क्षमता तथा राज्यों के कामों के मूल्यांकन करने की बात मैं सभा पर छोड़ता हूं ।

पारेषण तथा वितरण के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । नई परियोजनाओं से बिजली लेने के लिये 400 किलोवाट पारेषण लाइनें स्थापित करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । नीचे के स्तरों पर भी 220 किलोवाट नई लाइनें और लगायी गयी हैं । मुझे मानना चाहिये कि पारेषण हानि लगभग 20 प्रतिशत है । यह निस्संदेह, बहुत अधिक है क्योंकि पश्चिमी देशों में पारेषण हानि 8 से 10 प्रतिशत ही होती है । इसके कारण और भी है जिसमें चोरी आदि भी शामिल हैं । मैं इससे इनकार नहीं करता । लेकिन राज्य बिजली बोर्डों को सावधानी

बरतनी पड़ेगी और उन्हें उचित कदम उठाने पड़ेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की चोरी न हो।

माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी को उत्तर देते हुये मैं हल्दिया पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स का भी सरसरी तौर पर जिक्र करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां कहिये, कृपया एक शब्द।

उपाध्यक्ष महोदय : उनसे जबरदस्ती न बुलवायें।

श्री पी० शिव शंकर : इनके और मेरे बीच बाहर एक समझौता हुआ था और ये उससे आगे बढ़ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं हमेशा पूरी आशा रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, दो वकील सहमत हुये हैं। वह उस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं?

श्री पी० शिव शंकर : यह सब काफी समय से चल रहा है।

श्री नीरेन घोष : 20 वर्षों से।

श्री पी० शिव शंकर : यदि मैं कहूं कि इसकी तिथि आपकी जन्म तिथि है, तो क्या आप खुश होंगे?

श्री नीरेन घोष : कहिये कि यह हुमायुं के समय से चल रहा है।

श्री पी० शिव शंकर : यह 1977 से है। परियोजना में समय-समय पर परिवर्तन हुये हैं। एक संयुक्त उद्योग के प्रस्ताव भी थे। ये सब काम बिना पैसे के किये जा रहे थे। वास्तव में, कुछ समय पहले मैंने सभा में कहा था कि छठी पंचवर्षीय योजना में क्योंकि मैंने अपने सहयोगी को राजी करना था और मेरे सहयोगी छटी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये 25 करोड़ रुपये के आबंटन करने के लिये सहमत हो गये। न केवल इस परियोजना के लिये बल्कि सलिमपुर, गुजरात कम्पलेक्स के लिये भी। कुछ राशि मैं अल्पराशि नहीं कहूंगा—कुछ प्रारम्भिक कार्य के लिये दी गयी है और मुझे आशा है कि यह एक अच्छे काम की शुरूआत होगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्या आप परियोजना में हिस्सा लेने के लिये सहमत हैं, प्रश्न यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : ब्यौरे के लिये न कहें।

श्री चित्त बसु : मैं यह कह रहा हूं । क्या वह वित्तीय रूप में परियोजना में हिस्सा लेने के लिये सहमत हैं क्योंकि वे दोनों यहां हैं, इसीलिये हम अधिक अश्वस्त होना चाहते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सारे पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिये क्या आप इसके पक्ष में हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : मुझे अपने सहयोगी, योजना मंत्री का साधनों की कठिनाईयों के होते हुए भी आभारी होना चाहिये कि उन्होंने इस राशि का आवंटन किया और जब भी मैं मांगता गया तो इन्होंने निराश नहीं किया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप गरीब ब्राह्मण को भी साथ क्यों नहीं लेते ?

श्री पी० शिवशंकर : ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। 20-सूत्री कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता मिलती रही है। पहले वर्षों की तरह ग्राम्य विद्युतीकरण के लक्ष्यों को पूर्णतः पूरा किये जाने की आशा है। यद्यपि वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी मेरे पास यह सूचना है कि हमने 1982-83 का लक्ष्य पूरा किया है । देश के कुल 5.7 लाख गांवों में इसे 3.1 लाख गांवों में बिजली उपलब्ध है । तमिलनाडु के कुछ माननीय सदस्य उनका नाम लिये बिना —यहां तक कहते हैं कि उनके राज्य में 9.7 लाख गांव हैं । मुझे इसका पता नहीं है क्योंकि वे ग्राम्य विद्युतीकरण की चर्चा कर रहे थे ।

जहाँ तक पम्प सेटों को बिजली से चालू करने का सम्बन्ध है, इसके आंकड़े 50 लाख के आस पास हैं । 1982-83 के दौरान 3 लाख से अधिक सेटों में बिजली प्रदान की गयी । लेकिन यह हमारे 4 लाख के निश्चित लक्ष्य से कम है । मुझे कहना चाहिये कि इस दिशा में धीमी प्रगति का कारण साधनों की कठिनाईयां रही हैं।

अभाव के दिनों में सभी राज्य विद्युत आबंटन में कृषि को प्राथमिकता देते हैं । सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए कृषि के मौसम में अन्तर-मंत्रालय दल गठित किए जाते हैं । यद्यपि कुछ राज्यों में लापरवाही से विद्युत की सप्लाई करने की समस्या है, तो कुछ राज्यों में सीमित घंटों तक विद्युत की सप्लाई करने की समस्या है. परन्तु कृषि क्षेत्र को विद्युत सप्लाई करते रहने के परिणामस्वरूप सूखे की स्थिति में यह कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत सहायता मिली है ।

हमारे पास विद्युत के लिए भावी योजनाएं है । परन्तु मैं इस समय उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता । क्या मैं सभा के सूचनार्थ यह निवेदन कर सकता हूं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने उन सभी नई विद्युत उत्पादन क्षमताओं के लिए तकनीकी और आर्थिक अनुमति

प्रदान कर दी है जिनकी आवश्यकता सातवीं पंचवर्षीय योजना में पड़ेगी। हमने दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया है। कुछ समय पहले मैंने मुख्य मंत्रियों को छोटे-छोटे जल विद्युत सयन्त्रों के महत्व के बारे में लिखा था। हम इन लघु जल विद्युत संयन्त्रों की स्थापना को 20 सूत्री कार्य-क्रम के एक अंग रूप प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस समय 103 इकाइयां कार्य कर रही हैं और 43 इकाइयां निर्माणाधीन हैं बहुत सी योजनाएं विचाराधीन है।

माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय ग्रिड का भी उल्लेख किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी राज्यों ने राष्ट्रीय ग्रिड की धारणा को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में बहुत सी तकनीकी और वाणिज्यिक समस्याओं का समाधान किया जाना है। बहरहाल, क्षेत्रीय ग्रिडों की स्थापना की जा रही है और क्षेत्रीय विद्युत वितरण केन्द्र अगले वर्ष तक पूर्णतया चालू हो जाएंगे।

जहां विद्युत क्षेत्र की तकनीकी समस्याओं को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है और देशी उद्योग ने देश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता का निर्माण कर लिया है वहां स्रोतों की समस्या पिछले एक या दो वर्षों में विकट हो गई है और मूल्यों में वृद्धि से स्थिति और भी बदतर बढ़ती जा रही है। परन्तु इसके बावजूद सरकार अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न कर रही है कि स्रोतों की कमी होने पर भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों।

विद्युत उत्पादन उपकरणों के आयात की नीति के सम्बन्ध में सरकार मूलतः प्रारम्भ में घरेलू उत्पादन क्षमता पर भरोसा करती है। परन्तु विद्युत कार्यक्रम के लिए स्रोतों की प्रतिपूर्ति हेतु वहां सीमित पैमाने पर चुनिंदा आयात किया जा सकता है जहां मूल्य प्रतिस्पर्द्धात्मक हों और आकर्षक वित्तीय छूटें दी जाएं। संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से निर्णय लिए जा रहे हैं।

औद्योगिक नीति संकल्प को ध्यान में रखकर सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत उत्पादन ट्रांसमीशन और वितरण में निस्सन्देह प्रमुख भूमिका निभा सकता है, यद्यपि निजी क्षेत्र बहुत ही छोटे आकार में मौजूद हैं। परन्तु औद्योगिक नीति संकल्प को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की नीति चलने दी जाएगी।

हम विद्युत गहन उद्योगों अथवा अबाधित विद्युत सप्लाई प्राप्त करने वाले उद्योगों के लिए रक्षित विद्युत सयन्त्र स्थापित करने के उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते रहे हैं। सदस्यों ने अपने राज्यों का अर्थात् किसी एक निजी औद्योगिक गृह का मामला उठाया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु इस मामले में बहुत मुकदमेबाजी हुई हैं और यह अब भी उच्चतम न्यायालय में चल रहा है।

बहुत से सदस्यों ने राजाध्यक्ष समिति का उल्लेख किया है। इस समिति ने विद्युत उद्योग के ढांचे में परिवर्तन के सम्बन्ध में बहुत सी सिफारिशें की हैं। प्रमुख सिफारिशों में से एक,

सांविधिक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों की स्थापना है। ये सभी प्रमुख ट्रांसमीशन लाइनें इसके अधिकार में होंगी, ये सभी विद्युत केन्द्रों से थोक में बिजली खरीदेंगे और थोक में ही वितरण हेतु राज्य बिजली बोर्डों को बेच देंगे। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों के कारण न केवल सांविधिक संशोधन आवश्यक हो जाते हैं अपितु केन्द्र-राज्य संबंधों में टकराव भी हो सकता है। यह आवश्यक है कि राज्यों के सहयोग से ऐसे प्रमुख परिवर्तन किए जाएं। अतः इस मामले में शीघ्र निर्णय लेना संभव नहीं है।

विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा की बचत हेतु प्रयास किए गए हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं सभा के ध्यान में एक तथ्य लाना चाहता हूं। वह यह है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक सैल की स्थापना की है, जो ऊर्जा की बचत हेतु, विशेषरूप से कृषि पम्पसेटों के लिए, जहां कार्यकुशलता बहुत कम है, पहले ही मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

मैं प्रत्येक सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु कुछ सदस्यों ने लिग्नाइट का प्रश्न उठाया है। मैं मोटे तौर पर उन कुछ माननीय सदस्यों की बातों को लूंगा जिन्होंने राजस्थान में लिग्नाइट के भण्डारों के बारे में प्रश्न उठाया है। निस्सन्देह राजस्थान में लिग्नाइट के कुछ भण्डारों के होने का पता चला है। यह सहमति हो गई है कि कोयला विभाग इस संबंध में और आगे खोज को तीव्र करने के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करेगा। यदि पर्याप्त स्रोत मिल जाते हैं तो लिग्नाइट पर आधारित विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना की संभावना की जांच की जाएगी। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि समय-समय पर क्या कार्यवाही की गई है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेवेली लिग्नाइट निगम के वर्ष 1983-84 के बजट में इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इस वक्तव्य के सिवाय इस पहलू के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुनकर श्री व्यास जी मुस्करा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह अच्छी बात है कि शुरूआत की गई है।

श्री पी० शिवशंकर : कुछ माननीय सदस्यों ने ज्वारीय विद्युत: के विकास के बारे में सुझाव दिया है। ऊर्जा मंत्रालय कच्छ तट पर ज्वारीय विद्युत उत्पादन की संभावना का अध्ययन करने के एक कार्यक्रम हेतु धन प्रदान कर रहा है। फ्रांस से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया गया है। अध्ययन में प्रगति हो रही है। मंत्रालय की यह नीति है कि परियोजनाओं की स्थापना करते समय भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्थानीय रोजगार को बढावा दिया जाए। निसन्देह, कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है और मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 800 रुपये प्रतिमास से कम वेतन वाले पद स्थानीय रोजगार

कार्यालयों के माध्यम से स्थानीय लोगों तक सीमित रखे जाते हैं। (व्यवधान) यदि मेरे ध्यान में ऐसे मामले लाए जाएंगे तो मैं आपका अत्यन्त आभारी हूंगा। रामगुन्डम में सुपर ताप विद्युत केन्द्र के मामले में यह प्रश्न उठाया गया था।

श्री राम प्यारे पनिका : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इसे लागू नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने अब सामान्य टिप्पणी की है। मुझे विश्वास है कि इसका पालन किया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस तारीख से ?

श्री पी० शिवशंकर : यह पिछली किसी तारीख से लागू हो नहीं सकता। किसी अगली तारीख से ही होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज से ?

श्री पी० शिवशंकर : मुझे विश्वास है यह लागू किया जाएगा। परन्तु वे इसका अनुसरण करते आ रहे हैं, हां, हो सकता है कि इस नीति के कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियां रह गई हों। परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस नीति को क्रियान्वित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन हो। बिहार के कुछ माननीय सदस्यों ने कहलगांव के बारे में प्रश्न उठाया था। और उन्होंने बताया कि उन्होंने 1980 में तत्कालीन राज्य मंत्री महोदय द्वारा दिये गये बक्तव्य का भी उल्लेख किया था। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण ने मार्च, 1981 में अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी थी .लेकिन समस्या थी धन की कमी। धन प्राप्त करने हेतु विभिन्न साधन/मार्ग खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस परियोजना को 1983-84 के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

एक माननीय सदस्य ने श्रीसैलम के बारे में एक मामला उठाया था। वास्तव में, वाद-विवाद से मुझे पता चला है कि माननीय सदस्य यह मामला प्रायः उठाते रहे हैं, गत वर्ष भी उन्होंने यह मामला उठाया था। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि श्रीसैलम परियोजना की 110 मैगावाट की दो इकाईयाँ पहले ही चालू कर दी गई हैं और दो के शीघ्र चालू होने की सम्भावना है जो कि 110 मैगावाट की ही इकाईयां हैं। मेरे लिए विस्तार में जाना हो सकता है सम्भव न हो। मैं जल्दी-जल्दी अन्य विभागों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि······।

एक माननीय सदस्य : तेल।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : तेल पर मैं बाद में बोलूंगा।

मैं कोयले के संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। देश में कोयले का उत्पादन 1978-79 से लेकर 1979-80 तक 1000 लाख टन के आसपास स्थिर रहा है। परन्तु बाद में इसमें कुछ प्रगति हुई। मैं विगत के विस्तार मे नहीं जा रहा हूं। माननीय सदस्यों को पता है कि 1981-82 में रिकार्ड उत्पादन हुआ था, जबकि हमने 1249.00 लाख टन के उत्पादन के आंकड़े प्राप्त किए थे। 1982-83 का उत्पादन आज के दिन तक लगभग 1309.00 लाख टन है। ये आंकड़े 2500 लाख टन के लगभग निर्धारित लक्ष्य से कम पड़ते हैं। परन्तु कुछ भी हो, उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा निस्सन्देह अधिक हुआ है। उत्पादन का घाटा दो कम्पनियों में पड़ा है, हड़ताल के कारण सिंगारेनी कोयला खदान में और ई सी एल में।

महोदय, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कहूंगा अवश्य कि एक माननीय सदस्य ने जनवरी और नवम्बर की मांग और हड़ताल का उल्लेख किया था। जो हड़ताल हुई थी वह जे बी सी सी आई के संविधान के अनुसार थी और वास्तव में मुझे खेद है कि इस तथ्य के बावजूद भी हड़ताल हुई, जबकि मैंने श्रमिक संघों के नेताओं से सलाह-मशविरा करके समस्या को हल कर लिया था। परन्तु चूंकि वे हड़ताल का आवहान कर चुके थे तो, शायद इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि में सोचा होगा कि हड़ताल का आवहान वापिस नहीं लेना चाहिए। मैंने उनसे अनुनय विनय की, वकालत की। निस्सन्देह इन दो कम्पनियो के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ा था और उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 1650 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करना, छठी पंचवर्षीय योजना तक, हो सकता है हमारे लिए सम्भव न हो। मैं कहूंगा कि 1983-84 का 1420 लाख टन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हर प्रकार के प्रयास करेंगे।

कोयले के पारेषण के मुद्दे पर मैं कहूंगा कि बढ़े हुए उत्पादन के बराबर ही कुछ लोगों/स्थानों को पारेषण में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 के मुकाबले, 1981-82 में इस्पात क्षेत्र को पारेषण में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विद्युत क्षेत्र में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सीमेन्ट फैक्टरियों को 20.7 प्रतिशत की और उर्वरक क्षेत्र को 42.7 प्रतिशत की/वर्ष 1980-81 के मुकाबले वर्ष 1981-82 में कुल पारेषण में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई/पारेषण में वृद्धि का यह रुख वर्ष 1982-83 में भी बनाये रखा गया है। इस प्रकार अप्रेल, 1982 से लेकर जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान, गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को किए गए पारेषण में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उर्वरक क्षेत्र को पारेषण में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सीमेंट फैक्टरियों को 3.9 प्रतिशत की। प्रमुख उपभोक्ताओं को कोयले की सुधरी हुई सप्लाई, पर्याप्त सीमा तक, इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निष्पादकता में सुधार के मामले में सहायक रही है। वास्तव में माननीय सदस्यों को पता है कि इन क्षेत्रों ने उत्पादन के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है और विभाग को भी कोयले की सप्लाई का कुछ श्रेय मिल

सकता है, जिसके कारण वे ऐसी उच्चतर उत्पादन दरें प्राप्त करने में सफल हो सके । विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है और सीमेन्ट और उर्वरक के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।

रेलवे द्वारा कोयले के लदान में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है । मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा —मार्च, 1983 में कोल इण्डिया लिमिटेड को प्रतिदिन का लदान 10,000 माल डिब्बे प्रतिदिन की दर से करके पिछले सब रिकार्ड तोड़ दिए गए थे । मुझे विश्वास है कि आगामी वर्ष में, सम्भवतया···।

श्री सी०डी० पटेल (सूरत) : सलूरी पाइप लाइन की क्या स्थिति है ?

श्री पी० शिवशंकर : मामला अभी भी बिचाराधीन है । इसकी आर्थिक व्यवस्था, सम्भावना···।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई पैसा नहीं है ।

श्री पी० शिवशंकर : वह ठीक है । ये सभी पहलू उसमें हैं ।

कोयले के विपणन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं यह मानता हूं कि इस तथ्य के बावजूद कि विविध उपाय किए गए हैं, उसमें सन्देह नहीं है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में माफिया दल सक्रिय परिचालित रहे हैं । हम इन असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी ओर से पूरा-पूरा प्रयास करते रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने खर्चे से पुलिस में से ही एक विशेष संवर्ग बनाना चाहते हैं—इस पर अधिकारी स्तर पर विचार किया जा रहा है और मेरे अधिकारी पश्चिम-बंगाल तथा बिहार सरकार से इस विषय पर पहले ही बातचीत कर चुके हैं - जिससे कि हम इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर ध्यान दे सके, रोक लगा सकें ।

श्री रामप्यारे पनिका : पश्चिम बंगाल में माफिया दल, आश्चर्य की बात है ! (व्यवधान) ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं तो कहूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि 'एक्स' या 'वाई' इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं . वास्तव में, मैं स्वयं धनबाद गया था और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी गया था । मैंने पाया है कि प्रश्न यह नहीं है कि 'क' 'ख' को प्रोत्साहित कर रहा है, परन्तु यह तो निहित स्वार्थों का प्रश्न है । उनकी पीठ पर असामाजिक तत्व हैं ।

श्री रामप्यारे पनिका : कुछ विपक्षी दलों सहित ।

श्री पी० शिवशंकर : किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है । मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जाने-अनजाने में कोई भी दल इन असामाजिक तत्वों का साथ नहीं दे रहा है । परन्तु कुछ

व्यक्ति-विशेष व्यक्तिगत रूप में उनको सहयोग दे रहे हैं आप वास्तव में उन पर रोक नहीं लगा सकते हैं । मैंने पाया है कि एक मामले में जिसमें एक विशिष्ट··· (व्यवधान) ।

एक माननीय सदस्य : सभी व्यक्ति-विशेष एक ही दल के हैं ··· । (व्यवधान) ।

श्री पी० शिवशंकर : ऐसा न हो कि अनावश्यक चर्चा चले, मैं इस विषय को छोड़ देता हूं । उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला और कोक की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए, देश के विभिन्न उपभोक्ता-केन्द्रों में, कोल इण्डिया वास्तव में, स्टाक यार्ड स्थापित कर रहा है । इन स्टाक यार्डों का मन्तव्य घरेलू और औद्योगिक दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं की सेवा से है । आजकल गुजरात, पश्चिम-बंगाल, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा राज्यों में 53 स्टाक यार्ड कार्यरत हैं । कोल इण्डिया लिमिटेड का पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य-प्रदेश. राजस्थान, उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में विभिन्न जगहों पर 1983-84 में ऐसे लगभग 40 और स्टाक यार्ड खोलने का प्रस्ताव है । इस उपाय से स्थिति सुधरेगी । माफिया गेंग के बारे में पहले ही जिक्र करके मैं कोयला खानों के निकट व्याप्त विधि और व्यवस्था की स्थिति का वर्णन नहीं करूंगा । अपनी ओर से मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम यह देखने के लिए प्रत्येक कदम उठायेंगे कि इन अवैध गतिविधियों को रोका जाए :

माननीय सदस्यों ने सप्लाई किए जाने वाले कोयले की गुणवक्ता के बारे में भी उल्लेख किया है ।

उनमें से कुछ बहुत ही प्रहारात्मक आलोचना करते हैं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ कहा गया है वह बिना किसी आधार के कहा गया है । कुछ सीमा तक इसमें सच्चाई है । वास्तव में, पिछले कुछ समय से, मैं यह देख रहा हूं कि सप्लाई किये गए कोयले की किस्म में सुधार हुआ है । मैं स्वयं इस सम्बन्ध में चिंतित था तथा पूरा विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है कि सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार हो । जैसाकि मैंने बताया है यह ठीक है कि अच्छी किस्म के कोयले को सप्लाई करने से ही विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ा है इसलिए मैं इन पहलुओं के विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं । राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जो विभिन्न परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं, हम उनको कार्यान्वित करने का प्रयास करते रहे हैं । कुछ कठिनाइयां आई हैं, मुझे विशेषतः भूमि अर्जन की कठिनाई का सामना करना पड़ा है । मैं इस विषय के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों विशेषतः मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा इसी प्रकार अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं ···।

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई नहीं है ?

श्री पी० शिवशंकर : भूमि अर्जन में विलम्ब के कारण हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है··· (व्यवधान) ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं एक मामले में उपस्थित हुआ था, जबकि यह मामला न्यायालय में पिछले नौ वर्षों से विचाराधीन है··· (व्यवधान)।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : उन्होंने मामले को रुकवाने का प्रयास किया होगा (व्यवधान) उन्हे आदेश दिया जा सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उनको कुछ बुनियादी बातें आनी चाहिए। मैं इस आदेश का विरोध करता रहा हूं। वह कुछ नहीं जानते हैं।

श्री के० मायातेवर : मैं सब कुछ जानता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मुझसे बेहतर जानते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्संगज) : जब कभी भी भूमि अर्जन की समस्या होती है तो आपकी पार्टी के आदमी उसका विरोध करते हैं। वे चिल्लाते हैं कि कम से कम इतनी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : में इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा समस्या को हल करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे निवेदन पर विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहायता की, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा था। मुझे यह मालूम है कि हमारे सामने अन्य समस्याएं भी हैं। हमें उन लोगों को रोजगार देने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जिनकी भूमि अर्जित की गई है। इस सदन के माध्यम से में एक स्पष्ट निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तथा कोयले के उत्पादन पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए इस सदन के माध्यम से निवेदन किया है, ताकि भूमि अर्जन का कार्य शीघ्रता से निपटाया जा सके तथा खानों का संचालन करने के उद्देश्य से हमें भूमि उपलब्ध हो सके।

खननकारी उपायों तथा प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किये जाते रहे हैं। मैं उनके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। वास्तव में, बहुत से सुरक्षा सम्बन्धी उपाय भी किये गये हैं। निःसंदेह रूप से कुछ आलोचना की गई है मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोल इंडिया बोर्ड के सभापतित्व अधीन एक नई सुरक्षा बोर्ड तथा ऊर्जा मंत्रालय में मेरे अधीन एक स्थायी समिति गठित की गई है जो सुरक्षा के सभी मामलों का समन्वय तथा निगरानी करेंगी।

विभिन्न कल्याणकारी उपाय किये गए हैं। वर्ष प्रति वर्ष इन उपायों के लिए धन नियतन के सम्बन्ध में वृद्धि होती रही है और इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष के लिए भी पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त गैर-परम्परागत ऊर्जा अथवा बायोगैस-कार्यक्रम के प्रश्न पर दो पहलुओं का जिक्र किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम हमारी आशाओं के अनुकूल

नहीं रहा है । यह भी आलोचना की गई है कि विभिन्न स्थानों पर बायो-गैस संयंत्रों को स्थापित किया गया है लेकिन उनकी निगरानी नहीं की जाती है । मैं इन कमियों के बारे में परिचित हूं । यह एक छोठा मंत्रालय है । हम सावधानी से कार्य कर रहे हैं और हम इस प्रक्रिया के कार्य-कलापों में गतिशीलता ला रहे हैं । मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्ष में, संभवत में अच्छी स्थिति का ब्यौरा दे सकूंगा । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस वर्ष यह ब्यौरा किसी भी रूप में अच्छा नहीं है । यद्यपि हम निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे हैं, इसके बावजूद भी इस बात की ओर ध्यान देने के प्रयास किये जा रहे हैं कि ऊर्जा के इन गैर-परम्परागत स्रोतों का विकास किया जाए और इनका काफी बड़े रूप में विकास किया जाये, ताकि राष्ट्र को एक स्थानापन्न ऊर्जा स्रोत मिल सके ।

अन्त में मैं, पेट्रोलियम मंत्रालय के कार्य-निष्पादन के बारे में बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा । कुल मिलाकर सदन के सभी वर्गों द्वारा पेट्रोलियम मत्रालय की आलोचना की जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन आपकी प्रवृत्ति मूल्यों में वृद्धि करने की हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : निःसंदेह रूप से कुछ सदस्यों द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कुछ तीखी आलोचना की गई है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कार्य कर रहे हैं वे कठिन परिस्थितियों में कार्य करते रहे हैं । यह बात उनके बारे में भी सत्य है जो खानों तथा कोयला क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । वास्तव में उनका देशभक्ति उत्साह उनसे बढ़कर है जो कोयला खानों में कार्य कर रहे हैं अथवा जो जल के अन्दर अपतट पर कार्य कर रहे हैं, जो वास्तव में उदाहरणात्मक हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग कोयला खानों में कार्य कर रहे हैं अथवा जो महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अथवा जो खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उत्तरदायी हैं, उनकी सेवाएं वास्तव में ही बहुत अच्छी हैं। वे सभी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं । वास्तव में, मैं उनकी सेवाओं के अनुरूप स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं । शायद राष्ट्र उनका ऋण चुकाने में असमर्थ है, लेकिन, उत्साहत्मक पहलू यह है कि वे देशभक्ति के जोश में कार्य कर रहे हैं । और इस अवसर पद मैं उन सभी कामगारों को जो कोयला क्षेत्रों खानों, विद्युत क्षेत्र में, जो मिट्टी के तेल का उत्पादन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कर रहे हैं ।

अन्य बात मूल्यों में वृद्धि के बारे में कही गई है ।

श्री राम प्यारे पनिका : और विपणन के बारे में क्या स्थिति है ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं विपणन के सम्बन्ध में भी विचार प्रकट करूंगा । लेकिन मैं इनकी संक्षिप्त में व्याख्या करूंगा । यद्यपि निसंदेह रूप से मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल मुख्य मुद्दों का जिक्र करूंगा ।

महोदय, जहां तक मूल्यों में वृद्धि का सम्बन्ध है इसके बारे में सरकार विशेषरूप से काफी अधिक व्यथित की, जब उनको तेल के बारे में विचार करना पड़ा, क्योंकि यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग आम आदमी के द्वारा किया जाता है। वास्तव में इसको मैंने दोहरी मूल्य प्रणाली की घोषणा करते समय स्पष्ट कर दिया था। चाहे इरादा अच्छा भी हो, लेकिन जैसा कि समाज में होता है तथा वितरण व्यवस्था के सही रूप में कार्य न करने, वितरण व्यवस्था के मजबूत न होने के कारण, काफी अनियमितताएं हुई, जिन्हे हमारे ध्यान में लाया जा रहा है, तथा आम आदमी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार को इस नीति पर पुनः विचार करना पड़ा।

लेकिन, महोदय आपने देखा होगा कि जब पहली अधिसूचना जारी की गयी तो उसमें हमने हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में वृद्धि की थी और जब हम अब दोहरी मूल्य नीति पर विचार कर रहे हैं और इसे पुनः एकहरी मूल्य नीति पर लाना चाहते हैं तो प्रश्न यह है कि क्या हम मूल्यों में वृद्धि करें या नहीं ? जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, हमने 10 पैसे की आंशिक वृद्धि की है। लेकिन फिर भी खतरा है क्योंकि मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में भारी अन्तर होने के कारण अभी भी मिलावट का खतरा है। सरकार सतर्कता व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। मैंने इस बारे में राज्यों के अधिकारियों से भी अनुरोध किया है, वास्तव में, पैट्रोलियम विभाग के सचिव ने विभिन्न राज्यों के नागरिक पूर्ति आयुक्तों और नागरिक पूर्ति विभागों के सचिवों के साथ हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया है कि वे वितरण व्यवस्था को मजबूत बनायें और यह सुनिश्चित करें कि मिलावट न हो। हालांकि यह बहुत ही कम वृद्धि का मामला है, फिर भी इसे रोका नहीं जा सका। जब पैट्रोलियम के अन्य पदार्थों में भारी वृद्धि की गई थी तो उन हालातों में यह सोचा गया कि जहां तक मिट्टी के तेल का प्रश्न है, इसके दामों में 10 पैसे की वृद्धि की जाये।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि, जैसा कि हमने पहले भी कहा है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण राव ने भी कहा है कि हम जो भी धनराशि बचायें या जो भी धनराशि बचायें या जो भी धनराशि अर्जित करें उसे हम तेल संसाधनों की खोज और उनके दोहन की स्थिति में हों। इसी दृष्टि से संसाधन जुटाना, नितान्त आवश्यक है।

विपणन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि पैट्रोलियम मंत्रालय में व्याप्त विपणन व्यवस्था से न केवल मुझे बल्कि मेरे उच्चस्तरीय अधिकारियों को भी बहुत चिन्ता है। वास्तव में मुझे हर मामले में ही काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं कि गैस एजेन्सी के लिए या मिट्टी के तेल की एजेंसी या पैट्रोल पम्पों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाले अधिकारी गलत तरीके अपना रहे हैं। मैं बिना झिझक के यह कह सकता हूं कि काफी मामलों में यहां तक कि 99.9 प्रतिशत मामलों में यह सब आरोप निराधार पाये गए अर्थात् कार्यवाही करने के लिए काफी सबूत नहीं मिले, जिन पर मैं कार्यवाही कर सकता।

परन्तु जहां कहीं मुझे, काफी संदेह होने के कारण प्रमाण मिल सकता है, उन मामलों में मैंने कार्यवाही की है। मैंने कम्पनियों को सलाह दी कि वे कार्यवाही करें और उन्होंने कार्यवाही की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि अब इन एजेंसियों के चयन का काम उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति को सौंपा गया है। पहले ही दो समितियां बनाई जा चुकी है। शीघ्र ही हम तीन और चार समितियां और बनाने जा रहे हैं। उनको अलग-अलग जोन आवंटित किए गए हैं। दक्षिण से आने वाले सदस्यों को उत्तरी क्षेत्र आबंटित किया गया है ताकि किसी किस्म की की आलोचना आदि न हो। यह प्रशासनिक बातें हैं और इनसे प्रशासनिक स्तर पर निपटा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की आलोचना से बचने के लिए हमें यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसी सन्दर्भ में मैंने यह निर्णय लिया है, ताकि आलोचना आदि कम से कम हो सकें। मैं यह नहीं कहता कि इससे बिल्कुल ही आलोचना नहीं होगी, लेकिन··· ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मंत्री महोदय ने जो अनफ़ाउंडिड की बात कही है, वह ठीक नहीं है। उसके संबंध में एनक्वायरी भी व्यवस्थित नहीं है।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने सभी केसिज के लिए अनफाउंडिड नहीं कहा है। कई मामलों में मैंने उन्हें सही नहीं पाया। जिन मामलों में कुछ भी प्रमाण थे, उन मामलों में मैंने कार्यवाही की है। कई मामलों में, कुछ अनियमिततायें पाये जाने के कारण, मैंने एजेंसियों को ही रद्द करने की सलाह दी थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता। इसी संदर्भ में जहां कहीं भी प्रथम सूचना के आधार पर कुछ सबूत पाये जाते हैं, कुछ कार्यवाही की जा सकती है। मैंने एक बात पायी है कि काफी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती है और मेरे एवं मेरे अधिकारियों के लिए उन पर विस्तृत रूप से जांच-पड़ताल करना असम्भव सा है। जहां तक सम्भव होता है, हम कोशिश करते है। इन्हीं शिकायतों की वजह से सारी प्रक्रिया को बदला गया है। कुछ समय पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। उसके अन्तर्गत जब एजेंसियों को देने का प्रश्न आता था तो, गैस एजेंसियों के बारे में आर्थिक स्थिति भी देखी जाती थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गरीब व्यक्ति के लिए गैस एजेंसी प्राप्त करना मुश्किल सा है। इसके लिए मैंने अपने सहयोगी वित्त मंत्री से बातचीत की और वह यह बात मान गये कि ऐसी कोई भी पार्टी अगर ऋण के लिए उनसे सम्पर्क करती है, तो वे उसे ऋण मंजूर कर देंगे। मैंने वित्त मंत्री को बताया कि मेरी कम्पनी इसके लिए गारंटी देगी क्योंकि पार्टी को जो भी कमीशन मिलेगा, उसका कुछ भाग सीधे ही बैंक में जमा हो जायेगा ? ताकि बैंक ने जो ऋण दिया, उसका भुगतान हो सके, पहले वित्तीय स्थिति के बारे में जो मुश्किलें आती थी, उनसे बचने के लिए ही, यह प्रक्रिया अपनाई गयी है।

अभी भी ऐसे कई एक मुद्दे हैं जिनसे बचना होगा। मुझे खेद है कि मैंने पहले ही काफी समय ले लिया है, और समय के अभाव के कारण मैं इन विषयों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इतना ही कह दें कि आप उन पर विचार करेंगे ।

श्री पी० शिव शंकर : जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, मैं माननीय सदस्यों का, मेरे मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर हुई जीवन्त बहस के लिए धन्यवाद देता हूं । मैं उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं विनती करता हूं कि उन्हें वापस ले ल । (व्यवधान)। और मैं अपने मंत्रालय की अनुदान की मांगों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक कि कोई सदस्य यह न चाहे, मैं ऊर्जा मंत्रालय से सबंधित सभी कटौती प्रस्ताव को सामूहिक रूप से मतदान के लिए रखता हूं...। (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे इन्हें अलग-अलग रखने के लिए कह रहे हैं ? अब कोई भाषण नहीं होगा ।

श्री ए०के० राय (धनबाद) : मैं चाहता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 19 से 43 और 83 पर अलग से मतदान हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ए०के० राय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 83 को सदन में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री ए०के० राय द्वारा पेश प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 19 से 43 तक को सदन में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी अन्य कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28 से 31 के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाये गए राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के लिये स्वीकृत अनुदानों की मांगों की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1983 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
ऊर्जा मंत्रालय					
28.	पैट्रोलियम विभाग	1,75,04,000	54,20,47,000	8,75,17,000	217,02,32,000
29.	विद्युत विभाग	26,79,43,000	148,10,52,000	133,97,13,000	722,23,90,000
30.	कोयला विभाग	20,80.74,000	170,16,67,000	104,03,69,000	832,88,38,000
31.	अपारम्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग	5,10,18,000	1,92,000	25,50,92,000	9,58,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

6.43 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 अप्रैल, 1983/19 चैत्र, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।